Peer reviewed Journal Impact Factor: 7.265 ISSN-2230-9578

Journal of Research and Development

A Multidisciplinary International Level Referred Journal

April 2023 Volume-15 Issue-10

Chief Editor
Dr. R. V. Bhole

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये
UGC
University Grants Commission

UGC Listed
Journal Listed No-64768
Up to-May, 2019
(Now Peer Review)

Publication Address
'Ravichandram' Survey No-101/1, Plot, No-23, Mundada Nagar, Jalgaon (M.S.) 425102

Journal of Research and Development

A Multidisciplinary International Level Referred and Peer Reviewed Journal

April -2023 Volume-15 Issue-10

Chief Editor

Dr. R. V. Bhole

'Ravichandram' Survey No-101/1, Plot, No-23,
Mundada Nagar, Jalgaon (M.S.) 425102

EDITORIAL BOARD		
Nguyen Kim Anh ***[Hanoi] Virtnam***	***Prof. Andrew Cherepanow*** *Detroit, Michigan [USA]*	***Prof. S. N. Bharambe*** *Jalgaon[M.S]*
Dr. R. K. Narkhede ***Nanded [M.S]***	***Prof. B. P. Mishra,*** *Aizawal [Mizoram]*	***Prin. L. N. Varma*** *Raipur [C. G.]*
Dr. C. V. Rajeshwari ***Pottikona [AP]***	***Prof. R. J. Varma*** *Bhavnagar [Guj]*	***Dr. D. D. Sharma*** *Shimla [H.P.]*
Dr. AbhinandanNagraj ***Benglore[Karanataka]***	***Dr. VenuTrivedi*** *Indore[M.P.]*	***Dr. ChitraRamanan*** *Navi ,Mumbai[M.S]*
Dr. S. T. Bhukan ***Khiroda[M.S]***	***Prin. A. S. KolheBhalod*** *[M.S]*	***Prof.KaveriDabholkar*** *Bilaspur [C.G]*

Published by-Chief Editor, Dr. R. V. Bhole, (Maharashtra)

The Editors shall not be responsible for originality and thought expressed in the papers. The author shall be solely held responsible for the originality and thoughts expressed in their papers.

© All rights reserved with the Editors

CONTENTS

Sr. No.	Paper Title	Page No.
1	"स्वच्छ भारत अभियान एवं जन–जागरूकता" डॉ० राकेश कुमार राणा , भूपेन्द्र कुमार	1-7
2	प्रेमचंद पूर्व महिला साहित्यकारों के साहित्य में नारी योगदान **डॉ. सुनील कुमार यादव**	8-11
3	मृत्यूच्या सहवासातील गोष्टी (विक्रम-वेताळ कथांच्या संदर्भात) **भक्ती ओंकार प्रभुदेसाई**	12-15
4	नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिन्द सरकार की स्थापना डॉ. रवीन्द्र शामराव लोणारे	16-18
5	शोधरूपरेखा का प्रारूप डॉ. निहाल सिंह	19-22
6	स्वच्छ भारत अभियान: स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के संदर्भ में एक तुलनात्मक दृष्टि **डॉ राकेश कुमार राणा , भूपेन्द्र कुमार**	23-26
7	भारत-पाकिस्तान संबंध और कश्मीर समस्या: दक्षिण एशिया का नया शीत युद्ध **संजीव कुमार सिंह , डॉ० सद्गुरु पुष्पम्**	27-32
8	तथागत गौतम बुद्ध आणि धम्म **डॉ. कल्याणी नाना शेजवळ**	33-37
9	चलनविषय धोरणाचे अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम **प्रा. मनोहर नारायण मोरे**	38-39
10	छत्तीसगढ़ राज्य के खनिज संसाधन एवं खनिज आधारित उद्योगों के चुनौतियों एवं संभावनाओं का अध्ययन **मनोज कुमार साहू**	40-45
11	कृषी विकासात/ विपणनात पायाभूत सुविधांचे योगदान पाटील स्वाती विजय	46-49
12	जगदंबा प्रसाद दीक्षित के उपन्यासों में झुग्गी झोपडियों की यथार्थता **सौ. वृषाली महादेव माळी , डॉ वर्षाराणी निवृत्तीराव सहदेव**	50-51
13	1990 नंतरच्या कवितेवरील जागतिकीकरणाचा परिणाम **डॉ. मिलिंद कांबळे**	52-55
14	मुंबई शहरातील नाट्यक्षेत्रातील नाट्याकलावंतांचे सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीचे अध्ययन **प्रा.संकेत संजय कुलकर्णी**	56-61
15	झारखण्ड के पर्यावरण में वन की स्थिति **अर्चना कुमारी**	62-66
16	प्रोफेसर रमणलाल मेहताजी द्वारा संकलित आगरा घराणे की राग भिमपलास की बंदिश का सौंदर्यात्मक अध्ययन प्रा.डॉ.संतोष किसनराव खंडारे	67-70
17	આદિવાસી યુવક યુવતીઓમાં કૌશલ્ય વર્ધન કેન્દ્રોને કારણે આવેલા પરિવર્તનનો એક અભ્યાસ (નર્મદા જિલ્લાના ગરુડેશ્વર તાલુકાના સંદર્ભમાં) **Konkani Kamalben M, Rajiv Patel**	71-73

'Journal of Research & Development'
A Multidisciplinary International Level Referred and Peer Reviewed Journal,
Impact Factor-7.265, ISSN: 2230-9578, April 2023, Volume-15 Issue-10

"स्वच्छ भारत अभियान एवं जन–जागरूकता"

डॉ० राकेश कुमार राणा[1] भूपेन्द्र कुमार[2]
[1]एसोसिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, एम एम एच कॉलिज, गाजियाबाद
[2]शोध छात्र, एम एम एच कॉलिज, गाजियाबाद
Corresponding author- डॉ० राकेश कुमार राणा
DOI-10.5281/zenodo.7943808

प्रस्तावना– स्वच्छता और समाज के बीच का संबंध आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है, क्योंकि समाज के भीतर स्वच्छता का स्तर समाज के विकास के स्तर से जुड़ा होता है। सांस्कृतिक विविधता का भी समाज की स्वच्छता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। किसी समाज का विकास उसकी स्वच्छता और स्वास्थ्य से सीधे प्रभावित होता है और समाज की जागरूकता उसकी प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए, समग्र प्रगति के लिए एक स्वच्छ और स्वस्थ समाज आवश्यक है। इस संबंध को और जानने के लिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में मवाना की नगर परिषद में प्रतिभागियों की सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि और स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम के उद्देश्यों पर एक अध्ययन किया गया।
कुंजी शब्दः स्वच्छ भारत अभियान, जन–जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता

निष्कर्ष– अधिकतम 44.25 प्रतिशत उत्तरदाता 41–50 आयु वर्ग से हैं, 79 प्रतिशत उत्तरदाता विवाहित हैं, 88 प्रतिशत उत्तरदाता हिन्दू धर्म के अनुयायी हैं, 72.25 प्रतिशत उत्तरदाता पिछड़ी जाति से हैं, 50.25 प्रतिशत उत्तरदाता इण्टरमीडिएट स्तर तक शिक्षित हैं, 44.50 प्रतिशत उत्तरदाता 10001–15000 रू० मासिक आय वर्ग के हैं, 68.75 प्रतिशत उत्तरदाता किसी भी संस्था में सामाजिक सहभागिता नहीं करते हैं, सभी उत्तरदाता स्वच्छ भारत अभियान की जानकारी रखते हैं, सभी उत्तरदाता स्वच्छ भारत अभियान की जानकारी रखते हैं, 86 प्रतिशत उत्तरदाता पीने के पानी की व्यवस्था निजी नल/समर्सिबल पम्प से करते हैं, 96 प्रतिशत उत्तरदाता पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था रखते हैं, 92 प्रतिशत उत्तरदाताओं के यहां पक्का रास्ता हैं, सभी उत्तरदाताओं के यहां निजी एवं सार्वजनिक शौचालयों की व्यवस्था हैं, सभी उत्तरदाताओं का मानना है कि स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत शौचालयों का निर्माण व स्वच्छता सम्बन्धित जागरूकता को बढ़ावा प्रदान किया गया है, 83 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि सरकार द्वारा वर्षा जल संचयन की समुचित व्यवस्था की गई है, 97 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि सरकार द्वारा सूखा व गीला कचरा निस्तारण की समुचित व्यवस्था की गई है।

1. प्रस्तावनाः–

2 अक्टूबर 2014 को भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ भारत अभियान, देश के कई हिस्सों में स्वच्छ पानी, शौचालय और जल निकासी सुविधाओं जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की कमी को दूर करने का एक सराहनीय प्रयास है। स्वच्छता अभियान प्रभावी होने के लिए, अपशिष्ट प्रबंधन महत्वपूर्ण है और रोजगार के अवसर पैदा करने और समुदायों को रहने योग्य बनाने के लिए कचरे के पुनरू उपयोग की योजना बनाना महत्वपूर्ण है। जल प्रबंधन भी स्वच्छता का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसमें जल स्रोतों की सफाई, पानी का पुनर्चक्रण और इसके औद्योगिक और कृषि उपयोग को बढ़ावा देना शामिल है। हालाँकि, स्वच्छता एक स्थानीय मुद्दा है जिसके लिए स्थानीय प्रशासन और पर्याप्त संसाधनों और नीतियों से जवाबदेही और भागीदारी की आवश्यकता होती है। स्वच्छ भारत अभियान की सफलता एक व्यापक और उपयुक्त स्वच्छता नीति पर निर्भर करती है जिसमें सरकार, नागरिक समाज और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच सहयोग शामिल है। खराब स्वच्छता के कारण होने वाले स्वास्थ्य संबंधी खतरे न केवल एक क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, बल्कि इसके व्यापक निहितार्थ भी हैं, जो स्वच्छ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं। 28 जनवरी, 2013 को सुलभ इंटरनेशनल द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान, स्वच्छता के समाजशास्त्र से संबंधित विभिन्न विषयों पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें देश–विदेश के समाजशास्त्रियों ने भाग लिया। संगोष्ठी स्वच्छता, सामाजिक अभाव, जल, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य विज्ञान, गरीबी, बाल कल्याण, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के मुद्दों पर केंद्रित थी। चर्चाओं ने ष्स्वच्छता के समाजशास्त्रष् के महत्व को मान्यता दी। स्वच्छता शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है स्वास्थ्य। शांडपजंजपवद्स स्वच्छता के संचालन के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है, जिसमें बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए पीने के पानी का संग्रह और कचरे का निपटान शामिल है। स्वच्छता को स्वास्थ्य नीति का प्रमुख बिन्दु माना गया है तथा स्वच्छता की महत्ता को स्वास्थ्य से भी अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। ष्स्वच्छता के समाजशास्त्रष् की परिभाषा का प्रयास किया गया और समाजशास्त्री डॉ बिंदेश्वर पाठक ने अपना विचार व्यक्त किया कि यह एक वैज्ञानिक शिक्षा है जो समाज की समस्याओं को हल कर सकती है। स्वच्छता, सामाजिक भेदभाव, जल, सामुदायिक स्वास्थ्य, पर्यावरण, गरीबी, लिंग–समानता, बाल कल्याण से संबंधित आध्यात्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने और सतत विकास के लिए लोगों को सशक्त बनाने से जीवन में खुशी और परिवर्तन आ सकता है।" वैदिक समाज में, लोगों के चार अलग–अलग वर्ग थे, अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। प्रत्येक वर्ग की अपनी जिम्मेदारियां और कर्तव्य थे। शूद्रों को सबसे निम्न वर्ग माना जाता था और उन्हें आमतौर पर छोटे और श्रमसाध्य कार्य सौंपे जाते थे। हालाँकि, जैसे–जैसे समय बीतता गया, लोगों को यह एहसास होने लगा कि प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से महत्वपूर्ण है, और सामाजिक पदानुक्रम में संक्रमण होने लगा। वर्तमान में, पंचमवर्ण नामक एक नया वर्गीकरण मौजूद है, जिसमें जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग शामिल हैं, भले ही उनकी नौकरी कुछ भी हो, यहां तक कि वे भी जिनमें चुनौतीपूर्ण और अशुद्ध काम शामिल है। पर्यावरण के मुद्दे केवल एक विशिष्ट क्षेत्र तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि वे प्रकृति में वैश्विक हैं। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में गंदगी की स्थिति के कारण ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। लोगों में स्वच्छता के बारे में जागरूकता की कमी ने पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं, जिनमें पानी, हवा, मिट्टी, और बहुत कुछ शामिल हैं, के क्षरण में योगदान दिया है। रासायनिक संयंत्र, यातायात और वनों की कटाई जैसे उद्योग, और प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग इन समस्याओं के प्रमुख दोषियों में से कुछ हैं। प्रदूषित पानी एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है क्योंकि इससे पर्यावरण असंतुलन हो सकता है जो जीवन को बाधित करता है। इन नकारात्मक प्रभावों को रोकने के लिए पर्यावरण और हमारे स्वास्थ्य दोनों के लिए स्वच्छता को प्राथमिकता देना आवश्यक है। एक स्वच्छ वातावरण स्वस्थ रहेगा और हम किसी भी हानिकारक पर्यावरणीय परिणाम से बच सकते हैं। परिवार बच्चों को शारीरिक श्रम, साफ–सफाई बनाए रखने, नहाने के उचित तरीके और

दूषित पानी के सुरक्षित निपटान के बारे में शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे अस्वच्छ जीवन से जुड़े जोखिमों के बारे में भी बताते हैं। इसके अलावा, स्कूल छात्रों को स्कूलों और गांवों जैसे विभिन्न परिवेशों में स्वच्छता और स्वच्छता के महत्व के बारे में सिखाते हैं। छात्रों को इन विषयों के बारे में शिक्षित करने के लिए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरीकों का उपयोग किया जाता है। सफाई के विभिन्न तरीकों के पीछे के कारण भी बताए गए हैं। हमारे समाज में शिक्षा और स्वच्छता दोनों के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता है। प्राथमिक शिक्षा सहित विभिन्न माध्यमों से बच्चों को स्वच्छता के बारे में पढ़ाया जाता है। यह वह चरण है जब वे अपने परिवेश को साफ रखने के महत्व की समझ हासिल करते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह संदेश उनके दिमाग में घर कर गया है, कई कार्यक्रम और अभियान आयोजित किए जाते हैं, और छात्रों को पुरस्कार और मान्यता जैसे प्रोत्साहनों से पुरस्कृत किया जाता है। शिक्षा एक शक्तिशाली उपकरण है जो विशेष रूप से लड़कियों के बीच स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायता कर सकती है।

विकास के सिद्धांतों में सामुदायिक भागीदारी परियोजनाओं के निर्णय लेने, योजना बनाने, कार्यान्वयन, मूल्यांकन और अनुकूलन चरणों में स्थानीय सदस्यों को शामिल करने का कार्य है। यह सांकेतिकवाद से अलग है, जहां समुदाय के सदस्यों को केवल दिखावे के लिए शामिल किया जाता है। सामुदायिक भागीदारी की परिभाषा संदर्भ और व्याख्या के आधार पर भिन्न होती है। मानवाधिकारों के संदर्भ में, लोकतंत्र, स्वायत्तता, एजेंसी और गरिमा के लिए भागीदारी महत्वपूर्ण है। लोगों को उन मामलों में भाग लेने का अधिकार है जो उनके भविष्य और विकास को प्रभावित करते हैं। (हम्म, 1005–1031) इसके अलावा लोगों को निर्णय लेने में शामिल होने के लिए पर्याप्त तंत्र के अस्तित्व के रूप में भागीदारी को परिभाषित किया गया है। (एफी, 2013) स्वच्छ भारत अभियान के लिए केवल शपथ लेना ही काफी नहीं है। हमें स्वच्छता में वास्तव में बदलाव लाने के लिए समय और प्रयास लगाने की जरूरत है। आज, अभियान के हिस्से के रूप में सभी शहरों में कूड़ेदान स्थापित किए गए हैं, लेकिन हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने परिवेश को साफ रखने के लिए नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारी को पहचानें। भारत में अस्वच्छ स्थितियों का मुद्दा एक प्रमुख चिंता का विषय है, और सरकार इसे दूर करने के लिए कदम उठा रही है, जिसमें गंगा बचाओ परियोजना भी शामिल है। हालाँकि, इन पहलों की सफलता अंततः सभी नागरिकों के सहयोग और प्रयासों पर निर्भर करती है। स्वच्छ, स्वस्थ और खुशहाल भारत बनाने के लिए मिलकर काम करें। (पाठक, 1991)

2. अध्ययन के उद्देश्यः–

अध्ययन से सम्बन्धित तर्कों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान अध्ययन में निम्नलिखित प्रश्नों को समझने का प्रयास किया जायेगा।

1. सूचनादाताओं की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना।
2. राज्य द्वारा संचालित स्वच्छ भारत अभियान के उद्देश्यों और लक्ष्यों का विश्लेषण करना।

3. चयनित साहित्य की समीक्षाः–

पिताबास प्रधान (2017) ने सुधार के स्तर को निर्धारित करने के लिए एक सर्वेक्षण पद्धति का उपयोग करते हुए ष्शहरों की स्थितिष् नामक एक अध्ययन किया। उनके शोध का फोकस इस विषय पर मीडिया के प्रभाव का मूल्यांकन करना था। अध्ययन ने 10 अगस्त, 2014 और 20 अगस्त, 2015 के बीच समाचार पत्रों में प्रकाशित मुद्दों का विश्लेषण किया और पाया कि दोनों वर्षों के दौरान हिंदी समाचार पत्रों की तुलना में अंग्रेजी समाचार पत्रों ने स्वच्छ भारत अभियान को अधिक प्रमुखता दी।

राव और सुब्बाराव (2015) ने स्वच्छ भारत अभियान की एक व्यापक परीक्षा आयोजित की, जिसमें गांधी द्वारा दिए गए स्वच्छता के सिद्धांतों पर विशेष जोर दिया गया था। अध्ययन ने निष्कर्ष निकाला कि यह नागरिकों, मीडिया आउटलेट्स, नागरिक समाज संगठनों, पेशेवरों, युवा लोगों और शैक्षणिक संस्थानों सहित अभिनेताओं की एक विस्तृत श्रृंखला पर निर्भर है, ताकि वे सफल होने के लिए अभियान पर स्वामित्व की भावना ग्रहण कर सकें।

ठक्कर (2015) ने स्वच्छ भारत मिशन का व्यापक विश्लेषण किया, इसके उद्देश्यों, लाभों और महत्व की जांच की। शोध ने विशेष रूप से स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों पर कार्यक्रम के प्रभाव की जांच की और पाया कि स्वच्छ भारत मिशन मोदी प्रशासन द्वारा शुरू की गई एक अनुकरणीय पहल है। स्वच्छता और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देकर, कार्यक्रम भारतीय आबादी के समग्र कल्याण पर सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है।

बद्र और शर्मा (2015) ने स्वच्छ भारत अभियान के प्रबंधकीय निहितार्थ का अध्ययन किया। अध्ययन ने स्वच्छ भारत अभियान की भागीदारी और प्रभावशीलता बढ़ाने के उपायों का भी सुझाव दिया। अध्ययन में निष्कर्ष निकाला गया कि टीमवर्क और देशभक्ति वे मूल्य है, जिन्हें सरकार छात्रों और साधारण नागरिकों के बीच विकसित करना चाहती है। पड़ोस की पहल से हस्तियों की सक्रिय भागीदारी अभियान को सक्रियता प्रदान करती है।

ठक्कर (2015) ने स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्य, योग्यता और महत्व का अध्ययन किया। अध्ययन ने स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों पर स्वच्छ भारत मिशन के प्रभाव पर ध्यान केन्द्रित किया व निष्कर्ष निकाला कि स्वच्छ भारत या हरित भारत का मिशन मोदी सरकार का एक सराहनीय कदम है।

चौधरी (2015) ने अपने अध्ययन "स्वच्छ भारत मिशन : पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक कदम" में ऐतिहासिक पुर्नावलोकन विधि द्वारा तथ्यों का परीक्षण किया तथा खुले में शौचालय के उन्मूलन की सम्भावना को देखा तथा पाया कि खुले में शौच की स्थिति वर्तमान में ज्यों कि त्यों बनी हुई है।

ईवने (2014) ने स्वच्छ भारत अभियान के उद्देश्य का अध्ययन किया। अध्ययन ने मुख्य रूप से भारत में दलित समुदाय पर स्वच्छ भारत मिशन के प्रभाव पर ध्यान केन्द्रित किया। अध्ययन में निष्कर्ष निकाला गया कि देश के हर नागरिक को इस योजना को सफल बनाने के लिए सरकार की प्रतीक्षा करने के बजाय स्वयं स्वच्छ होना चाहिए और प्रगति के बारे में सोचना चाहिए।

बोस, ए० व जी०, बालाजी (2012) ने अपने अध्ययन "एक अधिक प्रभावी स्वच्छ भारत अभियान के लिए सूचना संग्रह और प्रसार : विधियों और दृष्टिकोण" में सूचना संग्रह और प्रसार के उपयुक्त तरीकों का प्रस्ताव करता है तथा सर्वेक्षण विधि द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित पहलुओं की एक श्रृंखला को एक साथ करने में मद्द करता है तथा अध्ययन में पाया गया कि समस्या के सामाजिक संदर्भ को देखते हुए, सांस्कृतिक और भौगोलिक पहलुओं के आधार पर उचित सूचना संग्रह और प्रसार विधियों के आधार पर व्यवहार संबंधी पहलुओं में बदलाव आवश्यक है।

होआंग वान मिन्ह व हंग गुयेन–वियन (2011) ने अपने अध्ययन "विकासशील देशों में स्वच्छता के आर्थिक पहलू" में अप्रत्याशित स्वच्छता के आर्थिक प्रभाव और विकासशील देशों में कुछ सामान्य सुधारित स्वच्छता विकल्पों की लागत और आर्थिक लाभ को अर्न्तराष्ट्रीय और राष्ट्रीय जर्नल लेख और रिपोर्ट, केस आधारित आंकड़ों, और तथ्य पत्रों द्वारा जांचा तथा पाया कि स्वच्छता निर्विवाद रूप से एक लाभदायक निवेश है। एमडीजी स्वच्छता लक्ष्य को प्राप्त

करने से न केवल जीवन बचता है बल्कि आर्थिक विकास की नींव भी प्राप्त होती है।

3. अध्ययन की आवश्यकता:–

स्वच्छता बनाए रखना वैष्विक स्तर पर महत्वपूर्ण है, और यह व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह चिंता का विषय है कि बहुत से लोग सार्वजनिक स्वच्छता के प्रति सचेत नहीं हैं, क्योंकि सार्वजनिक स्थानों पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं और उनमें गंदगी होने का खतरा रहता है। ऐसी जगहों पर साफ–सफाई विशेष रूप से जरूरी है। जबकि कई व्यक्ति अपने घरों में स्वच्छता को प्राथमिकता देते हैं, वे अक्सर सार्वजनिक क्षेत्रों में समान विचार करने की उपेक्षा करते हैं। उदाहरण के लिए, भारत में, त्योहार अक्सर सार्वजनिक स्थानों पर बड़ी भीड़ को आकर्षित करते हैं, जहाँ विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, जिससे कचरा पैदा होता है जिसे अक्सर लापरवाही से फेंक दिया जाता है, जिससे अस्वच्छ स्थिति पैदा होती है। मानव विकास को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक स्थानों की सफाई सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।

5. निष्कर्ष:–

5.1 उत्तरदाताओं की सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि–

आयु– तालिका–1

आयु के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण

क्र०सं०	आयु वर्ग	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	21–30 वर्ष	56	14.00
2.	31–40 वर्ष	105	26.25
3.	41–50 वर्ष	177	44.25
4.	51–60 वर्ष	45	11.25
5.	60 वर्ष से अधिक	17	4.25
कुल योग		**400**	**100%**

स्रोतः आंकड़े शोधार्थी द्वारा स्वयं जनवरी–2020 से दिसम्बर 2020 तक एकत्रित किये गये हैं।

इस प्रकार आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि अधिकतम 44.25 प्रतिशत उत्तरदाता 41–50 आयु वर्ग से हैं व न्यूनतम 4.25 प्रतिशत उत्तरदाता 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग से हैं। इससे प्रतीत होता है कि अधिकतम उत्तरदाता मध्यम आयु वर्ग से हैं।

वैवाहिक स्थिति– तालिका–2

वैवाहिक स्थिति के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण

क्र०सं०	वैवाहिक स्थिति	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	विवाहित	316	79.00
2.	अविवाहित	45	11.25
3.	विधवा/विधुर	39	9.75
कुल योग		**400**	**100**

स्रोतः आंकड़े शोधार्थी द्वारा स्वयं जनवरी–2020 से दिसम्बर 2020 तक एकत्रित किये गये हैं।

इस प्रकार आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि अधिकतम 79 प्रतिशत उत्तरदाता विवाहित तथा न्यूनतम 9.75 प्रतिशत उत्तरदाता विधवा/विधुर श्रेणी के हैं।

धर्म– तालिका–3

धर्म के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण

क्र०सं०	वैवाहिक स्थिति	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हिन्दू	352	88.00
2.	मुस्लिम	41	10.25
3.	सिक्ख	07	1.75
4.	अन्य	00	0.00
कुल योग		**400**	**100**

स्रोतः आंकड़े शोधार्थी द्वारा स्वयं जनवरी–2020 से दिसम्बर 2020 तक एकत्रित किये गये हैं।

इस प्रकार आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि अधिकतम 88 प्रतिशत उत्तरदाता हिन्दू धर्म के अनुयायी हैं तथा न्यूनतम उत्तरदाता 1.75 प्रतिशत सिख धर्म के अनुयायी हैं।

जाति– तालिका–4

जाति के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण

क्र०सं०	जति	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	अनुसूचित	78	19.50
2.	पिछड़ी	289	72.25
3.	उच्च (सामान्य)	33	8.25
कुल योग		**400**	**100**

स्रोतः आंकड़े शोधार्थी द्वारा स्वयं जनवरी–2020 से दिसम्बर 2020 तक एकत्रित किये गये हैं।

इस प्रकार आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि अधिकतम 72.25 प्रतिशत उत्तरदाता पिछड़ी जाति से हैं तथा 8.25 प्रतिशत उत्तरदाता उच्च (सामान्य) जाति से हैं।

शिक्षा– तालिका–5

शिक्षा के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण

क्र०सं०	शिक्षा	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	निरक्षर (अशिक्षित)	09	2.25
2.	प्राईमरी	21	5.25
3.	जूनियर हाईस्कूल	44	11.00
4.	हाईस्कूल	89	22.25
5.	इण्टरमीडिएट	201	50.25
6.	स्नातक व अधिक	36	9.00
कुल योग		**400**	**100**

स्रोतः आंकड़े शोधार्थी द्वारा स्वयं जनवरी–2020 से दिसम्बर 2020 तक एकत्रित किये गये हैं।

इस प्रकार आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि अधिकतम 50.25 प्रतिशत उत्तरदाता इण्टरमीडिएट स्तर तक शिक्षित हैं तथा न्यूनतम 2.25 प्रतिशत उत्तरदाता निरक्षर (अशिक्षित) हैं।

आय (प्रति माह)– तालिका–6

आय के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण

क्र०सं०	आय (प्रति माह)	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	0 – 5000	77	19.25
2.	5001 – 10000	56	14.00
3.	10001 – 15000	178	44.50
4.	15000 से अधिक	89	22.25
कुल योग		400	**100**

स्रोतः आंकड़े शोधार्थी द्वारा स्वयं जनवरी–2020 से दिसम्बर 2020 तक एकत्रित किये गये हैं।

इस प्रकार आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि अधिकतम 44.50 प्रतिशत उत्तरदाता 10001–15000 रू० मासिक आय वर्ग के हैं तथा न्यूनतम 14 प्रतिशत उत्तरदाता 5001–10000 रू० मासिक आय वर्ग के हैं।

सामाजिक सहभागिता– तालिका– 7

सामाजिक सहभागिता के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण

क्र०सं०	सामाजिक सहभागिता	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	किसी संस्था में नहीं	275	68.75
2.	एक संस्था में	48	12.00
3.	दो संस्थाओं में	21	5.25
4.	दो से अधिक संस्थाओं में	56	14.00
कुल योग		400	**100**

स्रोतः आंकड़े शोधार्थी द्वारा स्वयं जनवरी–2020 से दिसम्बर 2020 तक एकत्रित किये गये हैं।

इस प्रकार आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि अधिकतम 68.75 प्रतिशत उत्तरदाता किसी भी संस्था में सामाजिक सहभागिता नहीं करते हैं तथा न्यूनतम 5.25 प्रतिशत उत्तरदाता दो संस्थाओं में सामाजिक सहभागिता करते हैं।

5.2 सरकार के स्वच्छ भारत अभियान के प्रमुख उद्देश्यों/लक्ष्यों का विश्लेषण–

स्वच्छ भारत अभियान की जानकारी– तालिका–4.8

स्वच्छ भारत अभियान की जानकारी के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण

क्र०सं०	स्वच्छ भारत अभियान की जानकारी	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हाँ	400	100
2.	नहीं	00	0.00
कुल योग		400	**100**

स्रोतः आंकड़े शोधार्थी द्वारा स्वयं जनवरी–2020 से दिसम्बर 2020 तक एकत्रित किये गये हैं।

इस प्रकार आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि सभी उत्तरदाता स्वच्छ भारत अभियान की जानकारी रखते हैं।

पीने के पानी की व्यवस्था– तालिका–9

पीने के पानी की व्यवस्था के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण

क्र०सं०	पीने के पानी की व्यवस्था	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	निजी नल/समर्सिबल पम्प	56	14.00
2.	सरकारी नल/सरकारी हैण्डपम्प	344	86.00
कुल योग		400	**100**

स्रोतः आंकड़े शोधार्थी द्वारा स्वयं जनवरी–2020 से दिसम्बर 2020 तक एकत्रित किये गये हैं।

इस प्रकार आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि सर्वाधिक 86 प्रतिशत उत्तरदाता पीने के पानी की व्यवस्था निजी नल/समर्सिबल पम्प से करते हैं तथा 14 प्रतिशत उत्तरदाता पीने के पानी की व्यवस्था सरकारी नल/सरकारी हैण्डपम्प से करते हैं।

पानी की निकासी का माध्यम– तालिका–10

पानी की निकासी का माध्यम के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण

क्र०सं०	पानी की निकासी का माध्यम	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	नाली में	384	96.00
2.	गड्ढे में	16	4.00
कुल योग		400	**100**

स्रोतः आंकड़े शोधार्थी द्वारा स्वयं जनवरी–2020 से दिसम्बर 2020 तक एकत्रित किये गये हैं।

इस प्रकार आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि सर्वाधिक 96 प्रतिशत उत्तरदाता पानी की निकासी नाली में करते हैं तथा न्यूनतम 04 प्रतिशत उत्तरदाता पानी की निकासी गड्ढे में करते हैं।

पानी की निकासी की व्यवस्था– तालिका –11

पानी की निकासी की व्यवस्था के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण

क्र०सं०	पानी की निकासी की व्यवस्था	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	समुचित व्यवस्था है	384	96.00
2.	समुचित व्यवस्था नहीं है	16	4.00
कुल योग		400	**100**

स्रोतः आंकड़े शोधार्थी द्वारा स्वयं जनवरी–2020 से दिसम्बर 2020 तक एकत्रित किये गये हैं।

इस प्रकार आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि सर्वाधिक 96 प्रतिशत उत्तरदाता पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था रखते हैं तथा न्यूनतम 04 प्रतिशत उत्तरदाता पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं रखते हैं।

रास्ते की व्यवस्था– तालिका–12

रास्ते की व्यवस्था के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण

क्र०सं०	रास्ते की व्यवस्था	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	कच्चा	00	0.0
2.	पक्का	368	92
3.	कच्चा–पक्का	32	08
कुल योग		**400**	

स्रोतः आंकड़े शोधार्थी द्वारा स्वयं जनवरी–2020 से दिसम्बर 2020 तक एकत्रित किये गये हैं।

इस प्रकार आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि अधिकतम 92 प्रतिशत उत्तरदाताओं के यहां पक्का रास्ता हैं तथा न्यूनतम 8 प्रतिशत उत्तरदाताओं के यहां कच्चा–पक्का रास्ता है।

निजी एवं सार्वजनिक शौचालयों की व्यवस्था– तालिका–13

निजी एवं सार्वजनिक शौचालयों की व्यवस्था के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण

क्र०सं०	निजी एवं सार्वजनिक शौचालयों की व्यवस्था	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	समुचित व्यवस्था है	400	100
2.	समुचित व्यवस्था नहीं है	00	00
3.	कह नहीं सकते	00	00
कुल योग		400	100

स्रोतः आंकड़े शोधार्थी द्वारा स्वयं जनवरी–2020 से दिसम्बर 2020 तक एकत्रित किये गये हैं।

इस प्रकार आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि सभी उत्तरदाताओं के यहां निजी एवं सार्वजनिक शौचालयों की व्यवस्था है।

स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत प्रदान सुविधाऐं– तलिका –14

स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत प्रदान सुविधाओं के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण

क्र०सं०	स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत प्रदान सुविधाऐं	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	शैचालयों का निर्माण	400	100
2.	डस्ट्बिन व्यवस्था	376	94
3.	जागरूकता बढ़ाना	400	100
4.	सेनेट्रीपेड वितरण व अन्य	32	08

स्रोतः आंकड़े शोधार्थी द्वारा स्वयं जनवरी–2020 से दिसम्बर 2020 तक एकत्रित किये गये हैं।

इस प्रकार आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि सभी उत्तरदाताओं का मानना है कि स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत शौचालयों का निर्माण व स्वच्छता सम्बन्धित जागरूकता को बढ़ावा प्रदान किया गया है तथा न्यूनतम उत्तरदाताओं का मानना है कि स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत सेनेट्रीपेड वितरण व अन्य सुविधाऐं प्रदान की गई हैं।

वर्षा जल संचयन व्यवस्था– तालिका–15

वर्षा जल संचयन व्यवस्था के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण

क्र०सं०	वर्षा जल संचयन व्यवस्था	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	समुचित व्यवस्था है	68	17
2.	समुचित व्यवस्था नहीं है	332	83
कुल योग		400	100

स्रोतः आंकड़े शोधार्थी द्वारा स्वयं जनवरी–2020 से दिसम्बर 2020 तक एकत्रित किये गये हैं।

इस प्रकार आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि सर्वाधिक 83 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि सरकार द्वारा वर्षा जल संचयन की समुचित व्यवस्था की गई है तथा न्यूनतम 17 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि सरकार द्वारा वर्षा जल संचयन की समुचित व्यवस्था नहीं की गई है।

सूखा एवं गीला कचरा निस्तारण की व्यवस्था– तालिका–16

सूखा एवं गीला कचरा निस्तारण की व्यवस्था के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण

क्र०सं०	सूखा एवं गीला कचरा निस्तारण की व्यवस्था	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	समुचित व्यवस्था है	388	97
2.	समुचित व्यवस्था नहीं है	12	03
कुल योग		**400**	100

स्रोतः आंकड़े शोधार्थी द्वारा स्वयं जनवरी–2020 से दिसम्बर 2020 तक एकत्रित किये गये हैं।

इस प्रकार आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि सर्वाधिक 97 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि सरकार द्वारा सूखा व गीला कचरा निस्तारण की समुचित व्यवस्था की गई है तथा न्यूनतम 3 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि सरकार द्वारा सूखा एवं गीला कचरा निस्तारण की समुचित व्यवस्था नहीं की गई है।

6. अध्ययन की सीमाएँः–

यह अध्ययन केवल जिला मेरठ के नगरपालिका परिषद् मवाना में किया गया है। वर्तमान में जिनकी ग्राम प्रधान महिलाऐं हैं, परीक्षितगढ़ ब्लॉक में ऐसे 22 गाँव है। इस अध्ययन पद्धति में केवल गुणात्मक आंकड़े 400 उत्तरदाताओं से ही एकत्रित किए गए हैं। इस परिप्रेक्ष्य से इस अध्ययन के निष्कर्ष केवल स्थानीय सामान्यीकरण ही प्रस्तुत करते हैं। वृहत सार्वभौमिक निष्कर्ष नहीं। यह अध्ययन 400 उत्तरदाताओं के द्वारा उनकी भूमिका से सम्बन्धित एकत्रित तथ्यों पर आधारित है।

7. अध्ययन क्षेत्रः–

शोधार्थी ने प्रस्तुत अध्ययन के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के नगरपालिका परिषद् मवाना का चयन किया है। इसका नाम ''मुहाना'' शब्द से आता है। जिसका अर्थ है गेटवे। यह हस्तिनापुर साम्राज्य का मुहाना माना जाता है। हस्तिनापुर के केन्द्र से 9 कि0मी0 दूर स्थित है। मवाना उत्तर प्रदेश (भारत) मेरठ जिले में नगरपालिका परिषद है। यह जिला मुख्यालय से 25 कि0मी0 उत्तर दिशा में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार मवाना नगरपालिका परिषद् की कुल जनसंख्या 81,443 है, जिसमें पुरूष 43,029 और 38414 महिलाएँ है। मवाना नगरपालिका परिषद् की कुल साक्षरता दर 70.55 प्रतिशत है, जिसमें पुरूष साक्षरता दर 77.81 प्रतिशत है जबकि महिला साक्षरता दर 62.49 प्रतिशत है। मवाना तहसील में कुल गांवों की संख्या 268 है। शोधार्थी द्वारा अध्ययन के लिए मवाना नगर पालिका का चयन उद्देश्यपूर्ण निदर्शन विधि द्वारा किया गया है।

8. निदर्शन एवं सूचनादाताः–

उद्देश्यपूर्ण निदर्शन से अध्ययन के लिए मेरठ जिले के मवाना नगरपालिका परिषद का चयन किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार मवाना नगरपालिका परिषद् की कुल जनसंख्या 81,443 है, जिसमें पुरूष 43,029 और 38414 महिलाएँ है। मवाना नगरपालिका परिषद् की कुल साक्षरता दर 70.55 प्रतिशत है, जिसमें पुरूष साक्षरता दर 77.81 प्रतिशत है जबकि महिला साक्षरता दर 62. 49 प्रतिशत है। मवाना नगरपालिका परिषद से उद्देयपूर्ण निदर्शन पद्धति द्वारा 400 सूचनादाताओं का चयन किया गया है। ये वे सूचनादाता है, जो ''स्वच्छ भारत अभियान में राज्य एवं समुदाय की सहभागिता : मवाना तहसील के विशेष संदर्भ में एक समाजशास्त्रीय अध्ययन'' अध्ययन के लिए सूचनाएँ दी गयी है।

9. आंकड़ों का संकलनः–

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में जिला मेरठ के मवाना नगरपालिका परिषद् के 400 सूचनादाताओं को उद्देश्य पूर्ण निदर्शन पद्धति द्वारा चुना गया है, जो अध्ययन के लिए सूचनाएँ दी गयी है। अध्ययन इनके द्वारा दी गयी सूचनाओं पर आधारित होगा। सूचना एकत्रित करने के

लिए अवलोकन व साक्षात्कार–अनुसूची, वैयक्तिक अध्ययन प्रविधियों का प्रयोग किया गया है। शोध में प्राथमिक व द्वितीयक दोनों प्रकार की सामग्री का प्रयोग आंकड़े एकत्रित करने के लिए किया गया है। शोध के प्रथम उद्देश्य के लिए द्वितीय सामग्री एवं एकल अध्ययन पद्धति द्वारा आंकड़े एकत्रित किया गया है। शोध के शेष उद्देश्यों के लिए आंकड़ों को प्राथमिक सामग्री के द्वारा स्वयं एकत्रित किया गया है, जिसके लिए अवलोकन व साक्षात्कार–अनुसूची प्रविधियों का प्रयोग किया गया है।

10. आंकड़ों का विश्लेषणः–

आंकड़ों का विश्लेषण सांख्यिकी विधि द्वारा किया जायेगा, आंकड़ों का सारणीयन भी किया जायेगा और यदि आवश्यकता अनुभव होती है तो आंकड़ों के विश्लेषण में यांत्रिक सहायता ली गयी है।

11. अध्ययन का महत्वः–

स्वास्थ्य का स्वच्छता से सीधा संबंध है। स्वच्छता और आर्थिक विकास के बीच क्या संबंध है? बीमार व्यक्ति किसी भी काम को ठीक ढंग से नहीं कर सकता और इसका सीधा असर उत्पादकता पर पड़ता है। मानव संसाधन उत्पादक नहीं बन पाएगा। प्रस्तुत शोध प्रस्ताव का महत्व इसी से निहित है कि लोगों को इस बात के लिए जागरूक किया जाए कि स्वच्छता का सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य से है, पर्यावरण प्रदूषण से है, बढ़तें उपभोक्तावाद से है। भारत सरकार स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से प्रत्येक गांव को अगले 5 वर्षों तक हर साल 20 लाख रूपये देगा। इसके अन्तर्गत सरकार ने हर परिवार के व्यक्तिगत शौचालय की लागत 12,000 रूपये तक की है। ताकि सफाई नहाने और कपड़ें धोने के लिए पर्याप्त पानी की आपूर्ति की जा सके। एक अनुमान के अनुसार पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय इस अभियान पर 1,34000 करोड़ रूपये खर्च करेगा। सार्वजनिक शौचालय बनाने और ठोस कचरे का उचित प्रबंधन करने का लक्ष्य रखा गया है। जब हमारी सरकार स्वच्छ भारत मिशन को लेकर इतनी गंभीर है तो हमें अकादमिक क्षेत्रों से जुडे व्यक्तियों का यह दायित्व है कि उस दिशा में काम करे और समाज की सहभागिता के लिए जागरूकता कार्यक्रम का अभियान सामुदायिक सहभागिता के साथ चलायें।

सन्दर्भ

1. लहरी, विमल कुमार (2018), स्वच्छ भारत अभियान, भारती प्रकाशन, वाराणसी, पृ. 1
2. वाघेला, अनिल (2015), स्वच्छता का समाजशास्त्र, कल्पाज पब्लिकेशन्स, दिल्ली, पृ. 15
3. पाठक, विंदेश्वरी (2017), स्वच्छता का दर्शन, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, पृ. 15
4. पाठक, विंदेश्वरी (2017), स्वच्छता का दर्शन, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, पृ. 175
5. कुमार आलोक (2015), स्क्वेटिंग विद डिगनिटी भारत मं स्वच्छता अभियान, सेज पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृ. 31
6. कुमार आलोक (2015), स्क्वेटिंग विद डिगनिटी भारत मं स्वच्छता अभियान, सेज पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृ. 21–22
7. कुमार आलाके (2015), स्क्वेटिंग विद डिगनिटी भारत में स्वच्छता अभियान, सेज पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृ. 33
8. विनयपिटक, पृ. 35, 69
9. विनय पिटक, चुल्लवग्ग, 5.7.3, पृ. 448
10. विनय पिटक, चुल्लवग्ग, 5.7.3, पृ. 448
11. वाघेला, अनिल (2015), स्वच्छता का समाजशास्त्र, कल्पाज पब्लिकेशन्स, दिल्ली, पृ. 16–17
12. वाघेला, अनिल (2015), स्वच्छता का समाजशास्त्र, कल्पाज पब्लिकेशन्स, दिल्ली,, पृ. 19–20
13. वाघेला, अनिल (2015), स्वच्छता का समाजशास्त्र, कल्पाज पब्लिकेशन्स, दिल्ली, पृ. 24–25
14. गाँधी, एम.के. (1960), मेरे सपनों का भारत, नवजीवन, अहमदाबाद, पृ. 95–96
15. हजेला, तिलक नारायण (1996), आर्थिक विचारों का इतिहास, साहित्य भवन, आगरा, पृ. 457
16. खरवार, रीतू (2011), ग्रामीण विकास कार्यक्रम की असफलता के कारण एव ं आदर्श ग्राम योजना के क्रियान्वयन सम्बन्धी सूत्र, शोध चेतना ए रिसर्च जर्नल, वा.1, नं. 1, 2011, जागो जन सेवा समिति, वाराणसी
17. वाघेला, अनिल (2015), स्वच्छता का समाजशास्त्र, कल्पाज पब्लिकेशन्स, दिल्ली, पृ. 290–91
18. वाघेला, अनिल (2015), स्वच्छता का समाजशास्त्र, कल्पाज पब्लिकेशन्स, दिल्ली, पृ. 143–44
19. वाघेला, अनिल (2015), स्वच्छता का समाजशास्त्र, कल्पाज पब्लिकेशन्स, दिल्ली, पृ. 143–44
20. स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, पेय जल और स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृ. 1
21. लहरी, विमल कुमार (2018), स्वच्छ भारत अभियान, भारती प्रकाशन, वाराणसी, पृ. 8.
22. लहरी, विमल कुमार (2018), स्वच्छ भारत अभियान, भारती प्रकाशन, वाराणसी, पृ. 133
23. लहरी, विमल कुमार (2018), स्वच्छ भारत अभियान, भारती प्रकाशन, वाराणसी, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का उद्बोधन, 2014, पृ. 168
24. श्रीवास्तव, प्रमादे कुमार (2018) स्वच्छ भरत अभियान में गैर–सरकारी संगठनों की भूमिका, उद्धृत– लहरी, भारती प्रकाशन, वाराणसी, पृ. 270
25. पाठक, विंदेश्वरी (2017), स्वच्छता का दर्शन, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, पृ. 175–178

'Journal of Research & Development'
A Multidisciplinary International Level Referred and Peer Reviewed Journal,
Impact Factor-7.265, ISSN: 2230-9578, April 2023, Volume-15 Issue-10

प्रेमचंद पूर्व महिला साहित्यकारों के साहित्य में नारी योगदान

डॉ. सुनील कुमार यादव
हिन्दी विभागाध्यक्ष, विद्या वर्धक संघ कला वाणिज्य एवं बी.सी.ए. महाविद्यालय,विजयपुर
Corresponding author- डॉ. सुनील कुमार यादव
Email- drssyyvv@gmail.com
DOI- 10.5281/zenodo.7943816

Abstract (सार)

हिन्दी साहित्य जगत को अनेक महान हस्तियों ने समय-समय पर अपने ज्ञान से सींचा है । इस दिशा में प्रेमचंद पूर्व महिला साहित्यकारों का योगदान हिन्दी साहित्य जगत कभी नहीं भूल सकता है । सजीव भाषा के साथ यथार्थपरक घटनाओं को राष्ट्रीयता से जोड़ना का प्रयास, मानव चरित्र के अनेक मनोभावों से पात्रों की सृष्टि, स्त्री त्रासदी पर सवाल उठाना, स्त्री पीड़ा को समझना, इन पीड़ाओं से स्त्री समाज को मुक्ति की ओर ले जाना, प्रेमचंद पूर्व महिला साहित्यकारों के साहित्य का मूल आशय रहा है। है। आधुनिक हिन्दी कहानी का आरंभ एक हिन्दी भाषी महिला कहानीकार 'राजेन्द्र बाला घोष' के द्वारा हुआ है यह बहुत बड़ी खासियत हिंदी साहित्य की रही है। प्रेमचंद पूर्व युग कि महिला साहित्य कारों ने परंपरागत रूढ़ियों से जकड़ी हुई नारी जीवन को इस शिकंजे से शास्त्र के नाम पर महिलाओं पर हो रहे अन्याय तथा अनाचारों से मुक्त करने के लिए इन्होंने नारी शिक्षा पर अधिक बाल दिया। नारी को अपने पति का चुनाव करने की, तलाक देने की मांग नारी के मौलिक अधिकार है यह कहकर समाज में एक नया परिवर्तन लाने का कार्य इनका रहा है। समकालीन समाज में व्याप्त अनेक रूढ़ियों नकारने का कार्य अपने साहित्य के माध्यम से करती रही है। इनका लेखन इतना आक्रामक रहा की इन्होंने समाज में सदियों से चली आ रही नारी को मुक्त करने कोई कसर नहीं छोड़ी है ।

प्रमुख शब्द : त्रासदी, पीड़ा, वेदना, राष्ट्रीयता, साहित्य, समाज, आधुनिक, जमींदारों, अंग्रेजी शासन , सांस्कृतिक परिवेश, त्याग सहनशीलता, धर्म के प्रति आस्था, अंधविश्वास, मर्यादा की रक्षा

प्रवेश

समाज हमेशा परिवर्तन कि ओर अग्रसर होता रहता है इस परिवर्तन का परिणाम समाज के हर अंग पर पड़ता है। हिन्दी साहित्य जगत भी इस परिवर्तन से अछूता नहीं रहा है । हम सब इस बात से परिचित है कि हिन्दी साहित्य इतिहास बहुत गौरवपूर्ण रहा है । हिन्दी साहित्य जगत को अनेक महान हस्तियों ने समय-समय पर अपने ज्ञान से सींचा है । इस दिशा में प्रेमचंद पूर्व महिला साहित्यकारों का योगदान हिन्दी साहित्य जगत कभी नहीं भूल सकता है । सजीव भाषा के साथ यथार्थपरक घटनाओं को राष्ट्रीयता से जोड़ना का प्रयास, मानव चरित्र के अनेक मनोभावों से पात्रों की सृष्टि, स्त्री त्रासदी पर सवाल उठाना, स्त्री पीड़ा को समझना, इन पीड़ाओं से स्त्री समाज को मुक्ति की ओर ले जाना, प्रेमचंद पूर्व महिला साहित्यकारों के साहित्य का मूल आशय रहा है। इस अवधि कि महिला लेखिका स्त्री शिक्षा से लेकर तत्कालीन राष्ट्रीय , सांस्कृतिक परिवेश को परास्त करती नजर आती है, अपने साहित्य के माध्यम से समाज द्वारा स्त्री पर हो रहे अन्याय के खिलाप आवाज उठाना, उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागृत करना आदि विषयों को अपने साहित्य का मूल अंश के रूप में चुनकर नारी समाज को अंधकार से प्रकाश कि ओर ले जाने का कार्य अविरत चलता रहा है, इस दिशा में महिला लेखिकाओं का पात्र बहुत बड़ा तथा अविस्मरणीय रहा है। आधुनिक हिन्दी कहानी लेखन में महिला साहित्यकारों का बहुत बड़ा योगदान रहा है इस बात से हम सब परिचित है। आधुनिक हिन्दी कहानी का आरंभ एक हिन्दी भाषी महिला कहानीकार 'राजेन्द्र बाला घोष' के द्वारा हुआ है यह बहुत बड़ी खासियत हिंदी साहित्य की रही है। इन कहानियों में भारतीय नारी की स्थिति तथा उस समय व्याप्त सामाजिक व्यवस्थाओं का प्रचालन प्रथाओं का विवरण मिलता है। समय के अनुसार नारी त्रासदी, पीड़ा, वेदना, विधवा नारी की समस्या, अकेली नारी कि समस्या, बाल विवाह से पीड़ित, सामाजिक प्रताड़नाओं से त्रस्त नारी तथा स्त्री समुदाय से संबंधित अनेकों अनगिनत समस्याओं पर सवाल उठाकर समाज को सचेत करने का प्रयास किया है।

बीसवीं सदी की प्रमुख तथा प्रथम महिला लेखिका 'राजेन्द्र बाला घोष' का नाम हिन्दी महिला कहानीकारों में बड़े गौरव के साथ लिया जाता है । इन्होंने कहानी, निबंध तथा आलोचना विविध विधावों पर रचना की है। कहानी में नवीनता और परंपरा दोनों भावों को ध्यान में रखकर मौलिक कथा लेखन करने में 'बंग महिला' का नाम सर्व प्रथम लिया जाता है। हिन्दी महिला कहानीकार 'बंग महिला' द्वारा रचित 'दुलाईवाली' कहानी सन् 1907 में ' सरस्वती पत्रिका' में प्रकाशित हुई थी । इनका पूरा नाम राजेन्द्र बाला घोष जिन्हें 'बंग महिला' नाम से ख्याति प्राप्त थी जो एक बंगाली महिला थी। इनका जन्म सन्

1882 में वाराणसी के कोदई चौकी मुहल्ले में हुआ था। इनके पूर्वज कलकत्ता के चंद्रनगर जिले के खोलसिनी नामक गाँव के निवासी थे जो 1858 में बनारस में आ बसे थे। पिता का रामप्रसन्न घोष और माता का नाम निरदवासिनी घोष था। राजेन्द्र बाला घोष के पति का नाम पूर्णचन्द्र था।

" हिन्दी साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार रामचन्द्र शुक्ल के संपर्क में आने से इन्होंने हिन्दी में साहित्य सृजन कार्य किया। प्रारंभ में राजेन्द्र बाला घोष बंगाली कहानियों को हिन्दी में अनूदित किया। "कुसुम संग्रह' कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ है। "1 साहित्यकारों का मानना यह है कि इन्होंने कोई उपन्यास नहीं लिखा परंतु बंगाल से हिन्दी में उपन्यास को अनूदित कर हिन्दी उपन्यास लेखन के लिए भाव-भूमि अवश्य तैयार किया था। इतिहास के पन्नों से हम सभी को यह अच्छी तरह ज्ञात है कि पच्छिम संस्कृति का प्रभाव सर्वप्रथम बंगाल पर पड़ा था। परिणाम स्वरूप बंगाली महिलाओं पर साहित्य का प्रभाव पड़ा और 'बंग महिला' ने अनूदित कहानियाँ लिखी, जिसमें बंगाली महिलाओं का चित्रण देखने को मिलता है। सन 1904 से 1917 तक इनकी रचनाएं हिन्दी की प्रमुख पत्रिकाओं में 'एक प्रवासीनी बंग महिला' तथा 'कभी बंग महिला' नाम से प्रकाशित होती रही है। 'बंग महिला' ने 'कुम्भ में छोटी बहू' 'दान प्रतिदान' मुरला दालिया' 'मन की दृढ़ता' आदि अनूदित कहानियाँ लिखी है। "द्विवेदीकाल की बंग महिला' हिन्दी की प्रथम मौलिक कहानी लेखिका है। लेखिका के रूप में बंग महिला का नाम चिर स्मरणीय है। इनका वास्तविक नाम श्रीमती राजेंद्रबाल घोष है। "2 दुलाईवाली कहानी के संबंध में डॉ. पुष्पलता का कहना इस प्रकार है " इस कहानी को हिन्दी की मौलिक कहानी होने का श्रेय दिया जाता है। प्रस्तुत कहानी 1907 में सरस्वती भाग 8 संख्या 5 में प्रकाशित हुई थी। स्थानीय अंकन यथार्थ चित्रण और पात्रानुकूल भाषा है। "3 आधुनिक हिन्दी कहानी लेखन में महिला साहित्यकारों का योगदान भी रहा है, आधुनिक हिन्दी कहानी का आरंभ एक वह भी हिन्दी भाषी महिला कहानीकार के द्वारा हुआ है यह खासियत हिंदी साहित्य की रही है। 1950 के आस पास इनकी मृत्यु हो गई ऐसा माना जाता है। परंपरागत रूढ़ियों से जकड़ी हुई नारी जीवन को इस शिकंजे से शास्त्र के नाम पर महिलाओं पर हो रहे अन्याय तथा अनाचारों से मुक्त करने के लिए इन्होंने नारी शिक्षा पर अधिक बाल दिया। नारी को अपने पति का चुनाव करने की, तलाक देने की मांग नारी के मौलिक अधिकार है यह कहकर समाज में एक नया परिवर्तन लाने का कार्य इनका रहा है। समकालीन समाज में व्याप्त अनेक रूढ़ियों नकारने का कार्य अपने साहित्य के माध्यम से करती रही है। इनका लेखन इतना आक्रामक रहा की इन्होंने समाज में सदियों से चली आरही नारी को मुक्त करने कोई कसर नहीं छोड़ी। राजेन्द्र बाला घोष की रचना संसार इस प्रकार है " हिन्दी के ग्रंथकार'(1904) जो एक मूल निबंध है, 'अंडमान द्विप के निवासी'(1904) जो अनूदित निबंध है , 'नीलगिरी पर्वत के निवासी टेड़ा लोग (1904) जो प्रवासी साहित्य है, 'चंद्रदेव से मेरी बात' (1904), 'जोधा बाई'(1904) जो मूल निबंध है, 'पति सेवा' (1906), जो प्रबंध का भावानुवाद है , 'गृह' (नारी शिक्षा पर निबंध - बंगला से भावानुवाद), 'गृहचार्य'(1906) जो एक मूल निबंध है, 'स्त्रियों की शिक्षा'(1906) मूल निबंध है, 'संगीत और सुई काम' (1914) जो स्त्री शिक्षा संबंधी लेख है, 'कुम्भ में छोटी बहु'(1906), 'दुलाईवाली (1907), 'मुरला'(1908), 'भाई-बहन'(1908), 'हमारे देश की स्त्रियों की दशा' (1908) जो एक निबंध है, 'दलिया'(1909)अनूदित कहानी है, 'संसार सुख'(1910) अनूदित कहानी है, 'नारी रत्न भगवती देवी'(1910) अनूदित निबंध है, 'तिल से ताड़'(1906) अनूदित औपन्यासिक, 'मातृहीना' अनूदित कहानी है, 'अपूर्व प्रतिज्ञापालन' अनूदित कहानी है, 'दान प्रतिदान' अनूदित आख्यान है, 'हृदय परीक्षा'(1914) अनूदित कहानी है, 'मन की दृढ़ता'(1914) अनूदित कहानी है, 'अब्बूल फजल' अनूदित निबंध है। 1950 के आस पास इनकी मृत्यु हो गई ऐसा माना जाता है। "अपने रामचन्द्र शुक्ल की प्रेरणा से हिन्दी में लिखना शुरू किया। आप हिन्दी में 'बंग महिला' और बंगाल में 'प्रवासिनी' नाम से कहानियाँ लिखती थीं। आपने हिन्दी और बंगाल दोनों में मौलिक कहानियों की रचना की है। कुसुम-संग्रह आपकी कहानियों का संग्रह है, जो संवत् 1969 विक्रमी में प्रकाशित हुआ । " 4 द्विवेदिकालीन कवयित्रियों में 'श्रीमती सुमित्रा कुमारी सिन्हा' का नाम प्रसिद्ध रहा है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में 1913 में हुआ था। पिता का नाम महेश चरण सिन्हा। देश की आजादी के आंदोलन में इनका सक्रिय योगदान रहा है। प्रगतिशीलता इनके साहित्य में अधिक प्रमाण में देखने को मिलता है। श्रीमती सुमित्रा कुमारी सिन्हा नारी और पुरुष समान धरातल पर चले यही आशा भावना रखने वाली लेखिका रही है। इसीलिए इनका साहित्य भी इस दृष्टि से अछूता नहीं रहा है। नारी के पक्षधर रही लेखिका नारी मन की पीड़ा को अपने साहित्य में प्रमुख स्थान दिया है। नारी की वेदना को साहित्य का प्रमुख केंद्र बनाकर साहित्य की रचना करने वाली लेखिका नारी को न्याय दिलाने की कोशिश करती रही है। कहानी संग्रह 'अचल सुहाग'(1939), और 'वर्ष गाँठ'(1942) तथा 'सुलगते कोयले' आदि है। 'विहाग'(1940), 'आशापर्व'(1942) तथा 'बोलों के देवता'(1954) है। 'अचल सुहाग' इनकी प्रमुख कहानी संग्रह है जिसमें नारी की पीड़ा, वेदना, त्रासदी, आदि का चित्रण किया गया है। 'व्यक्तित्व की भूख' 'मेरी जाँ लूट गयी' 'विवाहित' आदि मार्मिक कहानियों में नारी की अस्मिता को खोजती नजर आती है। प्रमुख रूप से नारी अस्मिता पर आधारित इनकी कहानियाँ उस समय की मांग रही है। पंथिनी, प्रसारिका, वैज्ञानिक बोधमाला, कथा कुंज, आँगन के फूल, फूलों के गहने, आंचल के फूल, दादी का मटका आदि अन्याय रचनाएँ है । इनका सम्पूर्ण साहित्य युगीन पारिवारिक तथा सामाजिक समस्याओं का चित्रण यथार्थ रूप में देखने को मिलता है। प्रेम संबंधी भारतीय नारी की बदलती सोच को साहित्य का प्रमुख

विषय बनाया है। इनकी नारियाँ पति द्वारा पीड़ित होने पर , परित्यक्त होने पर भी साहस नहीं छोड़ती जीना चाहती है। "इनकी कहानियों में पति संयुक्त-परिवार , सामाजिक आचार संहिता आदि के नीचे रूढ़ियों में पिसती नारी का क्रंदन भी है और विद्रोह की क्षुब्ध वाणी भी है। "5 डॉ. रामविलास शर्मा कहते है "पुस्तक का संबंध आज के विमत्स्य यथार्थ से अधिक कल सुनहले स्वप्नों से काम हाँ और यथार्थ का ज्ञान ही मनुष्य को परिवर्तन के लिए प्रेरित करता है। इनके दो कहानी संग्रह है अंचल सुहाग और वर्ष गांठ । " लखनऊ आकाशवाणी केंद्र से इनका मधुर संबंध था। अपने मीठे कंठों से कविता का पाठ करने वाली सुमित्रा कुमारी सिन्हा अपने समय में अत्यंत जागृत तथा प्रगतिशील लेखिका, कवयित्री रही है जिनका देहावसान 30 सितंबर 1994 लखनऊ में हुआ। सुभद्रा कुमारी चौहान को हिन्दी का प्रथम कवयित्री माना जाता है तथा एक प्रतिभा संपन्न कहानीकार के रूप में भी देखा जाता है। 'झांसी की रानी कविता' का नाम लेते ही सुभद्रा जी का नाम जुबां पर अपने आप आ जाता है। राष्ट्रीय वसंत कोकिला के नाम से प्रख्यात सुभद्रा जी का जन्म 16 अगस्त 1904 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के निकट निहालपुर में हुआ था। पिता का नाम रामनाथ सिंह था। सन 1913 में 'नीम की पेड़' पर लिखी गई कविता प्रयाग से निकलने वाली पत्रिका 'मर्यादा' में छपी थी। पंद्रह वर्ष की आयु में काव्य रचना शुरू कर दिया था। अपना बचपना इन्होंने इलाहाबाद में व्यतीत किया था। सन 1919 में खंडवा के लक्षण सिंह से विवाह के बाद जबलपुर में रहने लगी। सन् 1921में महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली पहली महिला का बनी । 15 फरवरी 1948 में एक आकस्मिक दुर्घटना की वजह से देहावसान हो गया। सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रथम कहानी संग्रह 'बिखरे मोती' (1932), है जिसमें 15 कहानियाँ संकलित है। उनका दूसरा कहानी संग्रह 'उन्मादिनी'(1934) है जिसमें 9 कहानियाँ संकलित है। और 'सीधे सादे चित्र' तीसरा व अंतिम कहानी संग्रह है जिसमें 14 कहानियाँ संकलित है। कुल मिलाकर इन्होंने 46 कहानियाँ तथा 88 कविताओं की रचना की है जो नारी मन की त्रासदी तथा देश की आजादी के मुद्दों पर आधारित है। लोकप्रिया कथाकार के साथ लोकप्रिय कवयित्री भी रही है। इनकी कलम ने सदा ही नारी पक्ष लिया था और स्वाधीनता की लड़ाई में स्वतंत्र सेनानियों की आवाज और बुलंदी तक पहुँचने का कार्य इनका रहा है। जमींदारों तथा अंग्रेजी शासन से त्रस्त सामान्य जन की पीड़ा का चित्रण भी इनके साहित्य में देखने को मिलता है। इन कहानियों में भारतीय नारी की स्थिति तथा उस समय व्याप्त सामाजिक व्यवस्थाओं का प्रचालन प्रथाओं का विवरण मिलता है। वे समय के अनुसार नारी त्रासदी को, विधवा नारी की समस्या का अंकन करती है तो विधवा विवाह का समर्थन भी करती है। विधवा विवाह पर 'किस्मत' तथा 'नारी हृदय' कहानियाँ प्रमुख है ।

राष्ट्रीय भावना, आदर्श तथा यथार्थ से इनकी कहानियाँ ओतप्रोत थी पंद्रह वर्ष में ही राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था। इनकी कहानियों की स्त्रियाँ अपने स्वतंत्र अस्तित्व खोजती नजर आती है । नारी की त्याग सहनशीलता, धर्म के प्रति आस्था, अंधविश्वास, मर्यादा की रक्षा करती नारी अपना आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। 'होली' 'दृष्टिकोण' 'कदंब के फूल' 'ग्रामीण' आदि में भारतीय नारी की आदर्श रूप का चित्रण देखने को मिलता है। सामाजिक समस्या के साथ राष्ट्रीय समस्याओं का भी चित्रण 'अमराई' ' तांगेवाल' 'गौरी' 'गुलाबसिहं' कहानियों में देखने को मिलता है। 'उन्मादिनी', 'सीधे साढ़े चित्र' इनकी कहानी संग्रह है। भारतीय नारी की मूक विवशता को चित्रित कर हिन्दी साहित्य के माध्यम से अप्रतिम सेवा नारियों के प्रति इनका योगदान रहा है। " इनकी कहानियाँ राष्ट्रीय भावनाएँ ,आदर्श और यथार्थ के मर्मस्पर्शी संघर्षों पर आधारित हैं। समसामयिक राष्ट्र की मानसिक स्थिति का पूर्ण परिचय उनकी कहानियों द्वारा होता है । "6 इनका पहला काव्य संग्रह 'मुकुल' (1930) में प्रकाशित हुआ था। 'त्रिधारा' तथा 'प्रसिद्ध पंक्तियाँ' इनकी अन्य प्रसिद्ध कविता संग्रह है। इनकी कविता इस प्रकार है 'कोयल' 'आराधना' 'उल्लास' 'अनोखा दान' 'उपेक्षा' 'कलह-कारण' 'इसका रोना' 'चलते समय' 'चिंता' 'जीवन फूल' 'खिलौनेवाला' 'तुम' 'झांसी की रानी' 'झांसी की रानी की समाधि पर' 'ठुकरा दो या प्यार करो' 'झिलमिल तारे' 'परिचय' 'पानी और धूप' 'पूछो' 'नीम' 'प्रथम दर्शन' 'प्रभु तुम मेरे मन की जानो' 'प्रतीक्षा' 'प्रियतम से' 'फूल के प्रति' 'मेरी टेक' 'भ्रम' 'मुरझाया फूल' 'मेरा गीत' 'मेरे पथिक' 'बिदाई' 'विजयी मयूर' 'मेरा जीवन' 'मेरा नया बचपन' 'विदा' 'मधुमय प्याली' 'यह कदंब का पेड़' 'वीरों का है कैसा बसंत' 'वेदना' 'साध' 'स्वदेश के प्रति' 'समर्पण' 'व्याकुल चाह' 'जलियावाला बाग में बसंत' गजानन माधव मुक्ति बोध लिखते है " सुभद्रा कुमारी चौहान नारी के रूप में ही सहकार साधारण नारियों की आकांक्षाओं और भावों को व्यक्त करती हैं। बहन, माता, पत्नी के साथ -साथ एक सच्ची देश सेविका के भाव उन्होंने व्यक्त किए हैं । उनकी शैली में वही सरलता है, वही आकृत्रिमता और स्पष्टता है जो उनके जीवन में है। "

निष्कर्ष

प्रेमचंद पूर्व महिला साहित्यकारों ने स्त्री जीवन कि त्रासदी को सटीक रूप से अपने साहित्य में स्थान दिया है इसमें अन्य कोई राय नहीं है । उस समय समकालीन परिस्थितियाँ बहुत विषम थी अंग्रेजों का शासन तो दूसरी तरफ पुरुष समाज का बोल बाला । सदियों से पुरुष समाज ने स्त्री को अपने हद-बस में रखने के लिए अनेक बंधीशों का प्रयोग किया और यहीं बंधीश स्त्री जाती के लिए काँटा बन बैठा । इस त्रासदी से स्त्रियों को बाहर निकालने के लिए अनेक साहित्यकारों समाज सुधारकों ने कार्य किया इस दिशा में महिला साहित्यकारों का योगदान बहुत बड़ा रहा है । महिला साहित्यकारों ने उस समय लेखनी के माध्यम से समाज को बदलने और स्त्री समाज के साथ न्याय करने का

प्रयास किया। जैसे विधवा विवाह का समर्थन किया तो बाल विवाह का विरोध कुल मिलकर स्त्री से संबंधित हर एक समस्या पर उस समय आवाज उठाई और यही आवाज एक मिसाल बनकर समाज को परिवर्तन करने कि दिशा में चल पड़ी थी । उस समय कि उन सभी लेखिकाओं को हिन्दी साहित्य जगत शत-शत नमन करता है, करता रहेगा ।

1. डॉ. पुष्पलता सिंह : समकालीन कहानी -युगबोध का संदर्भ ,पृ. 301
2. वही, पृ. 301
3. वही ,पृ. 603
4. सुधाकर पांडे : हिन्दी साहित्य का बृहत इतिहास,(प्रथम संस्करण) पृ. 81
5. सुमित्रा कुमारी सिन्हा : अचल सुहाग कहानी संग्रह, पृ. 3
6. डॉ. पुष्पलता सिंह : समकालीन कहानी :युगबोध का संदर्भ , पृ. 305

Key note (महत्वपूर्ण टिपण्णी)

1. प्रेमचंद पूर्व महिला कहानीकारों की कहानियों की स्त्रियाँ अपने स्वतंत्र अस्तित्व को खोजती नजर आती हैं।
2. इस समय कि लेखिकाओं कि कलम ने सदा ही नारी पक्ष लिया था और स्वाधीनता की लड़ाई में स्वतंत्र सेनानियों की आवाज और बुलंदी तक पहुँचने का कार्य इनका रहा है।
3. सजीव भाषा के साथ यथार्थपरक घटनाओं को राष्ट्रीयता से जोड़ना का प्रयास, मानव चरित्र के अनेक मनोभावों से पात्रों की सृष्टि, स्त्री त्रासदी पर सवाल उठाना, स्त्री पीड़ा को समझना, इन पीड़ाओं से स्त्री समाज को मुक्ति की ओर ले जाना, प्रेमचंद पूर्व महिला साहित्यकारों के साहित्य का मूल आशय रहा है।
4. आधुनिक हिन्दी कहानी लेखन में महिला साहित्यकारों का योगदान भी रहा है, आधुनिक हिन्दी कहानी का आरंभ एक वह भी हिन्दी भाषी महिला कहानीकार के द्वारा हुआ है यह खासियत हिंदी साहित्य की रही है।
5. सुभद्राकुमारी चौहान की कलम ने सदा ही नारी पक्ष लिया था और स्वाधीनता की लड़ाई में स्वतंत्र सेनानियों की आवाज और बुलंदी तक पहुँचने का कार्य इनका रहा है। जमींदारों तथा अंग्रेजी शासन से त्रस्त सामान्य जन की पीड़ा का चित्रण भी इनके साहित्य में देखने को मिलता है।

'Journal of Research & Development'
A Multidisciplinary International Level Referred and Peer Reviewed Journal,
Impact Factor-7.265, ISSN: 2230-9578, April 2023, Volume-15 Issue-10

मृत्यूच्या सहवासातील गोष्टी (विक्रम-वेताळ कथांच्या संदर्भात)

भक्ती ओंकार प्रभुदेसाई

पद : सहाय्यक प्राध्यापक, मराठी विभाग,

श्री.ना.दा.ठाकरसी कला आणि वाणिज्य महिला महाविद्यालय, पुणे

Corresponding author- भक्ती ओंकार प्रभुदेसाई

Email- bprabhudesai@collegepune.sndt.ac.in

DOI-10.5281/zenodo.7943818

गोषवारा :

भारतीय लोककथाविश्वामध्ये कथासरित्सागर या ग्रंथाचे मोलाचे स्थान आहे. काश्मीरी पंडित सोमदेव यांनी हा संस्कृत भाषेतील ग्रंथ अकराव्या शतकात रचला असे मानले जाते. या ग्रंथाला गुणाढ्याच्या बृहदकथा या ग्रंथाचा आधार आहे. नरवाहनदत्त याची प्रेमकथा आणि त्यामध्ये गुंफलेल्या अनेक कथामालिका यांची घट्ट वीण म्हणजे हा ग्रंथ आहे. मराठीमध्ये ह. अ. भावे यांनी संपूर्ण ग्रंथाचे भाषांतर केले आहे. त्याला दुर्गा भागवत यांची प्रस्तावना आणि तळटिपा आहे.

वेताळपंचविशी ही कथामालिका कथासरित्सागर या ग्रंथामध्ये समाविष्ट आहे. विक्रम राजा हा एका साधूच्या सांगण्यावरून वेताळाला घेऊन साधूकडे जाण्याचा प्रयत्न करीत असतो. वेताळाला पाठीवर घेऊन जाताना वेताळ एक युक्ती करतो. तो राजाला गोष्ट सांगतो. त्याबरोबर अट घालतो की जर राजा बोलला तर तो राजाला सोडून जाणार. विक्रम राजा ती अट मान्य करतो. वेताळ त्याला गोष्ट सांगतो आणि त्यानंतर त्याला त्या गोष्टीतला पेच विचारून त्याचे उत्तर मागतो. विक्रम राजाने उत्तर दिले नाही तर त्याच्या डोक्याचे तुकडे तुकडे होतील अशी अपरिहार्यताही निर्माण करतो. त्यामुळे वेतळाने पहिल्यांदा घातलेली अट रोज मोडली जाऊन वेताळ रोज विक्रम राजाच्या तावडीतून मुक्त होत असतो. अशा त्या पंचवीस रात्रीतील कथा आहेत. कथेचा अटळपणे मृत्यूशी असणारा संबंध केवळ वेताळपंचवीशीत येतो असे नाही तर अनेक कथा अशाप्रकारे मृत्यूच्या सहवासातील आहेत. अशा कथा आणि मृत्यू या दोन अस्तित्त्वामधील संबंधाचा विचार प्रस्तुत शोधनिबंधामध्ये करायचा आहे.

प्रस्तावना :

वेताळपंचविशी म्हणजे भारतीय लोककथांमधील महत्त्वाचा लोककथासंग्रह आहे. भारतीय लोककथाविश्वामध्ये कथासरित्सागर या ग्रंथाचे मोलाचे स्थान आहे. पंडित सोमदेव यांनी हा संस्कृत भाषेतील ग्रंथ अकराव्या शतकात रचला असे मानले जाते. या ग्रंथाला गुणाढ्याच्या बृहदकथाया ग्रंथाचा आधार आहे. नरवाहनदत्त याची प्रेमकथा आणि त्यामध्ये गुंफलेल्या अनेक कथामालिका यांची घट्ट वीण म्हणजे हा ग्रंथ आहे. मराठीमध्ये ह. अ. भावे यांनी संपूर्ण ग्रंथाचे भाषांतर केले आहे. त्याला दुर्गा भागवत यांची प्रस्तावना आणि तळटिपा आहेत.

क्षेमेंद्राच्या बृहदकथामंजिरीमध्येही वेताळाची कथा आढळते.या कथामालिकेचे गद्य-पद्य प्रसरण झालेले आढळते. तसेच भारतातील विविध भाषांमध्ये, त्याचबरोबर जगातील विविध भाषांमध्ये त्याची भाषांतरे झालेली आढळतात. जागतिक पातळीवरील लोककथांच्या अभ्यासामध्ये वेताळपंचविशीची गांभीर्याने दखल घेतलेली आहे. यासंदर्भात सी. ए. किंकेड, रिचर्ड बर्टन, पेंझर यांचे उल्लेख करता येतील. मराठीमध्ये सदाशिव काशीनाथ छत्रे यांनी भाषांतर केले. अनेक भाषांमध्ये बालसाहित्य म्हणून या कथा भाषांतरित झालेल्या आहेतच.ह. अ. भावे यांनी केलेल्या मराठी भाषांतरित कथासरित्सागरची प्रस्तावना, टिप्पणी आणि परिशिष्टे यामध्ये दुर्गा भागवत यांनी वेताळपंचविशीचा परामर्श घेतला आहे. याशिवाय ह. अ. भावे यांचे वेताळपंचविशी हे स्वतंत्र भाषांतरही प्रसिद्ध झाले असून त्याला रा. चिं. ढेरे यांची प्रस्तावना लाभलेली आहे. वेताळपंचविशी कथेचा मूळ ढाचा; त्यात समाविष्ट असणाऱ्या विक्रम, वेताळ या पात्रांचा शोध; विविध उपलब्ध भाषांतरे तसेच उपलब्ध विभिन्न पर्याय; आणि जागतिक साहित्यात घेतलेली दखल इत्यादी अनेक बाबींचा विचार दुर्गा भागवत आणि रा. चिं. ढेरे यांनी केला आहे.

कथेचा अटळपणे मृत्यूशी असणारा संबंध केवळ वेताळपंचवीशीत येतो असे नाही तर अनेक कथा अशाप्रकारे मृत्यूच्या सहवासातील आहेत. वेताळपंचविशीतील कथा आणि मृत्यू या दोन अस्तित्त्वामधील संबंधाचा विचार प्रस्तुत शोधनिबंधामध्ये करायचा आहे. त्यासाठी ह. अ. भावे यांनी भाषांतरित केलेल्या कथासरित्सागरमधील शशांकवती लंबकात आलेल्या वेताळपंचविशीचा आधार घेतला आहे.

त्यातीलही वेताळपंचविशीतील प्रस्ताव कथेचा विचार येथे करायचा आहे. तो करीत असताना ऐतिहासिक- भौगोलिक पद्धतीचा आधार घेतलेला आहे. ऐतिहासिक – भौगोलिक अभ्यासपद्धती ही लोककथेच्या अनेक अभ्यासपद्धतींपैकी एक महत्त्वाची अभ्यासपद्धती आहे. गुणात्मक आणि संख्यात्मक अशा दोन्हीप्रकारे या अभ्यासपद्धतीच्या आधारे विचार करता येऊ शकतो. लोकथेच्या जागतिक अभ्यासक्षेत्रामध्ये या अभ्यासपद्धती समोर येत जाणाऱ्या अनेक मर्यादावर मात करीत तिला अनेक मार्गांनी विकसित करण्याचा प्रयत्न अभ्यासकांनी केलेला आहे. त्यातील कल्पनाबंध या संकल्पनेचा आधार या शोधानिबंधांसाठी घेतलेला आहे.

वेताळपंचविशीमधील प्रस्ताव कथा :

विक्रम राजा हा एका साधूच्या सांगण्यावरून वेताळाला त्याच्याकडे घेऊन जाण्याचा प्रयत्न करीत असतो. साधूला त्याचा यज्ञ पूर्ण करण्यासाठी वेताळाची आवश्यकता असते. राजा वेताळाला पाठीवर घेऊन जाताना वेताळ एक युक्ती करतो. तो राजाला गोष्ट सांगतो. त्याबरोबर अट घालतो की जर राजा बोलला तर तो राजाला सोडून जाणार. विक्रम राजा ती अट मान्य करतो. वेताळ त्याला गोष्ट सांगतो आणि त्यानंतर त्याला त्या गोष्टीतला पेच विचारून त्याचे उत्तर मागतो. विक्रम राजाने उत्तर दिले नाही तर त्याच्या डोक्याचे तुकडे तुकडे होतील अशी अपरिहार्यताही निर्माण करतो. त्यामुळे वेतळाने पहिल्यांदा घातलेली अट रोज मोडली जाऊन वेताळ रोज विक्रम राजाच्या तावडीतून मुक्त होत असतो. अशा त्या पंचवीस रात्रीतील कथा आहेत.शेवटच्या कथेमध्ये जेव्हा विक्रम राजा पेच सोडवू शकत नाही असे वेताळाच्या लक्षात येते, तेव्हा वेताळ विक्रम राजाला साधूच्या धूर्त हेतुविषयी सांगतो. वेतळाची उपासना साधू असाधारण शक्ती आणि सत्ता प्राप्त करून घेण्यासाठी करीत असतो. त्यासाठी प्रेतामध्ये शिरकाव केलेल्या वेताळाला यज्ञ मंडलापर्यंत आणण्याचे काम साधू विक्रम राजाला देतो. इतकेच नाही तर त्या नंतर राजाला दंडवत घालायला सांगून त्याचा घात करण्याचा बेत म्हणजेच राजाचा नरबळी करण्याचा बेत साधुचा असतो.वेताळ मात्र राजाला सल्ला देतो की तू मला तिथे घेऊन जा. मात्र स्वत: दंडवत न घालता साधुला दंडवत घालायला सांगून त्याचाच बळी दे. जे ऐश्वर्य असे केल्याने साधुला मिळणार होते, ते मिळविण्यास तू योग्य आहेस. विक्रम राजा वेताळाच्या सल्ल्याप्रमाणे वागतो आणि त्याचा घात टळतो, वेताळ प्रसन्न होऊन राजाला ऐश्वर्य प्रदान करतो.

प्रस्ताव कथेतील कल्पनाबंध :

या कथेमध्ये समाविष्ट कल्पनाबंध साधारणपणे पुढीलप्रमाणे आहेत :राजा (P10[1]), राजाचेसाहस(P15[2]),जिवंत प्रेत (E422[3]),झाडावर लटकलेले प्रेत (V61.10[4]),भूतांचा राजा(G302.2.2[5]), डोक्याचे तुकडे होण्याची शिक्षा (Q451.13[6]), बोलण्यात गुंगवून बंदिवानाच्या तावडीतून सुटका(K561[7]), काहीतरी अद्‌भुत प्राप्त करून घेण्यासाठी वेताळाची आराधना करणे 387.2[8]), मानवी यज्ञ अथवा बळीने अमानवी शक्तीला

[1]Stith Thomson (Revised and Enlarged Edition), *Motif- Index of Folk- Literature*, Volume five L-Z, Indiana University Press, Bloomington, Pp.140.

[2]Stith Thomson (Revised and Enlarged Edition), *Motif- Index of Folk- Literature*, Volume five L-Z, Indiana University Press, Bloomington, Pp.144.

[3]Stith Thomson (Revised and Enlarged Edition), *Motif- Index of Folk- Literature*, Volume Two D-E, Indiana University Press, Bloomington, Pp.445.

[4]Stith Thomson (Revised and Enlarged Edition), *Motif- Index of Folk- Literature*, Volume five L-Z, Indiana University Press, Bloomington, Pp.440.

[5]Stith Thomson (Revised and Enlarged Edition), *Motif- Index of Folk- Literature*, Volume Three F-H, Indiana University Press, Bloomington, Pp.311.

[6]Stith Thomson (Revised and Enlarged Edition), (Thompson)*Motif- Index of Folk-Literature*, Volume five L-Z, Indiana University Press, Bloomington, Pp.232.

[7]Stith Thomson (Revised and Enlarged Edition), *Motif- Index of Folk- Literature*, Volume fourJ-K, Indiana University Press, Bloomington, Pp.318.

[8]Stith Thomson (Revised and Enlarged Edition), *Motif- Index of Folk- Literature*,

प्रसन्न करून घेणे (E433.4[9]),नरबळी(S260.1[10]),बलिदानामुळे मिळणारे जादुई परिणाम (D1766.2[11]),पर्यायी बलिदान (K1853).यानुसार एक साहसी राजा असण्याचे कल्पनाबंध म्हणजे राजसत्ता अस्तित्त्वात असण्याचा काळ या कथेमध्ये आहे. स्मशानात जाऊन काही अलौकिक प्राप्त करण्यासाठी यज्ञ करणारा, त्यासाठी प्रेताची गरज असल्याने राजाची त्यासाठी मदत मागणारा साधू आहे. हा साधू अलौकिक प्राप्तीसाठी ज्याची आराधना करतो तो वेताळ यात आहे. त्याला बलिदान दिल्याने तो इच्छित प्राप्त करून देतो. मूळात यातुविद्या सर्व प्रकारच्या समाजाच्या प्राथमिक अवस्थेमध्ये आढळून येते. राजसत्ता प्रस्थापित असलेल्या समाजामध्येही यातुविद्याचे शिष्टसंमत पद्धतीने अस्तित्त्व या कथेत दिसते आहे. कारण एक राजा जो आपल्या साहस आणि गुणांमुळे प्रसिद्ध आहे असा राजा साधुची मदत करण्यासाठी आलेला आहे. तो साधू ज्या वेताळाला प्रसन्न करू पाहतो आहे तो वेताळ म्हणजे भूतांचा राजा मानला जातो. त्याचा संबंध अनेक ग्रंथांनी शंकराशी जोडलेला आहे. *भागवत*, *मत्स्यपुराण*, *ब्रह्मांडपुराण* यामध्ये वेताळाला शिवगण म्हणून संबोधले आहे. *शिवपुराणा*नुसार तो शंकरपार्वतीचा द्वारपाल होता; तर *कालिकापुराणा*नुसार तो एक शिवदूत होता.[12]या कथेमध्ये वेताळाचं स्थान अनेक दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. साधुसाठी तो त्याला हवे ते प्राप्त करून देणारा पूजनीय देव आहे. राजासाठी तो एक साहसी आव्हान आहे. वाचकाच्या दृष्टीने तो एक कथांतर्गत कथकही आहे. त्याला साधुपर्यंत घेऊन जाण्याचा राजाचा प्रयत्न त्याला हाणून पाडायचा आहे. तसे करीत असताना वेताळ कूटकथा सांगण्याचा मार्ग निवडतो आहे. अशा कथांची पूर्णता ही केवळ ऐकण्यात नसून त्या कथेतील पेच उकलण्यात आहे. साधुने दिलेले आव्हान पूर्ण करीत असतानाच वेताळाने कूटकथेचे आव्हान राजाच्या पुढ्यात ठेवले आहे. मला घेऊन जात असताना तू जर बोललास तर मी तुझ्या तावडीतून निसटून जाईन अशी अट एकबाजूला आणि कथा ऐकल्यानंतर त्यातील पेचावर समाधानकारक उत्तर दिले नाही तर डोक्याचे तुकडे होण्याची शिक्षा दुसऱ्याबाजूला अशी परिस्थिती वेताळ राजासमोर निर्माण करतो. चोवीस रात्रीतील कूटकथा आणि त्यांची उकल; यांचे चक्र सुरू होते. शेवटी मात्र वेताळ कथेला वेगळी कलाटणी देतो. साधू आणि राजाच्या मार्गात अडथळा निर्माण करणारा वेताळ जो आतापर्यंत भासत होता, त्याचे निराळे रूप समोर येते. जे प्राप्त व्हावे म्हणून साधू ही साधना करतो आहे, त्यामध्ये तो राजाचा बळी देणार आहे, हे वेताळ राजाला सांगतो. राजाने आतापर्यंत ज्याप्रकारे कूटकथांमधील पेच उकललेला असतो त्यामुळे वेताळ त्याच्यावर प्रसन्नही होतो. धूर्त साधुपेक्षा विवेकी राजावर वेताळ प्रसन्न होतो आणि जे प्राप्त करण्यासाठी साधू प्रयत्न करतो आहे, ते राजाला देण्याची स्वत:ची इच्छा वेताळ व्यक्त करतो. या कथेतील यातुविद्येशी संबंधित कल्पनाबंध विशिष्ट प्रथांचे स्पष्ट सूचन देतात. नरमेधाच्या ज्या ज्या प्रथा सांगितल्या जातात त्यांपैकी एक म्हणजे सामर्थ्यशाली राजाचा बळी देवतेला अर्पण करणे, जेणेकरून त्यांच्यातील सामर्थ्याची प्राप्ती करून घेता येईल. मानवी संस्कृतीमध्ये अशाप्रकारच्या प्रथा कधीपासून सुरू झाल्या? त्या कशाप्रकारे बदलत गेल्या यांचा विचार अनेक अभ्यासकांनी केलेला आहे. याबाबत फ्रेझर म्हणतात की, काहीतरी मिळाविण्यासाठी जेव्हा अशाप्रकारचे बळीशी संबंधित कर्मकांड केले जाते तेव्हा आपल्याला हवी असलेली गोष्ट देवतेकडून मिळविणे हा उद्देश असतो. पण त्याचबरोबर समाजाची संस्कृती जसजशी बदलत जाते, त्याप्रमाणे वाईट गोष्टींना हद्दपार करण्यासाठी त्यांचा बळी देऊन देवतेकडे त्यांचे हस्तांतरण केले जाते. फ्रेझर असेही म्हणतात की राष्ट्र सुसंस्कृत बनले तरी ते बळी प्रथेचा पूर्णपणे त्याग करीत नाहीत; तर बळी देण्यासाठी दुष्ट व्यक्तींची निवड करते.[13]

प्रस्ताव कथा आणि मृत्युचा अखंड सहवास :

या संपूर्ण कथेला मृत्युने व्यापलेले आहे. जिथे ही कथा घडते, ते ठिकाण स्मशानभूमीचे आहे. ज्याला घेऊन राजाला साधूकडे जाण्याचा प्रयत्न करतो आहे, ते एक प्रेत आहे. वेताळाच्या कूटप्रश्नांची उकल केली नाही तर राजा डोक्याचे तुकडे होऊन मरणार आहे. साधू मात्र फसवून राजाचा बळी वेताळाला अर्पण करणार आहे. आणि वेताळ राजावर प्रसन्न झाल्याने हा डाव उलटवून राजाकरवी फसवून साधुचा बळी घेणार आहे. मृत्यूचे इतके नाट्य केवळ ही एक प्रस्तावकथा निर्माण करते. मृत्यूचा एक संबंध या कथेत नरबळी प्रथेशी स्पष्ट आहे. बळी जाण्यास कोण योग्य आहे, यांची वेताळाने युक्तीने घेतलेली परीक्षा सुष्ट – दुष्ट असा भेद करते. धूर्तपणे घात करणाऱ्या दुष्ट साधुचा राजाकरवी घातच घडविलेला आहे. राजावर प्रसन्न होऊनही

Volume TwoD-E, Indiana University Press, Bloomington, Pp.438

[9]Stith Thomson (Revised and Enlarged Edition), *Motif- Index of Folk- Literature*, Volume Two D-E, Indiana University Press, Bloomington, Pp.452.

[10]Stith Thomson (Revised and Enlarged Edition), *Motif- Index of Folk- Literature*, Volume Five L-Z, Indiana University Press, Bloomington, Pp.318.

[11]Stith Thomson (Revised and Enlarged Edition), *Motif- Index of Folk- Literature*, Volume Two D-E, Indiana University Press, Bloomington, Pp.314.

[12]कुलकर्णी अ. र., वेताळ, मराठी विश्वकोश, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ, वाई.

[13]फ्रेझर जेम्स जॉर्ज, द गोल्डन बो, हेरिटेज इल्यूस्ट्रेटेड पब्लिशिंग, किंडल आवृत्ती, २०१४.

आणि अनेक शक्तींचा स्वामी असलेला वेताळही त्या नरबळी या कर्मकांडाशी बांधलेला आहेच. राजाला कितीही साहसी आणि विवेकी चित्रित केलेले असले तरीही कपटाने राजाकरवी साधुचा बळी वेताळाने मिळविलेला आहेच. धूर्तता, विवेक, त्याचबरोबर दुष्टाची निवड करून त्यांचा बळी देण्याची मानवी संस्कृतीतील अवस्था या सर्वांचा संमिश्र अनुभव ही कथा आपल्याला देते. लोककल्याणाचा विचार करणारा, ऐश्वर्यसंपन्न, परोपकारी, साहसी, विवेकी राजा असणं हे एका प्रगत अशा नगरराज्याचे द्योतक आहे. आपल्याला हवे असलेले साध्य करण्यासाठी नरबळी देणे हे प्राथमिक अवस्थेतील प्रथेची प्रगत समाजातही केल्या जाणाऱ्या जोपासनेचे सूचन मानता येईल. साधू, वेताळ आणि राजा नरबळीची अटळता पूर्णपणे मान्य करताना दिसतात. नरबळीच्या बाबतीत कथेच्या सुरूवातीला पूर्णपणे अनभिज्ञ असलेल्या राजाला त्याविषयी कळाल्यानंतरही तो या कर्मकांडाची पूर्तताच करतो. साधुच्या सांगण्यावरून वेताळाला आणणारा राजा आणि वेताळाच्या सांगण्यावरून साधुचा बळी देणारा राजा धूर्त साधू आणि चतुर वेताळासमोर साधाभोळा दिसतो खरा पण नरबळी देऊन ऐश्वर्य प्राप्त करून घेण्याच्या कृतीचे संपूर्ण समर्थन राजाने केलेले आहे हे नक्की. त्यामुळे या प्रथेला राजमान्यता प्राप्त झालेली आहे. विवेकी आणि साहसी म्हणून चित्रित केलेल्या राजाची ही कृती त्याच्या प्रतिमेला बाधा आणत नाही. याचे एक कारण तो समाज एका अर्थाने जरी प्रगत असला तरीही काही प्राप्त करून घेण्यासाठी नरबळी देणे हे संस्कृतीमान्य असावे. दुष्टाला मारण्याचा अधिकार अथवा कर्तव्यही राजाचे असावे. त्यामुळे साधुचा बळी देऊनही राजाची प्रतिमा ही उन्नतच करण्यात आली असावी.म्हणजेच नरबळीच्या प्रथेमध्ये दुष्ट व्यक्तीचा बळी देण्याची संस्कृती या कथेमधून व्यक्त होते आहे, असे म्हणता येईल.

संदर्भ :

१. ढेरे रा. चिं., लोकसाहित्य शोध आणि समीक्षा, पद्मगंधा प्रकाशन, पुणे, १९९०.
२. भावे ह. आ. कथासरित्सागर खंड ४, वरदा प्रकाशन, पुणे, १९८०.

'Journal of Research & Development'
A Multidisciplinary International Level Referred and Peer Reviewed Journal,
Impact Factor-7.265, ISSN: 2230-9578, April 2023, Volume-15 Issue-10

नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिन्द सरकार की स्थापना

डॉ. रवीन्द्र शामराव लोणारे
विभाग प्रमुख, इतिहास विभाग, अण्णासाहेब गुंडेवार महाविद्यालय,
काटोल रोड, नागपुर–13
Corresponding author- डॉ. रवीन्द्र शामराव लोणारे
Email- ravindralonare1980@gmail.com
DOI- 10.5281/zenodo.7943824

भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में नेताजी सुभाषचंद्र बोस का योगदान बहुत बड़ा रहा है। उन्होने भारत में राष्ट्रीय काँग्रेस में रहकर स्वाधीनता के लिए विभिन्न आंदोलनों में अपना योगदान दिया। नेताजी सुभाषचन्द्र बोस भारत के बाहर जर्मनी में एक आज़ाद हिंद संघ की स्थापना कर चुके थे, इसके साथ ही उन्होंने वहाँ पर युद्धबंदियों को एकत्रित करके आज़ाद हिन्द फौज़ का निर्माण भी कर लिया था। नेताजी सुभाषचन्द्र बोस जर्मनी छोड़कर दक्षिण–पूर्व एशिया और जापान आ गये थे। यहाँ पर आने के बाद उन्होंने यहाँ बसे भारतीयों के माध्यम से एक आज़ाद हिन्द सरकार का गठन किया इसके साथ ही जापान द्वारा बंदी बनाये गये भारतीय सैनिकों के माध्यम से आज़ाद हिन्द फौज़ का पुर्ननिर्माण भी किया। नेताजी सुभाषचन्द्र बोस द्वारा स्थापित आज़ाद हिन्द सरकार भारत के बाहर स्थापित अस्थायी सरकार थी जो भारत स्वतंत्र होने तक कार्यरत रहनेवाली थी। इस सरकार के माध्यम से भारतियों कों अपनी सरकार प्राप्त हुई थी।

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन दक्षिण–पूर्व एशिया में द्वितीय महायुध्द के समय छेड़ा गया भारत के बाहर का सबसे बड़ा आन्दोलन था। पूर्व–एशिया में इस समय द्वितीय महायुध्द अपने चरमसीमा पर था उस समय नेताजी सुभाषचन्द्र बोस का जर्मनी से पूर्व एशिया में आगमन हुआ। नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के दक्षिण–पूर्व एशिया में आने से पूर्व जापान के सहयोग से इंडियन इंडिपेंडेंस लीग भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन यहाँ के भारतीयों के साथ मिलकर चला रही थी। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के नेतृत्व में भारतीय युध्दबन्दी सैनिकों को मिलाकर कैप्टन मोहन सिंग ने 'प्रथम आज़ाद हिन्द फौज़' का निर्माण किया था। लेकिन जापानियों के साथ उनके संबंध अच्छे न रहने की वजह से तथा इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अध्यक्ष रासबिहारी बोस के साथ मनमुटाव होने पर 'प्रथम आज़ाद हिन्द फौज़' को विखंडीत करना पड़ा। बाद में रासबिहारी बोस ने इसे फिर से पुर्नसंगठित करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें पहले जितनी सफलता नहीं मिली। सिंगापुर में हुए सम्मेलन में फिर से एक–बार नेताजी सुभाषचन्द्र बोस को दक्षिण–पूर्व एशिया में लाने की माँग जापान को की गई इसके पूर्व टोकियो और बैंगकाक सम्मेलन में भी यह माँग की गई थी। पूर्व एशिया की बदलती परिस्थितियों को ध्यान में रखकर जापानी सरकार ने अपने जर्मन मित्र से नेताजी सुभाषचन्द्र बोस को सुरक्षित पूर्व एशिया में भेजने के बारे में बात की। जर्मनी से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने के बाद सुभाषचन्द्र बोस को पूर्व एशिया में लाने की तैयारी शुरू हो गई।

फरवरी, 1943 ई. में नेताजी सुभाषचन्द्र बोस जर्मनी से पूर्व एशिया की तरफ निकले। 6 मई, 1943 ई. को वह सुरक्षित सबान बेट पर पहुँचे। नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के आगमन की सूचना गुप्त रखी गई थी। उन्हें जापानी नाम 'मत्सुदा' के नाम से पुकारा जाने लगा। यहाँ पर उनका स्वागत कर्नल यामामोटो ने किया, जो 'हिकारी किकान' के प्रमुख थे। 16 मई, 1943 ई. को नेताजी सुभाषचन्द्र बोस सुबह टोकियो पहुँचे। जर्मनी से टोकियो आने के बाद नेताजी सुभाषचन्द्र बोस का काफी समय जापान के प्रधानमंत्री तथा जापान सरकार के साथ मुलाकात करने में बीत गया। सभी लोगों से बात करने के बाद नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने अपने मस्तिष्क में आगे की योजना तैयार कर ली थी। इस योजना को पूर्ण कराने के लिए वह 27 जून, 1943 ई. को दक्षिण–पूर्व एशिया के तरफ निकले।

2 जुलाई, 1943 ई. को सुभाषचन्द्र बोस सिंगापुर पहुँचे। 4 जुलाई, 1943 ई. को सिंगापुर में पूर्व एशिया के भारतीयों का सम्मेलन आयोजित किया गया था। यहाँ पर नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने अपने भाषण में भारत की राजकीय स्थिति उसमें आए हुए बदलाव, यूरोप तथा एशिया में युध्द की स्थिति इसमें धुरी राष्ट्रों के विजय पर विश्वास आदि, बातें उपस्थित जन–समुदाय को बताई। इसके साथ ही उन्होंने 'आज़ाद हिन्द सरकार' की स्थापना की घोषणा की तथा उसके कार्य के बारे में भी बताया। नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने अपना भाषण हिन्दुस्तानी में दिया था। उनके इस जोशपूर्ण भाषण से पूर्व एशिया के भारतीयों में उत्साह की नई लहर दौड़ गई। उनको भारत की स्वतंत्रता का सपना नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के नेतृत्व में पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा था।

भारत की अस्थायी सरकार की स्थापनाः–

नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने अस्थायी सरकार की स्थापना करने का निर्णय ले लिया था। 21 अक्टूबर, 1943 ई. को सिंगापुर में 'इंडियन इंडिपेंडेंस लीग' का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में तकरीबन 7,000 से 8,000 लोग उपस्थित थे। नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने अपने भाषण में 'आज़ाद हिन्द सरकार' के रूप में भारत की अस्थायी सरकार स्थापन करने की घोषणा की। दोपहर के 4 बजे के सत्र में नेताजी सुभाषचन्द्र बोस 'हिकारी किकान' के प्रमुख कर्नल यामामोटो के साथ उपस्थित हुए। इस समय उन्होंने सर्वप्रथम आज़ाद हिन्द सरकार की स्थापना का महत्त्व बताते हुए कहा कि यह एक लड़ने वाला संगठन होगा, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत की स्वाधीनता के लिए ब्रिटिश और उनके सहयोगियों के खिलाफ अंतिम युद्ध शुरू करना और संचालन करना होगा।

इसके साथ ही नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने अस्थायी सरकार की रचना की घोषणा की तथा उसके सदस्य के नाम भी घोषित किए –

नेताजी सुभाषचन्द्र बोस– हेड ऑफ द स्टेट, प्रधानमंत्री, युध्द मंत्री तथा विदेश विभाग; कैप्टन लक्ष्मी– महिला संगठन; एस. ए. अय्यर– प्रकाशन और प्रचार; लेफ्टिनेंट कर्नल ए. सी. चटर्जी– वित्त; आज़ाद हिन्द सेना के प्रतिनिधि– लेफ्टिनेंट कर्नल अजीज अहमद, लेफ्टिनेंट कर्नल एन. एन. भगत, लेफ्टिनेंट कर्नल जे. के. भोंसले, लेफ्टिनेंट कर्नल गुलज़रा सिंग, लेफ्टिनेंट कर्नल एम. झेड. कियानी, लेफ्टिनेंट कर्नल ए. डी. लोकनाथन, लेफ्टिनेंट कर्नल एहसान कादिर, लेफ्टिनेंट कर्नल शाहनवाज़ खान; ए. एम. सहाय– सचिव; रासबिहारी बोस– प्रमुख सलाहकार; अन्य सलाहकार– करीम गनी, देबनाथ दास, डी. एम. खान, ए. यलप्पा, जे. थवी, सरदार इशर सिंग तथा ए. एन. सरकार– विधि–सलाहकार आदि।

उसके बाद नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने राष्ट्रप्रमुख तथा प्रधानमंत्री के नाते शपथ ली। उनके बाद आज़ाद हिन्द सरकार के मंत्रियों ने शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह के बाद नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने भारत के अस्थायी आज़ाद हिन्द सरकार की विधिवत घोषणा की। उन्होंने अंग्रेजी में, ए. एम. सहाय ने हिन्दी में तथा श्री चिदंबरम ने तमिल में इसको पढ़ा। इस घोषणा पत्र में नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के साथ उनके द्वारा घोषित मंत्रियों ने हस्ताक्षर किये।

नेताजी सुभाषचन्द्र बोस द्वारा स्थापित आज़ाद हिन्द सरकार को तत्काल 9 देशों ने अपनी मान्यता प्रदान की, जिनमें थे–

जापान, जर्मनी, बर्मा, फिलीपाईन्स, क्रोएशिया, चीन, इटली, थाइलैंड और मांचुकुओ आदि।

आज़ाद हिन्द सरकार द्वारा युध्द की घोषणाः–

आज़ाद हिन्द सरकार के मंत्रियों की प्रथम बैठक नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के सरकारी निवासस्थान पर 22 अक्टूबर, 1943 ई को हुई। इसमें स्वतंत्रता आन्दोलन से जुड़े सभी विषयों पर चर्चा हुई। आज़ाद हिन्द सरकार के मंत्रियों की 23 अक्टूबर के मध्यरात्रि दूसरी बैठक नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के निवासस्थान पर हुई इस समय सलाहकार भी उपस्थित थे। इसमें ब्रिटेन और अमेरिका के खिलाफ युध्द की घोषणा करने का निर्णय लिया गया। 24 अक्टूबर, 1943 ई. को सिंगापुर म्युनिसिपल भवन के सामने के मैदान पर शाम 4:00 बजे 50,000 के जनसमूह को संबोधित करते नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने कहा, कल रात को ब्रिटेन और अमेरिका के खिलाफ युध्द घोषित करने का निर्णय आज़ाद हिन्द सरकार ने लिया है।

आज़ाद हिन्द सरकार के उप–विभागः–

आज़ाद हिंद सरकार में प्रमुख चार विभाग थे– वित्त विभाग, प्रकाशन और प्रचार विभाग, महिला विभाग, युध्द विभाग। इन विभागों के अलावा आज़ाद हिन्द सरकार ने कुछ उप–विभाग भी बनाए थे, जो मंत्रियों के निर्देशों से कार्य करते थे। यह उप–विभाग थे–

राष्ट्रीय योजना–

इस उप–विभाग ने सभी के लिए हिन्दूस्तानी भाषा सुनिश्चित की थी। इसके साथ ही रोमन शब्दों का भी स्वीकार किया। सेना और सामान्य नागरिकों के लिए एक ही प्रकार का अभिवादन 'जय हिन्द' रखा गया था।

सजावट और पदक–

इस उप–विभाग ने सामान्य नागरिक तथा सैनिको को दिए जानेवाले पदक निश्चित किए तथा यह कब दिए जाएंगे यह देखना भी इसका कार्य था।

सेना मे दिए जानेवाले पदक मे शामिल थे– शहीद–ए–भारत; शेरे–ए–हिन्द; सरदार–ए–जंग; वीर–ए–हिन्द; तमगा–ए–बहादुरी; तमगा–ए–शत्रुनाश। इसके अलावा सेना–ए–बहादुरी नामक एक पदक, राष्ट्रप्रमुख आज़ाद हिन्द सरकार देते थे।

सेना की तरह सामान्य नागरिकों को भी उनके योगदान के लिए पदक दिए जाते थे, यह तीन पदक थे इनमें सबसे बड़ा पदक 'सेवक–ए–हिन्द' था।

वेतन, भत्ते और पेंशन–

इस उप–विभाग ने बर्मा तथा मलाया में दिए जानेवाले वेतन निश्चित करने का कार्य किया था। यह वेतन, भत्ते तथा पेंशन व्यक्ति तथा उसके परिवार को दिए जाते थे। बर्मा तथा मलाया दोनों जगह दिया जानेवाला वेतन अलग अलग था।

पुर्ननिर्माण उप–विभाग–

ए. सी. चटर्जी ने सुभाषचन्द्र बोस को नागरिक प्रशासन के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव भेजा। नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने इस प्रस्ताव पर चर्चा करके इसे मान्यता दी। इसके तहत एक पुर्ननिर्माण विभाग ए. एन. सरकार के नियंत्रण में बाकर रोड, सिंगापुर में स्थापित किया गया। इस विभाग में इंजिनियर, डॉक्टर, वकील, मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, फिटर आदि कार्य करते थे।

राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान–

नवम्बर, 1943 ई. में नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के सामने राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान को लेकर प्रश्न उपस्थित हुआ। राष्ट्रध्वज के प्रश्न पर जल्द ही निर्णय लिया गया। राष्ट्रध्वज तिरंगा रहेगा यह निर्णय लिया गया।

राष्ट्रगान के प्रश्न पर सहमति बन नहीं रही थी। इसके लिए एक समिति गठित की गई। इस समिति ने एक युवा मुस्लिम हुसैन द्वारा लिखा गया –

'शुभ सुख चैन की वर्षा बरसे, भारत भाग है जागा', को अपनी मंजूरी दे दी। इसे सभी ने स्वीकारा और यह जल्द ही प्रसिध्द हो गया। यह गीत रविन्द्रनाथ टैगौर द्वारा लिखित जन गन मन..... से प्रेरित था। नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने हुसैन को राष्ट्रगान के लिए दस हजार डॉलर का इनाम दिया।

रानी ऑफ झाँसी रेजिमेन्ट–

स्वतंत्रता आन्दोलन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए ऐसा नेताजी सुभाषचन्द्र बोस चाहते थे। इसी बात को ध्यान में रखकर उन्होंने 12 जुलाई, 1943 ई. को महिला रेजिमेन्ट की स्थापना की घोषणा की थी। आज़ाद हिन्द सरकार के स्थापना के बाद 22 अक्टूबर, 1943 ई. को 'रानी ऑफ झाँसी रेजिमेन्ट' की स्थापना सिंगापुर में की गई। इस रेजिमेन्ट का नेतृत्व आज़ाद हिन्द सरकार में महिला विभाग की मंत्री कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन कर रही थीं।

आज़ाद हिन्द दल–

आज़ाद हिन्द दल का निर्माण नेताजी सुभाषचन्द्र बोस द्वारा उठाया गया महत्त्वपूर्ण कदम था। ब्रिटिशों के कब्जे से स्वतंत्र किये गये प्रदेशों की शासनव्यवस्था देखने के लिए इस दल का निर्माण किया गया था। इसमें अधिकतर नागरिक ही भरती किए जाते थे। 'आज़ाद हिन्द दल' के सदस्यों को चुनने के बाद 4 मार्च, 1944 ई. को नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने इस दल के उद्देश्य बताये। इस दल के नेता का पद लेफ्टिनेंट कर्नल एहसान कादिर को दिया गया। श्री. सहाय और के. आर. पलटा को उपनेता का पद दिया गया। इस दल का मुख्यालय उत्तरी बर्मा के मयामो शहर में रखा गया।

बालक सेना–

नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने बच्चों में फौज़ी अनुशासन होना चाहिए इसलिए उन्होंने बच्चों के संगठन के रूप में 'बालक सेना' की स्थापना की। यह आज़ाद हिंद फौज़ का युवा संगठन था। यह एक प्रकार से स्कूल ही था, जहाँ, पर बच्चों को भारतीय इतिहास, भूगोल, भारत की महान विभूतियाँ, भारतीय संगीत, प्राकृतिक अध्ययन, मनोवैज्ञानिक अध्ययन आदि पढ़ाया जाता था। इसके साथ ही शारीरिक शिक्षण भी दिया जाता था। आज के बालक ही कल के राष्ट्र का निर्माण करेंगे, यह सोच इस संगठन की स्थापना के पीछे थी। सम्पूर्ण पूर्व एशिया में इस बालक सेना के इनचार्ज कर्नल इनायत उल्लाह हसन थे। उन्होंने इस सम्बन्ध में एक पत्र भी निकाला था और कुछ पुस्तके भी प्रकाशित की थी। इन बालकों को लड़ाई में काम आनेवाले हथियारों की थोड़ी–थोड़ी शिक्षा दी जाती थी। बालक सेना का एक प्रशिक्षण शिविर कैन्बे में था। इस बालक सेना ने पूर्व एशिया के लोगों में स्वतंत्रता आन्दोलन के प्रति नयी स्फूर्ति और नये जीवन का संचार किया उन्होंने प्रभात फेरियाँ और जुलूस निकालकर लोगो के हृदय में आज़ादी की ज्योत जलाये रखी। जापान की पराजय के बाद जहाँ आज़ाद हिन्द से जुड़ा हर व्यक्ति निराश था उस वक्त उनमें आज़ादी की मशाल जलाये रखने का महत्त्वपूर्ण कार्य इस बालक सेना ने किया।

आज़ाद हिन्द बैंक–

नेताजी सुभाषचन्द्र बोस द्वारा स्थापित आज़ाद हिन्द सरकार की एक उपलब्धि 'नैशनल बैंक ऑफ आज़ाद हिन्द' की स्थापना भी है। नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने 5 अप्रैल, 1944 ई. को रंगून, बर्मा में आज़ाद हिन्द सरकार के 'नैशनल बैंक ऑफ आज़ाद हिन्द' की स्थापना की। इस बैंक की स्थापना में चार भारतीयों ने अपना योगदान दिया। यह बैंक 50 लाख रूपये की पूंजी से शुरू हुआ था। बैंक ने अपनी तीन शाखाएँ शुरू की थी। इस बैंक में सात संचालक थे, एस. ए. अय्यर चेअरमैन थे। आज़ाद हिन्द फौज़ और आज़ाद हिन्द सरकार का सारा खर्चा इसी बैंक से किया जाता था।

इस बैंक के संचालक मंडल में एस. ए. अय्यर के अलावा दीनानाथ, एस. एम. रशीद, एच. आर. बेताई, एच. ई. मेहता और कर्नल अलग्प्पन भी थे। बैंक ने अपनी करेंसी भी शुरू की थी।

आज़ाद हिन्द सरकार द्वारा स्थापित विविध प्रशिक्षण केन्द्र–

आज़ाद हिन्द सरकार कार्य देखने के लिए अधिकारियों की आवश्यकता थी। यह अधिकारी नागरिक तथा फौज़ के लिए भी लगते थे। आज़ाद हिन्द सरकार को अपना कार्य देखने के लिए 2 लाख अधिकारी चाहिए थे, लेकिन इतनी भरती करना संभव नहीं था। मिल्ट्रि प्रशिक्षण के साथ ही नागरिक प्रशासन चलाने के लिए भी व्यक्ति चाहिए थे उनके लिए रंगून और सिंगापुर में प्रशिक्षण केन्द्र शुरू किए गए थे। आय. एन. ए. स्टॉफ कॉलेज शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया था। लेकिन यह योजना स्थगित करनी पड़ी क्योंकि बर्मा मोर्चे के समय ज्यादातर अधिकारियों को मोर्चे पर भेजा गया था।

पूर्व एशिया तथा दक्षिण–पूर्व एशिया में नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के आगमन होने के पूर्व से ही भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन का कार्य प्रारंभ हो गया था। नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के इस क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद एक नया उत्साह यहाँ के भारतीयों में आया। यहाँ के सभी भारतीय तन, मन, धन से उनके साथ हो गए। नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने आज़ाद हिन्द फौज़ का फिर से गठन किया तथा भारत की अस्थायी सरकार 'आज़ाद हिन्द सरकार' की भी स्थापना की। आज़ाद हिन्द सरकार में हर बात का विशेष ध्यान रखा गया था। प्रशासन हो या फौज़ सभी को पूर्ण रूप से प्राथमिकता दी गई थी। इस तरह से नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर आज़ाद हिन्द सरकार का निर्माण दक्षिण–पूर्व एशिया में किया था। यह भारतीयों के लिए एक गौरवशाली बात थी। उनकी अपनी सरकार अस्तित्व में आ चुकी थी। सरकार के कार्य के साथ ही स्वाधीन भारत के पुर्ननिर्माण का कार्य भी शुरू हो गया था। नेताजी सुभाषचन्द्र बोस द्वारा आज़ाद हिन्द सरकार ने भारत को स्वाधीन कराने के कार्य के साथ ही स्वाधीन भारत का प्रशासन किस तरह चलाया जा सकता है इस बारे में भी योजनाएँ बनाकर रखी थी। नेताजी सुभाषचन्द्र बोस को अच्छे से पता था कि लोककल्याणकारी प्रशासन की स्वाधीन भारत को कितनी जरूरत है। इस प्रकार नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के नेतृत्व में पूर्व एशिया में एक विशाल भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन का प्रारंभ हो गया था। दक्षिण–पूर्व एशिया में भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन का द्वितीय मोर्चा शुरू हो गया। एक नये उत्साह और जोश से सभी भारतीय आज़ाद हिन्द सरकार के ध्वज के तले एकत्रित हो गये। इन सब का एकमात्र लक्ष्य भारत को ब्रिटिशों से आज़ाद करना था।

संदर्भ ग्रंथ सूची–

1) File No. 265 Part I & II, Provisional Government of India, INA Papers, National Archives of India, New Delhi
2) File No. 407, Azad Hind Dal, INA Papers, National Archives of India, New Delhi
3) Chatterji, A.C., India's Struggle For Freedom, Chukkervertty, Chatterjee & Co. Ltd, Calcutta, 1947
4) Giani, Kesar Singh, Indian Independence Movement In East Asia : The Most Authenitc Account of The I.N.A and The Azad Hind Government, Sewa Singh, Brothers, Lahore, 1947
5) Hayashida, Tatsuo Transleted by Chatterjee, Biswanath, Netaji Subhas Chandra Bose: His Great Struggle and Martyrdom, Allied Publishers Pvt. Ltd., Bombay, 1970
6) Kiani, Mohammad Zaman, India's Freedom Struggle and The Great I.N.A., Reliance Publishing House, New Delhi, 1994
7) Palta, K.R., My Adventures with The I.N.A., Lion Press, Lahore, 1946
8) Bhattacharyya, S.N., Subhas Chandra Bose in Self-Exile: His Finest Hours, Meropolition Book Co. Pvt. Ltd., New Delhi, 1975
9) Gordon, Leonard A., Brothers Against the Raj: A Biography of Indian Nationalists Sarat And Subhas Chandra Bose, Pupa & Co., New Delhi, 2008, Fourth Edition
10) Lebra, Joyce C., Jungle Alliance: Japan the Indian National Army, Donald Moore for Asia Pacific Press Pvt. Ltd., Singapore, 1971
11) Sareen, T.R., Japan and The Indian National Army, Agam Prakashan, Delhi, 1986
12) Sopan, Netaji Subhas Chandra Bose: His Life & Work, Sanskar Sahitya Mandir, Bhavnagar, 1946
13) Subuhey, S, The Story of I.N.A.: Being An Account of The Indian National Army, The Azad Hind Government And The Trial of Their Officers in The Red Fort, Atma Ram & Sons, Lahore, 1946
14) रावल, रामसिंह अनुवाद विद्यालंकार सत्यदेव, टोकियो से इम्फाल, मारवाड़ी पब्लिकेषन्स, नई दिल्ली, 1946
15) राश्ट्रीय अभिलेखागार, आज़ाद हिन्द फौज की गौरव गाथा, राश्ट्रीय अभिलेखागार, भारत सरकार, नई दिल्ली, 2000
16) गुप्त, आषा, सुभाशचन्द्र बोस : निस्संग क्रांति पथिक, आत्माराम एण्ड संस, दिल्ली, 1992

'Journal of Research & Development'
A Multidisciplinary International Level Referred and Peer Reviewed Journal,
Impact Factor-7.265, ISSN: 2230-9578, April 2023, Volume-15 Issue-10

शोधरूपरेखा का प्रारूप

डॉ. निहाल सिंह
सहायक आचार्य, संस्कृत महारानी श्री जया राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
भरतपुर (राज.)
Corresponding author. डॉ. निहाल सिंह
Email - nihal.imalia@gmail.com
DOI-10.5281/zenodo.7943828

शोधसार

मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि वह अपने आस—पास घटित होने वाली विभिन्न सूक्ष्म अथवा स्थूल घटनाओं को बड़े ही ध्यान से देखता है। देखते—देखते ही मनुष्य अमुक घटना से ऐसा क्यों हुआ? इस प्रश्न के उत्तर को ढूंढ़ने में प्रवृत्त हो जाता है। एक सामान्य से उद्धरण से समझते हैं — एक मनुष्य जो कि हमेशा की तरह अपनी चर्या के अनुसार अपने दैनिक अथवा नित्यप्रति के कर्मों को करने में प्रवृत्त रहता है। एक विशेष काल के अन्तराल के बाद वह महसूस करता है कि कुछ न कुछ अभूतपूर्व स्थिति सी हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाती है। इसके कारण पर दृष्टिपात करने लगता है, कोशिश करता है कि घटना की पुनरावृत्ति नहीं होवे इस हेतु इस के कारणों व प्रभावशाली कारकों को समझा जाकर निवारण का प्रयास किया जावे। जाना जावे कि इसका मूल कहां और कब से है?

संस्कृत के प्रसिद्ध सांख्य विद्वान् ईश्वरकृष्ण द्वारा अपने ग्रन्थ सांख्यकारिका में इसी प्रकार का चिन्तन करते हुए लिखा गया है कि

दुःखत्रयाभिघाताज्जिज्ञासा तदपघातके हेतौ।
दृष्टे चापार्था चेन्नैकान्तात्यन्ततो•भावात्।।[१]

दुःख लोकजीवन का कटुसत्य है, दुःख एवं जीवन की सत्ता को भी नहीं भुलाया जा सकता। त्रिविध दुःखों के द्वारा पीड़ित होते रहने से उनके निवारक हेतु के विषय में व्यक्तियों की जिज्ञासा होती है।

यही बात शोध के विषय में है, जो कुछ हमें दिख रहा है उसके मूल कारण एवं विभिन्न परिवर्तनकारी कारकों का परिशीलन किया गया है। परिशीलनोपरान्त जो निष्कर्ष एवं निवारण के उपाय निकल कर जगत् के सम्मुख उपस्थित होते हैं, वही शोध है। शोध के लिए सर्वप्रथम शोध का प्रारूप तैयार किया जाना आवश्यक होता है। शोधप्रारूप किसी गन्तव्य की ओर जाने के मूल रास्ते के समान होता है। प्रारूप में शोधार्थी अपने शोध के निष्कर्ष तक पहुंचने वाले विभिन्न सोपानों का वर्णन करता है। उन्हीं सोपानों पर चलते हुए वह अपने शोध को सम्पूर्णता की ओर ले जाता है।

उक्त परिशीलन—सोपानों को प्रस्तुत कर एक नवीन शोधमार्ग तैयार करने के तरीके या विधि को स्पष्ट करना ही इस शोधपत्र में प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही विभिन्न शोधप्रविधियों को प्रस्तुत करना ही शोधपत्र का प्रतिपाद्य है।

संकेतशब्द

शोधप्रविधियां, शोधप्रारूप, संस्कृत शोध के आधारतत्व, शोधार्थी के शोधरूपरेखा, पीएच.डी. से पूर्व सिनॉप्सिस, शोधसारांश तैयार कैसे करें, शोधकार्य में सहायकतत्व, शोधसामग्री संकलन का स्रोत, शोधप्रबंध की पृष्ठभूमि, शोधप्रबंध शीर्षक का महत्व, विषय चयन का औचित्य, शोधप्रबंध का क्षेत्र शोधरूपरेखा का प्रारूप।

हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखम्।
तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये।।[१]

यजुर्वेद के ईशावास्योपनिषद् के इस मन्त्र के अनुसार शोधार्थी अज्ञानावृत्त मूल ज्ञानतत्व को खोजकर इस दृष्ट जगत् के सम्मुख उपस्थापित करता है। इस ज्ञान तत्व के युगानुरूप मूल्यांकन को ही 'Research' अनुसन्धान, अन्वेषण एवं खोज आदि शब्दों के रूप में जानते हैं जिनका शाब्दिक अर्थ 'शोध' माना जाता है, जो किसी विशिष्ट अछूते तत्व को जन—सामान्य के सम्मुख उभार कर रखे। व्यापक अर्थ में अध्ययनपूर्वक की गई खोज अथवा परीक्षण, विशेषत: आलोचनात्मक या समीक्षात्मक व्यापक अन्वेषण अथवा प्रयोग परीक्षण, जिसका उद्देश्य नवीन तथ्यों का उद्घाटन तथा प्रचलित भ्रान्तियों का निवारण करना रहा हो। स्वीकृत निष्कर्षों या सिद्धान्तों का पुनरीक्षण एवं विधिपूर्वक गहन चिंतन और गवेषणा का परिणाम ही शोध है। शोध से व्यक्तित्व—विकास के साथ—साथ ही सकल समाज
का भी उत्थान होता है और उम्मीद की जाती है कि समाज का प्रत्येक वर्ग शोध से लाभान्वित होगा। 'रेडमैन और मोरी' के अनुसार **'नवीन ज्ञान की प्राप्ति के व्यवस्थित प्रयत्न को हम शोध कहते हैं'**[२]।

जिस दृश्य जगत् को हम सदैव देखते रहते हैं अथवा उसके विषय में सुनते रहते हैं जिसमें विचरण करते हैं वह वस्तुत: है क्या? अधिकांश लोग जिस वस्तु को जैसी देखते हैं वैसी ही मान लेते हैं। परन्तु उसके निरन्तर परिवर्तनशील रूप की ओर जब हमारी दृष्टि जाती है तो अन्त:करण में प्रश्न उठता है कि इस परिवर्तन या नये स्वरूप का कारण क्या है? नवीन वस्तुओं को सम्मिलित करते हुए पुरानी विषयवस्तु तथा सिद्धांतों की समालोचनात्मक जानकारी प्रस्तुत करते हुए किसी नई ज्ञान परंपरा का निर्माण करने हेतु आलोच्य सामग्री का संभावित, सुव्यवस्थित एवं समुचित सत्यापन ही शोध—प्रबंध का आवश्यक धर्म है। वस्तुत: शोधप्रबन्ध में तीन गुणों को आवश्यक माना जाता है — नवीन अर्थात् अज्ञात तथ्यों की खोज अथवा ज्ञात तथ्यों या सिद्धान्तों का नवीन दृष्टि से आख्यान, आलोचनात्मक परीक्षण तथा ठोस निर्णय एवं साहित्यिक दृष्टि से सन्तोषप्रद उपस्थापन शैली।

किसी भी विश्वविद्यालय की निर्धारित योग्यता एवं शर्तों को पूर्ण करते हुए शोधार्थी जब अपने नवीन ज्ञान को समाज के लिए परोसने के दृष्टिकोण से शोधप्रबंध रूप में निर्धारित अवधि में किसी मार्गदर्शक विद्वान् के निर्देशन में प्रस्तुत करता है। विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित विषय के विशेषज्ञों से शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत शोधप्रबन्ध का परीक्षण कराया जाता है। परीक्षा में सफल शोधप्रबन्ध लेखन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा शोधार्थी को पीएच.डी. अथवा एम.फिल की डिग्री दी जाती है।

शोध या शोधप्रबंध पर कार्य करने से पहले शोधविद्या का ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए तब उसके स्वरूप का खाका तैयार किया जाता है। तैयार खाका या योजना के अनुरूप ही शोधप्रबंध की प्रवृत्ति अग्रसर होती है। यह सिनॉप्सिस लगभग ८—१० पृष्ठ के आकार की हो सकती है। शोधक्षेत्र में प्रवेश करने से पूर्व अपनी समस्या, सवालों तथा मन में उठ रहीं विभिन्न जिज्ञासाओं व उद्देश्यों को स्पष्ट करना चाहिए। अपने शोधविषय से सम्बन्धित कुछ शोधप्रश्नों की एक सूची तैयार करनी चाहिए जिनके उत्तर शोधप्रबन्ध की समाप्ति तक किसी न किसी रूप में पाठकों के समक्ष उत्तरित हो जाएं। शोधरूपरेखा के निर्माण करने हेतु अग्रलिखित कुछ महत्वपूर्ण संभाव्य बिंदुओं को ध्यान में रखा जाना उचित होता है —

१. शोधप्रबंध की पृष्ठभूमि

सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक है कि अनुसन्धाता ने जिस क्षेत्र में अथवा जिस विषय पर शोधकार्य करने का मानस बनाया है उस की पृष्ठभूमि क्या है? पृष्ठभूमि से तात्पर्य अनुसन्धाता द्वारा चुने गए शोध शीर्षक या विषय के इर्द—गिर्द और कौनसी विषय वस्तु या सामग्री रही जिससे शोधप्रबंध प्रभावित होगा। सरल शब्दों में कहें तो शोधशीर्षक का कुटुंब, खानदान एवं समीपस्थ रिश्तेदारों की पहचान करना ही शोधप्रबंध की पृष्ठभूमि कहलाता है। इसके अंतर्गत विषयोद्गम क्षेत्र पर प्रकाश डालना होता है।

२. विषय चयन का औचित्य

सिद्धार्थं सिद्धसम्बन्धं श्रोतुं श्रोता प्रवर्तते।
शास्त्रादौ तेन वक्तव्य: सम्बन्ध: संप्रयोजन:।।

मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति होती है कि वह अपने आसपास घटित हो रही विभिन्न घटनाओं को देखकर उनके घटित होने के कारण व परिस्थितियों पर ध्यान देकर चिंतन—मनन करता रहता है। पुन: उसी प्रकृति की घटना घटित हो तो उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को उद्घाटित कर समाज के समक्ष जागरूकता के लिए प्रस्तुत कर दिया जाता है।

उक्तानुसार ही शोधार्थी को विषय—चयन करना चाहिए। इसी को ध्यान में रखकर ही जब कोई समस्या आती है तो उसके निदानार्थ कुछ सावधानियां या एहतियातों को एकत्रित कर व्यवस्थित स्वरूप में क्रमबद्ध करना ही विषय—चयन का औचित्य होता है। इस सम्बन्ध में कहा भी जाता है कि

प्रयोजनमनुद्दिश्य मंदोऽपि न प्रवर्तते।[३]

अर्थात् बिना उद्देश्य तो कोई मंदबुद्धि व्यक्ति भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता है।

मन—मस्तिष्क में जिस बिंदु, तथ्य या विषय पर आलोड़न—विलोडन चल रहा हो, कोई समस्या मन में बैठ अनुसंधाता को कचोट रही हो और शोधार्थी को उसके समाधान की कोई उचित संभावना प्रबुद्ध हो रही हो और उस विषय पर कोई विशेष शोध भी नहीं हो पाए हों, ऐसे विषय का शोधार्थी को चयन करना चाहिए और क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित स्वरूप में विश्लेषण करते हुए प्राप्त परिणामों व निष्कर्षों को अपने अनुसार प्रस्तुत कर समाज को एक नई दिशा दिलाने में कामयाब हो सके, ऐसे विषय का चयन किया जाना चाहिए। चुने हुए विषय के सभी पहलुओं का सर्वेक्षण एवं गवेषणाात्मक ज्ञान विद्वत्समाज के सम्मुख उभर कर आए जो वास्तविक रूप से समाज के लिए एक अद्भुत एवं अमूल्य निधि बने। शोध विषय चयन में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए —

- विषय ऐसा हो, जिसमें पुन: कुछ नया किया जा सके।
- विषयचयन शोधार्थी की रुचि के अनुसार किया जावे।
- विषयचयन कर विषय–विशेषज्ञ विद्वानों से विमर्श कर लेना चाहिए।
- महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में पूर्व के शोधार्थियों द्वारा किए गए शोध प्रबंधों का पुन: पुन: अध्ययन किया जाना चाहिए जिससे मानस में एक दृष्टिकोण तैयार हो सके।
- ऐसा शोधविषय चयन किया जाए जिसकी भविष्य में समाज के लिए कोई न कोई उपादेयता हो।
- पूर्व में किसी शोधार्थी द्वारा उसी समान शीर्षक पर शोधकार्य नहीं किया गया हो, ऐसे विषय का चयन किया जाना चाहिए।
- विषय चयन के समय ही विचार कर लेना चाहिए कि शोधविषय से संबंधित सामग्री उपलब्ध हो सकेगी अथवा नहीं?
- चुना गया विषय पिष्ट–पेषण न होकर मौलिक विषय हो, और शोधप्रबंध लिखते समय हमारी मौलिकता उस पर अपनी छाप छोड़ जाए। ऐसा करने से शोधार्थी को आत्मसंतोष भी अनुभूत होगा।

३. शोधप्रबंध शीर्षक का महत्व व सार्थकता

शोधार्थी को शोधप्रबंध के शीर्षक का चयन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए –

- चुने गए शीर्षक पर पहले कोई शोधकार्य नहीं हुआ हो।
- शोधार्थी द्वारा निश्चित किए गए शीर्षक को पढ़ते ही संबंधित शोधप्रबंध के ज्ञान का एक आकलन हो सके कि इस में अमुक वर्णन किया गया होगा।
- शीर्षक चुनते समय समाज को उसकी क्या उपादेयता होगी? इस विषय पर भी चिंतन करना चाहिए।
- शीर्षक चित्ताकर्षक, प्रभावशाली एवं सार्थक हो।

४. शोधप्रबंध से संबंधित क्षेत्र में किए गए शोध कार्य

शोध की परम्परा प्राचीन समय से ही प्रचलन में हैं। प्रत्येक व्यक्ति स्वच्छन्द रूप से चिंतन–मनन करता ही रहता है। कुछ चिंतक तो अपने मनन को कागज–कलम के अधीन कर देते हैं तो कुछ चिंतन–मनन के बाद आत्मिक संतोष से ही संतुष्ट हो कर अपनी जिज्ञासा की निवृत्ति कर लेते हैं। शोधार्थी को चाहिए कि पुरातन समय से वर्तमान तक किन–किन विद्वानों द्वारा किन–किन विषयों पर कोई कार्य किया गया। जो शोधार्थी द्वारा चुने गए शीर्षक से पूर्णतया साम्य तो नहीं रखता। आंशिक साम्य क्षम्य होता है।

ऐसे ग्रन्थ एवं ग्रन्थकारों की न्यून अथवा अधिक जैसी भी सामग्री प्राप्त हो उसे सूचीबद्ध कर अपने शोधप्रबंध में स्थान देकर उन पर संक्षिप्त प्रकाश डालते हुए शोध कार्य से संबद्धता का दिग्दर्शन कराना चाहिए। अन्य शोधकर्ताओं के द्वारा विभिन्न विषयों व उनके विभिन्न पहलुओं पर किए गए मानसिक आलोडन–विलोडन को अपने शोधप्रबंध में संदर्भ सहित स्थान दिया जाना चाहिए।

५. शोधप्रबंध का क्षेत्र

शोधार्थी द्वारा स्वयं चुने गए शोधकार्य के क्षेत्र को भी पहले ही दर्शाए जाना चाहिए कि शोधप्रबंध में अमुक–अमुक क्षेत्रों को स्पर्श किया जाएगा। शोधक्षेत्र में संबंधित साहित्य हो सकता है, ऐतिहासिक घटनाएं हो सकती हैं, ऐतिहासिक शिलालेख, अभिलेख या उत्कीर्णन हो सकते हैं, शोधकार्य से संबंधित कम या ज्यादा मेल खा रहे पूर्वकृत प्रयोग, सिद्धांत, प्रकाशन, गजेटियर, रिपोर्ट, सर्वे, निर्णय आदि अन्य सामग्री भी हो सकती है। उक्त प्रकार के क्षेत्रों में से किसी एक क्षेत्र अथवा अधिक क्षेत्रों की सहायता एवं मार्गदर्शन की मदद से भी शोधकार्य को गति मिलती है।

६. सामग्री संकलन

अपने शोधविषयानुसार शोधार्थी द्वारा शोधसामग्री का संकलन किया जाना चाहिए। शोधसामग्री मौलिक या अनूदित हो सकती है। इसके अतिरिक्त निम्नांकित स्रोतों से भी सामग्री का संकलन किया जा सकता है –

अ) पूर्वप्रकाशित ग्रन्थों से सामग्रीसंकलन – शोधार्थी द्वारा चुने गये विषय से सम्बन्धित पूर्व में किये गये शोधकार्यों के प्रकाशित ग्रन्थों से यथोचित सन्दर्भ देते हुए सामग्री संकलित की जानी चाहिए।

ब) अप्रकाशित ग्रन्थों से सामग्रीसंकलन – हस्तलिखित अथवा प्राचीन ताड़पत्रों पर लिखित सामग्री जिसका कि प्रकाशन न हो पाया हो परन्तु शोधार्थी के विषय से सम्बन्धित सामग्री यदि प्राप्त होती है तो सन्दर्भ देते हुए उस स्रोत से भी सामग्री संकलन किया जा सकता है।

स) परिवेदन या रिपोर्ट से सामग्रीसंकलन – राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा

समय—समय पर तत्कालीन प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती हैं। यदि इन रिपोर्ट में विषय से सम्बन्धित सामग्री उपलब्ध हो तो इन्हें भी अपने शोध में सम्मिलित किया जाना चाहिए। सामग्री जिस स्रोत से ग्रहण की गई है उस रिपोर्ट के प्रकाशन करने वाली संस्था, प्रकाशनवर्ष इत्यादि का उल्लेख शोधकार्य में करते हुए इनकी सूची सन्दर्भ ग्रन्थ सूची में भी किया जाना उचित होता है।

द) गजेटियर से सामग्रीसंकलन — प्राचीन काल में विभिन्न रियासतों व राज्यों की सूचनाओं पर प्रकाश डालने हेतु गजेटियर्स का प्रकाशन कराया जाता था। इन गजेटियर्स में यदि विषय से सम्बन्धित सामग्री है तो उनका उल्लेख किया जाना चाहिए।

य) प्रकाशित पत्रिकाओं से सामग्री संकलन — विभिन्न प्रकाशित मासिक, त्रैमासिक, षाण्णमासिक एवं वार्षिक पत्रिकाओं में प्रकाशित पाठ्यसामग्री भी शोधकार्य में उपयोगी हो सकती है। पत्रिका के अंक एवं प्रकाशन वर्ष का उल्लेख करते हुए अपने शोधविषय का सम्बन्ध स्थापित करते हुए सामग्री संकलित की जानी चाहिए।

र) आप्तव्यक्तियों के साक्षात्कार से सामग्री संकलन — **आप्तवाक्यं शब्दः — आप्तस्तु यथाभूतस्यार्थस्योपदेष्टा पुरुषः।**[4] अर्थात् यथार्थ का उपदेश करने वाले पुरुषों से की गई भेंट या बातचीत के आधार पर अपने विषय से सम्बन्धित विभिन्न तथ्यों को अपने शोधकार्य में सम्मिलित किया जाना चाहिए। आप्तपुरुष के परिचय देने के साथ विभिन्न बातों को अपने शोध में उल्लिखित करना चाहिए।

७. अध्याय व्यवस्था अथवा अध्याय विभाजन

शोधार्थी द्वारा शोध सामग्री एवं विषय वस्तु की व्यापकता एवं उसके गाम्भीर्य के अनुसार शोधप्रबंध को समुचित अध्यायों में विभक्त किया जावे। अध्याय विभाजन की योजना अपने शोध सारांश (सिनॉप्सिस) में पूर्व में ही दर्शाया जाना चाहिए। ५ से ७ अध्यायों में पाठ्य सामग्री को विभाजित किया जा सकता है। इस तरह संपूर्ण शोधप्रबंध की सुव्यवस्थित संघटना हो सकेगी। अध्यायानुसार शोधसामग्री विभक्त कर प्रस्तुत कराई जानी चाहिए।

८. उपसंहार

शोधप्रबंध के समस्त अध्यायों के समेकित सार को प्रस्तुत करते हुए एवं जिस जिज्ञासा को ध्यान में रखकर शोधप्रबंध लेखन का प्रारंभ किया गया था उस जिज्ञासा की निवृत्ति एवं निदान उपसंहार में दर्शाया जाता है। अपने कथ्य की अत्युत्तम रीति से प्रस्तुति की इतिश्री ही उपसंहार कहलाती है। शोधार्थी के मन—मस्तिष्क में उठे प्रश्नों के उत्तर उपसंहार तक आते—आते किसी न किसी रूप में प्राप्त हो ही जाते हैं। इस स्तर पर शोधार्थी के अंतःकरण की विचारधारा शोधप्रबन्ध के माध्यम से सार्वजनिक तौर पर दिखाई देने लगे ऐसी कुशलता से विषयवस्तु की प्रस्तुति किया जाना एक सफल प्रयास माना जाता है।

९. संदर्भ ग्रंथ सूची

शोधप्रबंध की संपूर्णता पर शोधप्रबंध लेखन में काम आने वाली सभी सहायक सामग्री के स्रोत अर्थात ग्रंथों की सूची प्रस्तुत की जाती है। संदर्भग्रंथसूची को भी उनकी श्रेणी के अनुसार विभाजन कर प्रस्तुत किया जाता है। सूचीक्रम में प्रथमतः पत्र—पत्रिकाओं/जर्नलों की सूची हो जिसमें पत्रिका या जनरल की प्रकृति, प्रकाशन, स्थान, वर्ष तथा अंक की सूचना प्रदर्शित की जानी चाहिए। द्वितीय सूची में इंटरनेट के माध्यम से ली गई समस्त सूचनाओं को उनकी वेबसाइट के यूआरएल का लिंक प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तृतीय सूची में लिखित/प्रकाशित ग्रंथों की सूची प्रस्तुत की जावे जिसमें लेखक, प्रकाशक, प्रकाशन, वर्ष एवं स्थान प्रदर्शित हो।

इस तरह किसी भी शोधप्रबन्ध के लिए एक अच्छी शोधरूपरेखा तैयार की जाती है। इस रूपरेखा के अनुसार ही शोधकार्य आगे बढता चला जाता है। आवश्यकता पडने पर रूपरेखा से भिन्न प्रकार से भी कुछ कार्य किया जा सकता है।

---

1. सांख्यकारिका – 1
2. ईशावास्योपनिषद 15
3. द रोमांस अफ रिसर्च
4. साहित्यदर्पण
5. तर्कभा'ा में प्रमाणविवेचन पृ.सं. 122 श्रीनिवासषास्त्री, साहित्यभण्डार, मेरठ

'Journal of Research & Development'
A Multidisciplinary International Level Referred and Peer Reviewed Journal,
Impact Factor-7.265, ISSN: 2230-9578, April 2023, Volume-15 Issue-10

स्वच्छ भारत अभियानः स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के संदर्भ में एक तुलनात्मक दृष्टि

डॉ राकेश कुमार राणा[1] भूपेन्द्र कुमार[2]
[1]एसोसिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, एम एम एच कॉलिज, गाजियाबाद
[2]शोध छात्र, एम एम एच कॉलिज, गाजियाबाद
Corresponding author- डॉ राकेश कुमार राणा
DOI-10.5281/zenodo.7943831

प्रस्तावना–

स्वच्छता एक क्रिया है जो हमारे आस–पास शुद्धता लाती है, और यह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब स्वच्छता की उपेक्षा की जाती है, तो खतरनाक बीमारियां हमें और हमारे समाज को प्रभावित कर सकती हैं और निर्दोष लोग, विशेषकर बच्चे और महिलाएं, अपनी जान गंवा सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण भी स्वच्छता की कमी का परिणाम है, क्योंकि कारखानों और घरों से निकलने वाला कचरा हमारे पर्यावरण के क्षरण में योगदान देता है। स्वच्छता के महत्व को स्वीकार करते हुए, भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2014 में गांधी जयंती पर ष्स्वच्छ भारत अभियानष शुरू किया गया था। इस अभियान का उद्देश्य भारत के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को स्वच्छ और खुले में शौच से मुक्त बनाना है। शौचालय सहित स्वच्छता सुविधाओं का प्रावधान भी इस योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अभियान प्रभावी ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के माध्यम से स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल सुनिश्चित करने, लोगों के व्यवहार को बदलने और अच्छे स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में जागरूकता पैदा करने पर भी ध्यान केंद्रित करता है। स्वच्छता कार्यक्रमों का क्रियान्वयन आवश्यक है तथा स्वच्छता से संबंधित सभी व्यवस्थाओं को नियंत्रित, सुदृढ़ एवं प्रभावी ढंग से संचालित किया जाना चाहिए।

अभियान के सफल निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए, 19 अत्यधिक योग्य पेशेवरों की एक टीम को इकट्ठा किया गया, जिसमें वैज्ञानिक और औद्योगिक मामलों की परिषद के पूर्व महानिदेशक रघुनाथ अनंत माशेलकर को समिति के नेता के रूप में नियुक्त किया गया।समिति का प्राथमिक लक्ष्य राज्यों में स्वच्छता और जल सेवाएं प्रदान करने के लिए सबसे प्रभावी और नवीनतम तरीकों की सिफारिश करना है। ष्स्वच्छ भारत अभियानष को दो उप–अभियानों में विभाजित किया गया हैरू स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और स्वच्छ भारत मिशन शहरी। विकास मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं कि दोनों कार्यक्रम सही ढंग से लागू किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर लगभग 1,96,000 करोड़ रुपये खर्च होने की उम्मीद है और इसमें 12 करोड़ शौचालयों का निर्माण शामिल होगा।

स्वच्छता के मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक स्थानीय दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऊपर से नीचे की रणनीति अपर्याप्त होती है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और आवश्यक संसाधन और नीतियां प्रदान की जानी चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान पहल की सफलता एक व्यापक और उपयोगी स्वच्छता नीति पर निर्भर है। खराब स्वच्छता के दूरगामी स्वास्थ्य परिणाम होते हैं जो न केवल विशिष्ट क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं, बल्कि परस्पर जुड़े और अन्योन्याश्रित समुदायों को भी प्रभावित करते हैं। स्वच्छ भारत अभियान पहल के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार, नागरिक समाज और विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों का सामूहिक प्रयास महत्वपूर्ण है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कराए गए एक अध्ययन के अनुसार भारत के शहरों से करीब 1.60 लाख मीट्रिक टन ठोस कचरा हर रोज निकलता हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार देश में हर वर्ष 7.2 मीट्रिक टन खतरनाक औद्योगिक कचरा 4 लाख टन इलैक्ट्रॉनिक कचरा 1.5 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरा 1.7 मीट्रिक टन मेडिकल कचरा 48 मीट्रिक टन नगर निगम का कचरा निकलता है। इसके अलावा 75 प्रतिशत से ज्यादा सीवेज का निपटारा नहीं होता है। कचरे से रिसकर जहरीला रसायन जमीन हवा और पानी को दूषित कर रहा है। इनके पास रहने वाली आबादी अनेक गंभीर बीमारियों जैसे मलेरिया टी0बी0 दमा और चर्म रोगों से पीड़ित है। इतने कचरे से 27 हजार करोड़ श्रूपये की खाद पैदा की जा सकती है। 45 लाख एकड बंजर भूमि को उपजाऊ खेतों में बदला जा सकती हैं। 50 लाख टन अतिरिक्त अनाज पैदा करने की क्षमता हासिल की जा सकती है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि भारतीय शहरों से प्रतिदिन लगभग 1.60 लाख मीट्रिक टन ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की एक अन्य रिपोर्ट बताती है कि खतरनाक औद्योगिक कचरा, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, प्लास्टिक कचरा, चिकित्सा कचरा और नगर निगम का कचरा संयुक्त रूप से क्रमशः 7.2 मीट्रिक टन, 4 लाख टन, 1.5 मीट्रिक टन, 1.7 मीट्रिक टन और 48 मीट्रिक टन है। भारत में हर साल। दुर्भाग्य से, 75 प्रतिशत से अधिक सीवेज का निपटान ठीक से नहीं किया जाता है, जिससे ज़हरीले रसायन भूमि, वायु और पानी को दूषित करते हैं। इन क्षेत्रों के आस–पास रहने वाले लोग मलेरिया, टीबी, दमा, चर्म रोग जैसी कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं। हालांकि, इस कचरे को 27 हजार करोड़ रुपये की खाद में बदलना और 45 लाख एकड़ बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में बदलना संभव है। इसके अतिरिक्त, इससे 5 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन की क्षमता में वृद्धि हो सकती है।

स्वच्छता का अर्थ (अवधारणा)–

मनुष्य स्वाभाविक रूप से सामाजिक प्राणी हैं, अपने समुदाय में दूसरों को समझने और उनसे जुड़ने की सहज इच्छा रखते हैं। हालाँकि, ऐतिहासिक रूप से, मनुष्यों में व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप से समाज का अध्ययन करने की क्षमता का अभाव था। यह 16वीं शताब्दी तक नहीं था कि मनुष्य ने अपने आसपास की प्राकृतिक दुनिया को समझना शुरू किया, जिसने उन्हें सामाजिक संगठन के लिए और अधिक परिष्कृत दृष्टिकोण विकसित करने के लिए प्रेरित किया। परिणामस्वरूप, इस समय अवधि के दौरान सामाजिक संबंध और मानवीय संबंधों का महत्व अधिक स्पष्ट हो गया।

आधुनिक समाजशास्त्र की उत्पत्ति 1800 के दशक की शुरुआत में फ्रांस में देखी जा सकती है। यह क्षेत्र अद्वितीय है और पहली बार एक फ्रांसीसी विद्वान अगस्त कॉम्टे द्वारा पेश किया गया था, जिन्होंने समाज का अध्ययन करने के लिए एक नया और वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था। कॉम्टे को अक्सर उनके योगदान के कारण समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉजिटिव फिलॉसफी में समाजशास्त्र शब्द गढ़ा और माना कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जो मानव जीवन और गतिविधियों के सभी पहलुओं को समाहित करता है। उन्होंने प्रत्यक्ष अवलोकन, प्रयोग और तुलना के माध्यम से सामाजिक व्यवस्था की संपूर्ण समझ हासिल करने के महत्व पर बल दिया।

शब्द ''स्वच्छता'' में तत्वों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जैसा कि इसके शाब्दिक अर्थ से प्रमाणित है। यह अवधारणा ग्रामीण या शहरी जीवन तक ही सीमित नहीं है, न ही यह केवल

जनजातीय संस्कृति तक ही सीमित है; यह समग्र रूप से समाज को प्रभावित करता है। स्वच्छता में विभिन्न घटक शामिल हैं, जैसे पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छ पानी तक पहुंच, स्वच्छता सुविधाएं, उचित जल निकासी व्यवस्था, प्रदूषण नियंत्रण, अपशिष्ट प्रबंधन, गंदगी का उन्मूलन, अस्पृश्यता प्रथाओं का उन्मूलन, पौष्टिक भोजन की उपलब्धता, और स्वच्छता तक पहुंच उपकरण। ये सभी महत्वपूर्ण पहलू हैं जो एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण में योगदान करते हैं।

स्वच्छता का समाजशास्त्र–

28 जनवरी, 2013 को सुलभ इंटरनेशनल द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में स्वच्छता के समाजशास्त्र से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए भारत और विदेशों के समाजशास्त्रियों को एक साथ लाया गया। इनमें सामाजिक अभाव, पानी, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य विज्ञान, गरीबी, बाल कल्याण, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दे शामिल थे। संगोष्ठी ने इन समस्याओं को दूर करने में ''स्वच्छता के समाजशास्त्र'' के महत्व पर प्रकाश डाला। स्वच्छता शब्द लैटिन शब्द 'सैनिटास' से आया है जिसका अर्थ है स्वास्थ्य और बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए पेयजल संग्रह और कचरा निपटान जैसी स्वच्छता को संभालने के लिए संदर्भित करता है। स्वच्छता स्वास्थ्य नीति का एक प्रमुख पहलू है, और इसके महत्व को अकेले स्वास्थ्य से अधिक माना जाता है। स्वच्छता के समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक शिक्षा के रूप में देखा जाता है जो स्वच्छता, सामाजिक भेदभाव, जल, सामुदायिक स्वास्थ्य, पर्यावरण, गरीबी, लैंगिक समानता, बाल कल्याण और सतत विकास के लिए लोगों को सशक्त बनाने से संबंधित सामाजिक समस्याओं को हल करने में मदद कर सकता है। समाजशास्त्री डॉ. बिंदेश्वर पाठक का मानना है कि स्वच्छता से संबंधित आध्यात्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने से लोगों के जीवन में खुशी और बदलाव आ सकता है।

डॉ अनिल वाघेला बताते हैं कि स्वच्छता के समाजशास्त्र में व्यक्तियों और स्वच्छता के बीच संबंधों की जांच करना शामिल है, और यह कैसे व्यक्ति और समाज दोनों को समग्र रूप से प्रभावित करता है। अध्ययन का यह क्षेत्र लोगों और उनके पर्यावरण के एक दूसरे पर पड़ने वाले पारस्परिक प्रभाव की पड़ताल करता है। स्वच्छता के एक प्रसिद्ध प्रस्तावक महात्मा गांधी हैं, जिन्होंने प्रसिद्ध रूप से कहा था कि वह अमानवीय और अस्वच्छ प्रथाओं में भाग लेने के बजाय एक सफाई कर्मचारी के परिवार में पैदा होना पसंद करेंगे। यह स्वस्थ और स्वच्छ व्यवहार को बढ़ावा देने के महत्व पर प्रकाश डालता है।

श्रीमती इंदिरा गांधी के अनुसार, भारत में स्वच्छता केवल स्वच्छता से परे है; इसमें मानव मल को अपने सिर पर ले जाने की प्रथा को समाप्त करना शामिल है।

शहरी विकास मंत्रालय, जो भारत सरकार का एक विभाग है, का मानना है कि भारत के सभी शहरों का स्वच्छ, स्वस्थ और रहने के लिए उपयुक्त होना महत्वपूर्ण है। मंत्रालय का मानना है कि यह प्रभावी शहरी स्वच्छता प्रबंधन प्रथाओं को लागू करके प्राप्त किया जा सकता है जो स्थानीय नागरिकों और पर्यावरण की भलाई को प्राथमिकता देते हैं। मंत्रालय की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक कमजोर आबादी, जैसे गरीबी और महिलाओं में रहने वाले लोगों के लिए स्वच्छ और उचित स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करना है। इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों में सुधार और सभी के लिए बेहतर रहने का माहौल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है (वाघेला, 14–15)।

दर्शनशास्त्र एक अनुशासन है जो 16वीं शताब्दी में उभरा और तब से तर्कपूर्ण तर्कों के माध्यम से लोगों की सोच को प्रभावित किया है। यद्यपि यह एक बार प्रभावशाली था, अब इसे विभिन्न विज्ञानों द्वारा पार कर लिया गया है जो वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करके दुनिया के सामाजिक और भौतिक पहलुओं की जांच करते हैं। इन विज्ञानों में क्रिया और अभ्यास के विविध क्षेत्र हैं। स्वच्छता और समाज साथ–साथ चलते हैं क्योंकि स्वच्छता एक विशेषता है जिसे समाज द्वारा विकसित किया जाता है। स्वच्छता समाज के विकास के लिए एक आवश्यक मानदंड है और संस्कृति की तरह ही यह समाज का प्रतिबिंब है। उनके लोगों पर विभिन्न समाजों और संस्कृतियों का प्रभाव स्पष्ट है, और स्वच्छता उस प्रतिबिंब का एक हिस्सा है। किसी समाज के इष्टतम विकास का अनुभव करने के लिए, उसमें स्वच्छता और स्वास्थ्य की स्थिति होनी चाहिए। किसी समाज में चेतना का स्तर सीधे तौर पर उसकी विकासात्मक प्रगति से संबंधित होता है। समाज में स्वच्छता का अध्ययन समाजशास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण महत्व रखता है।

स्वच्छता और सामाजिक छुआछूत
स्वच्छता और पर्यावरण
स्वच्छता और स्वास्थ्य
स्वच्छता और शिक्षा
स्वच्छता और विविध मानदंड
स्वच्छता और सरकार
स्वच्छता और गंदे निवास
स्वच्छता और पंचायती राज
स्वच्छता और पेय–जल
स्वच्छता और बाल कल्याण
स्वच्छता और ग्राम्य नगरीय समुदाय
स्वच्छता और मजदूर (वाघेला, 19–20)।

स्वच्छ भारत अभियानः उद्देश्य और लक्ष्य–

समकालीन भारत में, स्वच्छ भारत अभियान एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल रहा है। स्वच्छता की अवधारणा में हमारे घरों, समुदायों, दिलों और शरीरों से हानिकारक और निराशावादी प्रभावों का उन्मूलन शामिल है, और व्यापक अभियानों के माध्यम से इसका प्रचार किया जा रहा है। नेता अक्सर ऊंचे लक्ष्यों और आकांक्षाओं के साथ सत्ता के पदों पर प्रवेश करते हैं और इन उद्देश्यों को पूरा करके वे समाज पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ते हैं। वर्तमान प्रधान मंत्री, श्री नरेंद्र मोदी, इसी तरह एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत के सपने को साकार करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आगे बढ़ाया था। दोनों नेताओं का दृढ़ विश्वास है कि स्वच्छता ईश्वरत्व के बगल में है और प्रत्येक जीवित प्राणी एक स्वच्छ वातावरण तक पहुंच का हकदार है।

अभियान, जो 2 अक्टूबर, 2014 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन पर शुरू किया गया था, प्रधान मंत्री द्वारा राजपथ पर कर्मचारियों और नागरिकों को शपथ दिलाने के साथ शुरू हुआ। यह अभियान गांधी को एक श्रद्धांजलि है और 2 अक्टूबर, 2019 को समाप्त होने वाला है, जैसा कि पाठक ने 2013 में कहा था। अभियान की अवधि पूरी तरह से बापू को समर्पित है, जैसा कि महात्मा गांधी को प्यार से जाना जाता है, और इसका उद्देश्य उनके मूल्यों को बढ़ावा देना है और जनता के बीच उपदेश। यह अभियान हमारे दैनिक जीवन में साफ–सफाई और साफ–सफाई के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने और लोगों को अपने आस–पास साफ–सफाई रखने का कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने और इसे सफल बनाने का आग्रह किया है। अभियान ने अपार लोकप्रियता हासिल की है और इसे जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों द्वारा व्यापक रूप से समर्थन दिया गया है। इसने लोगों को अपने आसपास सफाई का कार्य करने के लिए प्रेरित किया है और स्वच्छता के प्रति लोगों की मानसिकता में सकारात्मक बदलाव लाया है। इस अभियान की सफलता ने अन्य देशों को अपने–अपने क्षेत्रों में इसी तरह के अभियान शुरू करने

के लिए प्रेरित किया है। यह अभियान महात्मा गांधी को एक उपयुक्त श्रद्धांजलि है, जो स्वच्छता और स्वच्छता के प्रबल समर्थक थे और उनका मानना था कि अपने आसपास के वातावरण को साफ रखना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है।

स्वच्छ भारत अभियान के प्रमुख लक्ष्य–

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने रिपोर्ट दी है कि शहरी भारत में सालाना 47 मिलियन टन ठोस कचरे की भारी मात्रा उत्पन्न होती है। इसके अलावा, बोर्ड ने यह भी खुलासा किया कि 75 प्रतिशत से अधिक सीवेज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा निपटाया नहीं जाता है। इसके अलावा, ठोस कचरे का पुनर्चक्रण देश के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है। इन महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दों पर तत्काल ध्यान देने और भविष्य में और अधिक गंभीर समस्याओं को उत्पन्न होने से रोकने के लिए कार्रवाई की आवश्यकता है।

सबसे चुनौतीपूर्ण कार्यों में से एक जिसका हम सामना कर रहे हैं वह है हमारी आबादी के दृष्टिकोण को बदलना। यह एक अहम सवाल बना हुआ है कि कब हमारे नागरिक सड़क पर कूड़ा फेंकने से परहेज करने के महत्व को समझने लगेंगे। इसी तरह, लोग न केवल अपने लिए बल्कि अपने समुदाय के लिए भी स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के महत्व को कब समझने लगेंगे?

अपर्याप्त सफाई की समस्या एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसका ग्रामीण भारत सामना कर रहा है। जैसा कि चाकले ने 2002 में बताया था, स्वच्छता के संबंध में अज्ञानता व्यापक है।

स्वच्छ भारत अभियान के कारण–

मेरे विचार से, उपरोक्त मुद्दों के पीछे के कारण आत्म–केन्द्रितता और दूसरों के प्रति उपेक्षा में निहित हैं। जबकि हम लगन से अपने घरों की सफाई बनाए रख सकते हैं, हम अक्सर व्यापक समुदाय पर हमारे कार्यों के प्रभाव की उपेक्षा करते हैं। यह दूसरों के लिए विचार की कमी और हमारी अपनी आवश्यकताओं पर एक संकीर्ण ध्यान को दर्शाता है। दुर्भाग्य से, यह प्रवृत्ति संक्रामक हो सकती है, क्योंकि हम अपने आसपास के लोगों के समान व्यवहार और व्यवहार को अपनाना शुरू कर देते हैं। स्वच्छता के महत्व के बारे में शिक्षा या जागरूकता की कमी भी इस समस्या में योगदान दे सकती है, क्योंकि लोग सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा पर अपने कार्यों के परिणामों को पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं (गेल, 2009)। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने समुदायों की भलाई को प्राथमिकता दें और एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बनाए रखने की जिम्मेदारी लें।

स्वच्छ भारत अभियान की वर्तमान स्थिति–

वर्तमान समय में, देश के भीतर सड़कों, आवासों, सरकारी प्रतिष्ठानों और अन्य क्षेत्रों के आसपास बड़ी मात्रा में कचरा बिखरा हुआ पाया जाता है। यह मुद्दा अक्सर समाचार पत्रों द्वारा उजागर किया जाता है। यद्यपि एक अस्थायी समाधान लागू किया जा सकता है, वही परिदृश्य एक बार फिर अनिवार्य रूप से उत्पन्न होगा। ये घटनाएं स्वच्छता के प्रति लोगों के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती हैं, और केवल जिला सरकार और सफाई कर्मचारियों को ही गंदगी के लिए दोष देना उचित नहीं है। जानबूझकर कूड़ा फैलाना मानवता के मूल्यों का अवमूल्यन करता है, मनुष्यों को जानवरों के बराबर करता है। (शर्मा, 1992)।

स्वच्छ भारत अभियान में सामुदायिक सहभागिता–

सामुदायिक विकास सिद्धांत निर्णय लेने, योजना बनाने, कार्यान्वयन, मूल्यांकन और अनुकूलन सहित परियोजना के सभी पहलुओं में स्थानीय समुदाय के सदस्यों की वास्तविक भागीदारी के महत्व पर जोर देते हैं। सामुदायिक भागीदारी की अवधारणा संदर्भ और व्याख्या के आधार पर भिन्न होती है। मानवाधिकारों के संदर्भ में, लोकतंत्र, स्वायत्तता, एजेंसी और गरिमा के सिद्धांतों के लिए भागीदारी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोगों को अपने भविष्य और विकास को प्रभावित करने वाले निर्णयों में शामिल होने का अधिकार है। (हम्म, 1005–1031) इसके अलावा लोगों को निर्णय लेने में शामिल होने के लिए पर्याप्त तंत्र के अस्तित्व के रूप में भागीदारी को परिभाषित किया गया है (एफी, 2013)

इस अभियान के लिए केवल शपथ लेने से कोई परिणाम नहीं निकलेगा। इस पहल का सही प्रभाव तभी स्पष्ट होगा जब हम अपने आसपास की सफाई के लिए पर्याप्त समय देंगे। इस अभियान के तहत शहरों में हर चौक–चौराहे पर डस्टबीन स्थापित किए गए हैं। आज भारत में एक आदर्श नागरिक होने के साथ आने वाली जिम्मेदारी को समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, खासकर जब स्वच्छता बनाए रखने की बात आती है। कैबिनेट द्वारा कई प्रयासों के बावजूद, अस्वास्थ्यकर स्थितियां एक गंभीर मुद्दा बनी हुई हैं जिसे संबोधित करने की आवश्यकता है।गंगा बचाओ परियोजना वर्तमान में चल रही है और सभी नागरिकों के सामूहिक सहयोग और कड़ी मेहनत से इसकी सफलता की गारंटी है। जैसा कि 1991 में पाठक ने कहा था, परियोजना स्वच्छ, स्वस्थ और खुशहाल भारत बनाने के लक्ष्यों के अनुरूप है।

साहित्यिक अवलोकन–

ईवने (2014) ने स्वच्छ भारत अभियान के उद्देश्य का अध्ययन किया। अध्ययन ने मुख्य रूप से भारत में दलित समुदाय पर स्वच्छ भारत मिशन के प्रभाव पर ध्यान केन्द्रित किया। अध्ययन में निष्कर्ष निकाला गया कि देश के हर नागरिक को इस योजना को सफल बनाने के लिए सरकार की प्रतीक्षा करने के बजाय स्वयं स्वच्छ होना चाहिए और प्रगति के बारे में सोचना चाहिए।

बद्र और शर्मा (2015) ने स्वच्छ भारत अभियान के प्रबंधकीय निहितार्थ का अध्ययन किया द्य अध्ययन ने स्वच्छ भारत अभियान की भागीदारी और प्रभावशीलता बढ़ाने के उपायों का भी सुझाव दिया । अध्ययन में निष्कर्ष निकाला गया कि टीमवर्क और देशभक्ति वे मूल्य है, जिन्हें सरकार छात्रों और साधारण नागरिकों के बीच विकसित करना चाहती है। पड़ोस की पहल से हस्तियों की सक्रिय भागीदारी अभियान को सक्रियता प्रदान करती है।

राव और सुब्बराव (2015) ने स्वच्छ भारत अभियान के मुद्दों और चिंताओं का अध्ययन किया। अध्ययन ने स्वच्छता की गांधीवादी अवधारणा पर भी ध्यान केन्द्रित किया। अध्ययन में निष्कर्ष निकाला गया कि यह नागरिकों, मीडिया, सोशल मीडिया, सिविल सोसाइटी, संगठनों, पेशेवरों, युवाओं, छात्रों और शिक्षकों की अभियान में स्वामित्व की घोषणा करने का अवसर और जिम्मेदारी है।

ठक्कर (2015) ने स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्य, योग्यता और महत्व का अध्ययन किया। अध्ययन ने स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों पर स्वच्छ भारत मिशन के प्रभाव पर ध्यान केन्द्रित किया व निष्कर्ष निकाला कि स्वच्छ भारत या हरित भारत का मिशन मोदी सरकार का एक सराहनीय कदम है।

चौधरी (2015) ने अपने अध्ययन "स्वच्छ भारत मिशनः पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक कदम में ऐतिहासिक पुर्नावलोकन विधि द्वारा तथ्यों कापरीक्षण किया तथा खुले में शौचालय के उन्मूलन की सम्भावना को देखा तथा पाया कि खुले में शौच की स्थिति वर्तमान में ज्यों कि त्यों बनी हुई है।

पिताबास प्रधान (2017) ने अपने अध्ययन में शहरों की स्थिति में सुधार ज्ञात करने में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया है। यह शोध पत्र मीडिया की भूमिका का विश्लेषण करता है। इस शोध पत्र में 10 अगस्त 2014, से 20 अगस्त 2015 के मध्य समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए मुद्दों का विश्लेषण किया और पाया कि अंग्रेजी समाचार पत्रों में दोनों वर्षों के दोरान हिंदी समाचार पत्रों की तुलना में स्वच्छ भारत अभियान को कवर करने के लिए अधिक प्राथमिकता दी है। (स्वच्छ भारत अभिंयान और भारतीय मिडिया)।

बोस, ए व जी, बालाजी (2012) ने अपने अध्ययन "एक अधिक प्रभावी स्वच्छ भारत अभियान के लिए सूचना संग्रह और प्रसार रू विधियों और दृष्टिकोण" में सूचना संग्रह और प्रसार के उपयुक्त तरीकों का प्रस्ताव करता है तथा सर्वेक्षण विधि द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित पहलुओं की एक श्रृंखला को एक साथ करने में मदद करता है तथा अध्ययन में पाया गया कि समस्या के सामाजिक संदर्भ को देखते हुए, सांस्कृतिक और भौगोलिक पहलुओं के आधार पर उचित सूचना संग्रह और प्रसार विधियों के आधार पर व्यवहार संबंधी पहलुओं में बदलाव आवश्यक है।

बैटन एंड मेल्स (2004) ने ग्रामीण क्षेत्रों में एक ही स्त्रोत से मूत्र अलगाव प्रणाली के साथ छोटे अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र की लागत का अध्ययन नीदरलैंड्स में किया है और पाया है कि यह पारिस्थितिकीय स्वच्छता प्रणाली की निवेश लागत से 15 प्रतिशत अधिक है और इसकी चल रही लागत 25 प्रतिशत से सस्ता होने की उम्मीद है ।

निष्कर्ष–

उपर्युक्त अध्ययनों को देखते हुए यदि हम एक तुलनात्मक दृष्टि डाले तो हमें ज्ञात होता है कि स्वच्छ भारत अभियान की सफलता हेतु सरकार की अपेक्षा प्रत्येक समुदाय के सदस्यों को इसे सफल बनाने और इसके निर्धारित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को पाने में सामुदायिक सहभागिता बहुत आवश्यक तत्व है। स्वच्छता, स्वास्थ्य का मूलभूत आधार है। हम तभी सुरक्षित व स्वस्थ रह सकते है जब खुले में शौच से मुक्त हो। जिससे विभिन्न संक्रामक रोगों की रोकथाम होती है। स्वच्छता महिलाओं के सम्मान के लिए, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए भी आवश्यक है। स्वच्छ भारत अभियान द्वारा पूरे देश में स्वच्छता को विकसित करना और व्यवस्था महत्वपूर्ण लक्ष्य है। पिछले कुछ वर्षों में पीने के साफ पानी की व्यवस्था और शौचालय की सुविधाएँ बढ़ गयी है किन्तु अभी भी मूल नियमों के अनुसार उचित व्यवस्था की आवश्यकता है। समाजशास्त्री अरस्तु ने भी कहा था कि "स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है।" सभी समुदायों की "स्वच्छता" के प्रति जाति–धर्म को त्यागकर पूर्ण सहयोग करने की आवश्यकता है। जिससे स्वस्थ समाज की कल्पना की जा सकती है और देश को विकास के पथ पर आगे ले जाया जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. Badra and Sharma (2005): "Management Lessons from Swachh Bharat Mission", International Journal of Advance Research in Science and Engineering, Vol. No. 4, Special Issue (01)
2. Chaudhary, M.P. and Gupta, Himanshu (2015): "Swachh Bharat Mission: A Step towards Environment Protection", Research Gate.
3. Evne (2014): "Swachh Bharat Mission and Dalit Community Development in India", International Journal of Creative Research Thoughts, Volume 2, Issue 9
4. Pradhan, Pitabas (2017): "Swachh Bharat Abhiyan and the Indian Media Journal of Content", Community and Communication, Vol. 5 pp.2395-7415.
5. Rao and Subbarao (2015), "Swachh Bharat: Some Issues and Concerns", International Journal of Academic Research. ISSN: 2348-7666, Vol. 2, Issue-4(4).
6. Thakkar (2015): "Swachh Bharat Clean India Mission - An Analytical Study", Renewable Research Journal, Volume 3, Issue 2, page 68.
7. United Nation (2014): "The Millennium Development Goals Report", September-2014

1. महेश शर्माः स्वच्छ भारत सशक्त भारत, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, 2015
2. सम्पादकीय, स्वच्छ भारत अभियानः चुनौतियाँ और समाधान, योजना, अक्टूबर, 2014
3. सूर्यकान्त परीखः शौचालय (परिचय पुस्तिका)।
4. बिन्देश्वर पाठकः स्वच्छता का समाजशास्त्र (पर्यावरणीय स्वच्छता, जन स्वास्थ्य और सामाजिक उपेक्षा), सुलभ इंटरनेशनल, सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली, 2013
5. आर्य, अल्काः स्वच्छता अभियान की दिशा, दैनिक जागरण, 24 सितम्बर 2016
6. महिपालः भारत में स्वच्छता अभियानः कार्यनीति एवं क्रियांवयन, नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली।
7. बोस, व बालाजी जीः एक अधिक प्रभावी स्वच्छ भारत अभियान के लिए सूचना संग्रह और प्रसारः विधियों और दृष्टिकोण, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, 2012

'Journal of Research & Development'
A Multidisciplinary International Level Referred and Peer Reviewed Journal,
Impact Factor-7.265, ISSN: 2230-9578, April 2023, Volume-15 Issue-10

भारत-पाकिस्तान संबंध और कश्मीर समस्या: दक्षिण एशिया का नया शीत युद्ध

संजीव कुमार सिंह[1], डॉ० सद्गुरु पुष्पम्[2]

[1]पीएचडी शोध छात्र, राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन विभाग का०सु० साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अयोध्या।

[2]एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन विभाग का०सु० साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अयोध्या।

Corresponding author- संजीव कुमार सिंह

Email- sanjeev.republic@gmail.coma

DOI- 10.5281/zenodo.7943835

सारांश –

भारत और पाकिस्तान दक्षिण एशिया के जो प्रमुख राष्ट्र हैं, विभाजन पूर्व दोनों राष्ट्र एक ही अखंड भारत का हिस्सा थे। दोनों राष्ट्र एक समान इतिहास और संस्कृति का अंग रहे हैं तथा ब्रिटिश उपनिवेश के विरुद्ध दोनों ने मिलकर स्वतंत्रता प्राप्त की हेतु संघर्ष किया था। अखंड भारत से पृथक निर्मित पाकिस्तान निर्माण का प्रमुख कारण मुस्लिम लीग की मुस्लिम बहुल जनसंख्या वाले राष्ट्र था पाकिस्तान की मांग थी। भारत और पाकिस्तान के मध्य आजादी के बाद से लेकर आज तक कई विवादित मुददे रहे हैं, जिसको लेकर दोनों राष्ट्रों के मध्य अब तक कई बार संघर्ष देखने को मिले हैं। भारत-पाकिस्तान के मध्य प्रमुख विवाद जम्मू कश्मीर को लेकर है। आज कश्मीर मुददे का आज अंतर्राष्ट्रीयकरण हो चुका है जिसका प्रमुख कारण पाकिस्तान द्वारा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों से कश्मीर को लेकर किया जा रहा दुष्प्रचार है। यह मुद्दा इतना ज्यादा विवादित और महत्वपूर्ण है कि इस विवाद ने समूचे दक्षिण एशिया महाद्वीप के साथ-साथ वैश्विक शांति व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न कर दिया है। महाशक्तियों के निहित स्वार्थ और दक्षिण एशिया के भू-राजनीतिक महत्त्व ने इस क्षेत्र के कूटनीतिक समीकरणों को पूरी तरह से बदल दिया है। आज समूचा दक्षिण एशिया बारूद की ढेर पर बैठा हुआ है। दोनों राष्ट्रों द्वारा अपनी सेना और हथियार खरीद में व्यापक वृद्धि की जा रही है, जिसके परिणाम स्वरुप इनके द्वारा अपने कुल जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा सेना और आयुध खरीद पर खर्च किया जा रहा है जिससे लोक कल्याण के कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में आए परिवर्तन और चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर (सीपेक) के कारण भारत-पाकिस्तान के मध्य तनाव और भी बढ़ गया है, जिसका कारण सीपेक का विवादित कश्मीर से होकर गुजरना है। भारत-पाकिस्तान के मध्य के विवाद ने संपूर्ण दक्षिण एशिया में शीत युद्ध की स्थिति को जन्म दे दिया है।

बीज शब्द –

जम्मू-कश्मीर, चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर (सीपेक), दक्षिण चीन सागर, द्विराष्ट्र सिद्धांत, भू-राजनीति।

द्विराष्ट्र सिद्धांत: पाकिस्तान निर्माण की प्रस्तावना –

पाकिस्तान के विचार का सर्वप्रथम कभी और राजनैतिक चिंता मोहम्मद इकबाल को माना जाता है। **मोहम्मद इकबाल** द्वारा 1930 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इलाहाबाद सम्मेलन में मुस्लिम राज्य के गठन को लेकर अपने विचार व्यक्त किए गए थे, उनके द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया गया कि भारत में सांप्रदायिक समस्या काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और इस सांप्रदायिक समस्या का केवल एक ही इस स्थायी उपाय है और वह यह है कि पंजाब बलूचिस्तान, उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्त और सिंध को मिलाकर एक पृथक राज्य बना दिया जाए, जहाँ मुसलमानों को अपनी संस्कृति और परंपरा को उसके पूर्ण रूप में विकसित करने का अधिकार होगा। पाकिस्तान देश को उसका नाम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र रहमत अली द्वारा दिया गया, उनका यह स्पष्ट मानना था कि पंजाब उत्तर पश्चिमी सीमा प्रान्त बलूचिस्तान सिंध और कश्मीर को मिलाकर मुसलमानों के एक पृथक राष्ट्र का निर्माण किया जाएगा जिसका नाम पाकिस्तान होगा।

पाकिस्तान शब्द का निर्माण पंजाब, उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्त, कश्मीर, सिंध प्रांत, के प्रथम चार तथा बलोचिस्तान प्रांत के अंतिम अक्षर स्तान को मिलाकर बनाया गया है। उनके द्वारा कहा गया – "हमारा धर्म, संस्कृति, इतिहास, परंपराएं, साहित्य, आर्थिक प्रणाली, दया के कानून, उत्तराधिकार और विवाह हिंदुओं से मूलता भिन्न है। ये भिन्नताएं मुख्यतः मूल सिद्धांतों में ही नहीं अपितु छोटे छोटे भोरे में भी भिन्न है और विराम हम मुसलमान और हिंदू आपस में बैठकर खाते नहीं और विवाह नहीं करते। हमारी रीतियाँ या पंचांग यहाँ तक कि खाना और पहनावा सभी भिन्न है"। कुछ इसी प्रकार का विचार **मोहम्मद अली जिन्ना** द्वारा 12 मार्च 1940 के लाहौर अधिवेशन में व्यक्त किया गया था कि – "हिंदू और मुसलमान पृथक सामाजिक व्यवस्था है तथा कभी भी दोनों मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते हैं जिसका प्रमुख कारण इनके रीतिरिवाज धार्मिक दर्शन और साहित्य की भिन्नता है। ऐसी दोनों जातियों जिसमें से एक बहुसंख्यक हो तथा दूसरी अल्पसंख्यक हो तो इससे असंतोष बढ़ेगा और राष्ट्र नष्ट हो जाएगा"।

वास्तव में पाकिस्तान मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक नीतियों तथा तत्कालीन राजनैतिक नेतृत्व की स्वार्थ व महत्वाकांक्षा का परिणाम था। लीग का मानना था

कि एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण किया जाये जिसके भौगोलिक रूप से सभी क्षेत्र निकटता से संबंधित हों तथा जनसंख्या के हिसाब से उसमें इस प्रकार आवश्यक परिवर्तन किए जाएं कि वहाँ मुसलमान बहुसंख्यक हो जाए। हिंदू और मुसलमानों में सांप्रदायिक तनाव का बढ़ना तथा मुस्लिमों द्वारा अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग के पीछे लीग के नेताओं का राजनीतिक स्वार्थ और सांप्रदायिक चरित्र था, जिसने ब्रिटिश सरकार और कांग्रेसी नेतृत्व को विभाजन स्वीकार करने को बाध्य किया।

राजनैतिक नेतृत्व भले ही विभाजन को स्वीकार कर लें परन्तु दोनों देशों की जनता इस निर्णय को शीघ्रता से स्वीकार नहीं कर पायी, जो हमेशा से एक दूसरे के साथ रहते आए हो जिसे हम राममनोहर लोहिया जी के शब्दों में स्पष्ट कर सकते हैं –

राम मनोहर लोहिया के अनुसार- "जनता से जनता का एक विशेष प्रकार का रिश्ता भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा बना रहा है। के कारण आबादी से कुछ अंशों में विश्वास के संबंध में काफी अनावश्यक परेशानी उठानी पड़ी है, मौलिक अर्थ में, पाकिस्तान के हिंदू भारत के प्रति कम से कम उतने ही वफादार है जितने अपने देश के। उसी तरह भारत के मुसलमान भी पाकिस्तान के प्रति कम से कम उतने ही वफादार है, जितने अपने देश के। सरकारी रिश्तों के बढ़ने घटने के बावजूद सीमित मैत्री की यह बुनियादी भावना सदा जीवित रही है"।

कश्मीर विवाद (अगस्त 2019 के बाद) –

पाकिस्तान द्वारा विभाजन के बाद से ही भारत के पीठ में खंजर घोपने का कार्य किया गया जब उसके द्वारा कश्मीर पर कबाइली हमला किया गया। पाकिस्तान में कायदे आजम नाम से मशहूर मोहम्मद अली जिन्ना को पूर्ण विश्वास था कि जम्मू कश्मीर की मुस्लिम बहुल जनसंख्या को देखते हुए जम्मू कश्मीर के शासक महाराजा हरी सिंह जम्मू कश्मीर का विलय पाकिस्तान में करेंगे। जब जिन्ना की उम्मीद पूरी नहीं हुई तो पाकिस्तान द्वारा अक्तूबर, 1947 में भारत पर कबाइली हमला कर दिया गया। हालांकि पाकिस्तान को अपने मकसद में सफलता प्राप्त नहीं हुई परन्तु कुछ क्षेत्र पर पाकिस्तान का कब्जा हो गया। पाकिस्तान कश्मीर को विभाजन का अपूर्ण कार्य कहता है तथा यह तर्क देता है कि मुश्लिम बहुल जनसँख्या होने के कारण उसका विलय पाकिस्तान में होना चाहिए। इसके जवाब में सरदार वल्लभभाई पटेल के कथन को उद्घृत किया जा सकता है।

सरदार वल्लभ भाई पटेल के अनुसार – "कुछ लोगों का मानना है कि मुश्लिम बहुमत वाला इलाका हर हालत में पाकिस्तान में होना चाहिए। वे इस बात पर हैरान हैं कि कश्मीर भारत में क्यों है? इसका उत्तर बहुत सरल एवं स्पष्ट है। हम कश्मीर में इसलिए हैं कि कश्मीर के लोग हमें वहां चाहते हैं"।

भारत इस से पहले कश्मीर मुददे का समाधान अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और समुदाय की मध्यस्थता के माध्यम से करने का समर्थक रहा है। अपने इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु तत्कालीन भारतीय नेतृत्व पाकिस्तान द्वारा कब्जे में ली गई भूमि को खाली करवाने हेतु 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ मे गया था। भारत द्वारा कश्मीर में जनमत संग्रह की बात इस शर्त पर स्वीकार की गयी थी कि पाकिस्तान द्वारा भी अपने कब्जे वाले कश्मीर से अपनी संपूर्ण सेना को हटा लेगा परन्तु पाकिस्तान द्वारा विवादित क्षेत्र से अपनी सेना को नहीं हटाया गया इसलिए भारत भी कश्मीर में जनमत संग्रह कराने के अपने वचन पर बाध्य नहीं है। आज भारत द्वारा जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र बहाली के साथ-साथ समूचे जम्मू कश्मीर क्षेत्र के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है तथा जो भी पाकिस्तान समर्थित तत्व या आतंकवादी कश्मीर में अव्यवस्था फैलाने का कार्य कर रहा है उनके खिलाफ़ लगातार सेना द्वारा ऑपरेशन ऑलआउट चलाया जा रहा है ताकि समूचे जम्मू-कश्मीर क्षेत्र को आतंकवाद रहित क्षेत्र बनाया जा सके।

पाकिस्तान द्वारा लगातार अंतरराष्ट्रीय मंचों से जम्मू कश्मीर को लेकर आवाज उठाई जा रही है तथा इस मुददे को अंतरराष्ट्रीय समुदाय के समक्ष भारत विरोधी दृष्टिकोण के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। उसके द्वारा कश्मीर समस्या को आत्मनिर्णय से जोड़कर अंतरराष्ट्रीय समुदाय के समक्ष पेश किया जा रहा है तथा भारत को कश्मीर की स्वतंत्रता का हरण करने वाले अत्याचारी के रूप में दिखाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान स्वयं को मुस्लिमों का सबसे बड़ा देश बताता है परंतु उसे यह समझना चाहिए कि भारत सांप्रदायिक राष्ट्र की बजाय पंथनिरपेक्ष राष्ट्र है जहाँ सभी धर्मों को समान अधिकार प्राप्त है।

5 अगस्त, 2019 को भारत सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद-370 को समाप्त कर दिया गया, जिसके द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य बाकी राज्यों से अपनी विशेष स्थिति रखता था। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद-35ए जिसके द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य के अपने स्थायी निवासी को परिभाषित करने का विशेषाधिकार दिया गया था, को निरस्त कर दिया गया। कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित कर दिया गया, जिसमे पहला लद्दाख और दूसरा जम्मू-कश्मीर हैं।

हाल में जारी मानवाधिकार से संबंधित रिपोर्ट में या दावा किया गया है कि अनुच्छेद-370 की समाप्ति के बाद भी कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित घटनाओं में कमी नहीं आयी है और न ही आतंकवादी घटनाओं में ही कमी देखने को मिली है। जम्मू-कश्मीर में ही एक वर्ग विशेष द्वारा इस निर्णय का विरोध किया जा रहा है। ऐसी उम्मीद की जाती है कि सरकार द्वारा उठाए गए यह महत्वपूर्ण कदम भविष्य में सकारात्मक परिणाम देंगे।

भारत पाकिस्तान संबंध: परमाणु युग –

भारत और पाकिस्तान दोनों ही राष्ट्र परमाणु शक्ति संपन्न हैं परंतु परमाणु शक्ति के उपयोग को लेकर दोनों देशों के मध्य में महत्वपूर्ण अंतर देखने को मिलता है। जहाँ भारत परमाणु तकनीक का प्रयोग अपनी ऊर्जा संबंधी जरूरतों को

पूरा करने तथा शांतिपूर्ण उपयोग की बात को दोहराता रहा है तो वहीं पाकिस्तान परमाणु तकनीक का विकास भारत के विरुद्ध करने की सोच रखता है। भारत और पाकिस्तान के परमाणु तकनीक विकसित कर लेने के बाद संबंधों में आए परिवर्तन को जानने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि आखिर भारत द्वारा परमाणु परीक्षण किए जाने के समय कौन से तात्कालिक कारण पृष्ठभूमि में कार्य कर रहे थे, जिसके कारण भारत को परमाणु परीक्षण करना आवश्यक हो गया। भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के रूप में स्वयं को विकसित करने के पीछे निम्नलिखित तत्कालिक कारण उत्तरदायी थे –

1) शीत युद्ध के समय महाशक्तियों के आपसी टकराव के कारण निरंतर खराब होते सुरक्षा वातावरण ने भारत को परमाणु क्षमता प्राप्त की ओर उन्मुख किया।
2) उस समय अंतर्राष्ट्रीय महाशक्तियों द्वारा विभिन्न प्रकार की संधि/समझौतो को संपन्न किया गया, जिनका एकमात्र उद्देश्य स्वतंत्र हो रहे विकासशील देशों की अंतरिक्ष और परमाणु तकनीक के विकास पर रोक लगाना था। अतः भारत को अपनी क्षमता को विकसित करने के लिए परमाणु तकनीक का सहारा लेना पड़ा।
3) उस समय एक नई प्रकार की अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था जन्म ले रही थी जिसमें महाशक्तियों तथा कुछ गिने चुने देशों का परमाणु अस्त्र-शस्त्र और तकनीक पर वर्चस्व कायम हो जाता। अतः भारत इस पक्षपातपूर्ण नई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के विरुद्ध था।
4) नव स्वतंत्र भारत की स्वतंत्रता के बाद से ही कई बार उसकी सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो चुका था। अतः एक दीर्घकालीन रक्षा उपाय एवं भयादोहन (डिटरेंस) हेतु परमाणु क्षमता की प्राप्ति आवश्यक हो गयी थी।
5) भारत द्वारा उस समय की अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का गहनता से अवलोकन करने पर पाया गया कि जब परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों पर कोई अंतरराष्ट्रीय दबाव या प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाती है तो वे उसका डटकर मुकाबला करते थे जबकि परमाणु शस्त्र विहीन राष्ट्र उन प्रतिबंधों को सहस्त्र स्वीकार कर लेते थे। इसलिए भारत द्वारा परमाणु शक्ति विकसित करने का निर्णय लिया गया।

परंपरागत रूप से सभी यह स्वीकार करते हैं कि भारत द्वारा अपने परमाणु परीक्षण करने के बाद पाकिस्तान द्वारा अपनी परमाणु क्षमता का विकास किया गया परंतु यह तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। 1971 में भारत के हाथों मिली करारी शिकस्त तथा पूर्वी पाकिस्तान के स्वतंत्र बांग्लादेश बनने के कारण अयूब खान मंत्रिमंडल में मंत्री रहे जुल्फिकार अली भुट्टो के परमाणु कार्यक्रम को बल मिला। अतः तथ्यात्मक रूप से भारत के 1974 के परमाणु विस्फोट के 2 साल पहले ही पाकिस्तान यह निर्णय ले चुका था कि उसके पास परमाणु क्षमता होनी चाहिए।

वर्तमान मोदी सरकार द्वारा परमाणु अस्त्रों को लेकर अपनी रणनीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है तथा यह स्वीकार किया कि यदि किसी भी बाहरी शक्ति द्वारा भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को हानि पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा तो भारत परमाणु अस्त्र का प्रयोग करने से भी नहीं गुरेज करेगा। आज भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र है। भारत द्वारा 11 मई और 13 मई 1998 को अपना परमाणु विस्फोट राजस्थान के पोखरण में किया गया तथा उसके बाद कुछ ही दिन बाद पाकिस्तान द्वारा 28 और 30 मई 1998 को चगाई-1 तथा चगाई-2 नाम से अपने परमाणु विस्फोट कर शक्ति प्राप्त कर ली गई। इससे यह स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान द्वारा पहले से अपने परमाणु कार्यक्रम से संबंधित सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी क्योंकि भारत के विस्फोट करने के एक माह से भी कम समय में पाकिस्तान द्वारा परमाणु विस्फोट करना आश्चर्य की बात है।

भारत पाकिस्तान संबंध: दक्षिण एशिया में नया शीत युद्ध –

आज जिस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के मध्य संबंध चल रहे हैं उसने संपूर्ण दक्षिण एशिया को बारूद के ढेर पर बैठा दिया है तथा दक्षिण एशिया में एक नए प्रकार का शीत युद्ध शुरू हो गया है जो कभी भी एक पूर्ण युद्ध के रूप में परिवर्तित हो सकता है। पाकिस्तान के राजनीतिक नेतृत्व पर जिस प्रकार से सेना की दखल बढ़ती जा रही है उसे देखते हुए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि छुटपुट सीमा पार की आतंकी घटनाएं कभी भी बड़ा रूप ले सकती है। आज पूरी दुनिया पाकिस्तान को आतंकवाद के पोषणकर्ता देश के रूप में जानती है तथा भारत समेत पूरी दुनिया को डर है कि कहीं ये हथियार गलत हाथों में न चले जाए। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की सुरक्षा समूचे दक्षिण एशिया के लिए चिंता का विषय है।

एशिया में बदलती भू-राजनीतिक परिस्थितियों के कारण यहाँ महाशक्तियों की रुचि बढ़ती ही जा रही है, महाशक्तियों की बढ़ती रुचि ने दक्षिण एशिया में भारत-पाकिस्तान संबंधों में एक नए समीकरण को जन्म दिया है। पहले पाकिस्तान को अमेरिकी संरक्षण प्राप्त था फिर चाहे वह आधुनिक सैन्य उपकरणों के क्षेत्र में हो या आर्थिक सहायता के परंतु जब से चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर का निर्माण प्रारंभ हुआ है तब से अमेरिका और पाकिस्तान की मध्य दूरियां बढ़ने लगी है। यदि भारत की बात करें तो कांग्रेस के शासन काल में भारत और रूस के संबंध काफी निकट थे परंतु 2014 के बाद से जब से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से भारत और अमेरिकी संबंध में काफी सकारात्मकता देखने को मिल रही है। अमेरिका और पाकिस्तान के मध्य दूरी बढ़ने का एक कारण पाकिस्तान की चीन से निकटता है और चीन से अमेरिका का दक्षिणी चीन सागर को लेकर विवाद चल रहा है। अमेरिका की भारत से निकटता कारण अमेरिका के लिए दक्षिण चीन सागर के मुद्दों पर चीन को काउंटर करने का एक सहयोगी की आवश्यकता है जो कि भारत के रुप में पूरी हुई।

अतः दक्षिण एशिया में भारत-पाकिस्तान जैसे चिर प्रतिद्वंद्वियों के बीच महाशक्तियों की उपस्थिति ने समूचे एशिया महाद्वीप और खासकर दक्षिण एशिया को एक नए

शीत युद्ध की ओर ढकेल दिया है। इस नए प्रकार के शीत युद्ध ने भारत-पाकिस्तान के बीच टकराव की संभावना को बढ़ा दिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे अधिक विवाद जम्मू कश्मीर को लेकर है, जब पाकिस्तान सैन्य बल से कश्मीर पर अधिकार नहीं कर सका तो वह आत्मनिर्णय और मानवाधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाकर कश्मीर की स्वतंत्रता की मांग अनेक अंतरराष्ट्रीय मंचों से कर रहा है। पाकिस्तान की इन्हीं हरकतों ने दक्षिण एशिया में शीत युद्ध जैसा माहौल बना दिया है।

भारत पाकिस्तान संबंध और आतंकवाद –

समूचे विश्व में यदि आतंकवाद से सबसे ज्यादा कोई देश पीड़ित है तो वह भारत है। आज भारत द्वारा अनेक अंतरराष्ट्रीय मंचों से आतंक के पनाहगार और पोषक के रूप में पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब कर दिया है। आज कई आतंकी संगठनों ने पाकिस्तान में अपने लांचपैड बना रखे है जिसके द्वारा अब तक भारत में पाकिस्तान पोषित आतंकवादी संगठनों द्वारा अनेक प्रकार की आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया है, जिससे भारत को व्यापक जनहानि और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। भारत में पाकिस्तान की तरफ से अंजाम दी गई कुछ प्रमुख आतंकी घटनाएं निम्नलिखित है –

26/11 आतंकी हमला, मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट (12 मार्च 1993), अक्षरधाम मंदिर पर हमला (24 सितंबर 2002), दिल्ली सीरियल बम विस्फोट (29 अक्तूबर 2005), मुंबई रेल विस्फोट (11 जुलाई 2006), जयपुर बम विस्फोट (13 मई 2008), भारतीय संसद पर हमला (13 दिसंबर 2001), पठानकोट आतंकी हमला (जनवरी 2016), पुलवामा हमला (14 फरवरी 2019), आदि।

पाकिस्तान यह बात अच्छी तरह जानता है कि वह भारत को युद्ध भूमि में सैन्य शक्ति के बल पर नहीं हरा सकता है। अतः उसके द्वारा भारत के विरुद्ध आतंकवाद का सहारा लिया जाता रहा है। पाकिस्तान की सेना आतंकियों की सबसे बड़ी मददगार है जो आतंकवादियों को भारत में अशांति फैलाने के लिए हथियार और आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह सोचकर आतंकियों को सीमापार आतंक फैलाने के लिए भेजा जाता है कि भारत के कश्मीरी मुसलमान इन आतंकियों की सहायता करेंगे जिससे उन्हें भारत में अपनी पैठ जमाने में आसानी होगी।

आतंकवाद पर अभी हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस द्वारा **सीआरएस (कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस)** द्वारा आतंकी संगठनों की सूची जारी की गई है जिसमें पाकिस्तान द्वारा बना दिया जाता रहा है इसमें कुल आतंकी संगठन है जिससे भारत पर हमले की चाह रखने वाले पांच आतंकी संगठन भी शामिल है। पाकिस्तान में पनाह लिए इन आतंकियों की सूची निम्नलिखित है –

वैश्विक उन्मुख उग्रवादी

1) अलकायदा

भारतीय उपमहाद्वीप में अलकायदा

2) भारतीय उपमहाद्वीप में अलकायदा
3) इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत

अफगानिस्तान उन्मुख उग्रवादी

1) अफगान तालिबान
2) हक्कानी नेटवर्क

भारत और कश्मीर उन्मुख उग्रवादी

1) लश्कर-ए-तैयबा
2) जैश-ए-मोहम्मद
3) हरकत-उल-जिहाद इस्लामी
4) हरकत-उल-मुजाहिद्दीन
5) हिज्बुल मुजाहिद्दीन

घरेलु उन्मुख उग्रवादी

1) तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान
2) बलूचिस्तान लिब्रेशन आर्मी
3) जैश-अल-अदल

शिया विरोधी उग्रवादी

1) सिपाह-ए-सहाबा पाकिस्तान
2) लश्कर-ए- झांगवी

वर्तमान समय में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पाकिस्तान प्रयोजित आतंकवाद पर सख्त रुख अख्तियार करते हुए पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि भारत अब पाकिस्तान की ओर से हुए किसी भी आतंकवादी हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा, इसी के चलते भारतीय सेना द्वारा 29 दिसंबर 2016 को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकवादी लांचपैड को नष्ट कर दिया गया। भारत द्वारा अब तक रक्षात्मक रणनीति अपनाया जा रहा था। भारत को यह डर था कि कहीं दोनों देशों के मध्य तनाव बढ़ने से परमाणु युद्ध न शुरू हो जाए परंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने का निर्णय लिया तथा पाकिस्तान को यह स्पष्ट संदेश दिया कि आतंकवाद और बातचीत साथ-साथ नहीं चल सकते, जिसके कारण भारत और पाकिस्तान के मध्य वर्तमान समय में सभी प्रकार के संबंध स्थगित कर दिए गए हैं, जिनके फिलहाल शुरू होने की संभावना केवल पाकिस्तान के आतंकवाद से अलगाव पर निर्भर करेगी।

भारत-पाकिस्तान संबंध सुधार हेतु प्रयास एवं सुझाव –

भारत पाकिस्तान के मध्य अब तक कई बार युद्ध हो चूके हैं जिसमें 1948, 1965, 1971, 1999 प्रमुख युद्ध हैं। 1971 का युद्ध जिसमें पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान से अलग हो गया तथा आज उसे हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं जो एक संप्रभु राष्ट्र है। पाकिस्तान इस प्रकार हुए अपने विभाजन को बर्दाश्त नहीं कर पाया तथा भारत के विरुद्ध इस्लामिक जिहाद और आतंकवाद को प्रश्रय देना प्रारंभ कर दिया। भारत और पाकिस्तान के मध्य सबसे ज्यादा विवादित क्षेत्र कश्मीर हैं जो दोनों राष्ट्रों के मध्य

संबंधों में सबसे बड़ा बाधक है। पाकिस्तान आज भी जम्मू-कश्मीर को अपना अपूर्ण विभाजन मानता है।

भारत और पाकिस्तान के मध्य संबंधों के सुधार में सबसे बड़ी बाधा पाकिस्तान की सेना है। कहने के लिए पाकिस्तान में लोकतंत्र है परन्तु वहाँ का राजनैतिक नेतृत्व अपने निर्णय में स्वतंत्र नहीं है, पाकिस्तान की सरकार का कोई भी निर्णय वहाँ की सेना द्वारा प्रभावित होता है, जिससे भारत और पाकिस्तान के मध्य शांति के समस्त प्रयास विफल रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा कश्मीर मुद्दा सुलझाने का प्रयास किया गया था, जिसका पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ द्वारा स्वागत भी किया गया। जिसके बाद फरवरी, 1999 में भारत और पाकिस्तान के मध्य लाहौर समझौते पर हस्ताक्षर हुए परन्तु इस समझौते पत्र में कश्मीर विवाद के सुलझाने के तरीके को लेकर तत्कालीन पाकिस्तानी सेना के जनरल परवेज मुशर्रफ़ द्वारा नवाज शरीफ का तख्तापलट कर उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया तथा मार्शल लॉ स्थापित कर दिया।

भारत पाकिस्तान संबंधों में सुधार आज समय की आवश्यकता है। दोनों ही शक्ति संपन्न राष्ट्र है तथा किसी भी एक राष्ट्र द्वारा किया गया परमाणु हमला समूचे विश्व को प्रभावित करेगा, जिससे एक नया तृतीय विश्व युद्ध शुरू होने की आशंका है जिसका प्रमुख कारण इस क्षेत्र में महाशक्तियों की उपस्थिति और निहित भू-राजनीतिक स्वार्थ है। भारत पाकिस्तान संबंधों में सुधार हेतु अब तक निम्नलिखित राजनीतिक प्रयास किए जा चुके हैं –

1. नेहरू-लियाकत समझौता (1950)
2. ताशकंद घोषणा (10 जनवरी, 1966)
3. शिमला समझौत (1972)
4. लाहौर घोषणा (21 फरवरी,1999)
5. आगरा शिखर सम्मेलन (2001)

सुझाव –

भारत और पाकिस्तान के मध्य संबंधों के सुधार हेतु निवृति सुझाव दिए जा सकते हैं-

1. दोनों देशों को उनके बीच हुए सभी समझौतो को कड़ाई से लागू करना होगा।
2. दोनों देशों के मध्य के सभी विवादों का हल द्विपक्षीय रूप से करना होगा तथा पाकिस्तान को कश्मीर मामले का अंतरराष्ट्रीयकरण करने से बचना होगा।
3. भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों को एक दूसरे के देशों में अपने उच्चायुक्तों की बहाली का पुनः प्रयास करना होगा।
4. दोनों ही देशों को 2019 में सुरक्षा को दृष्टि में रखते हुए निलंबित किए गए व्यापारिक संबंधों को पुनः बहाल करना होगा।
5. पाकिस्तान को भारत के विरुद्ध किसी प्रकार के आतंकवादी गुटों को संरक्षण देने से बचना होगा।
6. दोनों देशों के मध्य सांस्कृतिक और क्रिकेट संबंधों को पुनः बहाल करना होगा।
7. दोनों देशों को एक दूसरे के विरुद्ध किए जाने वाले दुष्प्रचार को तत्काल प्रभाव से रोकना होगा।

निष्कर्ष –

भारत पाकिस्तान को अपने संबंधों में सुधार हेतु जो द्विपक्षीय संवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना होगा। भारत द्वारा पाकिस्तान से संबंध सुधार हेतु हर बार पहल करते हुए इस दिशा में प्रयास किए गए परंतु प्रत्येक बार पाकिस्तान द्वारा भारत की पीठ में खंजर घोंपने का कार्य किया गया है तथा भारत के विश्वास को तोड़ा गया है। पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध आतंकी संगठनों को प्रश्रय दिया जाता है,जिसके चलते वर्तमान मोदी सरकार द्वारा पाकिस्तान को यह स्पष्ट संदेश दिया गया है कि आतंकवाद और बातचीत दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान को अपने देश में लोकतंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है तथा राजनैतिक नेतृत्व और संस्थानों पर सेना के हस्तक्षेप को रोके जाने की आवश्यकता है। जब भी भारत और पाकिस्तान के मध्य संबंधों के सुधार की दिशा में कोई भी कदम बढ़ाया गया है तभी पाकिस्तानी सेना द्वारा उसमें हस्तक्षेप करके उसे असफल करने का प्रयास किया गया है।

पाकिस्तान को भारत के साथ अपने विवादित मुद्दों को अंतरराष्ट्रीय मंचों से उठा ना बंद करना होगा। इन विवादित मुद्दों का अंतरराष्ट्रीयकरण करने से इसमें महाशक्तियों के शामिल होने की पूरी संभावना रहेंगी जिससे वैश्विक टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी क्योंकि दोनों ही देश परमाणु अस्त्र संपन्न देश है अतः इसके परिणाम काफी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। आज के इस वैश्वीकरण के युग में पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है तथा एक देश में घटित किसी भी घटना का प्रभाव दूसरे देश पर पड़ता है। भारत और पाकिस्तान के मध्य उत्पन्न किसी भी विवाद का प्रभाव समूचे विश्व पर पड़ेगा। इसलिए दोनों देशों को अपने संबंधों के निर्धारण को लेकर सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। पाकिस्तान की सेना और दोनों देशों के राजनीतिक नेतृत्व निजी स्वार्थवश दोनों देशों के मध्य विवाद को जीवित रखना चाहते हैं। अतः भारत और पाकिस्तान दोनों को शांति स्थापना हेतु पुनः प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

सन्दर्भ ग्रंथ –

1) अम्बेडकर, भीमराव, (2019),"पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन", डॉ० अम्बेडकर प्रतिष्ठान (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार), नई दिल्ली, खंड-15 (दसवां संस्करण), पृ० सं०- 5, 383, 385

2) एडेनी, कथरीन, (2007),"फ़ेडरलिस्ट एंड एथनिक कॉनफ्लिकट रेगुलेशन इन इंडिया एंड पाकिस्तान", पल्ग्रावे मैकमिलन, यूएसए, पृ० सं०- 144, 145

3) ओल्लापल्ले, दीपा एम०, (2008),"दि पॉलिटिक्स ऑफ एक्सट्रीमिस्म इन साउथ एशिया", कैंब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यूयॉर्क, पृ० सं०- 86, 87

4) "कश्मीर दि ट्रू स्टोरी", एक्सटर्नल पब्लिसिटी डिवीज़न, मिनिस्ट्री ऑफ़ एक्सटर्नल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया, पृ० सं०- 2

5) कालाहन, विलियम, (2016),"चाइना एशिया ड्रीम: दि बेल्ट रोड इनिशिएटिव एंड दी रीजनल आर्डर", एशियन जर्नल ऑफ़ कम्पेरेटिव पॉलिटिक्स (सेज), पृ० सं०- 6, 11 https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/2057891116647806?journalCode=acpa (Retrieved on 08/03/2023)

6) कुकरेजा, वीणा, (2020),"इंडियन इन दि इमर्जेंट मल्टीपोलर वर्ल्ड आर्डर: डायनामिक्स एंड स्ट्रेटेजिक चैलेंजेज", सेज जर्नल (इंडिया क्वार्टरली), पृ० सं०- 10 https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0974928419901187 (Retrieved on 11/03/2023)

7) खान, यास्मीन, (2017),"दि ग्रेट पार्टीशन: दि मेकिंग ऑफ़ इंडिया एंड पाकिस्तान", येल यूनिवर्सिटी प्रेस, लन्दन, पृ० सं०- 31, 33

8) "टेररिस्ट एंड अदर मिलिटेंट ग्रुपस इन पाकिस्तान",(2022), कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस, यूएसए https://crsreports.congress.gov|IF11934 (Retrieved on 03/03/2023)

9) दीक्षित, जे० एन०, (2018),"भारत-पाक सम्बन्ध: युद्ध और शांति में", प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, पृ० सं०- 9,130 ,383

10) दीक्षित, जे० एन०, (2021),"भारतीय विदेश नीति", प्रभात एग्जाम, नई दिल्ली, पृ० सं०- 257

11) पन्त, हर्ष वी०, (2017),"दि चैलेंजिंग जिओपॉलिटिक्स ऑफ़ दी पोर्ट एट चाबहार", दि डिप्लोमेट https://thediplomat.com/2017/12/the-challenging-geopolitics-of-the-port-at-chabahar/ (Retrieved on 11/03/2023)

12) पाई, नितिन, कोल्स्थाने, प्रणय, (2018),"लेसंस फॉर इंडिया फ्रॉम दी रिफ्ट इन यूएस पाकिस्तान रिलेशन", दि डिप्लोमेट https://thediplomat.com/2018/01/lessons-for-india-from-the-rift-in-us-pakistan-relations/ (Retrieved on 13/03/2023)

13) मिश्रा, आशुतोष, (2010),"इंडिया–पाकिस्तान कमिंग टू टर्म", पल्ग्रावे मैकमिलन, न्यूयॉर्क, पृ० सं०- 5, 10

14) लोहिया, राममनोहर, (2022),"भारत विभाजन के गुनहगार", लोकभारती प्रकाशन, प्रयागराज, अट्ठहरहंवा संस्करण, पृ० सं०- 49, 70

15) सिंह, जसवंत, (2012),"जिन्नाह इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस", रूपा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृ० सं०- 317, 344

16) हुसैन, एजाज़, (2019),"इंडिया-पाकिस्तान रिलेशन: चैलेंज एंड ऑपरचुनिटी", जर्नल ऑफ़ एशियन सिक्यूरिटी एंड इंटरनेशनल अफेयर्स (सेज), पृ० सं०- 84 https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2347797018823964 (Retrieved on 11/03/2023)

'Journal of Research & Development'
A Multidisciplinary International Level Referred and Peer Reviewed Journal,
Impact Factor-7.265, ISSN: 2230-9578, April 2023, Volume-15 Issue-10

तथागत गौतम बुद्ध आणि धम्म

डॉ. कल्याणी नाना शेजवळ

मराठी विभाग, अंबिकाबाई जाधव महिला महाविद्यालय, वज्रेश्वरी तालुका. भिवंडी जिल्हा. ठाणे

Corresponding author- डॉ. कल्याणी नाना शेजवळ

DOI- 10.5281/zenodo.7943839

बौद्ध धम्माचा उदय ही मौर्य पूर्व काळातील महत्त्वाची घटना होय. हा धर्म प्राचीन असून, गौतम बुद्ध त्याचे संस्थापक आहे. शाक्य देशाच्या श्रीमंत राजाच्या पोटी सिद्धार्थ गौतम बुद्धांचा जन्म लिंबूनि येथे झाला. जन्मानंतर काही दिवसातच माता महामाया यांच निधन झाले . गौतम बुद्धांची मावशी गौतमी यांनी त्यांचा सांभाळ केला. त्यानंतर 'गौतम' हे नावच लोकमानसात रुजले गेले. पत्नी यशोधरा आणि मुलगा राहुल लहान असताना, इतकं राजेशाही जगणं गौतम बुद्धाकडे असताना त्यांनी गृहत्याग का केला? हा आजही विचार करायला लावणारा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे. गौतम बुद्धाने गृहत्याग का केला? याविषयी अनेक मतमतांतरे आहे. त्यामध्ये एक वाक्यता नाही. "ललितविस्तार, जातकनिदा कथा, अशा काहीशा अर्वाचीन कथा भागानुसार 'छन्न' नावाच्या आपल्या सारथ्यासोबत नगरात फिरत असताना सिद्धार्थास एक आजारी व्यक्ती, एक वृद्ध व्यक्ती, एक मृत व्यक्ती व एक संन्यासी पाहिला. या संसारातील दुःख व संन्यासातील शांती सूचित करणारे या चार गोष्टीच्या दर्शनाने सिद्धार्थ गौतम आणि रात्रीच कोणताही निरोप न घेता गृहत्याग केला. ' '1

कीर्ती पाटील 'बौद्ध धर्मजिज्ञासा' या ग्रंथात या मतांना दुजोरा देताना म्हणतात, सिद्धार्थ सर्व विद्यांमध्ये पारंगत होऊन 29 वर्षे वयाचा होईपर्यंत त्यास कोणत्याही रोग्याचे, वृद्धाचा, न प्रेताचे दर्शन घडले नाही. ही पारंपारिक गोष्ट बुद्धीसंगत आणि तर्कसंगत वाटत नाही. "2 तर, 'तिपिटकातील अत्तदण्डसुता' नुसार मात्र डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 'भगवान बुद्ध आणि त्यांचा धम्म' या पुस्तकात जो संदर्भ दिला तो योग्य वाटतो. सिद्धार्थ गौतमाचे राज्य म्हणजे शाकयांचे राज्य व शेजारी असलेले कोलियांचे राज्य यांच्यात रोहिणी नदीच्या पाण्याबाबत वाद निर्माण झाला. हा प्रश्न वाटाघाटीने सोडवावा असे सिद्धार्थाचे मत होते. तथापि शाक्य संघाचे बहुमत युद्ध करावे म्हणजे संघर्ष करावा असेच होते. संघाचे म्हणणे सिद्धार्थास मान्य नसल्यामुळे, त्यांना संघ सोडून व आपले राज्य सोडून द्यावे लागेल, व तसे करताना जगातील संघर्षाचा व दुःखाच्या कारणाचे मूळ शोधून काढण्यास संन्यासदीक्षा ग्रहण केली. "3 वरील माहितीतून मात्र निश्चित होते, शोधक विचारातूनच आणि मानवी जीवन आणि जगण्याच्या शोधार्थ सिद्धार्थने गृहत्याग केला.

गौतम बुद्धांच्या केंद्रस्थानी माणूस होता. उच्च-निचता, भेदभाव बुद्धाला मान्य नव्हती. त्यांनी मानवाला समतेचा संदेश दिला. विषमता दूर करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी अंधश्रद्धेवर विश्वास ठेवला नाही, प्रत्येक गोष्ट विज्ञानाच्या कसोटीला लावून पाहिली. ते विज्ञाननिष्ठ तत्व आपल्या आचारा विचारांमध्ये आणि प्रचारांमध्ये अनुसरले. पुढे आपल्या धम्माच्या प्रचार प्रचार आणि प्रसारासाठी निघालेल्या भिक्षूंना देखील हे तत्व अंगिकारण्यास सांगितले. मानवी जीवनाची दुःख निर्माण होण्याची मूळ कारण हे इच्छा आणि अपेक्षा आहे. त्यातून मुक्ती मिळाल्याखेरीज मानवी जीवन सत्यतेच्या आणि वास्तवतेच्या पातळीवरती उतरू शकत नाही, हे त्यांनी आपल्या तत्त्वज्ञानातून मांडले. मानवाच्या व्यापक आणि व्यामिश्र जीवनातील चढ-उतार, जे दुःख निर्माण करतात, त्या दुःख निवारणाचे काम त्यांनी आपल्या धम्मातून दिले.

मानवी जीवन नश्वर आणि क्षणभंगुर आहे. मानवी मन, आचार, विचार, कृती, सदाचार, निष्ठा, भावना, तत्त्वज्ञान शुद्ध असेल तर, त्याचे जीवन आणि जगणे हे पवित्र ठरते. त्यासाठी बुद्ध, धम्म, संघ या तत्त्वत्रयीचा वापर जगण्यात आणि अचारणात करणे योग्य ठरते. स्वार्थ, अहंकार, लोभ, चोरी, नशा मानवाला स्वच्छंदी जगू देत नाही. मानवी मूल्याची जोपासना करणे अतिशय महत्त्वाचे असते. म्हणूनच बुद्धांनी मानवी मूल्याचा पुरस्कार केला. मानवाच्या कल्याणासाठी गौतम बुद्धांनी बौद्ध धम्माची स्थापना केली. बौद्ध धर्म हा मानवाला मुक्तीच्या आणि विकासाच्या दिशेने येणार आहे. बौद्ध धम्म हा जगातील महत्त्वाचा धम्म मानला गेला आहे. बौद्ध धर्म हा परिवर्तनशील धर्म आहे. धम्म हा पाली भाषेतला शब्द असून संस्कृतमध्ये धम्माला धर्म असा शब्द वापरला गेला आहे. त्यांनी सांगितलेली आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, पंचशीलतत्व हे त्यांच्या तत्त्वज्ञानाचे सार आहेत. म्हणूनच

बुद्ध हे नाव नाही. हे प्रज्ञावंत बुद्धिवंत ज्ञानाच द्योतक आहे. गौतम बुद्धांना खूप मोठ्या त्यागातून, चिंतनातून, ध्यानस्थ मंथनातून त्यांना मानवी जगण्याची अनेक संदर्भ, कोडे उलगडले. म्हणून त्यांना बुद्धीवंत, प्रज्ञावंत, कुलवंत आणि तथागत संबोधले गेले आहे. ज्या वृक्षाखाली त्यांना ज्ञानप्राप्ती झाली, जीवनाचे सम्यक दर्शन झाले, त्याला बोधी वृक्ष असे म्हटले जाते. जगाला त्यांनी दिलेला 'भवतु सब मंगलम' हा धम्माचा संदेश मानवाच्या कल्याणासाठी आहे.

भगवान बुद्धाच्या धम्माची सुरुवातीला जरी, ठराविक लोकांनीच धम्माची दीक्षा घेतली, तरीही हळूहळू प्रचार प्रसार झाल्यानंतर अनेक जाती धर्मातील लोक हे बौद्ध धम्माची दीक्षा घेऊ लागले. जगभर अनेक राजांनी बौद्ध धम्माची दीक्षा घेतली. उदाहरणार्थ कौडीन्य, यश, कास्यबंधू राजा बिबिंसार, राजा सम्राट अशोक, राजा कनिष्क, राजा प्रसन्नजीत, जीविका, रट्ठपाल, सारीपुत्र, मोगलाल, श्रावस्तीतील ब्राह्मण, सुमित नावाचा भंगी, सोपाक, अस्पृश्य जमातीचा मुलगा सुमंगल, प्रबुद्ध, अंगुलीमाला..... इत्यादी अनेक नावे आपल्याला धम्माची दीक्षा घेतलेली मिळू शकतात.

सुरुवातीला बौद्ध धर्मात स्त्रियांना प्रवेश नव्हता. परंतु जेव्हा गौतमीने या धर्मात येण्यास इच्छा व्यक्त केली, त्यावेळी गौतम बुद्धांनी काही संभाव्य गोष्टी जमेस धरून नकार दर्शविला. मात्र गौतमी आणि तिच्या सोबतच्या पाचशे स्त्रिया प्रवज्येस परवानगी मागतात, त्यावेळी आनंद सोबत चर्चा करून, काही नियम बंधनकारक करून प्रवज्येस परवानगी दिली. बुद्धकालीन वातावरण आणि स्त्रियांची परिस्थितीबाबत वर्णन करताना डॉ. सुरेखा सावंत लिहितात," गौतम बुद्धाच्या काळात वैदिक धर्म अस्तित्वात होता. जुन्या रुढी परंपरा यांचा पगडा होता. सामान्य जनता कर्मकांड, यज्ञयाग यामध्ये अडकली होती. त्या व्यवस्थेत स्त्रियांना गौण, दुय्यम स्थान होते. जीवन परावलंबी होते. अशा परिस्थितीत भगवान बुद्धांनी स्त्रियांना संघात प्रवेश दिला. स्त्रीने आपल्या उन्नतीचा मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न करणे, म्हणजे स्वतंत्र होणे. हे त्या काळच्या समाजाला मान्य नव्हते, म्हणून त्याच्या उन्नतीच्या मार्गात अडथळे आणायचे जेणेकरून ते परावृत्त होईल. भगवान बुद्धांनी दिलेल्या संधीचा योग्य उपयोग त्या काळात स्त्रियांनी करून घेतला."4 पृ.४७

" बुद्ध पूर्व काळात स्त्रियांना पुरुषाच्या बरोबरीने स्थान नव्हते. वैदिक धर्माने तिला तात्विक अधिष्ठान प्राप्त करून दिले. बुद्धाने समाजामध्ये समान दर्जा मिळून देण्याचा प्रयत्न केला. त्याचा परिणाम म्हणजे समाजातील सांस्कृतिक आर्थिक स्तरावरील स्त्रिया बुद्धाच्या विचाराने चालणाऱ्या, अनेक चळवळी सुद्धा बुद्धकालीन स्त्री मार्गदर्शक ठरू शकते. बुद्धकालीन स्त्रीने नैतिक मूल्यांची जपणूक करून प्रेम, सहकार्य मैत्री, सदभाव, दया, क्षमा, शांती, त्याग या गोष्टी तत्वतः जीवनाशी जोडले. बौद्ध तत्त्वज्ञानाचा पाया या देशात मजबूत केला. "5 बौद्ध धर्मात थेरी सुलभा, पूर्णका, गौतमी, आम्रपाली यांचे काम जितके महत्त्वपूर्ण आहे, तितकेच बौद्ध धर्मात उपासिकांचे कार्य महत्त्वपूर्ण आहे उदाहरणार्थ सुजाता, सेनानी, विशाखा, मिगारमाता, खुज्जत्तरा, सामावती, सूचिरया, कांतियांनी, उत्तरा, नंदमाता, सुपवासा, कोलिय, दुहिता..... इत्यादी नावे आजही बौद्ध धर्म प्रसार प्रचारात उल्लेखनीय ठरतात.

जगातील पहिली स्त्रीवादी काव्य कोणते? या प्रश्नाबाबत अनेक मतमतांतरे असली तरीही त्या संदर्भातले काही पुरावे 'थेरीगाथा' मध्ये सापडतात. "पहिले स्त्रीवादी काव्य म्हणजे बौद्ध स्त्रियांनी लिहिलेली थेरीगाथा होय. मात्र जगातील पहिली स्त्रीवादी काव्य म्हणून थेरीगाथेचा उल्लेख करावा लागतो. थेरी म्हणजे वृद्ध अनुभवी व ज्ञानी अशी स्त्री होय. बौद्ध साहित्यात ही संज्ञा आद्य भिक्षूनींना लावतात. थेरी गाथेत ७३ थेरींच्या ५२२ गाथांचा संग्रह आहे.सर्वच गाथांची शैली काव्यात्मक असून, त्यातील भावना अत्यंत उत्कट आहे. "6

" थेरीनी आपल्या गाथांमधून आपल्या दुःखाचे अभिव्यक्ती व्यक्त करताना सामाजिक मूल्यावर, प्रतिष्ठेच्या कल्पनांवर व पुरुषी कावेवाजपणावर भाष्य केले आहे. तसेच स्वतःच्या अज्ञानावर पण भाष्य केले. तया आपल्या दुःखात रडत बसत नाही, किंवा हाताश होत नाही तर दुःखद परिस्थितीतून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करतात. आपल्या दुःखाला आपला स्वभाव, कसा कारणीभूत आहे, त्याचा शोध घेताना दिसतात. सौंदर्य कसे क्षणभंगुर आहे की ज्यासाठी लोक आपल्याकडे येतात त्या सौंदर्यामुळे मिळणारी लोकप्रियता, प्रसिद्धी, पैसा हे क्षणभंगुर असल्याचे जेव्हा आम्रपाली या गणिकेच्या लक्षात येते, त्यानंतर तिचा पुनर्जन्म झालेला दिसतो. "7

" बौद्ध साहित्यात स्त्रियांना पुरुषाच्या बरोबरीने महत्त्व दिले आहे. बुद्धाने स्त्री आणि पुरुष या नैसर्गिक भेदाशिवाय दुसऱ्या भेद मांडला नाही. म्हणूनच अनेक भिक्षुंनी स्वतःला बुद्धकन्या म्हणून घेतात. इसवी सन पाचव्या शतका थेरीगाथेवर आचार्य बुद्धकोश यांनी लिहिलेल्या 'अष्टकथा परमात्यदियनी' नावाने उपलब्ध आहे. यात कोणत्या उद्देशाने, कोणत्या सामाजिक परिस्थितीत, प्रत्येक भिक्षुनेने बुद्ध धम्म व संघाचा आश्रय घेतला, त्याचे विस्तृत वर्णन यात केले आहे"8.

गौतम बुद्ध आणि त्यांचा धम्म, या धर्माचा प्रचार-प्रसार करणाऱ्या भिक्षुचे यांचे खूप मोठे योगदान या विश्वाला प्राप्त झालेले आहे . त्यासाठी बौद्ध धम्म, धर्मोपदेशकांनी पाली बोलीचा स्वीकार केला. बौद्ध धर्माचे केंद्र 'साकलनगरी' होती. तर पेशावर येथील सम्राट कनिष्ठ कनिष्काने बांधलेले विहार जगप्रसिद्ध आहे. 'महाविभाष' हा ग्रंथ बौद्ध धर्माचे तत्त्वज्ञान सांगणारा महत्त्वाचा ग्रंथ आहे ज्या काळात बौद्ध धर्माचा प्रसार झाला, त्या काळात बौद्ध धर्माला राज्यश्रेय मिळाला. सम्राट अशोक किंवा कनिष्क सारख्या राज्यांनी स्वतः बौद्धयात्रा सुरू केल्या होत्या, बौद्ध धर्माची शिकवण देण्यासाठी बौद्ध विहार, चैत्य, स्तूप उभारण्यात आले होते. दुःख म्हणजे काय दुःख निवारण्यासाठीचे परिवर्तन मानवी इच्छा अपेक्षा कशा कारणीभूत ठरतात. सामूहिक जीवन जगण्याचा आदेश आणि आपणच आपल्या जीवनाला मार्गदर्शक व्हा, ही दिलेली शिकवण जीवनाकडे आणि जगण्याकडे सकारात्मक दृष्टिकोन प्राप्त करून देते. प्रज्ञा, शील, करुणेचा संदेश दिला. पंचशील तत्वाचे आचरण करण्यास सांगितले. बौद्ध धर्माने संगती निर्माण केल्यामुळे चातुर्यवर्ण व्यवस्थेला हादरा बसला. पुरुषाप्रमाणे स्त्रिया देखील बौद्ध धर्माचा स्वीकार करत होत्या, थेरी म्हणून काम करू लागल्या.

" द बुद्ध अँड हिज धम्म' हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा ग्रंथ धम्माच्या पुर्नमांडणी संदर्भात महत्त्वाचा ठरतो. 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या लेखात, प्रदीप गोखले म्हणतात, डॉ. आंबेडकरांनी आदर्श धर्माची काही निकष वापरली ते असे होते, पहिला निकष असा की, आदर्श धर्माने कायद्याच्या आधारे नव्हे तर नीतीच्या आधारे समाजाची धारणा केली पाहिजे. दुसरा निकष असा की, आदर्श धर्म हा बुद्धीप्रामाण्याच्या निकषावर उतरणारा म्हणजे वैज्ञानिक दृष्टिकोनाशी सुसंगत असला पाहिजे.तिसरा महत्त्वाचा निकष असा की, आदर्श धर्माने स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या मूल्यांचा पुरस्कार केला पाहिजे, आणि चौथा निकष होता की, आदर्श धर्माने गरीबीचे उदातीकरण करता कामा नये. बौद्ध धर्म या सर्व निकषावर पुरेपूर उतरतो, असे आंबेडकरांचे प्रतिपादन होते आणि तो या निकषावर कसा उतरतो हे दाखविण्याचे कार्य त्यांनी बौद्ध धर्माच्या पुर्नमांडणी केले"9

'त्रिपिटीकात ज्या चार आर्य सत्तांचा उल्लेख आहे, ती धर्माची मुलाधार आहे.

१. दुःख - मानवी दुःखाची मूळसत्य आणि कामना, अपेक्षा आहे.

२. दुःख- समुदाय संघाचे केलेले आव्हान.

३. दुःख- निरोध दुःखाचे आकलन होणे.

४. दुःख निरोधकामी दुःखाचा परिहार करणे साहि वास्तव आणि ज्ञानाचा स्वीकार

आर्य अष्टांगिक मार्ग हे दुःखाचे निराकरण करणारे आहे.

बौद्ध धर्माच्या योगदानाबद्दल लिहिताना गोविंद्रचंद्र पांडे म्हणतात; बौद्ध धर्म के अभुदय मे तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितीयो का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है| वस्तुतः बौद्ध धर्म के उदय मे तत्कालीन राजा और राजनीतीने महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की, जिसका उल्लेख गोविंद चंद्र पांडेने 'बौद्ध धर्म के उदभव' मे किया है| ऋग्वैदिक काल मे आर्यो का राजनैतिक अधार 'जन' था| उत्तर वैदिक काल मे 'जनपद' का विकास हुआ तथा बौद्ध काल तक आते-आते छोटे छोटे जनपद को मिलाकर महाजनपदो का निर्माण हुआ| बौद्ध और जैन साहित्य मे हमेशा षोडश महाजनपदो का उल्लेख प्राप्त होत है|10

प्राचीन काल से बौद्ध समाज कि ये कुछ विशेषताये रही है|

१. बौद्ध समाज के सभी सदस्य परस्पर एक दुसरे को समान मानते रहे है|

२. बौद्ध समाज के सभी सदस्य को शिक्षा प्राप्त करने की समान स्वतंत्रता रही है|

३. बौद्ध समाज के सभी सदस्य को कोई भी पेशा कर सकने की स्वतंत्रता रही है|

४. बौद्ध समाज की स्त्रियों को पुरुषो के समान अधिकार रहे है|

संक्षेप मे ये कहना तो यही कह सकते है की बौद्ध समाज वर्णाश्रम धर्मरूपी बेडीयों से सर्वथा स्वतंत्र रहा है|11

तक्षशिला, नालंदासारखी विद्यापीठे स्थापन झाली. शिलालेख लेण्यांच्या कोरीव कामाला गती मिळाली.

बौद्ध धर्माचे पिढ्यानपिढ्याचा दस्ताऐवज शिल्प, मठ, स्तूप, विहार, स्तंभ लेणी रूपात, तुटलेल्या भग्न रूपात फुटलेल्या ढासळलेल्या स्वरूपात आजही अस्तित्वात आहे . त्यामुळे बौद्ध संस्कृतीचे वैशिष्ट्य आपणाला मौर्यकला, गांधारकला आणि मथुराकलांमधून दिसून येते. स्तुपासारखी स्थापत्यकला बौद्ध काळात विकसित झाली. तक्षशिला, अवदंतपुरी, नालंदा विद्यापीठात बौद्ध धर्माची तत्त्वज्ञान शिकवले गेल्यामुळे, अनेक ग्रंथांची निर्मिती झाली. परदेशातील अनेक लोक या कलांचा धर्मांचा अभ्यास आणि संशोधन करण्यासाठी या विद्यापीठात येऊ लागली. बौद्ध धर्माचे तत्त्वज्ञान सांगणारे अनेक ग्रंथ निर्माण झाले. बौद्ध वाङ्मय हे पाली बोलीत आहे. पालीचा बोली म्हणून त्या काळात वापर केला जात. बौद्ध वाङ्मयातून आपणाला त्या काळातील सामाजिक, राजकीय, धार्मिक पगडा स्थित्यंतरे झालेली मुस्लिम आक्रमणे लोकांना धर्मांधातून बाहेर काढण्यासाठी आणि बौद्ध धर्माचे महत्त्व आणि गोडी लागणारे अनेक संस्कृत त्या काळामध्ये निर्माण झाली. 'त्रिपिटीका' आणि 'महाविभाष' हे दोन ग्रंथ सुरुवातीचे ग्रंथ बौद्ध धर्मातील ज्ञान विज्ञान सांगणारे आहे, महाकवी अश्वघोष लिखित 'बुद्ध चरित्र' हा सुंदर ग्रंथ आहे. या ग्रंथामध्ये त्यांनी बुद्धाचे जीवन, तत्त्वज्ञान, चरित्र, त्याकाळची परिस्थिती, बुद्धांचा जन्म, निर्वाणाचा विचार, गृहत्याग, संन्यास, धम्माचा केलेला प्रचार- प्रसार, बुद्धाची वचने,सग तत्वे..... इत्यादींची माहिती आपणाला या ग्रंथामध्ये मिळते. या ग्रंथाप्रमाणे 'अंगूरतर' 'निकाय 'बुद्धचरित्र' 'सूत्रालंकार' 'जातक कथा' 'माध्यमिक सूत्र 'ललितविस्तार' 'अकोशावदन' 'मिलिंद पन्ना' 'धम्मपद' 'महावंश' 'सारीपुत्र प्रकरण' 'मंजुश्री प्रकरण' 'दिव्यावदान' 'शुल्यवंग' 'सत्यधर्म पुंडलिक' .....इत्यादी ग्रंथांची नव्याने पुनर्मुद्रांचा झाले तर जगाला नव्या विचाराने आणि डोळसपणे गौतम बुद्ध आणि त्याचा धम्म याचे सरस आकलन होईल.

१४ व्या शतकापर्यंत बौद्ध धर्माचा ऱ्हास होताना दिसतो. या ऱ्हासाला एकच एक कारण नाही तर अनेक कारणे घटना प्रसंग याला कारणीभूत " ईश्वर आणि आत्मा यांना नकार दिल्यामुळे, नास्तिकतेमुळे ब्राह्मणांकडे वळली. बौद्ध धर्माचे विभाजन होऊन त्यांच्या १४ शाखा निर्माण झाल्या, त्यापैकी हीनयान पंथियांचा बुद्धांच्या मूळ तत्त्वज्ञानावर विश्वास होता याउलट महायात संप्रदायात बुद्धालाच देव समजून त्याची पूजा करण्यावर भर दिला या धर्माच्या शाखांमध्ये द्वेष व वैमानस्य वाढत गेले परिणामी लोकांची बौद्ध धर्मावर श्रद्धा व भक्ती कमी झाली"12

कोठे आहे हे ग्रंथ ,लेण्या, शिल्प, विहार? कुठे गडप झाला हा पिढ्याने पिढ्यांचा दस्ताऐवज? संपूर्ण जग बौद्धमय असताना या धर्माचा ऱ्हास का होत गेला? याची कारणे अभ्यासली तर असे लक्षात येते की ,उत्तर वैदिक काळात या धर्माचे स्वरूप बदलत गेले ही हनयान आणि महायान या पंथामधील तत्त्व देखील बदलली मूर्ती पूजा, आत्मा, ईश्वराचा संकल्पनेतील फरकातून व्यक्ती माणसांच्या वृत्ती प्रवृत्ती मध्ये बदल झाला. विविध संप्रदायातील संघर्ष टोकाला गेले. बुद्ध धर्म समकालीन जैन धर्माकडे देखील आकर्षित झाला. लोकांचा दृष्टिकोन बदलला. बौद्ध धम्माचे विभाजन झाले. वैदिक आणि भागवत धर्माचा उदय झाला. संत भक्तीला स्थान प्राप्त झाले. धम्म संप्रदायातील काही लोकांनी हिंदू धर्मातील काही बाबी स्वीकारल्या. ज्याप्रमाणे सम्राट अशोकाने या धर्मास राज्यश्रेय दिला तितका राज्यस्त्रे पुढील काळात मिळाला नाही.(शुंग, गुप्त, वाकाटक, रजपूत.... इत्यादी) बौद्ध धर्माची व्यापक संकल्पना येण्यासाठी त्याचे पुनर्मुद्रण होणे अतिशय गरजेचे आहे

"बौद्ध काळात अस्तित्वात असलेल्या या गणराज्यात आणि महाजन पदांमध्ये इतर लहान लहान टोळी राज्यांमध्ये व कालांतराने सत्ता संघर्ष सुरू झाला. या संघर्षाला अनेक कारणे कारणीभूत ठरली 27 तार आणि प्रबळ राज्य निर्मितीची ईर्षा होतीच इतरही किरकोळ गोष्टी संघर्षाला कारणीभूत ठरत नदीचे पाणी आणि तसंबंधीचा पाणी वाटपाचा प्रश्नही संघर्ष निर्माण करी शासकीय आणि कोलीय यांच्यातील संघर्ष रोहिणी नदीच्या पाण्यावरून तीव्र बनला होता अशा रीतीने कुठे पाणी कुठे प्रश्न कुठे जनावरांचा प्रश्न असे उल्लेख तात्कालीन वाङ्मयात आढळतात"13

इसवीसन पूर्व दहाव्या शतकापासून बुद्ध धम्माच्या प्रसाराला अधोगती लागली. तुर्की राज्यांचे आक्रमण, मुस्लिम आक्रमणे हुणावीचे भारतावर झालेले आक्रमण देखील याच कारणीभूत ठरते. नालंदा आणि विक्रमशिला बौद्ध विहार जाळून टाकले. लेण्या स्तूप तोडण्यात आले. बौद्ध शिकवणी केंद्र उध्वस्त केले. अनेक बौद्ध धर्मग्रंथ जाळून टाकले. बौद्ध भिक्षुनवर हल्ले झाले. त्यामध्ये काही भिक्षु सैरभैर पळत सुटले, मंदिरे उध्वस्त केले. काही मंदिरांची तोडफोड केली. बौद्ध धर्मातील थेरींना उपासिकांना संघर्षाला सामोरे जावे लागले. बौद्ध भिक्षुच्या ठिकाणांची

जाळपोळ केल्यामुळे, काही बौद्ध भिक्षुनी भारताबाहेर पलायन केले.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी बौद्ध धर्माची घेतलेली दीक्षा ही बौद्ध धर्मातील सर्वात महत्त्वाची घटना म्हणावी लागेल. परंतु धम्माची दीक्षा घेतल्यानंतर काही दिवसातच डॉ. आंबेडकरांचे महानिर्वाण झाले. त्यामुळे ज्या नव्या विचाराने, तत्वाने, लोक एकसंघ झाले असते ते झाले नाही. विशिष्ट बैठक किंवा यंत्रणा राबवता आली नाही. धम्माचे अनुयायी किंवा बौद्ध धर्म स्वीकारण्याची संख्या वाढविता आली नाही. न कळतपणे या जलद गतीने या धर्माचा प्रचार आणि प्रसार होणे आवश्यक होते तो झाला नाही.

डॉ. आ.ह. साळुंखे सारखे समीक्षक आणि संशोधक तथागत बुद्ध आणि संत तुकाराम, यांचा नव्याने शोध घेताना दिसतात. लिखित स्वरूपात नवा दस्ताऐवज प्राप्त करून देतात कारण कोणतीही परंपरा, मूल्य पूर्णपणे कधीही नाश पावत नाही, पूर्णपणे काही नष्ट करत नाही, त्या जुन्यांमधूनच नवे काहीतरी तयार करत असते, सत्य आपल्याला नाकारता येणार नाही, म्हणून विद्यापीठांमधील संशोधन केंद्र, अनेक बौद्ध भिक्षु, अभ्यासक, संशोधक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन केंद्र, पाली विभाग, वसंत मनु, यशवंत मनोहर, अरुणा मेश्राम, लता छत्रे, कुमारी विद्यावती, कीर्ती पाटील आ.ह. साळुंखेंसारखी समीक्षक सण, उत्सव, पद्धती, परंपरा, वारी चातुर्मास.....इत्यादी सारखे अनेक संदर्भ बुद्धकाळाशी जोडताना दिसतात. आज या जागतिकीकरणात माणूस माणुसकीला पारखा झालेला आहे. मानवी मूल्यांची घसरण होत असताना, रोज भीतीच्या सावटाखाली आणि विशिष्ट दहशतीच्या वातावरणाखाली वावरणाऱ्या माणसाला आज नव्याने बुद्धाच्या तत्त्वज्ञानाचा, बुद्धांनी दिलेल्या अष्टांगिक मार्गांचा, पंचशिलतेचा, आर्य सत्यांचा स्वीकार करणे आवश्यक आहे. या देशाला युद्धाची नव्हे तर शांतीची गरज आहे.

संदर्भ ग्रंथ सूची

१) बौद्ध विचारधारा- संपादक महेश देवकर, प्रदीप गोखले, लता देवकर प्रकाशन (पाली विभाग) सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ पुणे, मार्च २०१६, पृ.१३

२) बौद्धधर्म जिज्ञासा- कीर्ती पाटील, प्रकाशक- विकास पाटील नागपूर ,द्वितीय आवृत्ती- २००५ पृ.४७

३) तत्रैव- पृ.४८

४) आंबेडकरी स्त्री साहित्य: काही विचार- उषा अंभोरे, धनसरी पब्लिकेशन प्रथमावृत्ती२०१६ ०६ डिसेंबर

५) बुद्धोततर कालीन भारतीय स्त्री- डॉ. प्रतिभा पाखिडे पृष्ठ.५८०

६) बौद्ध धर्मातील श्री विचार- लता दिलीप छत्रे सुगावा प्रकाशन सदाशिव पेठ पुणे प्रथमावृत्ती २००५ पृ.३४

७) तत्रैव-पृ.७७

८) बौद्ध धर्मातील स्त्री जीवन- डॉ.सुरेखा सावंत , हर्ष प्रकाशन वसई, प्रथमावृत्ती २००९ पृ. ७७

९) बौद्ध विचारधारा- संपादक महेश देवकर, प्रदीप गोखले, लता देवकर प्रकाशन (पाली विभाग) सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ पुणे, मार्च २०१६ पृ. १०७

१०) बौद्ध धर्म का विकास -डॉ- नंदकुमार मिश्रा प्रा.भा.इ.स. एवं पुरातत्व अध्ययनशाला जिवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर पृ.११ http;||www.jiwaji.edu>aihc [pdf]

११) भगवान बुद्ध उनका धर्म'- अनुवादक भदंत आनंद कौशल्यायन, बुद्धभूमी प्रकाशन नागपूर, प्रथम आवृत्ती पृ.१७

१२) प्राचीन भारताचा इतिहास व संस्कृती- डॉ.अनिल कठारे, डॉ. विजया साखरे,विद्या बुक्स पब्लिशर्स, औरंगाबाद प्रथमावृत्ती- २००८ पृ. २८६

१३) इतिहास प्राचीन व मध्ययुगीन भारत डॉ. हरिहर ठोसर व इतर नरेंद्र प्रकाशन, पुणे. प्रथम आवृत्ती१९९४ पुनर्मुद्रण१९९५ पृ.४८

'Journal of Research & Development'
A Multidisciplinary International Level Referred and Peer Reviewed Journal,
Impact Factor-7.265, ISSN: 2230-9578, April 2023, Volume-15 Issue-10

चलनविषय धोरणाचे अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम

प्रा. मनोहर नारायण मोरे

सहाय्यक प्राध्यापक , नूतन विद्या प्रसारक मंडळाचे कला,वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, लासलगांव

Corresponding author- प्रा. मनोहर नारायण मोरे

Email- manoharmorey@gmail.com

DOI- 10.5281/zenodo.7943841

प्रस्तावना :- चलन विषयक धोरण ही अशी पध्दत आहे कि ज्यामध्ये रिझर्व्हे बँकेची भूमिका ही अत्यंत महत्त्वाची आहे चलन विषयक धोरण मध्ये पैशाची उपलब्धता तसेच व्याज दर ठरविणे या प्रक्रियाचा संबंध यामध्ये येतो. चलन विषयक धोरण ठरविण्याचा अधिकार प्रामुख्याने रिझर्व्हे बँकेला आहे. चलन विषयक व्यवस्थापन हे भारतातील आर्थिक व्यवस्थापनातील एक महत्वाचे साधन मानले जाते . कारण भारतीय रिझर्व्हे बँक बँकामधील ठेवी आणि पैशाच्या पुरवठयावर नियंत्रण ठेवते भारतीय रिझर्व्हे बँकेचे पैशाचे पुरवठयाच्या नियंत्रणाचे धोरण म्हणजे चलनविषयक धोरण होय. चलनविषयक धोरणाचा परिणाम संपूर्ण देशाची अर्थव्यवस्थेवर होत असतो. म्हणून ते खूपच काळजीपूर्वक आखावे लागते.

उदिष्टे :-

1) चलनविषय धोरणाचे परिणाम संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर होतो म्हणून चलनविषयक धोरण काळजीपुर्वक ठरवावे .
2) चलनविषयक धोरण विकसनशील देशात महत्त्वाचे कार्ये करीत असते.
3) चलनविषयक धोरणाचा संबंध बँक व्यवसायाशी कशा पध्दतीने येतो ते ठरविण्याचे उदिष्टे
4) चलनविषयक धोरणांचे महत्वाचे उदिष्टे म्हणजे किंमतीत स्थिरता आणणे होय.
5) चलन विषयक धोरणांचे उदिष्टे म्हणजे आर्थिक वृध्दी साध्य करणे होय.

गृहितके:-

1) चलनविषयक धोरणाचा व अर्थव्यवस्थेचा परस्परसंबंध आहे.
2) चलनविषयक धोरणाचा व किंमतीत वाढ किंवा घट होण्याचा परस्परसंबंध आहे.

माहिती :-

चलनविषयक धोरण असे की ज्याच्याव्दारे देशाच्या मध्यवर्ती बँकेला केला जाणार वित्तपुरवठा त्यांचे नियंत्रण व नियमन केले जाते. चलन विषयक धोरणाचे महत्त्वाचे उदिष्ट म्हणजे देशातील किंमतीत स्थिरता आणणे हे असते तसेच देशाच्या चलनवाढीचे नियंत्रण करणे तसेच देशातील बॅक व्यवसाय पध्दती व्यवस्थीत करणे होय. तसेच देशातील आर्थिक वृध्दी साध्य करणे हे देखील चलनविषक धोरणाचे उदिष्टे असते. चलनविषयक धारेणाव्दारे पैशाची रचना,पैश्यांचा वाटप तसेच व्याजदरांची रचना यांचा देखील विचार या धोरणामध्ये केला जात असतो. तसेच भारतीय रिझर्व्हे बँकेने पतनियंत्रणासाठी जे काही उपाय केलेले आहेत त्यांमध्ये संख्यात्मक साधने जसे कि

1. बँक दर 2. रोख राखीव प्रमाण तसेच तरलता प्रमाण 3. रेपो दर

तसेच गुणात्मक साधने यामध्ये

1. पत नियमन 2. प्रत्यक्ष कृती 3. खात्रीशीर उपाय यांचा समावेश यामध्ये होत असतो.

चलनविषयक धोरण समितीचे महत्त्वाचे कार्ये म्हणजे भारतीय रिझर्व्हे बँकेचे ठरवून दिलेली जी चलनवाढ विषयक लक्ष्ये आहेत ती लक्ष्य प्राप्त करणे हे होय.

भारतीय चलनवाढीचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्हे बँक रेपो दरामध्ये देखील आवश्यकतेनुसार बदल करीत असते. चलनविषयक धोरण समिती व्दारे धोरणात्मक व्याजदराचे निश्चितीकरण केले जाते. या व्याजदराच्या साहय्याने चलनवाढीचे लक्ष्य प्राप्त करण्यासाठी ते महत्त्वपूर्ण कार्य करीत असते. आधुनिक अर्थव्यवस्था ही पत अर्थव्यवस्था असते. कारण आधुनिक अर्थव्यवस्थेत सर्व प्रकारे व्यावसायिक व्यवहार पूणे करण्यासाठी पतचलनाची भूमिका महत्त्वपूर्ण असते देशातील पतचलनाच्या नियंत्रणाचे एक महत्त्वाचे साधन म्हणून बँकदरांचे महत्त्व असते.

चलनविषयक धोरणांचे महत्त्व विकसनशील आणि विकसित देशांना आहे . कारण चलनविषयक धोरणाचा प्रत्यक्ष संबंध किंमतीशी येत असल्याने खरेदी विक्री वर त्यांचा परिणाम होतो म्हणून या धारेणाला विशेष महत्त्व आहे. व्यापक आर्थिक उदिष्टे साध्य करण्याच्या दृष्टीने चलनविषयकअत्यंत महत्त्वाचे वाटते.

निष्कर्ष:-

1) चलनविषयक धोरण हे एक नियामक धोरण असून त्याचा अर्थ व्यवस्थेवर परिणाम होतो.
2) चलनविषयक धोरणामुळे किंमतीवर परिणाम होतो.
3) चलनविषयक धोरण योग्य असेल तर त्याचे अर्थव्यवस्थेवर चांगला परिणाम होतो.
4) चलनवाढीवर नियंत्रण ठेवण्याचे एक महत्त्वाची पध्दत म्हणजे पैश्याच्या पुरवठयावर नियंत्रण ठेवणे होय.
5) चलनविषय धोरणाच्या साहय्याने व्याजदरावर नियंत्रण प्रस्थापित करता येते.

संदर्भ:-

1) चलनविषयक धोरण - प्राचार्य डॉ. बाबासाहेब सांगळे , प्राचार्य डॉ. तानाजी एन साळवे ,प्रा.मुलानी एम उमराव
2) चलनविषयक धोरण - डॉ. भास्कर एच. जगदाळे , डॉ. केवल टी. खैरनार , डॉ. राजेश पाटणे
3) रिझर्व्हे बँकेची वेबसाइट, यु -टयुब वरील माहिती.

'Journal of Research & Development'
A Multidisciplinary International Level Referred and Peer Reviewed Journal,
Impact Factor-7.265, ISSN: 2230-9578, April 2023, Volume-15 Issue-10

छत्तीसगढ़ राज्य के खनिज संसाधन एवं खनिज आधारित उद्योगों के चुनौतियों एवं संभावनाओं का अध्ययन

डॉ मनोज कुमार साहू

सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य), शासकीय जे.पी. वर्मा कला एवं वाणिज्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय,

बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

Corresponding author- डॉ मनोज कुमार साहू

Email: mksahu3101@gmail.com

DOI- 10.5281/zenodo.7943849

सार: छत्तीसगढ़, भारत के मध्य भाग में स्थित एक राज्य है, जो खनिज संसाधनों से समृद्ध है। राज्य में कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, बॉक्साइट और टिन जैसे विविध खनिज भंडारों वाला एक विशाल भूगर्भीय क्षेत्र है। हसदेव-मांड क्षेत्र में स्थित कोयले के अधिकांश भंडार के साथ, कोयला राज्य में पाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण खनिज है। छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बैलाडीला रेंज दुनिया के सबसे बड़े भंडारों में से एक है। चूना पत्थर के भंडार रायपुर और बिलासपुर जिलों में पाए जाते हैं, जबकि बॉक्साइट कवर्धा और सरगुजा जिलों में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, छत्तीसगढ़ टिन, हीरा, सोना और अन्य खनिजों के महत्वपूर्ण भंडार का भी घर है। राज्य के खनिज संसाधन इसकी अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता हैं और क्षेत्र के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रस्तुत अध्ययन छत्तीसगढ़ के खनिज संसाधनों, उनके वितरण और राज्य की अर्थव्यवस्था में उनके महत्व का अवलोकन प्रदान करने का एक प्रयास है। यह पेपर अपने खनिज संसाधनों के सतत प्रबंधन में राज्य के सामने आने वाली चुनौतियों एवं संभावनाओं पर भी प्रकाश डालता है।

कीवर्ड: छत्तीसगढ़, खनिज संसाधन, कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, बॉक्साइट, टिन, सतत विकास।

परिचय: छत्तीसगढ़ समृद्ध खनिज संसाधनों से संपन्न है जिसमें राज्य के आर्थिक विकास को गति देने की क्षमता है। राज्य कोयले, लौह अयस्क, चूना पत्थर, बॉक्साइट, टिन और अन्य खनिजों के महत्वपूर्ण भंडार का घर है। राज्य के खनिज संसाधन स्थानीय आबादी के लिए राजस्व सृजन और रोजगार का स्रोत रहे हैं। खनन और खनिज प्रसंस्करण उद्योग राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

छत्तीसगढ़ में खनिजों के बारे में साहित्य समीक्षा

इस साहित्य समीक्षा में छत्तीसगढ़ में खनिजों पर किए गए कुछ प्रमुख अध्ययनों और शोधों के निष्कर्ष को पता किया गया ।

कोयला: छत्तीसगढ़ भारत के सबसे बड़े कोयला उत्पादक राज्यों में से एक है, जहां कोरबा, रायगढ़ और सरगुजा जिलों में कोयले का बड़ा भंडार है। मोहंती एट अल द्वारा एक अध्ययन (2017) ने छत्तीसगढ़ में हसदेव-अरंद कोयला क्षेत्र से कोयले की गुणवत्ता और विशेषताओं का विश्लेषण किया। लौह अयस्क: बैलाडीला और दल्ली-राजहरा क्षेत्रों में भंडार के साथ छत्तीसगढ़ लौह अयस्क का एक प्रमुख उत्पादक भी है। पांडे एट अल द्वारा एक अध्ययन. (2016) ने बैलाडिला में लौह अयस्क की खनिज और भू-रासायनिक विशेषताओं का विश्लेषण किया। अध्ययन में पाया गया कि लौह अयस्क में उच्च लौह सामग्री और कम अशुद्धता थी, जो उन्हें इस्पात उत्पादन के लिए उपयुक्त बनाती है। चूना पत्थर: चूना पत्थर छत्तीसगढ़ में पाया जाने वाला एक अन्य महत्वपूर्ण खनिज है, जिसका रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग जिलों में जमा है। तिवारी एट अल द्वारा एक अध्ययन. (2015) ने रायपुर जिले में चूना पत्थर की गुणवत्ता और विशेषताओं का विश्लेषण किया। अध्ययन में पाया गया कि चूना पत्थर में उच्च कैल्शियम सामग्री और कम अशुद्धता थी, जो इसे सीमेंट उत्पादन के लिए उपयुक्त बनाती है।

बॉक्साइट: मैनपाट और सरगुजा जिलों में जमा होने के साथ छत्तीसगढ़ भी बॉक्साइट का एक महत्वपूर्ण उत्पादक है। दास एट अल द्वारा एक अध्ययन. (2017) ने मैनपाट में बॉक्साइट जमा के भू-रसायन और खनिज विज्ञान का विश्लेषण किया। अध्ययन में पाया गया कि बॉक्साइट में उच्च एल्यूमिना सामग्री और कम अशुद्धियाँ थीं, जो इसे एल्यूमीनियम उत्पादन के लिए उपयुक्त बनाती हैं।

टिन: छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में टिन के भंडार पाए जाते हैं। रॉय एट अल द्वारा एक अध्ययन. (2014) ने बस्तर में टिन के निक्षेपों के खनिज विज्ञान और भू-रसायन विज्ञान का विश्लेषण किया। अध्ययन में पाया गया कि टिन जमा ग्रेनाइट चट्टानों से जुड़े थे और उनमें टिन की मात्रा अधिक थी, जिससे वे टिन उत्पादन के लिए उपयुक्त थे।

इस साहित्य समीक्षा में जिन अध्ययनों की समीक्षा की गई है, वे विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए उनकी उपयुक्तता को उजागर करते हुए, इन खनिजों की गुणवत्ता और विशेषताओं में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।

कार्यप्रणाली:

अध्ययन विभिन्न स्रोतों जैसे सरकारी रिपोर्ट, शोध पत्र और ऑनलाइन डेटाबेस से एकत्र किए गए द्वितीयक डेटा पर आधारित है। तालिका और चार्ट जैसे वर्णनात्मक आंकड़ों का उपयोग करके डेटा का विश्लेषण और प्रस्तुत किया गया था।

परिणाम:

अध्ययन में पाया गया कि छत्तीसगढ़ में कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, बॉक्साइट, टिन और अन्य खनिजों का महत्वपूर्ण भंडार है। कोयला राज्य में पाया जाने वाला सबसे प्रचुर खनिज है, जिसके विशाल भंडार कोरबा और हसदेव अरंड क्षेत्रों में स्थित हैं। बस्तर जिले की पहाड़ियों की बैलाडीला श्रेणी में लौह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं। राज्य चूना पत्थर के महत्वपूर्ण भंडार का भी घर है, जिसका मुख्य रूप से सीमेंट उद्योग में उपयोग किया जाता है। राज्य चूना पत्थर के महत्वपूर्ण भंडार का भी घर है, जिसका मुख्य रूप से सीमेंट उद्योग में उपयोग किया जाता है। बॉक्साइट और टिन के भंडार क्रमशः सरगुजा और बस्तर जिलों में पाए जाते हैं।

छत्तीसगढ़ में खनिजों के उत्पादन का अवलोकन

छत्तीसगढ़ भारत में एक खनिज समृद्ध राज्य है और कोयले, लौह अयस्क, चूना पत्थर, बॉक्साइट और अन्य खनिजों के विशाल भंडार के लिए जाना जाता है। राज्य कई प्रमुख खनिज भंडारों का घर है, और इस क्षेत्र में खनन एक महत्वपूर्ण उद्योग है। यहाँ छत्तीसगढ़ में खनिजों के भण्डार एवं उत्पादन का एक सिंहावलोकन है:

सारणी क्र.1: प्रमुख खनिजों के भण्डार

क्र	खनिज का नाम	इकाई	देश में कुल भण्डार	छत्तीसगढ़ में कुल भण्डार	देश में छ.ग.का प्रतिशत
1	कोयला	मिलियन टन	344021	69432	20.18
2	लौह अयस्क	मिलियन टन	22487	4858	21.60
3	चूना पत्थर	मिलियन टन	203225	10805	5.31
4	डोलोमाइट	मिलियन टन	8415	918	11.00
5	बॉक्साइट	मिलियन टन	3897	174	4.46
6	टिन अयस्क	मिलियन टन	83.72	29.80	35.60
7	हीरा	मिलियन कैरेट	31.84	1.3	4.10
8	स्वर्ण	टन	655	5.5	0.84

स्त्रोत: इंडियन मिनरल बुक 2020 के अनुसार

कोयला: छत्तीसगढ़ में भारत के कोयले भण्डार का 20.18% भाग विद्यमान है ।छत्तीसगढ़ भारत में कोयले का प्रमुख उत्पादक है । रायगढ़, कोरबा, कोरिया,सरगुजा ,बलरामपुर और सूरजपुर जिलों में स्थित प्रमुख भंडार के साथ राज्य में विशाल कोयला भंडार हैं।

लौह अयस्क: राज्य में देश के 21.60% लौह अयस्क के निक्षेप हैं । छत्तीसगढ़ लौह अयस्क का भी एक प्रमुख उत्पादक है। राज्य में प्रमुख लौह अयस्क भंडार दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर,बालोद,कवर्धा और नारायणपुर जिलों में स्थित हैं।

छत्तीसगढ़ शासन खनिज साधन विभाग के प्रशासकीय प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार, छत्तीसगढ़ ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में लगभग 41.313 मिलियन टन, वित्तीय वर्ष 2020-21 में लगभग 37.707 मिलियन टन , वित्तीय वर्ष 2019-20 में 34.724 मिलियन टन वित्तीय वर्ष 2018-19 में 34.945 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन किया।

चूना पत्थर: राज्य में देश के 5.31% चूना पत्थर का महत्वपूर्ण भंडार है, जिसका उपयोग सीमेंट के उत्पादन के लिए किया जाता है। चूना पत्थर के प्रमुख भंडार रायपुर,बिलासपुर,दुर्ग,रायपुर,बलौदाबाजार,बेमेतरा,बस्तर, जांजगीर और रायगढ़ जिलों में पाए जाते हैं।

बॉक्साइट: राज्य में देश के 4.46 % बॉक्साइट का महत्वपूर्ण भंडार है । छत्तीसगढ़ बॉक्साइट का एक प्रमुख उत्पादक है, जिसका प्रमुख भंडार बलरामपुर ,कबीरधाम,कोंडागांव,कांकेर,जशपुर और सरगुजा जिलों में स्थित है। बॉक्साइट का उपयोग एल्यूमीनियम के उत्पादन के लिए किया जाता है। यहाँ बालको,हिंडाल्को और सी एम् डी सी के द्वारा बॉक्साइट का उत्पादन किया जा रहा है ।

टिन अयस्क: छत्तीसगढ़ में देश के टिन अयस्क भण्डार का 35.60% भाग भंडारित है । टिन के प्रमुख भंडार दंतेवाड़ा और सुकमा जिलों में पाए जाते हैं। देश के टिन का शत प्रतिशत उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है ।

डोलोमाइट: देश के 11 % डोलोमाइट अयस्क भण्डार छत्तीसगढ़ में प्राप्त होते हैं । राज्य के रायपुर , दुर्ग, बिलासपुर, जांजगीर और रायगढ़ जिलों में यह खनिज विद्यमान हैं।

हीरा: देश के 4.10 % हीरे के भण्डार छत्तीसगढ़ में प्राप्त होते हैं । गरियाबंद जिले के मैनपुर क्षेत्र में हीरे की उपस्थिति वाले किम्बरलाइट पाइप मिले हैं ।

अन्य खनिज: राज्य अन्य खनिजों जैसे क्वार्टजाइट, ग्रेफाइट,मैगनीज,स्वर्ण धातु,फ्लो राईट और कोरंडम के महत्वपूर्ण भंडार का भी घर है। हालांकि, इन खनिजों का उत्पादन कोयले, लौह अयस्क और चूना पत्थर की तुलना में तुलनात्मक रूप से कम है।

सारणी क्र.2:खनिजों की उत्पादन मात्रा- खनिज वार (मात्रा लाख टन में)

वित्तीय वर्ष	कोयला	लौह अयस्क	चूना पत्थर	बॉक्साइट	टिन अयस्क (कि.ग्रा.)	गौण खनिज
2018-19	1618.93	349.45	424.11	15.32	21211	272.53
2019-20	1574.64	347.24	426.99	15.66	15546	210.39
2020-21	1574.77	377.07	355.77	7.20	13673	316.49
2021-22	1541.20	413.13	418.88	9.68	26383	308.52
2022-23 (नव.2022 तक)	896.96	110.21	138.42	2.84	34880	176.90

स्त्रोत: छत्तीसगढ़ खनिज साधन विभाग,विभागीय प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022-23

कुल मिलाकर, खनन छत्तीसगढ़ में एक महत्वपूर्ण उद्योग है, और राज्य के खनिजों का विशाल भंडार भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। हालांकि, खनन उद्योग को इसके पर्यावरणीय प्रभाव और स्थानीय समुदायों पर इसके प्रभावों के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है।

छत्तीसगढ़ में खनिज आधारित उद्योग

छत्तीसगढ़ खनिज संसाधनों के मामले में भारत के अग्रणी राज्यों में से एक है, और राज्य में एक समृद्ध और विविध खनिज आधार है।परिणामतः, छत्तीसगढ़ में एक समृद्ध खनिज आधारित उद्योग है।

यहाँ कुछ प्रमुख खनिज आधारित उद्योग हैं:

इस्पात उद्योग:

छत्तीसगढ़ भारत में इस्पात का प्रमुख उत्पादक है, और राज्य कई इस्पात संयंत्रों का घर है। छत्तीसगढ़ में प्रमुख इस्पात संयंत्र भिलाई स्टील प्लांट हैं, जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) का प्रमुख संयंत्र है और 85 अन्य छोटे बड़े स्टील प्लांट है।यहाँ रायगढ़ जिले में एकीकृत इस्पात संयत्र जिंदल स्टील एंड पॉवर लि ,नलवा स्टील प्लांट, मोंनेट(जे एस डब्लू) स्टील एंड एनर्जी लि तथा जांजगीर जिले में प्रकाश स्पंज आयरन प्लांट और रायपुर-दुर्ग जिले में कई मिनी स्टील प्लांट कार्यरत हैं।

भिलाई इस्पात संयंत्र : यह 1955 में स्थापित किया गया था और इसे भारत के सबसे बड़े एकीकृत इस्पात संयंत्रों में से एक माना जाता है। संयंत्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 7.5 मिलियन टन स्टील है और यह रेल, प्लेट, स्ट्रक्चरल और वायर रॉड सहित उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला का उत्पादन करता है।

जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड :एकीकृत स्टील प्लांट निजी क्षेत्र का रायगढ़ स्थित जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड (JSPL) है। संयंत्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 3.6 मिलियन टन स्टील है।

प्रकाश स्पंज आयरन प्लांट चाम्पा: प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड के स्वामित्व में चाम्पा के पास अत्याधुनिक स्टील प्लांट है । संयंत्र की उत्पादन क्षमता स्टील मेल्टिंग की 0.55 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) ,स्पंज आयरन की उत्पादन क्षमता 0.4 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) है। यह बार, रॉड, वायर और स्ट्रक्चरल स्टील सहित स्टील उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला का उत्पादन करता है।

मोनेट इस्पात & एनर्जी लि (जे एस डब्लू इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स लि) स्टील प्लांट:

मोनेट इस्पात एंड एनर्जी प्लांट भारत में छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिले में स्थित एक बड़ा एकीकृत स्टील और पावर प्लांट है। यह संयंत्र मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड के स्वामित्व में थी, अब 2020 से जे एस डब्लू इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स लि हो गई है। इसकी सालाना उत्पादन क्षमता 1.5 मिलियन टन स्टील है।

नलवा स्टील एंड पावर लिमिटेड: कंपनी का छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक स्टील प्लांट है, जिसकी क्षमता सालाना 1.6 मिलियन टन स्टील का उत्पादन करने की है। संयंत्र मुख्य रूप से टीएमटी बार, वायर रॉड और राउंड जैसे लंबे स्टील उत्पादों का उत्पादन करता है।

सीमेंट उद्योग:

छत्तीसगढ़ राज्य में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के सीमेंट प्लांट स्थापित किये गये हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित कई सीमेंट संयंत्रों के साथ, भारत में सीमेंट का एक प्रमुख उत्पादक भी है। छत्तीसगढ़ में प्रथम सीमेंट प्लांट एसो शिएटेड सीमेंट कंपनी (ACC) द्वारा दुर्ग जिले के जामुल में 1965 में स्थापित की गई थी। छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक क्षेत्र के सीमेंट कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया(CCI) के दो सीमेंट प्लांट रायपुर जिले के मांडर तथा जांजगीर जिले के अकलतरा में स्थापित किये गये,पर अभी वहां उत्पादन बंद है। छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग के कुछ प्रमुख खिलाड़ी निजी क्षेत्र में अंबुजा सीमेंट्स, लाफार्ज इंडिया, अल्ट्राटेक सीमेंट और सेंचुरी सीमेंट,श्री सीमेंट,नोविको विस्ताज और ग्रासिम सीमेंट हैं। मुख्यतः बलौदाबाजार ,रायपुर और दुर्ग जिलों में उद्योग समृद्ध है।

बलौदाबाजार जिले के सीमेंट प्लांट:

अम्बुजा सीमेंट-रावन

अल्ट्रा टेक सीमेंट –रावन(पूर्व में ग्रासिम सीमेंट)

लाफार्ज इंडिया प्रा. लि.-सोनाडीह

अल्ट्रा टेक सीमेंट-हिरमी

श्री सीमेंट कं – खपराडीह,शिमगा

इमामी सीमेंट लि.- रिसदा (नोविको विस्ताज प्रा लि. द्वारा अधिगृहित)

रायपुर जिले के सीमेंट प्लांट:

अल्ट्रा टेक सीमेंट – बैकुंठ(पूर्व में बिरला सेंचुरी सीमेंट)

सीमेंट कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया(CCI)- मांडर (उत्पादन बंद)

जांजगीर जिले के सीमेंट प्लांट:

सीमेंट कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया(CCI)- अकलतरा (उत्पादन बंद)

लाफार्ज इंडिया प्रा. लि.-गोपाल नगर, आरसमेटा

दुर्ग जिले के सीमेंट प्लांट:

एसो शिएटेड सीमेंट कंपनी (ACC) –जामुल

जे के लक्ष्मी सीमेंट – अहिवारा

एल्युमिनियम उद्योग: छत्तीसगढ़ में प्रचुर मात्रा में बॉक्साइट के भंडार हैं, जो एल्युमिनियम के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाला प्राथमिक कच्चा माल है। बाल्को (भारत एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड) एल्यूमीनियम संयंत्र राज्य में कोरबा में हैं। बाल्को: भारत एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (BALCO) सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के रूप में 1965 में छत्तीसगढ़ के कोरबा पर स्थापित की गई । अब सन 2001 से भारत एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (बाल्को) सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र की एक संयुक्त एल्युमीनियम कंपनी है, जिसका 51% स्वामित्व वेदांता लिमिटेड की स्टर लाइ कंपनी तथा 49% स्वामित्व भारत सरकार के पास है। इसका एल्यूमीनियम स्मेल्टर कोरबा, छत्तीसगढ़ में स्थित है और इसकी क्षमता 5.90,000 टन प्रति वर्ष है। बालको एल्युमीनियम प्लांट को कोरबा जिले, सरगुजा जिले के मैनपाट तथा कबीर धाम जिले से बॉक्साइट आपूर्ति होती है। बालको के विनिवेश के बाद तीसरा बड़ा विस्तार कर उत्पादन को दोगुना बनाया जाने की योजना है ।बालको में वायर-रोड्स,इन्गोट्स,रोल्ड प्रोडक्ट्स इत्यादि तैयार होते हैं।

बिजली उद्योग: छत्तीसगढ़ भारत में बिजली का एक प्रमुख उत्पादक भी है, राज्य में बड़ी संख्या में थर्मल पावर प्लांट स्थित हैं। छत्तीसगढ़ में कुछ प्रमुख बिजली उत्पादन संयंत्र हैं:

कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट - यह भारत के NTPC द्वारा संचालित बड़े कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में से एक है, जो कोरबा जिले में स्थित है। इसकी कुल स्थापित क्षमता 2,600 मेगावाट है।

सीपत थर्मल पावर प्लांट - यह बिलासपुर जिले के सीपत में स्थित NTPC द्वारा संचालित कोयला आधारित बिजली संयंत्र है। इसकी कुल स्थापित क्षमता 2,980 मेगावाट है।

CSEB संचालित थर्मल पावर स्टेशन - हसदेव थर्मल पावर स्टेशन कोरबा जिले में स्थित कोयला आधारित बिजली संयंत्र है। इसकी कुल स्थापित क्षमता 840 मेगावाट है। कोरबा में ही CSEB संचालित डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी थर्मल पावर स्टेशन की स्थापित क्षमता 500 मेगावाट है। जांजगीर-चाम्पा जिले में CSEB संचालित अटल बिहारी थर्मल पावर स्टेशन मड़वा 1000 मेगावाट क्षमता का है।

केएसके महानदी पावर प्लांट – यह निजी क्षेत्र का जांजगीर-चांपा जिले में स्थित कोयला आधारित बिजली संयंत्र है। इसकी कुल स्थापित क्षमता 3,600 मेगावाट है।

एनटीपीसी लारा सुपर थर्मल पावर प्लांट: यह रायगढ़ जिले में स्थित एक अपेक्षाकृत नया बिजली संयंत्र है, जिसकी कुल क्षमता 4,000 मेगावाट है। कैप्टिव पॉवर प्लांट: बालको कैप्टिव पॉवर प्लांट के रूप में 2 यूनिट 270 MW तथा 540 MW के कोरबा में स्थापित हुए हैं। वर्ष 2016 से 1200 MW का एक और विद्युत उत्पादन सयंत्र बालको ने स्थापित किया है।जिंदल स्टील एंड पॉवर लि,मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लि,नलवा स्टील,प्रकाश स्पंज आयरन के भी कैप्टिव पॉवर प्लांट संचालित है ।

निजी क्षेत्र के थर्मल पॉवर प्लांट: छत्तीसगढ़ में जिंदल थर्मल पॉवर प्लांट तमनार,रायगढ़ (1200 MW)., SKS पॉवर प्लांट बिन्जकोट,रायगढ़., DB पॉवर प्लांट,जांजगीर –चाम्पा जिला(1200 MW)., के अतिरिक्त जांजगीर-चाम्पा एवं रायगढ़ जिले में कई पॉवर प्लांट कार्यरत एवं निर्माण प्रक्रिया में है ।

कोयला खनन उद्योग: छत्तीसगढ़ राज्य में SECL के द्वारा कोयला उत्खनित किया जाता है। साउथ ईस्ट कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) भारत सरकार के स्वामित्व की सरकारी कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) की सहायक कंपनी है । इसका गठन सन 1985 में हुआ था तथा मुख्यालय छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में है । SECLमध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य के कोयले के भंडार से 4 मुख्य कोयला

प्रक्षेत्रों (Coalfields) में कार्य संचालित करता है। इन प्रक्षेत्रों में लगभग 82167.23 मीट्रिक टन कोयले का भंडार होने का पूर्वेक्षण किया गया है, जिनमें 13 क्षेत्र (Area) शामिल हैं।

अन्य खनिज आधारित उद्योग: छत्तीसगढ़ में टिन उद्योग, गौण खनिज उत्खनन उद्योग एवं पत्थर उत्पादन उद्योग संचालित है।

कुल मिलाकर, छत्तीसगढ़ में खनिज आधारित उद्योग राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता है और इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करता है।

चर्चा:

छत्तीसगढ़ के खनिज संसाधनों ने राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खनन और खनिज प्रसंस्करण उद्योगों ने राज्य सरकार के लिए रोजगार के अवसर और राजस्व उत्पन्न किए हैं। हालांकि, पर्यावरणीय क्षरण और स्थानीय समुदायों के विस्थापन जैसे मुद्दों के कारण इन संसाधनों का स्थायी प्रबंधन एक चुनौती रहा है। राज्य सरकार को अपने खनिज संसाधनों के सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नीतियों और विनियमों को लागू करने की आवश्यकता है।

छत्तीसगढ़ में खनिज आधारित उद्योग की चुनौती

छत्तीसगढ़ में खनिज आधारित उद्योग को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें शामिल हैं:

पर्यावरण संबंधी चिंताएँ: छत्तीसगढ़ में खनिजों के खनन और प्रसंस्करण से अक्सर पर्यावरण का क्षरण होता है, जिसका स्थानीय समुदायों के स्वास्थ्य और आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अवसंरचना अपर्याप्तता: अपर्याप्त परिवहन अवसंरचना, उचित भंडारण सुविधाओं की कमी और कुशल श्रम की सीमित उपलब्धता के संदर्भ में राज्य को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

भूमि अधिग्रहण: खनन गतिविधियों के लिए भूमि अधिग्रहण अक्सर सरकार और स्थानीय समुदायों के बीच विवाद का कारण बनता है, जिसके परिणामस्वरूप देरी हो सकती है ।

नियामक मुद्दे: छत्तीसगढ़ में खनिज उद्योग पर्यावरण और श्रम कानूनों सहित विभिन्न नियमों के अधीन है। इन नियमों का अनुपालन एक चुनौती हो सकती है, और गैर-अनुपालन के कारण दंड और कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

तकनीकी अप्रचलन: छत्तीसगढ़ में उपयोग की जाने वाली कई खनन और प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियां पुरानी हैं, जो अक्षमता और उच्च लागत का कारण बन सकती हैं। कुछ खनिजों पर निर्भरता: राज्य की अर्थव्यवस्था कोयला और लौह अयस्क जैसे कुछ खनिजों पर बहुत अधिक निर्भर है, जो इसे कीमतों और मांग में उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील बनाता है।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ में सतत और जिम्मेदार खनिज विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार, उद्योग हितधारकों और स्थानीय समुदायों के ठोस प्रयास की आवश्यकता होगी।

छत्तीसगढ़ में खनिज आधारित उद्योग की संभावनाएं

छत्तीसगढ़ में खनिज आधारित उद्योग में वृद्धि और विकास की काफी संभावनाएं हैं। राज्य सरकार ने खनिज क्षेत्र को बढ़ावा देने और राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए कई पहल की हैं। छत्तीसगढ़ में खनिज आधारित उद्योग स्थापित करने के कुछ प्रमुख लाभों में शामिल हैं:

कच्चे माल की प्रचुर उपलब्धता: छत्तीसगढ़ में खनिजों के प्रचुर भंडार हैं, जो खनिज आधारित उद्योग के लिए कच्चे माल का विश्वसनीय स्रोत प्रदान करते हैं। यह उत्पादन की लागत को कम करता है और इसे अधिक प्रतिस्पर्धी बनाता है।

सामरिक स्थान: छत्तीसगढ़ रणनीतिक रूप से मध्य भारत में स्थित है।राज्य देश के प्रमुख शहरों और बंदरगाहों से उत्कृष्ट कनेक्टिविटी के साथ जुड़ा है । इससे कच्चे माल और तैयार उत्पादों को पूरे भारत और विदेशों के बाजारों में पहुंचाना आसान हो जाता है।

कुशल कार्यबल: छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से खनन और संबद्ध उद्योगों में कुशल और अर्ध-कुशल श्रमिकों का एक बड़ा पूल है। यह खनिज आधारित उद्योग के लिए एक तैयार कार्यबल प्रदान करता है।

सहायक नीतियां :छत्तीसगढ़ सरकार ने खनिज क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियों और प्रोत्साहनों को लागू किया है। इनमें कर प्रोत्साहन, सब्सिडी, और अनुमोदन और निकासी प्राप्त करने के लिए सरलीकृत प्रक्रियाएं शामिल हैं।

विविध खनिज संसाधन: छत्तीसगढ़ में विविध प्रकार के खनिज संसाधन हैं, जो विभिन्न प्रकार के खनिज आधारित उद्योग स्थापित करने के अवसर प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, कोयले का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए, लौह अयस्क का इस्पात उत्पादन के लिए और चूना पत्थर का सीमेंट निर्माण के लिए किया जा सकता है।

अंत में, छत्तीसगढ़ में खनिज आधारित उद्योग की वृद्धि और विकास की अपार संभावनाएं हैं। खनिजों के अपने प्रचुर भंडार, रणनीतिक स्थान, कुशल कार्यबल, सहायक नीतियों और विविध खनिज संसाधनों के साथ, राज्य निवेश को आकर्षित कर सकता है और खनिज क्षेत्र में रोजगार सृजित कर सकता है।

निष्कर्ष:

छत्तीसगढ़ खनिज संसाधनों से समृद्ध राज्य है जिसने इसके आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राज्य में कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, बॉक्साइट और टिन के महत्वपूर्ण भंडार हैं। खनन और खनिज प्रसंस्करण उद्योगों ने राज्य सरकार के लिए रोजगार के अवसर और राजस्व उत्पन्न किए हैं। यद्यपि, इन संसाधनों का सतत प्रबंधन एक चुनौती बना हुआ है, और राज्य सरकार को अपने खनिज संसाधनों के सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए

प्रभावी नीतियों और विनियमों को लागू करने की आवश्यकता है।

संदर्भ

1) करमाकर, एस., साहू, एस.के., और मुखर्जी, एस. (2017). छत्तीसगढ़, भारत की खनिज संसाधन क्षमता: एक समीक्षा. भारतीय भूवैज्ञानिक सोसायटी का जर्नल, 90(6), 671-681.
2) चौधरी, बी.एल., और तिवारी, आर.के. (2015). हसदेव-अरंद कोलफील्ड, छत्तीसगढ़, भारत से कोयले का खनिज और भू-रासायनिक लक्षण वर्णन. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कोल जियोलॉजी, 143, 28-43.
3) प्रसाद, ए.के., और मिश्रा, एस. (2016). छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा: चुनौतियां और संभावनाएं. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ माइनिंग एंड मिनरल इंजीनियरिंग, 7(1), 19-38.
4) "छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड." छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट. http://www.cmdc.co.in/.
5) "खनिज संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन." खनिज संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार की आधिकारिक वेबसाइट. https://mineral.cg.gov.in/.

.....
.....

'Journal of Research & Development'
A Multidisciplinary International Level Referred and Peer Reviewed Journal,
Impact Factor-7.265, ISSN: 2230-9578, April 2023, Volume-15 Issue-10

कृषी विकासात/विपणनात पायाभूत सुविधांचे योगदान

पाटील स्वाती विजय
संशोधक विदयार्थी, भुसावळ कला,विज्ञान आणि पु.ओ.नहाटा वाणिज्य महाविदयालय.
कवयत्री बहीणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विदयापीठ,जळगाव.
Corresponding author- पाटील स्वाती विजय
Email- swatibabyvijaypatil@gmail.com
DOI-10.5281/zenodo.7943851

प्रस्तावना–

भारतीय शेतीचे विविधीकरण वाढले आहे, त्याला समाजहिताची दिशा मिळायला हवी.पोषणमुल्ये असणारा आहार,मिळणारे धान्य उत्पादन,फलोत्पादन व रोख पैसा मिळवून देणारी शेती उत्पादने यांचे सामंजस्य असणारे नियोजन शेतीत व्हायला हवे. शेती+औदयोगिकता+बाजारपेठ+निर्यात धोरण+विकास कार्ये या सर्वांचा समन्वय साधणारी धोरणे बनवली गेली पाहीजेत. विदेशात शेती व औदयोगिकता जोडीने हातात हात घालून प्रगत होतात,होत आहेत.मग भारतात दोन्हीत तफावत व पारस्परिक विरोध का निर्माण व्हावा? आज शेती व्यवसायाची संपूर्ण संरचना व मानसिकता बदलल्याशिवाय जागतिकीकरणावर आधारलेल्या अर्थव्यवस्थेला समाजोपयोगी बनवता येणार नाही.शेतीत गुंतवणुकीचे विविध व योग्य लाभदायी मार्ग शोधले गेले पाहिजेत.

पार्श्वभूमी–

19व्या शतकात इंग्रजांच्या राजवटी बरोबर भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे स्वरूप व केंद्र बदलले.शेती व्यवसाय पुन्हा उपेक्षित झाला. औदयोगीकता व त्यावर आधारलेल्या अर्थव्यवस्थेचे युग साकारले.

स्वातंत्र्यानंतरच्या कृषीयोजनांचा लाभ मोठया धनी शेतकयांना मिळाला. छोटे शेतकरी त्यापासून वंचित राहीले. कर्ज बाजारी शेतकरी शेतमजूर झाला. घरातील युवक वाढत्या महागाई मुळे पोटापाण्या साठी देशोधडीला लागले , शेतीपेक्षा श्रमरहीत,स्थिर नोकरीधंदयांचे आकर्षण वाढले. या देशाला अन्नधान्ये आयात करावी लागली. वाढती लोकसंख्या,अपुरी जमीन,अर्थभाव,अज्ञान,संघटीतपणाचा अभाव,महागाई, आधुनिकतेचा आभाव या सर्वांमुळे शेतकयांमध्ये व्यवसायीक उदासीनता वाढली होती.

निसर्गाने अतिवर्षाव,अवर्षणासारखी संकटे लादून शेतकयाला हतबल केले.परंपरागत ग्रामोदयोग व हस्तदयोग यांचा ह्यस झाल्यामुळे अर्थव्यवस्था बेशिस्तिची दिशाहीन बनली आहे. सतत खचत गेलेल्या असहाय्य होत गेलेल्या शेतकयाची मानसीकता बदलणे,गरजेचे आहे. उत्पादन प्रक्रीया,उत्पादन व्यवस्था व विक्रम यांच्याशी शेतकयाचा प्रत्यक्ष संबध वाढला पाहिजे. सरकारची प्रत्येक योजना शेतकयांपर्यंत पोहचवण्याची जागरूकता समाजात निर्माण होण्यासाठी समाज प्रबोधनाची प्रक्रीया अर्थव्यवस्थेतून व्हायला हवी. नवीन अर्थपूरक व्यवसाय निर्माण करणे,त्या साठी कौशल्ये शिकवणे वास्तवाला यायला हवे. याच दृष्टीने महात्मा गांधीनी गावाकडे चला चा संदेश दिला होता. तसेच महात्मा फुलेंनी शेतकयांचा आसुड या सारखे ज्वलंत विचार मांडले आहेत.

ज्या प्रमाणे इतर उदयोगांचा विचार व्यापारी करणाच्या दृष्टीने करून त्यांचे सुविधांनुसार विकेद्रींकरण केले जाते तसे पूर्णतःभारतात शेतीचे होत नाही.औदयेगिक क्षैत्रात उदयोजक कारखानदारांचा भांडवलदार वर्ग आहे त्याची गावावर,सहकारी क्षैत्रांवर उदयोगांवर सत्ता व वर्चस्व आहे.

शेतकरी वर्गाला ज्या समस्या उदभवतात त्यासाठी रस्त्यावर येवून आवेशाने तोडफोड करून,रास्तारोको करून प्रश्न सुटत नाहीत. या साठी कायमस्वरूपी विचार निर्माण झाले पाहिजेत. उत्पादन श्रम व मोबदला यांचे योग्य गणित काळाचे विदयमान अर्थव्यवस्थेचे भान राखून घालता येईल. हे शेतकयांनी समजून घेतले पाहीजे. संघटीत शेतकयांनी स्वताची उदिष्टांनी प्रेरित अशी प्रसार माध्यमे व संपर्क माध्यमे चालवली पाहीजे,व त्याचा वापर केला पाहीजे.

उद्दिष्टये–

1) कृषी संबंधीत पायाभूत सुविधांची ओळख करून घेणे.
2) कृषीसंबंधीत वीज क्षेत्र व सिंचन क्षेत्र यांचा आढावा घेणे.
3) वीज क्षेत्र व सिंचन क्षेत्राच्या विविध योजनांचा आढावा घेणे .
4) निष्कर्ष व शिफारशी सूचविणे.

गृहितके –

कृषी विकासात पायाभूत सुविधां महत्वाचे योगदान देतात.

मर्यादा

कृषी विकासात/ विपणनात पायाभूत सुविधांचे योगदान ' हा विषय पेपर सादरीकरणासाठी घेतला आहे. या मध्ये पायाभूत सुविधांमधील केवळ वीज क्षेत्र व पाणी मधील सिचंन क्षेत्र यांचा अभ्यास करण्यात आलेला आहे.

अभ्यास पध्दती –

'कृषी विकासात/ विपणनात पायाभूत सुविधांचे योगदान' हा विषय पेपर सादरीकरणासाठी घेतला आहे. यासाठी दुय्यम सामग्रीचा वापर केला आहे. दुय्यम सामग्री मध्ये पुस्तके, मासिके व नियतकालिके याचा वापर केला आहे. तसेच विविध संकेतस्थळावरील माहीतीचा ही वापर केला आहे.

आर्थिक विकासातील पायाभूत सुविधांचे महत्व विचारात घेउन नियोजन काळात देशात पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर देण्यात आला. त्यामुळे देशातील पायाभूत सुविधांत मोठया प्रमाणावर वाढझाली.

वीज/विदयुत–

मानवी जीवनासाठी आवश्यक असलेला आणि निसर्गतः सर्वत्र अढळणारा ऊर्जा प्रकार म्हणजे विद्युत किंवा वीज होय.

नैसर्गिक वीजेचा ऊर्जाप्रकार मानवाने निर्माण करून त्याचा स्वतःच्या जीवनासाठी उपयोग करून घेतलेला आहे. वीज निर्माण करण्याची तंत्रे विसाव्या शतकात पुढे आलीत. त्यातून वीजेचा वापर वाढत जावून आज तर वीज हे सामाजिक जीवनाचे एक महत्वाचें अंग बनले आहे.

वीजेमुळे उष्णता मिळते;त्यावर कारखान्यांची यंत्रे, घरगुती यंत्रे तसेच शेतीसाठी देखील वीजेचा उपयोग मोठया प्रमाणावर केला जातो. कार्यान्वीत करता येतात. वाहातुकीच्या कार्यात वीज महत्वाची आहे, संपर्क साधनांसाठी, वैज्ञानिक अध्ययन आणि संशोधनासाठी, औदयोगिक क्षेत्र आणि घरगुती क्षेत्रासाठी उपयुक्त आहे.

कृषी विदयुत उपभोगाचा आकृतिबंध

(ळपहूंजज भ्वनत)

वर्ष	कृषी
2001–02	81,673
2002–03	84,486
2003–04	87,089
2004–05	88,555
2005–06	90,292
2006–07	99,023
2007–08	1,04,182
2008–09	1,07,776
2009–10	1,19,451
2010–11	1,23,757
2018–19	1,73,953

स्पष्टीकरण:–

वरील सारणीवरून असे दिसते की 2001–02 पासून ते आत पर्यंत ऊर्जेचा उपभोग हा वाढतांना दिसून येतो आहे. त्या वरून असे स्पष्ट करता येइल की ऊर्जेचा उपभोग हा दिवसे दिवस वाढतो आहे.

कृषी क्षेत्रातला विदयुत उपभोग

कृषी क्षेत्रातला विदयुत उपभोग 2001–02 मध्ये 81,673 ळपहूंजज भ्वनत होता. तर 2002–03 मध्ये 84,486 ळपहूंजज भ्वनत इतका होता. 2003–04 मध्ये तो वाढून 87,089 ळपहूंजज भ्वनतझाला.2004–05 मध्ये तो 88,555 ळपहूंजज भ्वनत इतका होता. 2005–06 मध्ये कृषी क्षैत्रातला विदयुत उपभोग 90,292 ळपहूंजज भ्वनत होता. तर 2006–07 मध्ये 99,023 ळपहूंजज भ्वनत होता. 2007–08 मध्ये 1,04,182 ळपहूंजज भ्वनत इतका होता तर 2008–09 मध्ये तो 1,07,776 ळपहूंजज भ्वनत होता. 2009–10 मध्ये तो 1,19,451 ळपहूंजज भ्वनत होता. 2010–11 मध्ये कृषी क्षैत्रातला विदयुत उपभोग 1,23,757 ळपहूंजज भ्वनत होता,2018–19 मध्ये 1,73,953 इतकी वाढ झालेली दीसून येते.

विविध पंचवार्षिक योजनांमध्ये पाणी/सिंचन यांचे योगदान

प्रस्तावना

भारत हा शेतीप्रधान देश आहे व पाणी म्हणजे शेतीव्यवसायाचे जीवन व त्याचा पाया आहे. शेती पाण्यावर जगते व पाण्याविना नष्ट होते.

दुर्देवाची गोष्ट अशी की, सन 1951–52पासून सन 2016पर्यंत बारा पंचवार्षिक योजनांची कार्यवाही होऊनही अदयाप भारतात पाण्याची एकूण उपलब्धता किती आहे याचा शास्त्रीय दृष्टिकोनातून अंदाज करण्यात आलेला नाही. योजना काळात बरीच वर्ष एकच एक धोरण अनुसरण्यात आले व ते म्हणजे प्रचंड आकाराचे बहूदेशीय सिंचन प्रकल्प बांधणे. उदा.,भाक्रा–नानगल प्रकल्प, कोसी प्रकल्प, कोयना प्रकल्प, दामोदर व्हॅली प्रकल्प, नागार्जुनसागर प्रकल्प, तुंगभद्रा प्रकल्प इत्यादी.

भारताच्या काही भागांमध्ये पावसाच्या पाण्याची सतत टंचाई भासते तर काही भागांमध्ये पावसाळयातील प्रचंड पुरामुळे विस्तृत प्रदेश जलमय झालेले दिसून येतात. अशा प्रचंड पुरामुळे नुकसानकारक परिणाम घडून येणा–या भागांमध्ये राहणा–यांची संख्या सुमारे 25कोटी आहे, असा अंदाज केला जातो. पश्चिम बंगाल, आसाम,बिहार, ओरिसा, गुजरातचा पश्चिम भाग या प्रदेशांमध्ये नदयांच्या पुरामुळे बहुदा प्रतिवर्षी विनाशकारी प्रलय होत असतांनाच भारताच्या मध्य व पश्चिमेकडील काही भागात त्याच वेळी पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासत असते.

मोसमी पावसाचे 80ते 90 टक्के पाणी कोणत्याही पध्दतीने वापरले न जाता वर्षानुवर्ष फुकट जाऊन समुद्रास मिळत आहे;तर उन्हाळयात 4ते5महिने भारतातील लाखो खेडयांमध्ये व काही शहरांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई भासत असते. भारतात उपलब्ध असलेल्या पाण्याच्या व्यवस्थापनात किती अव्यवस्था आहे याची उदाहरणादाखल एक–दोन प्रातिनिधिक स्वरूपाची उदाहरणे म्हणजे...

नर्मदा प्रकल्पाच्या पाणीवाटपासंबंधीचा तंटा सन 1961 पासून सुरू आहे व अदयाप त्याचे समाधानकारक उत्तर शोधून काढण्यात आले नाही. आंतरराज्यातील कोणत्याही नदीच्या बाबतीत पाण्याच्या वाटपासंबंधी तंटे सुटलेले नाहीत. व पावसाळयात या नदयांना पूर येउन प्रचंड प्रमाणावर नुकसान होत आहे. त्यामुळे लोकांच्या पुनर्वसनावर प्रतिवर्षी शेकडो कोटी रूपये खर्च होत आहेत. याचाच अर्थ पाण्याच्या व्यवस्थापना कडे पुरेसे लक्ष दिले गेलेले दिसत नाही व त्याचा शेतीवर व लोकंच्या राहाणीमानावर प्रतिकूल परिणाम सतत घडून येत आहे. म्हणूनच असे म्हटले जाते की, भारत नैसर्गिक साधनसामग्रीच्या बाबतीत श्रीमंत आहे;पण (उपलब्ध नैसर्गिक साधनसामग्रीचा पर्याप्त वापर न केला गेल्यामुळे) भारतातील लोक गरीब आहेत.

भारतातील जलसाधनाविषयीच्या एका अंदाजानुसार, भारतात प्रतिवर्षी एकूण 169दशलक्ष हेक्टर मीटर इतकी जलसामग्री उपलब्ध आहे. त्यापैकी सुमारे एक–तृतीयांश पाण्याची नैसर्गिकरीत्या वाफ होउन जाते.सुमारे 20टक्के पाणी जमिनीत झिरपून जाते. अशा रीतीने भूपृष्ठावरील एकूण पाण्याच्या उपलब्धते पैकी सुमारे 60 दशलक्ष हेक्टर मीटर इतके पाणी नदयांमध्ये उपलब्ध असते;पण हे सर्वच पाणी भारतातील शेतीसाठी उपलब्ध होउ शकत नाही;त्याचे कारण असे की, प्रदेश विषयक वैशिष्टांमुळे किंवा अन्य अडचणींमुळे काही टक्के पाणी वापरता येणे शक्य नसते. भारतातील नदयांमध्ये वाहणा–या पाण्याचा वापर करून एकूण 107दशलक्ष हेक्टर शेतजमिनीस सिंचनसोई उपलब्ध करून देता येणे शक्य आहे. सन 2009–10मध्ये 10दशलक्ष हेक्टर शेतजमिनीसाठी सिंचनसोई उपलब्ध करून देण्याचे लक्ष्य ठरविण्यात आले होते. परंतु 7.31दशलक्ष हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणण्यात यश आले. मार्च 2010पर्यंत 9.82लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणण्यात आली. सन 2001च्या तुलनेत सन 2010साली दरडोई पाण्याची उपलब्धता घटलेली दिसते. 2001साली 1,816क्युबिक मीटर दरडोई उपलब्धी होती. ती घटून 2010साली 1,588 क्युबिक मीटर इतकी कमी झाली. असे म्हटले जाते की मोठया प्रमाणात संपूर्ण जगाची पिण्याची पाण्याची गरज पूर्ण होऊशकेल एवढे पाणी भारतात उपलब्ध आहे, पण पाण्याच्या विवेकी नियोजनाच्या आभावामुळे शहरी आणि प्रामुख्याने ग्रामीण भारतात पाणी पुरवठा ही समस्या दिवसेंदिवस उग्र स्वरूप धारण करीत आहे. पाणी ही मुलभुत गरज असूनही नियोजनबध्द आर्थिक विकासात पाणीपुरवठयाचा प्रश्न सुटू शकलेला नाही. देशात सरासरी वार्षिक 1100 मि.मि.पाउस पडत असला तरी संपूर्ण देशात पाउस पडण्याचे प्रमाण असमान आहे. तसेच अजूनही भारतात पाण्याची एकूण उपलब्धता किती याचा शास्त्रीय दृष्टीकोनातून अंदाज बांधण्यात आलेला नाही. भारतात मोसमी स्वरूपाचा पाउस पडतो पण पाणी मात्र वर्षभरासाठी लागते. त्यामुळे पिण्याचे पाणी आणि वापरण्याचे पाणी अशा दोन्हींचा पाणीपुरवठा आवश्यक असतो. त्या साठी केंद्र, राज्य स्तरावर शुध्द पाणी पुरवठयाच्या (पिण्याच्या

पाण्यासाठी) योजना म्हणजेच जलशुध्दीकरण योजना आखल्या जातात. पण वाढती लोकसंख्या आणि वाढते शेती व उदयोग क्षेत्र यामुळे पाण्याची मागणी सतत वाढती राहिली आहे. त्या प्रमाणात पाणी पुरवठा मात्र वाढविता आलेला दिसून येत नाही, त्यामुळे पाण्याचे दुर्भिक्ष वाढते आहे. नियोजन काळात परंपरागत पाणीपुरवठा सुविधांची देखभाल (तलाव,विहीरी,छोटया नदया इ.) झाली नाही. त्यामुळे भूगर्भातील पाणीसाठयाचे प्रमाण ही कमी झालेले आहे. भारत सरकारने पाण्याचे महत्व विचारात घेऊन जल आयोगाची स्थापना केली. त्या धर्तीवरच देशातील काही विशिष्ट राज्यात पाण्याची समस्या निर्माण झाली आहे. ही समस्या सोडविण्यासाठी अनेक राज्ये पुढे आली आहेत. त्यातील महाराष्ट्र हे राज्य महत्वाची भूमिका बजावते. पाणी व्यवस्थापन ही काळाची गरज असून महाराष्ट्रातील मराठवाडा, व विदर्भाचा काही भाग पाण्याअभावी महाभयंकर संकटाला सामोरे जात आहे. ही समस्या सोडविण्यासाठी जलव्यवस्थापनाची गरज भासू लागली. त्यातूनच महाराष्ट्र राज्य पाठबंधारे विभाग, तसेच विविध तज्ञांच्या समिती स्थापन करून या समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. 1962 मध्ये स. गो.बर्वे आयोग, 1973 ची सुकथनकर समिती, 1981 मध्ये जैन समिती, 1986 मध्ये डॉ.सुब्रम्हण्यम समिती स्थापन करून पाणी पुरवठयाचे व्यवस्थापन योग्य पध्दतीने करण्याच्या शिफारशी करण्यात आल्या. जल व्यवस्थापनाचा जास्तीत जास्त फायदा 'पाणी अडवा पाणी जिरवा' म्हणजे जमिनीतील पाणी पातळीत झालेली घसरण सुधारेल व आज 500ते 600 फुटापर्यंत पाणी पातळी खाली गेलेली आहे. जर पावसाचे पाणी अडवून तेथेच जिरवले तर पाण्याची पातळी सुधारेल व पाणीप्रश्न सुटेल.

पंचवार्षिक योजनेतील पाणी ,सिंचन विषयक खर्च

योजना	वर्ष	खर्चाच्या बाबी	खर्च(रू कोटी)	सार्वजनिक क्षेत्रातील एकूण खर्चाशी शेकडा प्रमाण
1ली	1951–1956	मोठे व लहान सिंचन प्रकल्प	310	16
2री	1957–1961	मोठया व मध्यम स्वरूपाच्या जलसिंचन योजना	420	9
3री	1962–1966	मोठे व लहान सिंचन प्रकल्प	664	7.7
4थी	1969–1974	सिंचन आणि पूरनियंत्रण	1,086	6.8
5वी	1974–1979	सिंचन	2,681	7.3
6वी	1980–1985	सिंचन प्रकल्प आणि पूर नियंत्रण	10,930	10.0
7वी	1985–1990	सिंचन प्रकल्प आणि पूर नियंत्रण	16,979	9.4
8वी	1992–1997	सिंचनसोयी आणि पूरनियंत्रण	32,525	7.5
9वी	1997–2002	सिंचनसोयी आणि पूरनियंत्रण	36,787	2.7
10वी	2002–2007	सिंचनसोयी आणि पूरनियंत्रण	16,543	1.7
11वी	2007–2012	सिंचनसोयी आणि पूरनियंत्रण	21,0326	5.8
12 वी	2012–2017	सिंचनसोयी आणि पूरनियंत्रण	17,212	0.4

स्पष्टीकरणः–पंचवार्षिक योजनाकाळात केलाजाणारा पाणी, सिंचन विषयक खर्च वरील सारणीवरून स्पष्ट करता येतो. या मध्ये पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत पाणी, सिंचन विषयक खर्च मोठे व लहान सिंचन प्रकल्पा साठी 310कोटी इतका होता तर त्याचे एकूण खर्चाशी प्रमाण 16 टक्के इतके होते. दूसरी पंचवार्षिक योजनेमध्ये पाणी, सिंचन विषयक खर्च मोठया व मध्यम स्वरूपाच्या जलसिंचन योजनां साठी 420 कोटी इतका करण्यात आला त्याचे एकूण खर्चाशी प्रमाण 9 टक्के होते. तिसरी पंचवार्षिक योजनेत पाणी ,सिंचन विषयक खर्च हा मोठे व लहान सिंचन प्रकल्पा साठी 664 कोटी झाला त्याचे एकूण खर्चाशी प्रमाण 7.7 इतके होते. तर चौथ्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये पाणी, सिंचन विषयक खर्च हा सिंचन आणि पूरनियंत्रणा वर 1,086 कोटी इतका झाला त्यात एकूण खर्चाचे प्रमाण 6.8 इतके होते. पाचव्या पंचवार्षिक योजनेत पाणी, सिंचन विषयक खर्च हा सिंचनावर करण्यात आलेला खर्च 2,681 कोटी होता तर त्याचे एकूण खर्चाशी प्रमाण 7.3 टक्के इतके होते. सहाव्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये पाणी, सिंचन विषयकझालेला खर्च हा सिंचन प्रकल्प आणि पूर नियंत्रणावर 10,930कोटी इतका होता तर त्याचे एकूण खर्चाशी प्रमाण 10.0 टक्के इतके होते. सातव्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये पाणी, सिंचन विषयकझालेला खर्च हा सिंचन प्रकल्प आणि पूर नियंत्रणावर 16,979 कोटी होता तर त्याचे एकूण खर्चाचे प्रमाण 9.4 टक्के होते. आठव्या पंचवार्षिक योजनेत पाणी, सिंचन विषयक करण्यात आलेला खर्च हा सिंचनसोयी आणि पूरनियंत्रणा साठी 32,525कोटी होता तर त्याचे एकूण खर्चाशी प्रमाण 7.5 टक्के होते. नवव्या पंचवार्षिक योजनेत पाणी, सिंचन विषयक करण्यात आलेला खर्च हा 36,787 कोटी इतका होता तर त्याचे एकूण खर्चाशी प्रमाण 2.7 टक्के इतके होते. दहाव्या पंचवार्षिक योजनाकाळात पाणी ,सिंचन विषयकझालेला खर्च हा 16,543 कोटी इतका होता तर त्याचे एकूण खर्चाशी प्रमाण हे 1.7 टक्के इतके होते. आकराव्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये पाणी, सिंचन विषयक खर्च 21,0326 कोटी इतका झाला तर त्याचे एकूण खर्चाशी प्रमाण हे 5.8 टक्के इतके होते. बाराव्या पंचवार्षिक योजनाकाळात पाणी ,सिंचन विषयक झालेला खर्च हा 17,212कोटी आणि त्याचे एकूण खर्चाशी प्रमाण 0.4 टक्के आहे. हे वरील सारणीवरून दिसून येते.

योजना– वीज, पाणी विषयक कार्यक्रम.

.ग्रामीण विदयुतीकरण

विदयुतीकरण ग्रामीण विकासाची जीवनरेषा आहे. आज घरगूती उपभोग,कृषी व ग्रामीण उदयोग,इत्यादी साठी ग्रामीण भागामध्ये विदयुतीकरणाची आवश्यकता प्रतिपादीत करण्यात आली आहे. ग्रामीण विदयुतीकरण कार्यक्रमांतर्गत मार्च 2005 पर्यंत 4.98लाख गावांचे विदयुतीकरण या योजनेतून पूर्ण झाले होते.

कुटिर ज्योती कार्यक्रम

दारिद्रय रेषेखाली जीवन जगणारे ग्रामीण कूटूंबांना विदयुतीकरणाचा लाभ देण्यासाठी 1988–89 मध्ये कुटिर ज्योती कार्यक्रम सुरू करण्यात आला. ज्यात निवडक कुटूंबांना ैपदहंस चैंम म्समबजतपब ब्ददमंजपवद उपलब्ध करून देण्यासाठी 400रू. पर्यंत सरकारी अनुदान दिले गेले.

राजीव गांधी ग्रामीण विदयुतीकरण योजना

एप्रिल 2005 मध्ये सुरू केलेल्या या योजनेअंतर्गत वर्ष 2009 पर्यंत 1लाख गावांना विदयुतीकरणाची सोयी पुरविणे हे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले होते.

.ग्रामीण जलपूरवठा

आरोग्य व राहणीमानाचा स्तर लक्षात घेता स्वच्छ पाणी पुरवठा आवश्यक आहे. ग्रामीण पाणी पुरवठयाचे महत्व लक्षात घेता ग्रामीण विकास मंत्रालयाने वेगळया स्वतंत्र पाणीपुरवठा विभागाची स्थापना केली या विभागाने वर्ष 2004 मध्ये संपूर्ण ग्रामीण लोकसंख्येला स्वच्छ पाणी पुरवठा करण्याचे उद्दीष्ट निश्चित केले होत.या उद्दीष्ट पूर्तीसाठी 'प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना–ग्रामीण पेयजल' नावाने एक योजना एप्रिल 2000 पासून सुरू केली. स्वातंत्त्यप्राप्ती पासून आजपर्यत ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेवर 45,000कोटी रू पेक्षा अधिक खर्च करून 94. 37टक्के ग्रामीण लोकसंख्येला पूर्णपणे स्वच्छ पाणीपुरवठा केला गेला आहे.

1) जलस्वराज्य योजना–
भारत सरकारव्दारा वर्ष 1999 मध्ये समूदायाधारित ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रम चालू केला गेला ज्याच्या अनुभवाच्या आधारे 2002 मध्ये स्वजलधारा कार्यक्रम सुरू करून देशभरामध्ये पाणीपूरवठयाच्या दृष्टीने व्यापक प्रयत्न करण्यात आले. जलस्वराज्य योजनेअंतर्गत निधी भारत सरकारव्दारा वितरित केली जाते. राज्ये त्यांच्या जिल्हयांवर या निधीचे वितरण करतात.

2) त्वरीत ग्रामीण जलपूरवठा कार्यक्रम–
भारत सरकारने 1972–73 मध्ये ही योजना सुरू केली जिचा उददेश राज्यांमधील समस्याप्रधान गावांमध्ये पाणी पुरवठयांमध्ये संतूलन साधणे हे होते. 5व्या पंचवार्षिक योजना काळामध्ये हा कार्यक्रम किमान गरजा कार्यक्रमामध्ये समाविष्ट करण्यात आला. 1996–97 मध्ये हा कार्यक्रम पून्हा नव्याने कार्यन्वित करण्यात आला. या कार्यक्रमासाठीच्या खर्चाची विभागणी केंद्र व राज्यांमध्ये 50:50अशी करण्यात आली आहे.

3) त्वरीत ग्रामीण जलपूरवठा य राजीव गांधी राष्ट्रीय पाणी मिशन–
ोजनेला वैज्ञानिक आणि कमी खर्चाची बनवण्यासाठी 1986 मध्ये 'राष्ट्रीय पेयजल मिशन' ची सुरवात करण्यात आली होती.

4) प्रधानमंत्री ग्रामीण जलसंवर्धन योजना–
15ऑगस्ट 2002 पासून प्रारंभ केलेल्या या योजनेचे उद्दीष्ट ग्रामीण क्षेत्रांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची निश्चिती करणे हा आहे. या योजनेअंतर्गत अभावग्रस्त ग्रामीण भागामध्ये 1लाख हातपंप स्थापन करण्यात आले होते. तसेच 1लाख ग्रामीण विदयालयांमध्ये पाण्याचा पुरवठा व ग्रामीण भागातील पारंपारिक जलस्त्रोतांचे संवर्धन कार्यक्रम या योजनेतून राबविण्यात येतात.

निष्कर्ष

भारतासारख्या कृषी प्रधान देशात शासनाने शेतीव्यवसायाकडे विशेष लक्ष देवून शेतक–यांना विविध योजना मार्फत संरक्षण दिले आहे.

शिफारशी / उपाययोजना–

1) शेतीच्या संशोधनात ही वाढ होणे आवश्यक आहे.दर्जेदार बियाणे,खते,वीज,सिंचन या साठी कर्जपुरवठा उपलब्ध करणे,आयात करात वाढ करून विदेशातील शेतमालाची आवक कमी करणे,पेटंट कायदयात बदल करून जास्तीत जास्त पेटंट घेणे,मोठया प्रमाणावर असलेल्या पडिक जमिनीचा वापर करून विकास करणे.
2) शेतीवर आधारीत उदयोग प्रक्रिया व उत्पादने वाढवून निर्यातीच्या माध्यमातून परदेशी चलन भारतीय तिजोरीत जमा होवू शकते त्या साठी प्रयत्न करणे.
3) नियोजनबध्द पाण्याचा वापर झाला तर महत्वाचा प्रश्न मार्गी लागेल शेतीशी संबंधीत दूध उत्पादन,कुकुटपालन,रेशीम उदयोग,फुलशेती,फळबागा,या सारख्या व्यवसायामुळे बेरोजगारीच्या प्रश्नाला आळा बसेल.
4) अलिकडे दैनिके,नियतकालिके व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांव्दारे कृषीची माहिती देण्याचा प्रयत्न होतो आहे ही चांगली बाब असली तरी कृषीचे प्रसरण व माहिती देण्याची प्रक्रीया मोठया प्रमाणावर वाढविण्याची आवश्यकता आहे.
5) शेतकरी वर्गाने शेतीव्यवसाया कडे वळून आत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरून आधुनिक शेती केली पाहिजे कारण शेती शिवाय पर्याय नाही असे म्हणण्याची आज वेळ आली आहे.

शेतकरीवर्गाने आपल्या शेतीसाठी यांत्रीक पध्दतीचा वापर केला पाहिजे तसेच सैंद्रीय शेतीवर भर दीला पाहिजे असे म्हणता येइल की सैंद्रीय शेतीला यांत्रिकीकरणाची जोड दीली तर निश्चीतच शेतीमध्ये वाढ घडून येइल आणि जोड व्यवसाय म्हणजेच शेती पुरक व्यवसाय करून विपणनाचे कार्य सुलभपणे करता येईल.

समारोप

मला असे वाटते की,कृषी विपणन व्यवस्थेत पायाभूत सुविधांची भूमीक ही सर्वाधीक महत्वाची आहे. त्यात रस्ते, वीज आणि पाणी या महत्वाच्या सुविधा आहेत. वीजेच्या वाढत्या उपभोगा मुळे हे सिध्द होते की 2001 च्या तुलनेत 2011–12 पर्यंत कृषी साठी झालेला वीजेचा उपभोग हा मोठयाप्रमाणावर वाढलेला आहे म्हणजेच भारतातील शेतकरी हा वीजे चा जास्तीत जास्त वापर करीत आहे त्यात तो शेती मध्ये यंत्रांचा वापर करू लागला आहे तसेच विविध उपकरणे , नविन तंत्रज्ञान विकसीत करीत आहे असे स्पष्ट करता येईल. तसेच शेतकरी आता विविध सिंचन योजनांचा वापर करू लागला आहे.त्यामुळे पहिल्या योजनेच्या तुलनेत आतापर्यत सिंचन क्षेत्रातील योजनांमध्ये वाढ होत आहे. .शेतक–यांना आत्याधुनिक तंत्रज्ञान,उदयोग प्रक्रीया,जोडधंदे,व कमी खर्चाचे तंत्रज्ञान मिळाले पाहिजे.त्या साठी सर्व प्रसार माध्यमांनी कृषी विषयाला महत्व देवून त्या विषयीची माहिती शेतक–यांपर्यत पोहचवली पाहिजे. .परदेशातील बाजारपेठेत स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी भारतीय शेतमालाच्या उत्पादनाची प्रत उंचावली पाहिजे, मालाचा दर्जा चांगला पाहिजे. जागतिक बाजार पेठेत भारतीय शेतमालाची श्रेष्ठता सिध्द झाली पाहिजे. परदेशातील आयातीवर जास्तीत जास्त जकाती आकारून शेतकयांना दिल्या जाणा–या अनुदानांमध्ये वाढ केली पाहिजे.

संदर्भ –

1) भारतीय अर्थव्यवस्था ,निर्मल भालेराव,देसाई
2) इंडियन इकॉनामी, दत्ता सुंदरम्.
3) केंद्र व राज्य शासनाच्या विकास योजना
4) इकोनॉमीक सर्व्हे.
5) स्टॅटिस्टिकल आउटलाइन ऑफ इंडिया

'Journal of Research & Development'
A Multidisciplinary International Level Referred and Peer Reviewed Journal,
Impact Factor-7.265, ISSN: 2230-9578, April 2023, Volume-15 Issue-10

जगदंबा प्रसाद दीक्षित के उपन्यासों में झुग्गी झोपडियों की यथार्थता

सौ. वृषाली महादेव माळी[1] , डॉ वर्षाराणी निवृत्तीराव सहदेव[2]

[1]शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर

[2]प्राध्यापक, हिंदी विभाग , श्री विजयसिंह यादव कला व विज्ञान ,

महाविद्यालय,पेठ–वडगाव,जि. कोल्हापुर

Corresponding author- सौ. वृषाली महादेव माळी

Email- vrushalimmali@gmail.com

DOI-10.5281/zenodo.7943915

प्रस्तावना : 19 वी सदी के अंत भारत में आद्योगिकरण का आरंभ हुआ। महानगरों में अनेक कारखाने, उद्योग, व्यापार आदि चलते है। इन कारखानों में काम करके उपजीविका करने हेतु ग्रामीण लोग शहरों की तरफ दौड पडे। महानगरों में बाह्य लोग आकर बसने लगे। शहर में मिलनेवाली खाली जगह पर बिना परवाना टाट को बिछाकर झोपडपट्टी का जन्म हुआ। आज कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, दिल्ली, लखनौ और कानपुर आदि महानगरों में लोग रोजगार पाने की लालसा में आकर रहने लगे। रुपयों की कमी के कारण वह किराये पर कमरा नहीं ले सकते इसलिए गंदी नालियों के किनारे और खाली जगह जहाँ भी मिले वहाँ पर उनकी झुग्गियाँ बनने लगी।

वर्तमान काल में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) की मानव विकास रिपोर्ट 2014 के अनुसार 632 मिलियन जनसंख्या के साथ भारत में विश्व की बहुआयामी जनसंख्या गरीबी में रहती है। अनेक झुग्गी-झोपडीयाँ भारत में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के मुंबई में एशिया खण्ड की सबसे बडी झोपडपट्टी धारावी की झोपडपट्टी मानी जाती है। महानगरों में पनपनेवाले झोपडपट्टी की अनेक समस्याएँ वहाँ के नागरिकों को संत्रस्त कर रही है। झोपडपट्टी में रहने पर अपनी जीविका चलाने के लिए वहाँ के लोग अनेक बुरे काम करते है। "बुरे व्यवसाय-वेश्या व्यवसाय, तस्करी, हातभट्टी, चोर बाजारी, पाकीटमारी, गुनहगारी, अनैतिक संबंध, अवैध संतान आदि काले धंधो ने झोपडपट्टी में प्रतिष्ठा पायी। कानून तोडना, रिश्वते देना, गुंडागर्दी करना आदि प्रवृत्तियाँ प्रबल होने लगी। झोपडपट्टीयों के गुण्डों को अपने हाथ में लेकर नेता लोग और अमीर लोग अपना उल्लू सीधा करने लगे।"[1] 'मुरदाघर' जगदंबा प्रसाद दीक्षित के उपन्यास ने हिंदी उपन्यास साहित्य में तहलका मचा दिया। आरंभ में ही उपन्यास में मुंबई के न बहुमंजिले इमारते, न पंचतारांकित होटल, न फिल्मी स्टुडियों, न हिंदी फिल्मों में दिखाई देनेवाली मुंबई की चक्का चौंद न तडक-भडक है। बल्कि मुंबई महानगरी की एक असलियत दिखाई है जिसमें भिखारियों, वेश्याओं और छोटे-मोटे अपराध करनेवालों की, कोढियों, अपाहिजों की दुनिया की वास्तविकता है। "कचरे का पुराना ढेर और एक पागल, आदमी....घूम....घूमकर ढूँढता है कुछ....कभी नहीं मिलता।" कुछ आगे विस्तार है," दुखता है एक जख्म और रिसता जाता है।फिर कट गया कोई रेल की पटरियों पर आदमी या जानवर....कोई फर्क नहीं। मंडरा रहे है कौवे....कुत्ते। गटर के पास....एक पागल औरत और एक पागल दुनिया.....चीख रहे है दोनों।"[2] दीक्षित जी ने विशिष्ट शैली का सृजन करके इस जिंदगी को नयी वाणी दी है। इस दुनिया का वास्तविक रूप उपन्यास में प्रस्तुत किया है।

एक झोपडपट्टी को पुलिस तोड देगा तो दूसरी जगह और एक एक के बाद दूसरी, तीसरी बनती रहती है।....मालूम नहीं कहाँ....किस जगह....तोड दिये गये झोपडे। मालूम है सिर्फ इतना कि एक पीली सुबह....जब सोनेवालों ने आँखे खोली....गंदी बस्ती को घेर लिया नीली वर्दी वालों ने चारों तरफ से। लंबे बेत और डण्डे।.....झोपडीवाले वहाँ से आ गए यहाँ। आ गई रंडियाँ भी, बन गए झोपडे....एक के बाद एक....इस तरफ चौडी सडक। दूसरी तरफ.....ऊँची इमारतों की लंबी कतार। तैरती है सफेद रोशनी हर वक्त। उस साफ दुनिया के पास पैदा हो गयी गंदी दुनिया।"[3]

हर रोज पैदा होती मुंबई की गंदी दुनिया की कहानी 'मुरदाघर' मेंचित्रित है। इस गंदी दुनिया में कौन है? वहाँ दारूबाज, रण्डिया, कोढी, भिखारी, चोर, निठ्ल्ले, भूखे-प्यासे, असमय मरते गंदे लोग रहते है। कौन पैदा करता है इस गंदी दुनिया और इन लोगों को? क्या यह गंदे लोग भी इंसान कहलाने लायक है? यह गंदे लोग क्या इंसान की तरह जीते है या नहीं? आदमी और जानवर में कोई फर्क है या नहीं? इसी तरह इन्हीं सब अनेक सवालों का सामना किया गया है। 'मुरदाघर' में और यही सब बेआराम करनेवाले सवाल उठाये गये है। दीक्षित के मुरदाघर उपन्यास के पाठकों के सामने। होटलों का झूठा खाना पीछे के दरवाजे पर फेंकते ही झोपडियों के छोटे-बडे लडके, कौवे, कुत्ते, मक्खियाँ उस पर झपट पडते है। बडे लडके सबको भगा देते है और वे ही सारा खाना स्वाद से हर्षमान से खाते है।

उँची इमारतों के पास झोपडियों एक लंबी कतार लगी है। हर जगह कचरे के ढेर है, "पन्निया कागज, मिट्टी, फूटी हुई शिशियाँ पिचके हुए ट्युब चीथडे जंग गर्द गंदे पानी पर भिन-भिनाते हुए मच्छर नहाते हुए बच्चे।"[4] झोपडियाँ शुरू होती है कचरे के ढेर से और खत्म भी होती है कचरे के ढेर पर ही। पुल की सीढियों पर भिख माँगते अपाहिज, कोढी लोग बैठते है। कोई पैसा देता है कोई खाना। पर कभी-कभी

इन भिखारियों को एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता। ख्वाजा की दरगाह पर कोई स्मगलिंगवाली पार्टी खाना देने आयी है। इसलिए वहाँ बच्चे, भिखारी, कोढी, वेश्याएँ, अपाहिज सब आते है। लेकिन कोढी लोग। और भिखारियों की अलग अलग लाइन की जाती है।

दीक्षित ने झोपडपट्टीयों में जी रहे सामान्य जनजीवन को सजीव रूप से अंकित किया है। इसमें चोर, तस्कर,शराबी, कुली मजदूर, टॅक्सी ड्राइव्हर, अनैतिक संबंध, पाकीटमारी, अवैध मातृत्व ऐसे अलग-अलग आयाम देखने को मिलते है। इन्हीं झोपडी में हालात से मजबूर औरते वेश्या व्यवसाय करती है। जहाँ भी नये झोपडे बनते है। उसके पास ही कही उँची बस्ती भी बसी होती है और ए 'सफेद पोश' अमीरों को झोपडी की गंदी दुनिया अच्छी नहीं लगती और उनको पुलिस के मदद से उखाडने की कोशिश शुरू होती है। जगदंबा प्रसाद दीक्षित ने झोपडपट्टी के सबसे नीचले हिस्से की वेश्याओं और उनके साथ-साथ भिखारियों, कोढियों की दर्दभरी जीवन त्रासदी को अपनी सर्जनात्मकता छुअन प्रदान की है। उनकी जिंदगी जानवरों से भी गई गुजरी होती है। एक मूर्धन्य समीक्षक डॉ. चंद्रकांत बांदिवडेकर ने कहाँ है कि - "लेखक पाठकों को यह प्रतीत करा देने में समर्थ हुआ है कि महानगरी की विष्ठा स्वरूप यह समुचीत बस्ती 'मुरदाघर' बन गयी है। इस क्षेत्र को संभवत: पहली बार (झोपडपट्टी की इन औरतों का यथार्थ और धनी वारांगनाओं का विलासमयी यथार्थ –दोनों की किस्म ही अलग है। अंकित करते हुए उसे पूर्णत: नि:शेष करने का श्रेय जगदंबाप्रसाद दीक्षित को दिया जा सकता है।"[५]

'मुरदाघर' दीक्षित की दूरदृष्टी से उत्कृष्ट रचना है। इस उपन्यास में महाननगर के उस जीवन का आधार बनाया गया है जहाँ कीचड है, गंदा पानी है , सडांध है, धूल है। फुटपाथ पर रहनेवाले अपाहीज जिंदगियों का दर्द मानवीय घृणा और झोपडियों में गंदी सी चारपाईयों पर बिकनेवाले गोस्त का चित्रण इसमें किया गया है। उनके जीवन में इतनी जडता आ गयी है की उसे चेतनामयी बना लेने में संभव सा है। फुटपाथ पर बैठ्नेवाले विवश अपाहिज आदमियों की आपसी घृणा और दुश्मनी संवेदनशील मन को झकझौर डालती है। यह पढकर पाठक सोचने के लिए विवश हो जाता है कि वह स्वयं इस जिंदगी का एक अंग है। जगदंबा प्रसाद दीक्षित की 'मुरदाघर' यह औपन्यासिक कृति मानवीय संवेदना की धनीभूत अभिव्यक्ती है। नियोन लाइट से जगमग सफेद इमारतोंवाली सफेदपोश बस्ती के कॉन्ट्रास्ट में मुंबई की एक गंदी, घिनौनी सडांध से भरी हुई झोपडपट्टी की सच्ची यथार्थ तस्वीर को लेखक ने इस खूबी से उबारा है कि हमारे सभ्य समाज की परत-दर-परत खुलती गई है और वह अपने नग्न स्वरूप के साथ चेतना की संवेदनशीलता के कठघरें में आकर उपस्थित हो जाता है। महानगरों की इमारतों के समांतर फुटपाथों पर भी लाखों, करोडों मनुष्य बसते है, जो कुत्तों, कौवों और रेंगले हुए किडों से भी बदतर जिंदगी बसर करते है और जिन्हें समाज की जुठन और गंदगी के अतिरिक्त कुच्छ समझा नहीं जाता। उन लोगों की इच्छा-आकांक्षाओं, सपनों, आशाओं- निराशाओं, अच्छाईयों, बुराईयों को उनकी अभागी –अपाहिज जिंदगी की अभिशप्त नियति को, उनकी सडांध से घिरी धूल और कीचड में बरबस आँधी पडी फुटपाथ पर एकदम सपाट गिरी –लेटी मजबूर जिंदगीयों के आंसू – रातें दर्द को ज्यों का त्यों उनके अपने परिवेश एवं शैली में चित्रित कर लेखकने दु: साहस का परिचय दिया है।"[६]

दीक्षित ने 'मुरदाघर' में बम्बइया हिंदी भाषा के जबरदस्त सर्जनात्मक प्रयोगद्वारा आधुनिक भीषण परिवेश में पलनेवाले एक समाज के निम्नतम वर्ग की हालात भयावह बीभत्स एवं यथार्थ अहसास उपजया है। झुग्गी-झोपडी के नारकीय जीवन का यथार्थता से अंकन किया है।

निष्कर्ष: जगदंबा प्रसाद दीक्षित ने 'मुरदाघर' उपन्यास के माध्यम से महानगर की अनछुई जमीन को खोदने का काम साहस से किया है। मुरदाघर में सामाजिक विसंगतियों और विषमताओं का यथार्थपूर्ण चित्रण है। वर्तमान अर्थव्यवस्था के तहत गाँवो के उजडने की प्रक्रिया जैसे-जैसे तेज होती गई, महानगरों में गंदी बस्तियों और झुग्गी-झोपडियों का उतना ही तेजी से विस्तार हुआ है। मुंबई जैसे बडे महानगरों में जहाँ एक तरफ चमचमाली कारों और गगनचुंबी इमारतों में रहनेवाले सफेदपोशो की अभिजात, उच्च वर्ग की दुनिया है तो दूसरीओर सडक के किनारें फुटपाथों पर पुल के नीचे गंदी खोट्टो में गटरों के पास सीलन और सडांध भरे झोपडों में भयंकर रोगों से ग्रस्त तथा आर्थिक रूप से मजबूर वेश्याओ, भिखारीयों, कोदियों, अपाहिजों या कुडों पर फेके गये जुठन पर जीनेवाले भूखे बच्चे उचक्कों, जुआरियों, चोर और गुंडों से भरा अपना एक अलग ही संसार है। जो पुँजीवादी समाज व्यव्था की विसंगतियों विषमताओं और विकृतिओं की उपज है। इस सामाजिक पीडाभरी गंदगी के भयावह दबाव को दीक्षित जी ने सृजनात्मक रचना स्तर पर झेला और रचना की है।

संदर्भ:

1. डॉ. सुधा कालदाते- आधुनिक भारताच्या सामाजिक समस्या –शारदा प्रकाशन नांदेड – प्रथम संस्करण - 1974 पृष्ठ क्र- 164-165
2. जगदंबा प्रसाद दीक्षित – मुरदाघर –राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ क्र-7
3. वही – पृष्ठ क्र - 7
4. वही – पृष्ठ क्र -48
5. डॉ. चंद्रकांत बोदिवडेकर – 'उपन्यास : स्थिति और गति' पुर्वोदय प्रकाशन, दिल्ली, प्र.सं. 1977 पृष्ठ क्र – 407
6. डॉ. पारूकान्त देसाई - 'साठोत्तरी हिंदी उपन्यास', सूर्य प्रकाशन, दिल्ली प्रथम संस्करण 1984 पृष्ठ क्र – 164.

'Journal of Research & Development'
A Multidisciplinary International Level Referred and Peer Reviewed Journal,
Impact Factor-7.265, ISSN: 2230-9578, April 2023, Volume-15 Issue-10

1990 नंतरच्या कवितेवरील जागतिकीकरणाचा परिणाम

डॉ. मिलिंद कांबळे
गुलबर्गा विश्वविद्यालय, कलबुरगि, कर्नाटक
Corresponding author- डॉ. मिलिंद कांबळे
Email- dr.milindkamble358@gmail.com
DOI-10.5281/zenodo.7943921

सार

1990 नंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेसह जीवनाच्या सर्वच क्षेत्रात अमूलाग्र बदल अनुभवण्यास मिळू लागले. एक साचेबद्ध आणि पारंपारिक जीवनाला मुक्त आकाश मिळाले. एकाधिकारशाही संपुष्टात आली आणि उदारीकरण किंवा जागतिकीकरणाच्या प्रवाहात आपला देश एक नवे संक्रमण अनुभवू लागला. मुक्त अर्थव्यवस्थेने येथील सर्व गणितच बदलून टाकले. 'आपण आणि आपले ' हा विचार मागे पडला आणि 'हे विश्वची माझो घरं ' या न्यायाने संपूर्ण जग एका छताखाली आल्याचा अनुभव आपल्याला येऊ लागला. भारतीय अर्थव्यवस्थेवर जसा परिणाम जागतिकीकरणाचा झाला तसचा परिणाम येथील कला, साहित्य आणि संस्कृतीवर देखील झाला. आपल्या साचेबद्ध साहित्याची मांडणी मागे पडली आणि मुक्त अर्थव्यवस्थे सारखेच मुक्तछंदात मुक्त विषय काव्यातून मांडल्या जाऊ लागले. विविध वर्गातून, जातिजमातीतून लिहिता झालेला लेखकवर्ग पुढे येऊ लागला. नागर, महानगर, ग्रामीण, दलित अशा सर्वच वर्गातून आलेले लोक नव्या वर्तमानाला प्रतिक्रिया देऊ लागले. यामध्ये भाषेची देखील तोडमोड होऊ लागली. अनेक नवीन शब्द आपल्या भाषेत रुढ होऊ लागलेत. जागतिकीकरणाचा प्रवाह एवढा तीव्र होता की आपल्या पारंपारिकतेला त्याने जबर धक्का दिला. आपल्या कवी–लेखका ंनी हे सर्व बदल टिपण्यास आपल्या साहित्यातून प्रारंभ केला. विशेषतः मराठी कवितेने हे बदल लवकरटिपले. 'जे न देखे रवि ते देखे कवी' या उक्तीनुसार आमच्या मराठी कवींनी आपल्या कवितेत बदल स्विकारला. जागतिकीकरणाचा परिणाम या कवींच्या प्रतिभेवर झाला. काव्याचे विषय बदलू लागले. जागतिकीकरणाच्या रेटयात हरवलेला, भौतिक गरजांच्या आहारी गेलेला, पावलापावलावर संकटाला तोंड देणारा सामान्य माणूस, नव्याने उदयाला आलेली मॉलस ंस्कृती हे कवींच्या काव्यलेखनाचे विषय होऊ लागले. नवकवी विविधांगी आशयसूत्रांचा वेध घेवू लागले. याप्रमाणेच वेगवेगळया प्रकारे अभिव्यक्त होऊ लागले.

प्रस्तावना

1960 ते 1990 पर्यंत काव्य लेखन करणाऱ्या कवींनी त्यांच्या कवितेला एक स्वतंत्र ओळख दिली. अरुण कोलटकर, दिलीप चित्रे, ना.धो. महानोर, ग्रेस, वसंत आबाजी डहाके, विलास सारंग, भालचंद्र नेमाडे, चंद्रकांत पाटील, सतीश काळसेकर, गुरुनाथ धुरी, वसंत गुर्जर आदी कवींच्या कवितेतून काव्यलयी ंची विविधता अनुभवाला मिळाली. अनेक लयींचा प्रयोजक आणि अर्थपूर्ण वापर या कवींनी केला. ओवी, अभंग, पोवाडे, लावण्या मात्रावृत्ते –अक्षरवृत्ते, विविध ठिकाणची व गटांची लोकगीते, वेगवेगळया भूप्रदेषातील भाषीक उच्चारण्याची शैली, वेगववेगळया बोली या सर्वांमधून प्रत्ययाला येणाऱ्या भाषिक लयींचा आविष्कार या कवींनी केला. साठोत्तरी कवितेला भाषीक लयींबाबत संपन्न वारसा लाभला. 1990 नंतर जागतिकीकरणाने एकूणच मानवी आयुष्याच्या अनेक अंगांना स्पर्श केला. या काळात काव्यलेखन करणाऱ्या कवींना नव्वदोत्तरी कवी हे नामाभिधान दिलेले आहे. या काळात ज्यांनी आपल्या कवीतेतून काव्याच्या प्रांतात ठसा उमटविला त्यामध्ये श्रीधर तिळवे, मंगेश काळे, सलील वाघ, नितीन कुळकणी, मन्या जोशी, हेमंट दिवटे, संजीव खांडेकर, वर्जेश सोळेंकी, प्रवीण बांदेकर, अजय कांडर, अनिल कांबळी, वीरधवल परब आदी कवींचा उल्लेख करावा लागेल. त्यातील अनेक कवींनी स्वतःच आपली भाषिक वाट शोधत काव्यातून विविध लयींच्या शक्यता आजमावल्या. कवी नितीन कुळकर्णी यांची कविता या लयीचे उत्तम उदाहरण आहे.

''वार तिथ सुट्टया, वर्ष रजा प्रवास जन्म
वाचलो वाचलो वाचलो वाचलो वाचलो''
(सगळं कसं अगदी सैफेनाए)

रोजचं जगणं हे एक संकट आहे आणि यातून कवी 'वाचलो, वाचलो...' म्हणतो आहे. 'वाचलो' या शब्दा ंच्या पुनरुक्तीतून जी लय साधली आहे. ती या मरणाच्या संकटाला अधिक गडद करते आहे. नव्वोदत्तरी काळात काव्यलेखन करणाऱ्या कवी ंनी स्वतःची अशी लय कवितेतून जोपासलेली दिसते. या

कवींच्या कविता या मुक्तशैलीचा वापर करताना दिसतात. तर काही कवींच्या कविता या गद्यलयीचा आश्रय घेतात.

''कोण लिहितोय कविता
भोकं पडलेली
शब्द कोंबून कोंब ूनही
जी बुजत नाहीयेत''
(भोकं–मेंदूतल्या शांततेलाही पडलेली)

''टी.व्ही. चालू आहे
टी.व्ही. समोर नाचतोय मुलगा
उलटासुलटा
बदलतोय चॅनल्स
मी चिडतोय त्याच्यावर
मी त्याला मारावं की मारु नये ?
शांततेला भोक
नाही मारलं तरी''
(चौतिशीपर्यंतच्या कविता)

हेमंट दिवटे यांची ही कविता हे बोलणेच आहे. स्वतःच्या जगण्याचा अनुभव लिहून कवितेतून मोकळं होण्याची कवीची इच्छा शब्दबद्ध केली आहे. या कवीतेची मांडणी कोणत्याही यमक, अनुप्रास, अलंकाराचा वापर न करता केली आहे. पडलेली, नाहीयेत, पडतंय या क्रियापदांचे उपयोजना, छोटी, छोटी वाक्यरचना यांतून कवितेत एक लय साधली आहे. नव्वदोत्तरी अनेक कवींच्या कवितेत अशा गद्यलयी आढळतात.

''शेवटी अगदी जवळच्या व्यक्तीचा मृत्यूही आपण
सहजतेने जिरवतो
पहिल्या पहिल्यांदा तर तसबीरीवर नेमांन चढवतो
ताज्या फुलांचा हार
नंतर नंतर फ्रेमवरची धूळ पुसरण्यासही येत जातो
मनस्वी कंटाळा
प्रिय, असा एक दिवस आज नाही की तुझी

आठवण येत नाही'
कोठल्याही स्मरणिकेत छापवतो जवळच्या

व्यक्तीचा फोटो
अगदी तपशीलाने''

(वर्जेश ईश्वरलाल सोलंकीच्या कविता)

नव्वोदत्तरी कवितेमध्ये बदलत्या जीवनाचे संदर्भ मोठया प्रमाणात आले आहेत. आधुनिक जीवनाशी निगडीत अनेक घटनांचे, वस्तूंचे उल्लेख येथे सहजपणे येतात. हे उल्लेख येत असतानाच अभिव्यक्तीच्या पद्धती बदललेल्या दिसतात, वृत्तछंदाच्या भाषिक लयी या कवितेतून पूर्णपणे हद्दपार झालेल्या दिसतात. अनेकविध भाषिक लयींचा एक संपन्न वारसा साठोत्तरी कवितेच्या रुपाने या कवींना उपलब्ध होता. पण तरी या कवींची कविता प्रामुख्याने मुक्तशैलीत व्यक्त झालेली दिसते.

श्रीधर तिळवे हा एक आशावादी नव्वदोत्तरी कवींचे प्रतिनिधीत्व करतोय. नवीन गोष्टींचा स्वीकार कालसुसंगत असून आपण स्वीकारला पाहिजे हा विचार तो आपल्या कवितेतून व्यक्त करतो.

''सारंच नाकारुन चालणार नाही
सारंच नाकारुन चालणार नाही, काहीतरी इथलंही
स्वीकारावंच लागेल
सारंच विद्धंसनीय असू कसं शकतं ? कुठतरी
स्वतःलाही आवरावंच लागेल
आपल्याही आधी असतं जन्मलेलं गर्भाशय
आपल्याही आधी असतात लढणारे सैनिक
आपल्याही आधी असतो शस्त्रांचा खणखणाट
आपल्याही आधी असतं रक्तांचं पीक''

(एका भारतीय विद्यार्थ्यांचे उद्‌गार)

जागतिकीकरणाचा सर्वाधिक परिणाम येथील ग्रामव्यवस्थेवर झाला आहे. ग्रामीण जीवन संपूर्णपणे ढवळून निघाले. ग्रामव्यवस्थेचा कणा असलेली शेती मोडकळीस निघाली. शेती हे उदरनिर्वाहाचे साधन आहे यावरचा विश्वास कमी होऊ लागला. जागतिकीकरणामुळे विविध व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध होऊ लागल्या. अनेक कंपन्या उभ्या राहू लागल्या. या कंपन्यांना काम करण्यासाठी मजूर वर्ग लागू लागला. मात्र हा मजूर सुशिक्षित हवा होता. यातूनच मग ग्रामीण भागातील पदवी, पदवीयुत्तर युवक नोकरीच्या शोधात मोठया शहरांमध्ये जाउ लागले. आतापर्यंत आई म्हणून सेवा केलेल्या काळया आईची म्हणजेचे शेतीची विक्री होउ लागली. खेड्यातील लोंढा शहराकडे येउ लागला. हा बदल कवींनी टिपला नसता तर नवलचं.

काळया आईपासून मुक्त झालेल्याची कहाणी सांगणारी कविता संतोष पवार यांनी लिहीली.

''किती वर्षापूर्वी तुम्ही घेतली शेती ?
पूर्वापार चालत आलीय
का बरे विकायला काढली
मुलाला शहरात नोकरी लागली
कुठे?
पुण्याला कंपनीत
शिक्षण काय झाले त्याचे? ''

(सौदा–1)

कल्पना दुधाळ या दर्जेदार कवियत्रेने असास जागतिकीकरणाच्या कचाट्यात सापडलेल्या शेतीचा विषय घेउन 'सिझर कर म्हणतेय माती' नावाची कविता लिहिली. कवियत्री म्हणते 'घरातल्या माणसांबरोबर शेतातली कामं करताना तो परिसर, ते कष्टाचं वातावरण मनात खोल मुरत राहिलं. सऱ्या–वरंबे ओढलेल्या रानात दिसायचं आणि माती ग्लोबल झाली, अस वाटायच ... एकदा आम्ही हरभरा पेरला आणि त्या रात्री मुसळधार पाउस पडला. काही हरभरा वाहून गेला... काही मातीत दबल्यानं लवकर उगवला नाही. तेव्हा प्रचंड अस्वस्थ वाटू लागलं आणि मी लिहून गेले–

''माती अडून बसलीय
सिझर कर म्हणत
मी काय करु ?''

(दोन शब्द रुजव्यातून)

जागतिकीकरणाने जसे कवितेचे विषय बदलले तसेच काव्य व्यक्त करण्याची साधने देखील बदलली. पूर्वी कागदावर प्रकट होणारी कविता आता फेसबुक, व्हॉटॲप, ई–मेल, ट्विटर या आधुनिक संवाद साधनांमधून प्रकट होउ लागली. या माध्यमांमुळे मराठी कवितेला जागतिक रसिक मिळू लागलेत. अशीच एक फेसबुकवर प्रकट झालेली सुमिरन अंश या कवीची
कविता आहे. तो लिहितो...

''आणि फुलपाखराने केले लॉगीन
त्याच्या सोशल बागेत
लाकूडतोडयाने त्याच्या सोशल जंगलात
सकाळ होताच
म्हातारी तिच्या सुरक्षित
भोपळयात लॉगीन...

जुन्याच विषयांना नवीन आशयात चपखलपणे बसवून कवीने जागतिकीकरणाला न नाकारता कवितेला नव्या ढाच्यात मांडले आहे. इंटरनेट, त्यावरील विविध ब्लॉग्ज, विविध साहित्यिक ग्रुप्स, वा फेसबुकसारखी सोशयल साईट्स यासरख्या आधनिक माध्यमांचा कवितेच्या अभिव्यक्ती आणि प्रसारासाठी चपखल उपयोग हे कवी करु लागले आहेत. सुमिरन सारखेच प्रणव सुखदेव, सुजित पाठक, फेलिक्स डिसोजा, ओंकार कुळकर्णी, स्वप्नील चव्हाण, इग्नेशियस डायस, ओंकार डिचवलकर, स्मिता गानू जोगळेकर, योजना यादव, मल्हार पाटील, जुई कुळकर्णी असे अनेक कवी नव्या साधनांचा उपयोग करुन व्यक्त होत आहेत. या सर्वच कवींमध्ये समान असलेली एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपआपल्या अनुभवक्षेत्रांशी प्रामाणिक राहत हे कवी आजच्या वर्तमानाच्या भाषेत स्वतःच्या जगण्याच्या अनुषंगाने आपल्या काळाविषयी, काळाने उभ्या केलेल्या विविध प्रश्नांविषयी, सामान्य माणसाचे अस्तित्व ओरबडणाऱ्या नव्या व्यवस्थेविषयी बोलताना दिसतात. स्वतःला या पडझडीच्या वर्तमानाला प्रतिक्रिया नोंदवू शकणारा संवेदनशील प्रतिनिधी मानून एकाच वेळी आपले खाजगी आणि सामाजिक चरित्र यांची मांडामांड ते करतात. ईश्वर हा विषय घेवून त्याला आधुनिक माध्यमांशी जोडण्याचा प्रयत्न कवी वर्जेश सोलंकी या कवीने केला आहे. ईश्वराच्या शोधाविषयी, ईश्वर आणि माणूस यांच्यातील नात्यांविषयी मराठी कवितेच्या आरंभापासून अनेक कवी लिहित आले आहेत. मात्र, ईश्वराच्या याच पारंपारिक प्रतिमेकडे पाहण्याचा जागतिकीकरणाच्या युगातील कवींचा आधुनिक दृष्टिकोण आणि ज्या भाषेत ते बोलत आहेत ती भाषा, या दोन्ही गोष्टी आजच्या कम्प्युटर, टीव्ही, मोबाईल, इंटरनेट, इमेल, जाहिराती अशा विविध माध्यमांनी व्यापलेल्या काळाला आणि जगण्याला कशा साजेशा आहेत ते वर्जेशच्या कवितेतून पाहता येईल. तो लिहितो...

''कुठला आयकॉन क्लिक केला तर भस्सकन समोर
येणारेय तुझं लेण

विश्वाच्या हार्ड डिस्कमध्ये किती बाईटस मध्ये
पसरला गेलायस तू
... कितीएत तुझी रुपः सॉफटवेअरमधल्या रोज
नव्या येणाऱ्या ई–लॅग्वेजेससारखी
...की खोलून बसला आहेस तूही ऑनलाईन
सर्विसच ग्लोबल दुकान
अन् तुझयाच आशीर्वादाने खणाणतोय का माझया
शेजारच्या हातातला मोबाईल.''

(ऑयकॉन)

हेमंत दिवटे या कवीने देखील अशाच प्रकारे आपल्या कवितेतून नवीन विषयाला हाताळले आहे. कवी म्हणतो...

''तू मला हसण्याचा रडण्याचा
जगण्याचा मरण्याचा
वापरण्याचा व वापरलं जाण्याचा
पासवर्ड दिलास
आणि मी माणूस झालो...
तू माझी ई–भाषा
तू माझी ई–आई
तू आहेस म्हणून मी आहे
तू नसतास तर नसतो मी...''

(आणि इथेच त्याची मारली जाते)

ईश्वराला प्रसन्न करण्यासाठी पूर्वी जसे जप–तप केल्या जात होते. मंदिरात जाउन पुजाअर्चा केली जात होती. पारायणे केली जात होती. नव्या भक्ताला आता त्याची गरज नाही. तो नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करुन देवाला प्रसन्न करु पाहत आहे. हा विषय एकदम नवीन असला तरी कवीने अतिशय मार्मिकपणे मांडला आहे. कवी सलील वाघ याने आपल्या 'प्रार्थनेची कविता' या कवितेतून असाच भाव देवाप्रति व्यक्त केला आहे. कवी म्हणतो ..

''मी तुझ्या नावाचे एकशेएक एसएमेस करीन
मी तुझ्या नावाचे एकशेएवीस ईमेल करीन
तुझ्या नावाचा यूआरएल सगळीकडे चिकटवीन
तुझ्या नावाचा बाईट देईन तुला मिडीयाभर मिरवीन
तुझ्या धर्माचं मी करीन मल्टिलेवल मार्केटींग
एक्साईज–फ्री झोनमध्ये तुझं राउळ बांधीन
चल देवा कर तुझ्या कृपेचं एमओयू साईन
माझ्या श्रध्देची मी देतोय ना वारंटी लाईफ टाईम...''

(सलील वाघ सध्याच्या कविता पृ. 39)

कम्प्युटर क्षेत्राशी किंवा संपर्कमाध्यमांशी थेटपणे संबंधित असलेल्या महानगरातील कवींच्या बरोबरीने अशा क्षेत्रांशी संबंधित नसतानाही महानगरीय परिघाबाहेरील कवीदेखील ईश्वर किंवा तत्सम धर्मव्यवस्थेविषयी, त्यातील गोंधळ, बजबजपुरीविषयी अशाच संवेदनांतून प्रतिक्रिया नोंदवतात कवी मनोज सुरेंद्र पाठक आपल्या 'तू म्हणजे असाध्य दुखणे विनावेदनेचे' या कवितेत म्हणतात...

''तुला हद्दपार करता येत नाही मला ''
तू म्हणजे माझे असाध्य दुखणे विनावेदनेचे
तू माझ्या कॉम्प्युटरची बॅड कमांड
तुझा पासवर्ड माझ्या प्रोगाममध्ये
चल मी तुला स्वीकारतो आहे
हे माझ्या ईश्वर !''

(अधिसत्ता)

कवी मंगेश नारायण काळे याने तर पंढरीच्या पांडूरंगालाच जागतिकीकरणाच्या युगात आणलं आहे. कवी म्हणतो...

''टाईम टू टाईम देवळात राहायाची ''
सवय करा धनी
ओव्हरटाईमचा फरक मात्र
मागू नका तुम्ही
...आता तरी सोठा ताठा
पायीची वीट सोडा
वारीसाठी वैक ठाच्या आणला
तुक्यानं कॉम्प्युटरचा घोडा''

(नाळ तुटलेल्या प्रथम पुरुषाचे दृष्टांत)

याशिवाय महानगरीय परिघाबाहेरील वास्तव मांडणाऱ्या श्रीधर नांदेडकर, श्रीकांत देशमुख, दिनकर मनवर, अजय कांडर, गोविंद काजरेकर या ग्रामीण भागातील कविंच्या कवितेत देखील जागतिकीकरणाचे परिणाम दर्शविणारे चित्रण अनुभवण्यास मिळते. या कवींच्या कवितेत आजच्या माध्यमांकित काळाशी संबंधित येणाऱ्या प्रतिमा किंवा एकूणच भाषिक संवेदन तसेच श्रद्धा, नीती, संस्कार यासारख्या भावनांशी संबंधित गोष्टींनाही आलेल्या बाजारु स्वरुपाचा थेट निर्देश नव्वदोत्तर दशकातील माध्यमक्रांतीमुळे बदललेल्या सामाजिक व सांस्कृतिक मुल्यांशी निगडीत आहे. आंबेडकरवादी तत्वज्ञान कवितेतून मांडणाऱ्या अरुण काळेसारखा कवीने बाबासाहेबांना उद्देशून बोलतानाही जागतिकीकरणाने लादलेल्या नव्या भाषिक संवेदना चा कसा वापर केला आहे हे पुढील काव्यपंक्तींवरुन येईल.

''तू मदरबोर्ड माझ्या संगणकाचा ''
आणि मल्टिमिडिया कीबोर्ड
हा संगणक, ही मेमरी अन्
अपडेट प्रोगॅमही तूच दिलेला''

(अरूण काळे – नंतर आलेले लोक, पृ.क्र. 37)

माध्यमस्फोटाचा एक अपरिहार्य घटक म्हणून येणारा भाषिक संकर किंवा भाषिक कल्लोळ हाही जागतिकीकरणाला प्रतिसाद देणाऱ्या आजच्या कवितेचा आणखी एक महत्त्वाचा विशेष म्हणता येईल. साठोत्तर पिढीतील कवितेतील भाषिक मोडतोडीपेक्षा हा संकर अधिक सहज–स्वाभाविक वाटतो. याचेही कारण पुन्हा माध्यम–तंत्रज्ञान, बाजार यांच्या प्रभावामुळे बदललेल्या सामाजिक व सांस्कृतिक परिस्थितीशी निगडीत आहे. व्याकरणाच्या नियमांचे उल्लंघन, नवे अर्थसंकेत सूचित करणाऱ्या शब्दसमूच्चयांची निर्मिती, प्रमाण मराठीच्या बरोबरीने मराठीच्या विविध बोलीतील संस्कृतिदर्शक शब्दसमुह वापरणे, जुन्या मराठीचा वापर, हिंदी, इंग्रजी यासारख्या भाषेतील शब्दांचा बेसुमार वापर, व्यवसायाशी संबंधित शब्दांचा वापर अशा अनेक अंगाने या भाषिक स काराकडे पाहता येते. या प्रकारच्या भाषिक वापरामुळे या दशकातील कवितेला अर्थवाही परिणामही लाभलेले जाणवते. अनेकदा आधुनिक जीवनशैलीशी संबंधित, माध्यमांशी निगडीत वस्तूंच्या याद्या देणाऱ्या कविता म्हणूनही या कविता बाबत आक्षेप घेतले जातात.

गेल्या दशकभराच्या कालखंडात इ
टरनेटसारख्या विश्वाला जोडणाऱ्या

अत्याधुनिक माध्यमांचा कवींनी वापर करायला सुरुवात केली आहे. या माध्यमातून आपल्यासमोर येणारी कविता ही साहजिकच आंतरजालासारख्या एका मायावी जगातून येत असल्यामूळे तिच्या कर्त्याविषयी, ती मांडत असलेल्या आभासी जगाविषयी थेटपणे काही बोलू पाहणे कठीण आहे. अनेकदा एका विशिष्ट नावाने आपल्या समोरच्या स्क्रिनवर अवतरलेल्या कविता या एकाच व्यक्तीच्या आहेत की अनेकांच्या, स्त्रीच्या आहेत की पुरुषांच्या, कोणत्या वर्ग, प्रदेशातील व्यक्तींच्या सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थितीशी त्या संबंधित आहेत याविषयी काहीही कळू शकत नाही. या कवितांना

जगभरातल्या वाचकांकडून तात्काळ मिळत असलेल्या प्रतिक्रियांचाही परिणाम या कवितांच्या निर्मितीवर होताना दिसतो आहे. एकूणच जागतिकीकरणाच्या या वा–यात आधुनिक माध्यमांचा आपल्या जगण्यावर, कृतीशीलतेवर, विचार करण्याच्या प्रक्रियेवर जसा बरावाईट, सकारात्मक वा नकारात्मक परिणाम होत आहे, तसाच तो काव्यावर देखील होत आहे. आपल्या जगण्याला व्यापून उरलेल्या या जागतिकीकरणातील संस्कृतीला उद्देशून या काळाचा कवी मल्हार पाटील म्हणतो...

''परस्परच दिली जातायत उत्तरे ''
आपसूकच मिटून जातायत शंका
आपल्याच मनातलं आपण उच्चारण्याआधीच
उमटतंय तिसऱ्याच कुणाकडून तरी
आपल्या पुढयातल्या स्क्रिनवर,
अशातून हतबुद्धपणे की अंचब्याने
पाहत राहतोय आपण निष्क्रिय आनंदाने
लाईक करीत मनातल्या पोस्टवर''

आपल्या मनातील विचार किंवा भावना आपण कृतिशील होउन व्यक्त करेपर्यंत भलताच कोणीतरी आपल्याआधीच व्यक्त करुन जातोय आणि आपण हताश होउन पाहत राहतो हा अनुभव या जागतिकीकरणाच्या प्रवाहात आता नित्याचे झाले आहे. जागतिकीकरणात कविता मुक्त झाली आहे. सोबतच ती अधिक व्यापक झाली आहे. कवितेतील तोचतोचपणा कालबाह्य झाला आहे. कवितेला नवा आकार आणि नवे रुप प्राप्त झाले आहे जागतिकीकरणाचा मानवी जीवनाच्या सर्व अंगांवर परिणाम होणे जसे अपरिहार्य होते तसेच कवितेवर देखील परिणाम होणे अपेक्षितच होते. त्यामुळे कवींनी कवितेत बदल स्वीकारले आहेत. वाचकांनी देखील ते स्वीकारणे अपेक्षित आहे.

संदर्भ ग्रंथ

1. जागतिकीकरणात मराठी कविता – उत्तम कांबळे
2. कविता विसाव्या शतकाची – वसंत आबाजी डहाके
3. शतकातील कविता – मधु मंगेश कर्णिक
4. कविता शतकाची –सरोज पाटणकर
5. ललित मासिक – कविता विशेषांक फेब्रु. 2013.

'Journal of Research & Development'
A Multidisciplinary International Level Referred and Peer Reviewed Journal,
Impact Factor-7.265, ISSN: 2230-9578, April 2023, Volume-15 Issue-10

मुंबई शहरातील नाट्यक्षेत्रातील नाट्याकलावंतांचे सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीचे अध्ययन

प्रा.संकेत संजय कुलकर्णी
सहाय्यक प्राध्यापक – अर्थशास्त्र विभाग,
भिमराव प्रधान कला, वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालय, शहापूर. जि.ठाणे
Corresponding author- प्रा.संकेत संजय कुलकर्णी
Email- sanketk260@gmail.com
DOI- 10.5281/zenodo.7943935

घोषवारा (Abstract):-
नाट्यक्षेत्राचा आवाका विस्तृत असला तरी देखील नाट्यकलाकार हा सध्या फारचं दुर्लक्षित घटकांत गणला जातो. त्यांना प्रेक्षकांचे मनोरंजन करण्याची जबाबदारी तर असतेच पण त्याच जोडीला हे कलाकार नानाविध आर्थिक तथा सामाजिक समस्यांना वारंवार तोंड देत असतात. त्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी विविध नाट्यसंमेलन आयोजित करणे, त्यांना प्रवाहात आणण्यासाठी कार्यशाळा राबविणे, कौटुंबिक तसेच शैक्षणिक योजनांचा लाभ मिळवून देणे व अशा त्तसम मार्गाने नाट्यकाराचा दर्जा टिकून राहील. हा हेतू समोर ठेवून मी या संशोधनपर विषयाचे अध्ययन करीत आहे. केवळ प्रेक्षकांच्या चेहऱ्यावरील हास्य आणि त्यांच्या प्रतिसादातूनच कलाकार विकसित होत असतो. परंतु हेच हास्य देताना या हास्यामागे दडलेल्या अनेक रंगछटा सर्वच कलाकार मंडळी सहन करीत असतात. प्रेक्षकांना मनोरंजित करण्यासाठी प्रसंगी ते स्वतःचे कौटुंबिक उणेदावे बाजूला ठेवतात. वैयक्तिक आयुष्यात कितीही दुःख असले तरी एकदा का पाय रंगमंचावर पडले की कलाकाराला आपल्या भौतिक दुनियेचे भान रहात नाही. अशा नाट्यकर्मींच्या समस्या जाणून घेऊन काही सकारात्मक मार्ग काढता येईल का? असा विचार एक कलाकार म्हणून माझ्या आकलनात आला आणि तिथूनच या विषयावर संशोधन करण्यास सुरुवात झाली. प्रस्तुत संशोधन पेपरात मी 'मुंबई विभागातील नाट्यक्षेत्रातील नाट्यकलावंतांचे सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीचे अध्ययन' केले आहे. हे संशोधन पुर्णत्वास येण्यासाठी मी वृत्तपत्रे, मासिके, साप्ताहिके, संबंधित पुस्तके आणि विविध संकेतस्थळे इत्यादी दुय्यम स्वरुपाच्या महितीचा वापर केला आहे
Key Words: - नाट्यक्षेत्र, कलाकार, सामाजिक, आर्थिक, समस्या, अध्ययन, मनोरंजन, टाळेबंदी, निधी, नाट्य संघटना

प्रस्तावना (Introduction):-
भारत हा कृषी प्रधान संस्कृती असून प्राथमिक क्षेत्रातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा वाटा हा औद्योगिकक्षेत्रातील उत्पन्नापेक्षा हा कमी आहे. तर सेवा क्षेत्रातून मिळणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा औद्योगिकक्षेत्रातून मिळणारा उत्पन्नाचा वाटा हा कमी आहे. म्हणजेच, भारतात सेवाक्षेत्रातून उत्पन्नाचा वाटा हा सर्वाधिक असल्याचे निदान करता येऊ शकते. अर्थव्यवस्थेच्या व्यवहारीक पातळीच्या दृष्टीकोनातून पाहले असता, समाजाचे दोन गटांत वर्गीकरण झालेले दिसून येते. एक गट म्हणजे, उत्पादक वर्ग (वस्तू निर्मिती करणारा) आणि दूसरा गट हा सेवा देणारा होय. नाट्यक्षेत्र हे दुसऱ्या गटात म्हणजेच, सेवाक्षेत्रात मोडणारे आहे. नाट्यक्षेत्र हा मनोरंजनाचा एक भाग असून नाट्यक्षेत्रातील कलाकारांना रोजगार उपलब्ध होतो. निर्मात्यांना एका प्रयोगाला किमान लाखभर खर्च करावे लागतात. नाटकांसाठी असलेली गुंतवणूक ही अधिक प्रमाणात असते. अर्थातच, ह्या गुंतवणुकीतून नाट्य कलाकारांना रोजगार प्राप्त होतो. पर्यायाने स्थानिक सरकार आणि राज्य सरकारला करांच्या मार्फत उत्पन्न प्राप्त होते. अर्थातच, अर्थव्यवस्थेत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष का होईना या क्षेत्राचा हातभार लागतो. सेवाक्षेत्रात मोडणारे आहे. नाटक हे एक जीवंत माध्यम असून लोकांशी थेट संवाद साधून प्रत्येकाला पडणाऱ्या प्रश्नांची उकल होते. विचार,भाषा ह्यांची आदान – प्रदान केली जाते. नाटकाच्या माध्यमातून प्रत्येक व्यक्तिला नावीन्यपूर्ण तत्त्व मिळत असते. व्यक्ति व्यक्तीगत दृष्टीकोण भिन्न असतो. समाजिक जीवनात व्यक्तीची समाज धारणा भिन्न असते आणि बांधिलकी व संवेदना निर्माण होऊन अगदी न सुटणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरे अगदी सुलभ सोयीकरपणे सोडवू शकतो. अखेर मानव हा सामाजिक चौकटीत राहून अभिव्यक्त होतो.

इतिहास (History):-

भारतीय रंगभूमीचा इतिहास बराच प्राचीन आहे. भारतात काही रंगभूमीपूर्व कलांचा आढळ होता, असे प्राचीन भारतीय साहित्यांमधील संदर्भांवरून लक्षात येते. इ.स.पू. दोनशे ते इ.स.दोनशे या चारशे वर्षांच्या दरम्यान केव्हातरी संस्कृत नाट्यलेखनापासून ते नाट्यप्रयोगाची इत्यंभूत माहिती देणारा नाट्यशास्त्र हा ग्रंथ रचला गेला. संस्कृत नाटकांमध्ये सर्वांत प्राचीन अशी नाटके अश्वघोष या नाटककाराची मानता येतील. त्याची नाटके बौद्ध धर्मातील शिकवणी संदर्भातील होती. परंतु ती त्रुटित स्वरूपात मिळालेली असल्याने कथानकाची पूर्ण कल्पना करता येत नाही. सन १९१२ मध्ये केरळात ताडपत्रांवर लिहिलेली भास या नाटककाराची तेरा नाटके सापडली. त्याने रचलेले स्वप्नवासवदत्ता हे संस्कृत भाषेतील एक महत्त्वाचे नाटक मानले जाते. विष्णुदास भावे मराठी नाट्यपरंपरेचे जनक मानले जातात. त्यांचा उल्लेख " महाराष्ट्र नाट्य कलेचे भरतमुनी म्हणून केला जातो." १८४३ साली राजांच्या पाठबळावर भाव्यांनी सीता स्वयंवर हे मराठीतील पहिले नाटक रंगमंचावर आणले. सांगली संस्थानाच्या राजवाड्यातील 'दरबार हॉल'मध्ये नोव्हेंबर ५, १८४३ रोजी या नाटकाचा पहिला खेळ झाला. पुढे नाट्यलेखन व निर्मिती करून विष्णुदास भावे यांनी अनेक ठिकाणी प्रयोग केले. ९ मार्च १८५३ रोजी मुंबईला 'ग्रांट रोड थिएटर' येथे 'इंद्रजित वध' पहिला नाट्यप्रयोग केला. यानंतर विष्णुदास भावे यांनी १८६१ पर्यंत महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी आपल्या नाटकांचे प्रयोग केले. विष्णुदास भावे यांच्या नाटकांची अपूर्वाई १८६५ नंतर ओसरू लागली. याच काळात पौराणिक-ऐतिहासिक नाटकांच्या बरोबरीने 'फार्स' या प्रकाराचा प्रयोग होत असे. फार्स म्हणजे केवळ विनोदी स्वरूपाचे, प्रहसनवजा असलेले नाट्य अशी जी पुढे समजूत झाली, काही ऐतिहासिक स्वरूपाच्या गंभीर अथवा शोकान्त नाटकांनासुद्धा फार्स म्हणण्याची पद्धत होती. उदा.नारायणराव पेशवे यांच्या मृत्यूचा फार्स, अफझुलखानाच्या मृत्युचा फार्स. प्रहसनवजा फार्सांची नावे त्यांच्या विषयांची कल्पना देणारी, विनोद स्पष्ट करणारी आहेत.उदा.ढोंगी बैराग्याचा फार्स, बासुंदीपुरीचा मनोरंजक फार्स, चहाडखोराचे प्रहसन अथवा कळलाव्या शास्त्र्याऱ्याचा फार्स, हुंडा प्रहसन, विनोदनिर्मितीसाठी काही सामाजिक विषय घेऊन समाजदोषांवर लक्ष केंद्रित होईल अशा पद्धतीने त्यांतील प्रसंगयोजना करून हे फार्स केले जात असत. असे सांगतात की, कोणी एका बाळा कोटिभास्कर नावाच्या गृहस्थाने एका इंग्रजी नाटकाचा प्रयोग पाहिला. त्या नाटकाच्या शेवटी त्याने एक फार्स केलेला ही पाहिला. त्याच धर्तीवर त्याने सीताहरण या पौराणिक नाटकाच्या अखेरीस अगदी अनपेक्षितपणे जरठ-कुमारी विवाहाचे दुष्परिणाम दाखवणारा एक भडक फार्स करून दाखवला. मराठीतला हा पहिला फार्स. तो फार्स पाहून पुढे अनेकांनी फार्स लिहिले आणि त्यांचे प्रयोग केले. १८७० ते १८९० या वीस वर्षात ह्या फार्सांचे प्रमाण जाणवण्याइतके मोठे होते.

अभ्यासाची उद्दिष्टे (Objectives):-

1. नाट्यकलावंत ही संकल्पना समजून घेणे.
2. नाट्याकलावंतांना आर्थिक – सामाजिक भेडसावणाऱ्या समस्या जाणून घेणे.
3. नाट्याकलावंतांसाठी सरकारी योजनेचा आढावा घेणे
4. कलावंतांच्या आर्थिक – सामाजिक स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी योग्य ते उपाय योजनेचा आढावा घेणे.
5. टाळेबंदीच्या काळात इतर व्यवसायात स्थलांतरित झालेल्या कलाकारांचा आढावा घेणे.

संशोधन पद्धती (Research Methodology):-

माहितीचे विश्लेषण आणि पडताळणी :

हा पेपर मुळात वर्णनात्मक आणि विश्लेषणात्मक आहे. या पेपरमध्ये मुंबई शहरातील नाट्यक्षेत्रातील नाट्याकलावंतांचे सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीचे अध्ययनाचे विश्लेषण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. यामध्ये वापरलेला डेटा या अभ्यासाच्या गरजेनुसार प्राथमिक आणि द्वितीय स्त्रोतांकडून माहितीचे संकलन करण्यात आले आहे. या पेपर मध्ये प्राथमिक स्त्रोतातून डेटा गोळा करण्यात आला आहे. यामध्ये ४० प्रतिसादकांची निवड करून त्यांच्याकडून प्रस्तुत अध्ययनासाठी गोळा केलेल्या माहितीचे विश्लेषण आणि पडताळणी पुढील प्रमाणे केली आहे.

1) कोविड काळात आर्थिक समस्येला तोंड द्यावे लागले का?

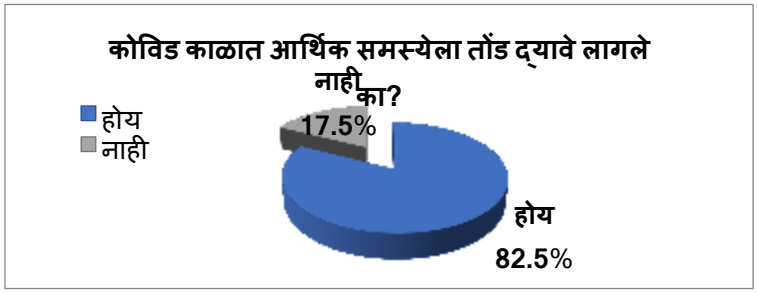

वरील आलेखा नुसार असे निदर्शनास येते की, कोविड काळात आर्थिक समस्या भेडसावणाऱ्या प्रतिसादकांची टक्केवारी 82.5 असून सर्वाधिक आहे. तर कोविड काळातील आर्थिक समस्या न भेडसावणाऱ्या प्रतिसादकांची टक्केवारी 17.5 असून न्यूनतम आहे.

2) नाट्यक्षेत्र वगळता उत्पन्नाचे द्वितीय स्रोत उपलब्ध होते का

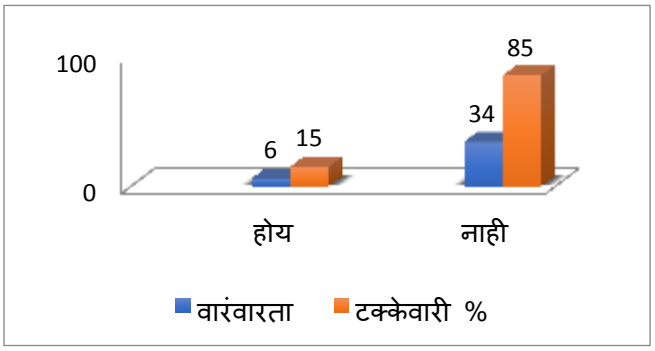

वरील आलेखावरून असे निदर्शनास येते की, नाट्यक्षेत्रातील प्रतिसादकांचे नाट्यक्षेत्र वगळता उत्पन्नाचे द्वितीय स्रोत उपलब्ध असणाऱ्यांची टक्केवारी 15 म्हणजे न्यूनतम आहे. तर नाट्यक्षेत्र वगळता उत्पन्नाचे द्वितीय स्रोत उपलब्ध नसणाऱ्यांची टक्केवारी 85 म्हणजे अधिकतम आहे.

3) टाळेबंदी काळात अर्थार्जनाचे साधन उपलब्ध होते का

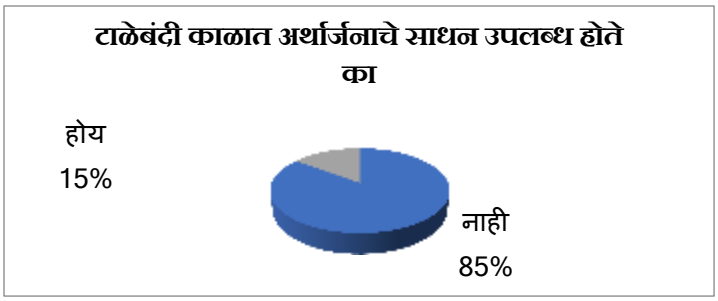

वरील आलेखावरून असे निदर्शनास येते की, नाट्यक्षेत्रातील प्रतिसादकांचे टाळेबंदी काळात अर्थाजनाचे साधन उपलब्ध असणाऱ्यांची टक्केवारी 15 म्हणजेच न्यूनतम असून, नाट्यक्षेत्रातील प्रतिसादकांचे टाळेबंदी काळात अर्थाजनाचे साधन उपलब्ध नसणाऱ्यांची टक्केवारी केवळ 85 म्हणजेच अधिकतम असल्याचे दिसून येते.

4) नाट्यक्षेत्राशी संबंधित रोजगारात अस्थिरता वाटते का

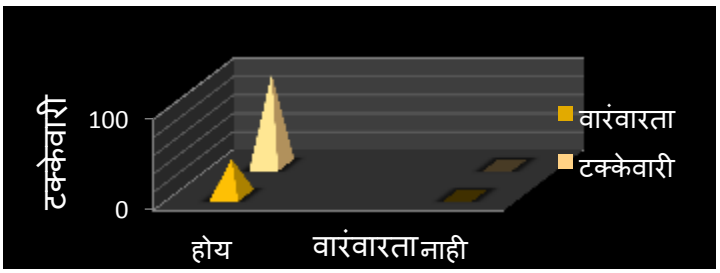

वरील आलेख पाहता असे निदर्शनास येते की, आपल्या रोजगार अस्थिरता असण्याच्या संदर्भात सहमत असणाऱ्या प्रतिसादकांची टक्केवारी 100 म्हणजे अधिकतम आहे. तर आपल्या रोजगार अस्थिरता नसण्याच्या संदर्भात असहमत असणाऱ्या प्रतिसादकांची टक्केवारी 0(शून्य) म्हणजे न्यूनतम आहे.

५) आर्थिक मंदीकाळात सामाजिक स्तरावरून आर्थिक मदत मिळाली का

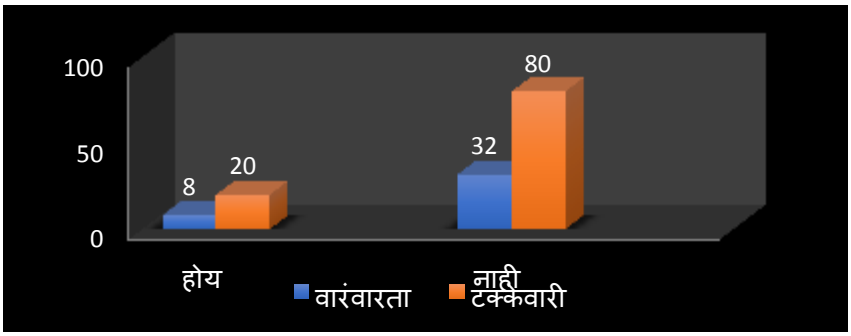

वरील आलेखा नुसार असे निदर्शनास येते की, आर्थिक मंदीकाळात सामाजिक स्तरावरून आर्थिक मदत न मिळणाऱ्या प्रतिसादकांची टक्केवारी 80 असून ही टक्केवारी सर्वाधिक आहे. तर मदत मिळणाऱ्या प्रतिसादकांची टक्केवारी केवळ 20 असून ही टक्केवारी न्यूनतम आहे.

संदर्भ साहित्याचा आढावा (Review of literature) :-

प्रस्तुत संशोधन अभ्यासात नाट्यक्षेत्रातील नाट्याकलावंतांशी निगडीत संदर्भ साहित्याचा आढावा घेण्यात आलेला आहे तो पुढीलप्रमाणे आहे,

1. **अनीता दाते-केळकर (२०२०)** दैनंदिन वृत्तपत्र लोकसत्ता या वृत्तपत्रातील सदर लेखात असे नमूद केले आहे की, नाटकांशी संबंधित अनेक कलाकारांचे एप्रिल महिन्याचे आर्थिक गणित या काळात कोलमडले असूनही आपल्यापेक्षा रोजंदारीवर काम करणाऱ्या कलाकार आणि कामगारांना वेतन देताना त्यांना प्रथम प्राधान्य द्यावे अशी भूमिका या कलाकारांनी घेतली आहे. कलाकारांना दरमहा मानधन मिळत नाही, अनेकदा ठराविक कालावधीनंतर ठराविक आर्थिक रक्कम असा निर्मिती संस्थांबरोबर करार केलेला असतो. त्यामुळे रोजंदारीवर काम करणाऱ्यांना पैसे मिळणे ही गरज असल्याचे अभिनेत्री अनीता दाते-केळकर हिने या लेखातून व्यक्त केले आहे.
2. **लोकसत्ता प्रतिनिधी (२०२०)** दैनंदिन वृत्तपत्र लोकसत्ता या वृत्तपत्रातील सदर लेखात असे नमूद केले आहे की, टाळेबंदी काळात नाट्य विश्वाला मोठा आर्थिक फटका बसला असून या नाट्य व्यवसाय पुन्हा पूर्वपदावर आणण्यासाठी नाट्य परिषद काही प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देणार यावर भाष्य करीत आहे. मराठी नाट्यविश्वाला टाळेबंदीचा मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक फटका बसला आहे. या व्यवसायाला सावरण्यासाठी अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेने १० कोटी रुपयांचा नाट्यकर्मी मदत निधी' तातडीने उभारण्याचे ठरवले आहे. तसेच कलावंत, नाट्य निर्माते, रंगमंच कामगार यांना आर्थिक साहाय्य करण्यासाठी १० लाख रुपयांचा

निधी नाट्य परिषदेत दिला जाणार आहे. गेले बरेच दिवस टाळेबंदी सुरू असल्याने नाट्यविश्वाचे २५ कोटींचे नुकसान झाले आहे. टाळेबंदी संपल्यानंतरही नाट्यप्रयोग त्वरित सुरु होणार नाहीत. पुढील काही महिन्यांचा काळ अधिक कठीण असणार आहे. त्यामुळे हे नुकसान १०० कोटी पर्यंत ही जाऊ शकते. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन परिषदेचे अध्यक्ष प्रसाद कांबळी यांच्या पुढाकाराने नाट्यकर्मींची एक बैठक झूम ॲपच्या माध्यमातून घेण्यात आली. यात नाट्य निर्माता, कलावंत व रंगमंच कामगार संघटनांच्या पदाधिकार्यां सह व सदस्य सहभागी झाले होते. यात भविष्यात नाट्य व्यवसाय सक्षम करण्याच्या दृष्टीने चर्चा झाली. त्यानुसार हा निधी उभारण्याचे ठरविण्यात आले.

3. **निलेश अडसूळ (२०२०)** दैनंदिन वृत्तपत्र लोकसत्तेत 'आता तिसरी घंटा वाजू दे...'या लेखात कलाकारांना देखील आता प्रेक्षकांची ओढ लागल्याचे स्पष्ट केले आहे. इकडे आड अन तिकडे विहीर' अशी अवस्था सध्या रंगभूमीसाठी झटणार्या. रंगकर्मीची झाली आहे. जी कला अंगी बाळगली आहे त्यातून कमावण्याचे दार बंद झाले. दुसरे काही करायचे तर त्यातून सुरुवात, त्यातही भांडवल, प्रतिसाद देणार्यां ची भ्रांत आहे. त्यांच्याच जाण्याची भीती, मग पोटापाण्याची चिंता मिटवायची कशी? असे अनेक प्रश्न त्यांच्या समोर आहेत. २० ते २६ हजार कुटुंबांची रोजीरोटी देणारी नाट्यमंदिरे मात्र तातडीने खुली करण्याकडे सरकारने आता जाणीव पूर्वक लक्ष दयायला हवे, अशी मागणी नाट्यकर्मीकडून होते आहे. चेहऱ्याला रंग लावणारे मेकप दादा, कपड़े संभाळणारी माणसे, नेपथ्यकाराच्या हाताखाली है तोतया पण सत्याहून सुंदर विश्वा निर्माण करणारे रंगमंच कामगार, बुकिंग क्लार्क, पहारेकरी, पट्यापुढचे-मागचे सर्व कलाकार, लेखक, दिग्दर्शक, निर्मात अगदी प्रेक्षकांसहित प्रत्येक जण आत वाट पाहत आहे ती रंगभूमीने कूस बदलून नवा मत धारण करायची.... आणि ती तेज आनीही आहेच म्हणा... कारण करोजाने जीव जाण्यापेक्षा उपासमारीने जीव जातीय लोकांचा, कलाकारांचा, मग शेवटी त्यांनी आत्महत्या करून संपवायचे का स्वतःला? असाही प्रश्न कलाकारांकडून सरकारला विचारला जातो आहे. नाट्यनिर्माता संघाने तर आंदोलनाची मोबांधणीही केली आहे.

अभ्यासाची तथ्यै (Findings):-

1. मुंबई शहरात नाट्यगृह आणि नाट्यरसिकांची संख्या नगण्य असल्याने नाट्यकलाकारांच्या समस्या देखील असंख्य आहे.
2. नाट्यक्षेत्र हा मनोरंजनाचा एक भाग असून नाट्यक्षेत्रातील कलाकारांना रोजगार उपलब्ध होतो.
3. टाळेबंदी काळात नाट्यगृहे बंद असल्याने कलाकारांचे उत्पन्न स्थगित झाल्याने कलाकारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.
4. कलाकारांना दरमहा मानधन मिळत नाही.
5. हातावर पोट असणाऱ्या कलाकारांवर संचार बंदीमुळे उपासमारीची वेळ आली आहे.
6. टाळेबंदी काळात अर्थजनांचे साधन उपलब्द नसणारे 85% आहेत तर अर्थजनांचे साधन उपलब्द असणारे 15% आहे.
7. नाट्यक्षेत्रातील रोजगारात 100% कलाकारांना अस्थिरता वाटते.
8. कोविड काळात 82.5% कलाकारांना आर्थिक मदत मिळाली नाही.
9. कोविड काळात आर्थिक समस्यांना तोंड द्यावे लागणाऱ्या कलाकारांची संख्या 82.5% आहे.
10. नाट्यक्षेत्रात करपात्र नसणाऱ्यांची टक्केवारी 100% आहे.

निष्कर्ष (Conclusion):-

भारतात नाट्यक्षेत्रात काम करणाऱ्या कलाकारांची संख्या अधिक आहे. तसेच मुंबई शहरामध्ये ही नाट्यकलावंतांची संख्या अधिक आहे. रंगमंचावर प्रत्यक्ष स्वरुपात आपली कला सादर करणे, रंगमंचावर प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या कलाकारांमागे मेहनत घेणारे हात हे पडद्यामागील जबाबदारी नेटाने निभावतात, लेखक-दिग्दर्शक नाटकाला साजेसा आकार देण्याचे काम करतात. निर्माता संपूर्ण नाटकाला आर्थिक सहाय्य करुन नाटक पुर्णत्वास येण्यास मदत करतो, नाटकातून प्रेक्षकांचे मनोरंजन करणे इत्यादी अनेक कामे नाट्य कलावंत करत

असतात, बहुतेक नाट्यकर्मी हे काम गेली १० ते १५ वर्षापासून अविरत करत आहेत. या कलाकारांचा दररोजचा ८ तास अथवा ९ तास असा कामाचा कार्यकाळ निश्चित नसतो. प्रयोगादरम्यान तर ही मंडळी दिवस रात्र एक करतात. या कलाकारांचा दरमहा पगार नसतो. एका प्रयोगानंतर विशिष्ट रक्कम या कलाकारांना सुपूर्त केली जाते. असंघटीत क्षेत्रातील ह्या कामगारांना सरकारने जाहीर करण्यात आलेल्या सुविधांची माहिती देखील नाही व कोणतीच सरकारी योजना अथवा मदत त्यांच्या पर्यंत पोहोचलेली नाही.

नाटक आणि नाट्यकलाकार हा घटकच दुर्लक्षित होत चालला आहे .तसेच अजूनही नाट्यक्षेत्राचा म्हणावा तितका विकास झालेला नाही. नाट्यक्षेत्रात काम करणाऱ्या कलाकारांना प्रयोगादरम्यान अथवा सराव करीत असताना विविध समस्यांना सामोरे जावे लागते. त्यांना काही वेळा राबवून घेतले जाते. येता जाताना शारीरिक व मानसिक समस्यांना सामोरे जावे लागते. प्रसंगी मिळेत ते काम मुकाट्याने करतात. त्यांना पुरेशा पायाभूत सुविधा उपलब्ध होत नाहीत. त्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षिततेसाठी सरकारचा कोणताही सुरक्षा कार्यक्रम नाही किंवा तो त्यांच्या पर्यंत नीट पोहोचलेला नाही. अशाप्रकारे या संशोधनातून तथा अभ्यासातून असे लक्षात आले आहे की, नाट्यक्षेत्रात काम करणाऱ्या कलाकारांना त्यांच्या हितासाठी लढत असणाऱ्या किंवा सज्ज असलेल्या नाट्यपरिषदेच्या बाबतीत जागरूकता नाही. त्यांना ह्या बद्दल पुरेशी माहीत नाही. सरकारने अथवा नाट्यपरिषदेने नाट्यकर्मींसाठी ज्या योजना वा निधी राखीव ठेवल्या आहेत त्याबद्दल कलाकार पुर्णतः ज्ञात नाही.

उपाययोजन (Suggestion):-

1. नाट्यक्षेत्रातील नाट्य कलाकारांची आर्थिक परिस्थिति उत्तम नसल्यामुळे राज्य सरकार, निम्म शासकीय सरकार किवा नाट्य सघंटना ह्यांनी पुढाकार घेऊन नाट्य कलावंताना जीवन विमा काढून द्यावा.
2. नाट्य संघटनेने किंवा निर्मात्यांनी रोजंदारीवर काम करणाऱ्या कलाकारांना वेतनात प्रथम प्राधान्य द्यावे.
3. नाट्यप्रयोगा दरम्यान एखाद्या कलाकाराचा अपघाती अथवा नैसर्गिक मृत्यू ओढवल्यास त्या कलाकारांच्या कुटुंबीयांना स्थानिक सरकार / राज्य सरकार अथवा नाट्य परिषदे कडून आर्थिक मदत देण्याची तरतूद असावी.
4. राज्य सरकार किंवा निम्म शासकीय सरकारने नाट्य क्षेत्रातील कलावंतांना आर्थिक सक्षमीकरणासाठी विविध नाट्यसंमेलन आयोजित करून कलाकारांना आर्थिक प्रवाहात आणण्याकरिता नानाविध प्रकारचे कार्यशाळा राबविण्याचे उपक्रम हाती घेणे.
5. राज्य सरकार किंवा निम्म शासकीय सरकारने आर्थिक बाबींत कमकुवत असणाऱ्या कलाकारांच्या मुलांचे अथवा नाट्यक्षेत्राशी निगडीत शिक्षण घेत असलेल्या कलाकारांना शैक्षणिक योजनांचा लाभ मिळवून द्यावा.

संदर्भ सूची (Bibliography):-

1. डॉ.मोहन आगाशे (2013), मेहता मराठी ग्रंथजत, मेहता पब्लिशिंग हाऊस, पुणे.
2. डॉ. पुष्पलता राजपुरे – तापस (2008), नाटक: कालच आणि आजचे, सायन प्रकाशन प्रा. लि.
3. प्रो.डॉ.भाऊसाहेब गमे (2016), मराठी भाषा आणि साहित्य विशेषांक, जर्नल.
4. रोहिणी निनावे (2021), शो मस्ट गो ऑन, अनघा दिवाळी अंक.
5. प्रशांत दामले (2020), आठसूत्री राबवण्याची गरज, लोकसत्ता वृत्तपत्रातील लेख, आवृत्ती – मुंबई
6. नीलेश अडसूळ (2020) ऐन हंगामात नाटकावर पडदा, लोकसत्ता वृत्तपत्रातील लेख, आवृत्ती – मुंबई
7. https://marathivishwakosh.org/category/marathi-literature/page=3
8. https://maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/a-helping-hand-to-the-theater-actors/articleshow/74736677.cms
9. https://vishwakosh.marathi.gov.in/19373/
10. https://epaper.loksatta.com/c/59886928

'Journal of Research & Development'
A Multidisciplinary International Level Referred and Peer Reviewed Journal,
Impact Factor-7.265, ISSN: 2230-9578, April 2023, Volume-15 Issue-10

झारखण्ड के पर्यावरण में वन की स्थिति

अर्चना कुमारी
शोधार्थी राजनीतिक विज्ञान विभाग,
नी०पी० विश्वविद्यालय, मेदनीनगर, पलामू
Corresponding author- अर्चना कुमारी
email-Id-akgupta0012@gmail.com
DOI-10.5281/zenodo.7943947

सार

वन राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण संसाधन है तथा राष्ट्र हित में यह आवश्यक है कि वनों की सुरक्षा की जाये। वनों से अनेकानेक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ हैं। वनों से कई प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ हैं जैसे ऊर्जा–स्रोत, उद्योगों हेतु कच्चे माल की आपूर्ति, रोजगार के अवसरों का सृजन तथा पर्यटन विकास परन्तु वन क्षेत्रों के घटने के कारण वर्तमान में इसके अप्रत्यक्ष लाभ, प्रत्यक्ष से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। वनों से प्राकृतिक संतुलन बना रहता है, बाढ़ तथा सूखे पर नियंत्रण रहता है, मृदा–क्षरण रुकता है तथा पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रित रहता है।[1] वनों के उपरोक्त महत्वों के कारण वनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

प्राचीनकाल से लेकर अद्यतन झारखंड के आर्थिक–सामाजिक जीवन में वनों का विशेष महत्व रहा है। 1947 ई० से पहले बिहार के 80 प्रतिशत जंगल छोटानागपुर–संथाल परगना क्षेत्र में थे। इनमें बिहार की 90 प्रतिशत जनजातियाँ रहती थीं। झारखंड के जंगल दो प्रकार के थे आर्द्र पर्णपाती एवं शुष्क पर्णपाती। शुष्क पर्णपाती जंगल सबई घास तथा बांस के थे जिनका विस्तार निरन्तर घटता जा रहा था। सम्पूर्ण झारखंड में अच्छे किस्म की लकड़ियों के जंगल थे, किन्तु प्रधानता साल वृक्षों की ही थी। शीशम, गम्हार, करम तथा कटहल की लकड़ी का भी गृहनिर्माण में व्यापक उपयोग होता था। महुआ, केन्द, बेर तथा जामुन वृक्षों के फल गरीब लोगों के पेट भरते थे। जनजातियों के अतिरिक्त सदान भी वनों से बाँस, साबाई घास, पत्तियाँ, फल–फूल, कन्द–मूल, मधु, गोन्द, तसर, लाह, चमड़े, सींग, हड़ियाँ तथा पंख आदि प्राप्त कर जीवनयापन करते थे एवं अपनी आमदनी बढ़ाते थे।[2]

झारखण्ड शब्द से झाड़–जंगल से भरे क्षेत्र का बोध होता है। यह क्षेत्र प्राचीन काल से ही जंगलों से आच्छादित रहा है। लेकिन जंगलों की अंधाधुंध कटाई और चारगाह के रूप में निरंतर इस्तेमाल से इसमें कमी आई है। अभी झारखण्ड में राज्य के कुल क्षेत्रफल के 23,605 वर्ग किमी. (29.61:) भाग में ही वन पाए जाते हैं। यह भारत के कुल वन–क्षेत्र का लगभग 3.4: है। भारत में देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 21: भाग में वन पाए जाते हैं। झारखण्ड में वनों का औसत राष्ट्रीय औसत से अधिक है। झारखण्ड में राज्य 79,714 वर्ग किमी के भौगोलिक क्षेत्र के साथ राज्य देश के क्षेत्रफल का 2.42: है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित 2019 के अनुसार, राज्य का कुल दर्ज वन क्षेत्र 23,605 वर्ग किमी है जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 29.61: है। कुल दर्ज वन क्षेत्र में, आरक्षित वन 18. 59:(4,387 वर्ग कि.मी.), संरक्षित वन 81.28:(19,185 वर्ग कि.मी.) और अवर्गीकृत वन 0.14: (33 वर्ग कि.मी.) हैं।[3] कुल वन और वृक्ष का आवरण सम्मलित रूप से राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का

वनाच्छादन एवं पर्यावरण की निरंतर अवनति की समस्या पर विचारपरान्त यह निष्कर्ष निकाला गया कि वनों के प्रबंधन एवं संरक्षण में राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुकूल स्थानीय रूप एवं जन शरीर का सक्रिय सहयोग जन सहयोग से विकास के प्रस्ताव एक संकल्प 1990 में घोषित किया गया था जिसे विजेट, 2000 में ओवरमिट कर दिया गया। नए संकल्प में वन समितिध्इको विकास समिति का गठन, अधिकार, कर्तव्य आदि को परिभाषित किया गया और इसके कार्यकलाप को प्रभावी बनाने का आदेश दिया गया।

झारखंड में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधान लागू होते हैं इसके लिए दर्ज वन भूमि को गैर वन भूमि में बदले जाने से पूर्व केंद्र सरकार की अनुमति की आवश्यकता होती है। प्रमुख वन संरक्षकों को पांच हेक्टेयर तक की वनभूमि को गैर–वन ट्रैक्ट के लिए अधिकृत करने का अधिकार प्राप्त है। ये उत्खनन व अवैध कब्जों को नियमित करने के मामले में शामिल नहीं है। नामांकन लाइन, जल विद्युत परियोजनायें, भूकंपीय सर्वेक्षण तथा तेल निकालने के लिए खोजें आदि जैसे विकास परियोजना के सर्वेक्षण कार्य पर वन संरक्षण अधिनियम लागू नहीं होता है।

राष्ट्रीय वन नीति 1988 का झांसा देते हुए आदिवासी बहुल क्षेत्रों में वनों को नष्ट कर देते हैं फिर से हरा–भरा करने के कार्य में स्थानीय लोगों को शामिल करने के लिए प्रतिशत–प्रतिशत केंद्र द्वारा आवंटन योजना शुरू की गई है। इस योजना का नाम अवक्रमित वनों को उपभोग के आधार पर फिर से जीवित करने के लिए जनजातीय और ग्रामीण निर्धन वर्ग संगठन है। इसका उद्देश्य आदिवासियों को रोजगार और रोजगार हासिल करना है। वनों के क्षेत्र में तेजी से परिर्वतन हो रहे हैं। वन कॉर्ड के विस्तार की प्रक्रिया काफी धीमी है।[4] वन विनाश की इस प्रक्रिया के कारण आरखण्ड शब्द आज अपनी सार्थकता खो चुका है।

राष्टीय वन नीति 1952 अनुसार कुछ क्षेत्रफल के कम से कम 33 प्रतिशत पर वनों का विस्तार होना चाहिए। झारखण्ड के 22 जिलों में सिर्फ चतरा ¼53 प्रतिशत½, पलामू ¼44 प्रतिशत½. गढ़वा ¼42 प्रतिशत), हजारीबाग (48 प्रतिशत) तथा सिंहभूम (33 प्रतिशत) में नों की स्थिति राष्ट्रीय मानक स्तर से अधिक हैं। धनबाद (12. 27 प्रतिशत). बोकारो (4.4 प्रतिशत), साहेबगंज (2.4 प्रतिशत). देवघर (9.5 प्रतिशत) एवं राँची 24 प्रतिशत) में वनों की सघनता मानक स्तर से नीचे हैं। इस आलोक में वन क्षण और वन रोपण प्रबन्धन को सुदृढ़ करने की जरूरत हैं।

राँची जिला गजेटियर के अनुसार 1902–1910 के सर्वेक्षण अभिलेखों के अनुसार राँची जिला में 2281 वर्गमील वन थे। 1948 में निजी वनों के सीमांकन के समय यह घटकर 1278 वर्गमील रह गया हैं। इससे यह स्पष्ट है कि 38–40 वर्षो के अन्दर लगभग 1000 वर्गमील वन काट डाले गये। इस प्रतिकूल परिस्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए और निजी स्वामित्व समाप्त करने के लिए बिहार निजी इन कानून 1916 तथा 1948 एवं छोटानागपुर निजी वन बिल 1939 लागू किया गया है इसके साथ बिहार भूमि सुधार कानून 1950 द्वारा सभी निजी एवं जमीन्दरों उनों का स्वामित्व समाप्त कर उन्हें सरकारी वन घोषित कर दिया गया। इसके साथ सरकारी वनों का क्षेत्र दो वर्गो आरक्षित (रिजर्व) तथा संरक्षित (प्रोटेक्टेड) में रखा गया।

भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के एवं झारखण्ड में वन कि स्थिति :

2021 की विशेषताएँ :

इसने पहली बार टाइगर रिजर्व, टाइगर कॉरिडोर और गिर के जंगल जिसमें एशियाई शेर रहते हैं में वन आवरण का आकलन किया है। वर्ष 2011–2021 के मध्य बाघ गलियारों में वन क्षेत्र में 37.15 वर्ग किमी (0.32:) की वृद्धि हुई है, लेकिन बाघ अभयारण्यों में 22.6 वर्ग किमी (0.04:) की कमी आई है। इन 10 वर्षों में 20 बाघ अभयारण्यों में वनावरण में वृद्धि हुई है, साथ ही 32 बाघ अभयारण्यों के वनावरण क्षेत्र में कमी आई। बक्सा (पश्चिम बंगाल), अनामलाई (तमिलनाडु) और इंद्रावती रिजर्व (छत्तीसगढ़) के वन क्षेत्र में वृद्धि देखी गई है जबकि कवल (तेलंगाना), भद्रा (कर्नाटक) और सुंदरबन रिजर्व (पश्चिम बंगाल) में हुई है। अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक लगभग 97 प्रतिशत वन आवरण है। क्षेत्र में वृद्धि पिछले दो वर्षों में 1,540 वर्ग किलोमीटर के अतिरिक्त कवर के साथ देश में वन और वृक्षों के आवरण में वृद्धि जारी है। भारत का वन क्षेत्र अब 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, यह देश के भौगोलिक क्षेत्र का 21.71: है जो वर्ष 2019 में 21.67: से अधिक है।[5] वृक्षों के आवरण में 721 वर्ग किमी. की वृद्धि हुई है।

वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि दर्शाने वाले राज्यों में तेलंगाना (3.07:), आंध्र प्रदेश (2.22:) और ओडिशा (1. 04:) हैं। वनावरण में सबसे अधिक कमी पूर्वोत्तर के पाँच राज्यों– अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नगालैंड में हुई है। उच्चतम वन क्षेत्रध्आच्छादन वाले राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि सेरू मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र हैं।

कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आवरण के मामले में शीर्ष पाँच राज्य मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नगालैंड हैं। शब्द श्वन क्षेत्र सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार भूमि की कानूनी स्थिति को दर्शाता है, जबकि श्वन आवरणश शब्द किसी भी भूमि पर पेड़ों की उपस्थिति को दर्शाता है।

झारखण्ड वन स्थिति रिपोर्ट–2021

झारखण्ड में वन क्षेत्रफल–23,721 कि0 मी0^2 / 79,716 (भारत– 7,13,789 कि0 मी0^2 / 3287469) राज्य के कुल क्षेत्रफल– 29.76 प्रतिश्त / 100 (भारत 21-71%/100)

(2019–21 के दौरान) वन क्षेत्र में वृद्धि–110 कि0 मी0^2 (भारत–1540 कि0 मी0^2)

(2019–21 के दौरान) वन क्षेत्र में : वृद्धि 0.47 प्रतिश (भारत–0.22 प्रतिशत)

झारखण्ड में वन क्षेत्र (भारत के कुल वन क्षेत्र का) = 3.32 प्रतिशत है।

राज्य में प्रति व्यक्ति वन का आच्छादन 0.08 (वन स्थिति रिपोर्ट–2019) हेक्टेयर है। झारखण्ड में देश के राष्ट्रीय औसत (21.71 प्रतिशत) से अधिक वन क्षेत्र (29.76 प्रतिशत) का विस्तार है, परन्तु यह राष्ट्रीय वन नीति के लक्ष्य (33 प्रतिशत) से कम है।[6]

झारखण्ड में वन क्षेत्र की स्थिति

	2019	2019	2021	2021
वर्गीकरण	क्षेत्रफल (कि0मी0^2 में)	कुल रिकार्डेड क्षेत्र का प्रतिशत	क्षेत्रफल (कि0मी0^2 में)	कुल रिकार्डेड क्षेत्र का प्रतिशत
Prote cted	19,185	81.28	18922 कि0मी^{2}	
वर्गीकृत वन	33	0.14	1696 कि0मी2	
रिकार्डेड वन	23,605		25118	31.51 प्रतिशत

इस प्रकार 2019– 2021 में वनों कि स्थिति में परिवर्तन देखा जा सकता है।[7]

वनाच्छादन क्षेत्रफल कि0मी0^2

सार्वाधिक			न्यूनतम	
	2021	2019	2021	2019
1	प. सिंहभूम 3368.44	प. सिंहभूम 3366.12	जामताड़ा 106.02	जामताड़ा 100.64
2	लतेहार 2403.04	लतेहार 2406.34	देवघर 205.80	देवघर 203.71
3	च्तरा 1782.09	चतरा 1777.35	धनबाद 218.18	धनबाद 213.51

इस प्रकार 2019– 2021 वनाच्छादन क्षेत्रफल कि0मी0^2 में वनों कि स्थिति में परिवर्तन देखा जा सकता है।[8]

वन प्रतिशत				
	सार्वाधिक		न्यूनतम	
	2021	2019	2021	2019
1	लतेहार 56 प्रतिशत	लतेहार 56.08 प्रतिशत	जामताड़ा 5.85 प्रतिशत	जामताड़ा 5.56 प्रतिशत
2	च्तरा 47.9 प्रतिशत	च्तरा 47.80 प्रतिशत	देवघर 8.31 प्रतिशत	देवघर 5.56 प्रतिशत
3	प. सिंहभूम 46.63 प्रतिशत	प. सिंहभूम 46.60 प्रतिशत	धनबाद 10.70 प्रतिशत	धनबाद 10.47 प्रतिशत

इस प्रकार 2019– 2021 में वनों कि स्थिति के प्रतिशत में परिवर्तन देखा जा सकता है।[9]

जिलावार वनो कि स्थिति झारखण्ड 2021								
जिला	भोगोलिक क्षेत्र जी.ए	घना जंगल	सघन जंगल	खुला जंगल	कुल	प्रतिशत जी.ए	Change wrt2019 Assess-Ment	In sq km-scrub
बेकारो	2883	60.99	231.94	283.07	576.00	19.98	2.45	37.95
चतरा	3718	244.28	871.173	666.08	1782.09	47.93	4.74	23.57
देवघर	2477	00	14.30	191.50	205.80	8.31	2.09	14.04
धनबाद	2040	00	44.00	174.18	218.18	10.70	4.67	16.05
छुमका	3761	00	259.40	318.23	577.63	15.36	0.32	44.55
पू. सिंहभूम	3562	54.81	591.69	434.19	108069	30.34	1.31	20.91
गरवाह	4093	125.14	415.60	890.98	1431.72	34.98	40.13	44.32
ग्रिहडिह	4962	77.16	338.56	490.19	905.91	18.26	4.67	28.92
गोडा	2266	12.81	271.88	138.66	423.35	18.68	0.00	14.27
गुमला	5360	304.69	585.81	552.65	1443.15	26.92	0.89	8.25
हजारीवाग	3555	230.11	348.54	784.54	1363.19	38.35	10.42	15.99
जामतारा	1811	0.00	20.84	85.18	106.02	5.85	5.38	5.32
खुटी	2535	72.97	344.59	496.18	913.74	36.04	8.25	3.11
कोडरमा	2540	80.80	494.43	447.82	1023.05	40.28	– 0.42	6.37
लातेहार	4291	480.36	1308.	613.75	2403.	56.00	– 3.30	9.30

			93		04			
लोहरदगा	1502	174.03	218.40	111.99	504.42	33.58	– 0.20	7.66
पाकुर	1811	2.96	172.40	111.64	287.00	15.85	– 2.26	20.06
पलामू	4393	62.82	512.73	640.18	1215. 73	27.67	14.95	84.23
रामगर	1341	30.96	109.32	190.98	331.26	24.70	2.26	14.49
रांची	5097	62.89	363.91	741.98	1168. 78	22.93	4.29	27.98
शिवगंज	2063	17.74	258.73	297.48	573.95	27.82	1.60	47.53
सरालकेला खरसावा	2657	22.03	213.84	338.37	574.60	21.63	0.56	21.87
सिमडेगा	3774	21.97	343.54	877.89	1243. 40	32.95	2.48	20.28
प. सिहभूम	7224	461.53	1353. 80	1553. 11	3368. 44	46.63	2.32	47.18
कुल	79716	2601. 05	9688. 91	11431. 18	23721. 41	29.76	109.73	584.20

इस प्रकार 2019– 2021 झारखण्ड के प्रत्येक जिलो में वनो कि स्थिति को देखा जा सकता है।[10]

इस प्रकार प्राचीनकाल से लेकर अद्यतन झारखंड के आर्थिक–सामाजिक जीवन में वनों का विशेष महत्व रहा है। 1947 ई० से पहले बिहार के 80 प्रतिशत जंगल छोटानागपुर–संथाल परगना क्षेत्र में थे। इनमें बिहार की 90 प्रतिशत जनजातियाँ रहती थीं। भारत के पूर्व में स्थित झारखण्ड राज्य, झाड़ों अर्थात् जंगलों का प्रदेश होने के कारण झारखण्ड कहलाता है। झारखण्ड 22 ° उत्तरी अक्षांश से 24 ° 50′ उत्तरी अक्षांश तथा 83 ° 2′ पूर्वी देशांतर से 88 ° पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। कर्क रेखा ¼231/2 ° उत्तरी अक्षांश½ राज्य के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा पर स्थित झारखण्ड के स्थल हैं– नेतरहाट, किस्को, ओरमांझी, गोला, मुरहुलमुदी, गोपालपुर, पोखन्ना, गोसाईडीह, झालबरदा व पालकुदरी। झारखण्ड का कुल क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश के कल क्षेत्रफल का 2.42 प्रतिशत है। जिसमें से 23611 वर्ग किमी (29.62:) वन भूमि है। कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ झारखंड की अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्रोत हैं। कुल खेती योग्य भूमि केवल 38 लाख हेक्टेयर है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के राज्यों में 15वां स्थान रखता है। झारखण्ड राज्य उत्तर से दक्षिण 380 किमी. लम्बाई तथा पूर्व से पश्चिम 463 किमी. चौड़ाई में विस्तृत है। झारखण्ड राज्य स्थिति तथा विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित है। इसकी भौगोलिक स्थिति 21 ° 58′10″ से 25 ° 19′15″ उत्तरी अक्षांश तथा 83 ° 19′50″ से 87 ° 57′ पूर्वी देशांतर के मध्य है। इस राज्य का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 380 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक 463 किलोमीटर है। इस राज्य का कुल क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.34: है। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखण्ड का स्थान देश में 15वां है।2 इस राज्य की कुल जनसंख्या 2,69,45,829 है, जो भारत की कुल जनसंख्या का 2.62 प्रतिशत है। जनसंख्या की दृष्टि से झारखण्ड का स्थान देश में 13वां है। राज्य में प्रति व्यक्ति वन का आच्छादन 0.08 (वन स्थिति रिपोर्ट–2019) हेक्टेयर है। झारखण्ड में देश के राष्ट्रीय औसत (21.71 प्रतिशत) से अधिक वन क्षेत्र (29.76 प्रतिशत) का विस्तार है, परन्तु यह राष्ट्रीय वन नीति के लक्ष्य (33 प्रतिशत) से कम है।45 झारखण्ड वन स्थिति रिपोर्ट–2021 झारखण्ड में वन क्षेत्रफल–23,721 कि0 मी02 / 79,716 (भारत– 7,13,789 कि0 मी02 / 3287469) राज्य के कुल क्षेत्रफल– 29.76 प्रतिश्त / 100 (भारत 21.71:ध100) (2019–21 के दौरान) वन क्षेत्र में वृद्धि–110 कि0 मी02 (भारत–1540 कि0 मी02) (2019–21 के दौरान) वन क्षेत्र में : वृद्धि 0.47 प्रतिश (भारत–0.22 प्रतिशत) है।

संदर्भ–सूची :

1. वन सुरक्षा एवं वन विधि, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग झारखंड, उप वन संरक्षक प्रशिक्षण रांची झारखंड, पृष्ठ–1
2. बी. वीरोतम, झारखंड बिहार एवं संस्कृति, बिहार ग्रंथ अकादमी पटना, 2013 पृष्ठ–642
3. एच.टी.टी.पीएस https://ramakantverma.wordpress.com/jharkhand/geography-of-jharkhand/forest-in-
4. राम कुमार तिवारी, झारखंड का भूगोल, राजेश पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2017 पृ0–128–29

5. https://okworldguru.com/jharkhand-forest-jharkhand-forest-survey-of-indi/
6. https://www.drishtiias.com/hindi/daily-news- analysis/india-state-of-forest-report-2021
7. https://fsi.nic.in/forest-report-2021
8. https://forest.jharkhand.gov.in/stateforestreports/jharkhand- isfr-2021.pdf

'Journal of Research & Development'
A Multidisciplinary International Level Referred and Peer Reviewed Journal,
Impact Factor-7.265, ISSN: 2230-9578, April 2023, Volume-15 Issue-10

प्रोफेसर रमणलाल मेहताजी द्वारा संकलित आगरा घराणे की राग भिमपलास की बंदिश का सौंदर्यात्मक अध्ययन

प्रा.डॉ.संतोष किसनराव खंडारे
संगीत विभाग प्रमुखए मधुकरराव पवार कला महाविद्यालय, मुर्तीजापुर
Corresponding author- प्रा.डॉ.संतोष किसनराव खंडारे
Email- santoshkhandare76@gmail.com
DOI-10.5281/zenodo.7943953

सारांश – रमणलाल मेहता द्वारा संकलित, स्वरांकित आगरा घराने की इस बंदिश में राग का प्रतीक दिखाई देता है। स्वर–रचना निर्माण के माध्यम से राग का रूप स्पष्टतासे, विशेषतापूर्ण मालूम पडता है। आगरा घराने की खानदानी बंदिशे जो इस घराने के अनुयायियों द्वारा रची गई है, इन बंदिशों में राग का निर्गुण रूप विद्यमान है, जबकि शब्द, आलापी, बोल और तानयुक्त गायकी सगुण रूप है। बंदिश को रचना की दृष्टि से सही तरीके से बांधा गया है। जिसके कारण राग का सगुण रुप हमारे मन–मस्तिष्क पर तेज चमकता है। यह बंदिश श्रृंगार, भक्ति, करुण तथा वीर रस से ओतप्रोत भरी पड़ी है। इस पारंपारिक बंदिशों के काव्य में 'यमक' का प्रयोग बड़े कुशलतापूर्वक और चतुराई से किया हुआ मालूम पड़ता है, जिससे बंदिशों में रचनाकार की कलाकृति, उच्च विचार से काव्य की शोभा बढ़ाई है। बंदिश की काव्य रचना में शब्दों को बार–बार दोहराया गया है, जिसके कारण आगरा घराने की बंदिशें अन्य घरानों की बंदिशों से अलग, नाविन्यपूर्ण, उत्साहवर्धक, चौतन्यमय दिखाई पड़ती है।

आगरा घराने की यह खानदानी बंदिशें सहज सरल शब्दों का चयन द्वारा रची गई है, जिससे बंदिशों का उच्चारण सहजता से होकर काव्य का स्पष्ट अर्थ और काव्य का भावार्थ, भावनाएं, उपदेश, आनंद देने में सफल हुई है।

प्रस्तावना – आगरा घराने की इन अप्रचलित बंदिशों की भाषा, शब्द योजना, बंदिश का शिस्तबद्धतासे विस्तार, राग के स्वरों को प्रवाहित करके बंदिश में मौजूद स्वरों की मोहक रचना द्वारा रागस्वरुप को उजागर करती है। स्वरों के अद्‌भुत, रम्य, आकर्षक, अलग अस्तित्व का आनंद बंदिशों से प्राप्त होता है। आगरा घराने की यह बंदिशें अपने आप में विविधता से भरी हुई है। जिसके कारण संगीत अभ्यासक, विद्यार्थी, संशोधक, शिक्षक इन सभी को यह बंदिशें अपने सौंदर्यदृष्टिसे आकर्षित करती रही है। इन बंदिशों में मौजूद काव्यतत्व, स्वरतत्व, लयतत्व और सौंदर्यतत्व को खोजकर जनमानस तक पहुंचाना उद्देश्य है। ताकि इस बंदिश का अनोखापन, सुंदरता, रसिलापन, नादमाधुर्य, स्वरमाधुर्य, लयमाधुर्य इन विविध गुणों द्वारा सभी वर्ग इसका आनंद उठा सके

राग भीमपलासी

बंदिश

ताल–त्रिताल **स्वरांकन** **मध्यलय**

स्थायी

नि प ग म	प – नि –	– – सां –	नि ध प –
अ ज हूँ न	आ ऽ ऽ ऽ	ऽ ऽ ये ऽ	श्या ऽ म ऽ
3	X	2	0
म ग रे सा	मम मग पप पम	पनि निप नि सां	– नि ध प
मो री आ ली	कैऽ सेऽ कर रऽ	मऽ नऽ स म	ऽ झा ऽ उं
3	X	2	0

अंतरा

	– प ग म	प नि नि सां	– नि सां रें
	ऽ आ व न	के ऽ दि न	ऽ बी त ग
	X	2	0
सं निसां ध प	– मप ग म	प नि प पनि	सांनि ध – प
य ऽऽ हैं ऽ	ऽ निस दी न	जी या दुः खऽ	ऽऽ पा ऽ उं
3	X	2	0

स्थायी
अज हूँ न आये ष्याम,
मोरी आली कैसे कर मन समझाऊँ।।
अंतरा
आवन के दिन बीत गए हैं,
निसदीन जीया दुःख पाऊँ।।

भिमपलासी राग के साहित्य विरह भावना विषय के अंतर्गत रखा गया है। भारतीय शास्त्रीय संगीत यदापी स्वर प्रदान है, फिर भी उसमें शब्दों का भी विशेष रूप से बहुत महत्व है। प्रस्तुत बंदिश में नायिका की मन वेदना, मनःस्थिति तथा हृदय व्याकुलता राग भिमपलासी बंदिश में प्रदर्शित की गई है।
काव्य – राग भिमपलासी बंदिश का स्वर और लय स्तरपर अध्ययन करने से पहले सांगीतिक दृष्टि से इस गीत के काव्यरचना का अध्ययन करेंगे।
स्थायी काव्यार्थ –

प्रस्तुत बंदिश के काव्य में नायिका कहती है, अज हुँ न आये श्याम, अर्थात श्याम अभी तक नही आये है, नायिका आगे कहती है, 'मोरी आली कैसे कर मन समझाऊ' रचनाकारने यहां नायिका की सखी के रूप में 'आली'

शब्द का प्रयोग किया हुवा प्रतीत होता है। यहां नायिका अपनी सखी से संवाद करते दिखाई है। वह अपने सखी से कहती है, मेरी प्रिय सखी मै अपने मन को कैसे समझाऊ क्योंकी अभी तक श्याम नही आये, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है।

रचनाकारने ''अभीतक'' शब्द का प्रयोग न करते हुए "अज'' शब्द का प्रयोग किया है, जिससे गाते समय उच्चारण में सहजता रहे व सुननेवाले रसिक श्रोताओं को भी रंजक लगे, इसलिये साहित्यकार की यह सोच उनके गहन, चिंतन व मनन की गहराई स्पष्ट करती है।

अंतरा काव्यार्थ –

अंतरे में नायिका निराश होकर कहती है, 'आवन' के अर्थात उनके आनेके दिन अब बित चुके है, 'निसदिन जीया दुःख पाऊॅ' हर दिन श्याम की याद में मेरा ह्रदय दुःखी हो जाता है। रचनाकारने यहां कृष्ण को नायक और उसकी प्रियसी को नायिका के रूप मे रखना अधिक संगत माना है, जो साहित्य के विषय को सार्थक बनाने और न्याय देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। नायिका अपने ह्रदय की या मन की, अपने प्रियतम मोहन को मिलने की आस लगाये बैठी है। उसकी ऑखे राह देखकर थक चुकी है, लेकिन श्याम अभी तक नही लौटे और उनके आने की अब संभावना बहुत कम है, क्योकी उन्हे जा कर बहुत दिन बीत चुके है, फिर भी हर दिन उनको याद करके मन दुःखी हो जाता है, जिससे मन की व्याकुलता और भी बढ़ गई है।

भिमपलासी राग के आगरा घराने की इस बंदिश में साहित्य का विषय बहुत सामान्य मालूम पडता है, परंतु इस सामान्य विषय को लेकर रचनाकार ने अपनी विचारशीलता तथा ज्ञान के आधार पर विशिष्ट शब्दरचना के द्वारा नायिका के ह्रदय की वेदना को आँखो के सामने उजागर करने का प्रयास किया है, तथा शब्द के द्वारा उस वेदना की प्रचिती करवाने की कोशिश रचनाकारने की है।

बंदिश में यदि स्वर किसी राग के प्राण होते हैं तो शब्द उसका जीवन होते हैं। बंदिश में शब्दों के सही और मधुर उच्चारण से राग के स्वरों की आत्मा जाग उठती है। प्रस्तुत काव्य में 'श्याम' यह जोडाक्षर आया है, पारंपारिक गीतों में जोडाक्षर युक्त शब्द होगा, तो वह शब्द उच्चार सुलभ करने की रीत है, इसीकारण यहा पर श्याम जोडाक्षर शब्द को 4 मात्रा मे फोड करके 'श्या ऽ म ऽ' उच्चार सुलभ किया है।

तात्पर्य – यह संपूर्ण रचना गायन के लिए उच्चार सुलभ है। राग गायन की दृष्टि से देखा जाऐ तो बंदिश की शुरुवात 13 वी मात्रा से शुरू होती है।

बंदिश

स्थायी

अ ज हूॅ न आ ये श्या म

मो री आ ली कै से क र म न स म झा ऊॅ

अंतरा

आ व न के दि न बी त ग ए है

नि स दि न जी या दुःख पा ऊ

उपर अधोरेखांकित किये हुए – अ, ज, ह, न, य, म, र, क, स, उ, द इन अक्षरों के पुनरावृत्ती से जो छोटे–छोटे अनुप्रास तैयार हुवे है, उनकी गितो के नादमाधुर्य में महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। रचनाकारने इस बंदिश की रचना पदन्यास के प्रकार से की हुई दिखाई पडती है। जिसमे स्थायी के 'समझाऊॅ' और अंतरे के 'पाऊॅ' शब्द मे अनुप्रास का प्रयोग करके काव्य की शोभा बढाई है। यह उच्च कोटि की बंदिश आगरा घराणे के गायकोने गाकर इसमें अपने गायन द्वारा प्राण भरकर आज तक जीवित रखी है। रचनाकार की यह सोच, यह विचार, यह कल्पना वास्तव में प्रशंसनीय है।

इस गीत की काव्यरचना विरह रस से अनुकूल और नादमधुर है। गायनाभिव्यक्ती के दृष्टीसे काव्य निश्चित ही उत्तम दर्जे का है। स्वर अभ्यास के दृष्टि से देखा जाये तो इस बंदिश के स्वररचना मे भिमपलासी राग के राग दर्शक स्वरसमुदाय निम्नलिखित है।

राग स्वरूप –

1)	गीत की प्रथम पंक्ति	–	ग म प नि , नि ध प
2)	गीत की द्वितीय पंक्ति	–	म ग प , नि ध प
3)	गीत की तृतीय पंक्ति	–	ग म प नि नि , नि सां रें
4)	गीत की चौथी पंक्ति	–	ग म प नि

'ग म प नि' यह राग वाचक स्वर समुदाय गीत की पहली, तिसरी, तथा चौथी पंक्ति में पुनरावृत्त हुआ है। प्रस्तुत बंदिश की प्रथम पंक्ति में – ग म प नि सां 'आरोह' और प्रथम द्वितीय पंक्ति में संयुक्त रूपसे सां नि ध प म ग रे सा इस प्रकार स्पष्ट रूप से 'अवरोह' दिखाई देता है। यही पर राग खुलकर सामने आता है, जो बंदिश की उच्च दर्जा का प्रतीक है।

उपरोक्त विश्लेषण से रचनाकारने राग भिमपलासी का स्वरूप प्रभावी ढंग से बंदिश में दिखाया है, राग स्वरूप के उपर उनकी पकड तथा बंदिश की रचना निर्माण में कोई शिथिलता नही है। जो स्वर समुदाय बार–बार आऐ है, उनको हम रागवाचक स्वर समुदाय कहते है।

उदा.– ग म प नि, नि ध प, म ग प

राग विश्लेषण –

राग भिमपलासी काफी थाट से निर्माण हुआ है। इसका वादी स्वर मध्यम तथा संवादी स्वर षडज माना जाता है। आरोह मे ऋषभ – धैवत वर्ज होने के कारण इस राग की जाती ओडव–सम्पूर्ण मानी गई है। न्यास के स्वर – सा ग म प तथा समप्रकृतिक राग – बागेश्री है।

आरोह – नि सा ग म , प , नि , सां

अवरोह – सां नि ध प , म प ग म , ग रे सा

पकड़ – नि सा म , म प ग म , ग रे सा

निरीक्षण –

1. प्रस्तुत बंदिश में ग नि कोमल तथा अन्य स्वर शुद्ध प्रयोग किया जाता है।
2. आरोह में रे ध वर्जित है।
3. अवरोह में सातों स्वरों का प्रयोग होता है।
4. इसमें सा म और म ग की संगति बार – बार दिखाते हैं।
5. नि के साथ सा के तथा ग के साथ म का मींड दिखाने की परंपरा है।
6. यह करुण प्रकृतिका राग है। इसमें बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, तराना, धृपद – धमार आदि सभी गाये बजाये जाते हैं।
7. दिन में गाए जाने वाले रागों में राग भिमपलासी अति मधुर और कर्णप्रिय राग है।
8. भीमपलासी राग का समप्राकृतिक राग बागेश्री है।
9. राग भिमपलासी के अवरोह में धैवत स्वर को पंचम का तथा ऋषभ स्वर को षडज का कण स्वर लगाने से राग की शोभा विशेष रूप से बढ़ती है।
10. भीमपलासी राग की विशेषता यह है कि कोमल निषाद को ऊपर की श्रुति में गाते है।

राग भिमपलासी पूर्वांगप्रधान राग है।

11. इस राग की प्रकृतिगंभीर तथा भक्ति रस और श्रृंगार रस से परिपूर्ण है।
12. इस लोकप्रिय राग में षडज–मध्यम और पंचम–गांधार स्वरों को मिंड के साथ विशेष रूप से गाया है।

स्वर प्रधानता – इस बंदिश में आई हुई स्वररचना मे क्रमशः किस प्रकार स्वर प्राधान्य दिए है यह देखेंगे। प्रस्तुत बंदिश की स्थायी ताल त्रिताल के दो आवर्तन में यांनी 32 मात्रा में और अंतरा पौने दो आवर्तन में यांनी 28 मात्रा में बंदिस्त किया गया है। 32 मात्रा कि स्थायी तथा 28 मात्रा का अंतरा 32 + 28 = 60 मात्रामें यह बंदिश बंधी हुई है।

बंदिश में प्रयुक्त स्वर मात्रा सुची

पंक्ति.कं / स्वर	ι	ιι	ιιι	प्ट	कुल
सा	2	3	$4^{1/2}$	$^{1/2}$	10
रे	–	1	1	–	2
ग	1	$1^{1/2}$	1	1	$4^{1/2}$
म	1	3	1	$1^{1/2}$	$6^{1/2}$
प	5	$3^{1/2}$	4	5	$17^{1/2}$
ध	1	1	1	2	5
नि	6	3	$3^{1/2}$	2	$14^{1/2}$
कुल	16	16	16	12	60

इन 60 मात्रों का प्राधान्यक्रम निम्नलिखित है।

1)	पंचम	–	17 1/2
2)	निषाद	–	14 1/2
3)	षडज	–	10
4)	मध्यम	–	6 1/2
5)	धैवत	–	5
6)	गांधार	–	4 1/2
7)	रिषभ	–	2
	कुल	=	60

प्रस्तुत बंदिश स्थायी की शुरुआत 13 मात्रा से दर्शायी गयी है, जिसमें स्थायी 32 मात्रा और अंतरा 28 मात्रा कुल 60 मात्रा है। लेकिन ताल की दृष्टी से सम पर आने के लिये 4 मात्रा का होना जरुरी है, इसलिए अंतरे के शुरुआत में 'अजहूँन' चार मात्रा का स्थायी का मुखडा लेकर अंतरा शुरू होता है। जिससे ताल की दृष्टि से संपूर्ण 64 मात्राएं होती है। काव्य की दृष्टि से इस बंदिश की 60 मात्राऐ होती है, किंतु ताल संगीत का आत्मा होने के कारण मात्रोंका हिसाब लगाते समय बंदिशमें जो पुनरावृत्ति हुई है, उससे संपूर्ण मात्रावकाश 64 मात्रा का होता है। प्रस्तुत बंदिश निर्माण में रचनाकारने उसके कर्तुत्व मे कोई भी कसर नही छोडी ऐसा सिद्ध होता है। षास्त्र में कहा गया है की, राग मे जो स्वर बार बार आता है, तथा जिस स्वर को राग में प्रमुखता से लिया जाता है, उस स्वर को वादी स्वर कहते है, किंतु इस बंदिश का अध्ययन करने पर जो वादी–संवादी स्वर सामने आते है वह प्राचीन काल से शास्त्र में बताये गये वादी–संवादी से अलग अलग दिखाई देते है। शास्त्र में इस राग का वादी स्वर मध्यम तथा संवादी स्वर षडज बताया गया है। किंतु उपरोक्त मात्रावकाश के तक्ते से प्रस्तुत भिमपलासी राग में प से नि का अंतर भारतीय संगीत के स्वरसंवाद की दृष्टिसे देखा जाए तो कर्णमधुर नहीं माना गया है, किंतु कमजोर संवादतत्व का बड़ी खूबी से उपयोग प्रस्तुत राग में किया गया है। इससे बंदिश में कही भी राग हानी नही दिखाई पडती। यह बंदिश राग के सौंदर्य को अंत तक बनाये रखती है। बंदिश में पंचम स्वर का बहुत्व बंदिश का वैशिष्ट्य दिखाता है।

वादी संवादी स्वरों को ध्यान में रखते हुऐ इस बंदिश के अनुसार नीचे दिये गये स्वरो का प्राधान्यक्रम इस प्रकार होगा।

स्वर		मात्रावकाश		मूल्यांकन
पंचम	–	17 1/2	–	प्रधान स्वर
निषाद	–	14 1/2	–	उपप्रधान स्वर
षडज	–	10	–	साधारण प्रधान स्वर
मध्यम	–	6 1/2	–	साधारण प्रधान स्वर
धैवत	–	5	–	साधारण प्रधान स्वर
गांधार	–	4 1/2	–	साधारण प्रधान स्वर
रिषभ	–	2	–	अल्प स्वर

बंदिश स्वररचना में अलंकारिता –

भारतीय शास्त्रीय संगीत में राग गायन करते समय आलाप, बोलआलाप, तान और बोलतान इनके कलात्मक आविष्कार के लिये अलंकारोंका होना बहुत महत्वपूर्ण है। राग भिमपलासी काफी थाट से निर्माण होने कारण विविध अंगो से बंदिश गाते समय अलंकारिकता जो सजावट के कार्य हेतु प्रयोग की गई है।

ऐसे अंगभूत अलंकार राग भिमपलासी के बंदिश की स्वर रचना मे कौनसे है, यह देखेंगे।

1) प्रथम पंक्ति	–	ग़ म प नि़ सां	(आरोही ढंग)
2) द्वितीय पंक्ति	–	मम मग़ पप पम पनि़ निप	(अवरोही ढंग)
3) तृतीय पंक्ति	–	ग़ म प नि़ सां रें	(आरोही ढंग)
4) चौथी पंक्ति	–	सांनि़ धप मप ग़म पनि़ प–	(अवरोही ढंग)

काफी थाट जन्य राग भिमपलासी की जाती औडव–संपूर्ण होने के कारण इसमें अखंडित सरल अलंकार का प्रमाण ठीक ठाक है। प्रोफेसर रमणलाल मेहता जी द्वारा आगरा घराने की राग भिमपलासी की इस बंदिश में जो अलंकार प्रयोग किये गये है, उससे बंदिश की द्वितीय पंक्ति में अवरोही ढंग की सुंदर तान तयार होती है। उदा. मम मग़ पप पम पनि़ निप

इस तानसे बोलतान की उपज हो सकती है। इसप्रकार अलंकारिता की दृष्टि से अनेकानेक उपज इस बंदिश से उपलब्ध होने से यह बंदिश समृद्ध हुई है।

लयसौंदर्य–

- प्रस्तुत राग भिमपलासी बंदिश के लिये 16 मात्रा वाले ताल त्रिताल का चयन किया है, जो बंदिश की गती को मध्यलय –द्रुतलय में बनाये रखती है।
- ''भिमपलासी'' नामक इस प्रचलित राग की मध्यलय की बंदिश को लोकप्रिय व सरल ताल–त्रिताल में निबध्द किया गया है। इस बंदिश को त्रिताल के कुल 3 3/4 आवर्तनों में रचा गया है , जिसमें से स्थायी 2 तथा अंतरा विभाग को 1 3/4 (पौने दो) आवर्तनों में रचा गया है। भीमपलासी प्रस्तुत बंदिश की स्थायी का मुखड़ा त्रिताल के 13 वी मात्रा से रचा गया है। किंतु अंतरे का मुखड़ा ''सम'' से अर्थात् ताल की पहली मात्रा पर विश्रांती लेकर रचा गया है। इस प्रकार स्थायी तथा अंतरा दोनों खंड के मुखड़े त्रिताल की विभिन्न मात्राओं से रचे गये हैं, जो सर्व–सामान्य विषय है।
- प्रस्तुत बंदिश का उठाव 13 वी मात्रा से शुरू हुवा है। इसलिए इस बंदिश के स्थायी के प्रथम पंक्ति का मात्रा प्रवास 13 वी मात्रा से शुरू होकर 12 वी मात्रा तक संपूर्ण एक आवर्तन का यांनी कुल 16 मात्रा का है। जो कि एक सर्वसामान्य तथा सरल मुखड़ा है।
- प्रस्तुत बंदिश की एक विशेषता यह भी है कि, संपूर्ण अंतरा एकसाथ ही गाया जा सकता है अर्थात् अंतरे की पंक्तियों को भिन्न रूप से उसके स्वाभाविक या मूल स्थान से नहीं गाया जा सकता, क्योंकि ''ऽआवन केऽ दिनऽ बीत गये ऽऽ है ऽ ऽ निस दिन जीया दुःखऽ ऽऽ पाऽऊँ'' इन शब्दों को प्रथम पंक्तिमें ताल की प्रथम मात्रा से द्वितीय पंक्ति के अंततक अर्थात बारावी मात्रा तक रचा गया है, जिससे इन पंक्तियों को भिन्न–भिन्न रूपों में पुनरावृत्ति करना या गाना संभव नहीं हो सकता। शेष बंदिश को सीधे व सरल रूप से ताल – अंग से रचा हुआ दिखाई देता है।
- अंतरे की प्रथम पंक्ति में ''ऽ आ व न'' तथा द्वितीय पंक्तिमें ''ऽ निस दि न'' में मूल लय से भिन्न या टेढ़ी लय का आनंद मिलता है, क्योंकि ताल की सम (आघात) वाली जगह पर सीधे – सीधे शब्द न रखते हुए आघात के पश्चात या जिसे हम ऑफ बीट कहते हैं, उस पर शब्द – स्वरों को रखा गया है, जिससे ताल की चाल (लय) में विविधता दिखाई देती है। उस विविध लय से श्रोताओं को एक ही ताल में विभिन्न लय का आनंद प्राप्त होता है।
- विभिन्न खंड तथा विभिन्न मात्रा से रचित बंदिशें अकसर दिखाई देती हैं। प्रस्तुत राग की मध्यलय के स्थायी तथा अंतरा इन दो विभागों की ताल दृष्टि से तुलना करें तो दोनों विभागों को भले ही करीब–करीब ताल के कुल 2–2 आवर्तनों में रचा गया है, परंतु उन दोनों विभागों के प्रारंभ स्थान भिन्न–भिन्न रखे गये हैं, फिर भी दोनों विभागों के आखिरी शब्दों में अनुप्रास बिठाते हुए तथा दोनों विभागों के आखिरी ''समझाऊँ – पाऊँ'' शब्द समान दृष्टि से ताल की 10 से 12 वी मात्रा मे रचे गये हैं, जिससे यह कार्य चमत्कारिक व अधिक आनंदपप्रद महसूस होता है।

राग भिमपलासी के इस बंदिश का आकृतिबंध करते वक्त इस बंदिश में लयकारी की विविधता दिखाई पड़ती है। लय सौंदर्य दृष्टि से तथा

चलन समानता जैसे कुछ सिद्धांतों के आधार बनाकर इस वर्गीकरण किया गया है।

अब शब्द के मेल–मिलाप से राग भिमपलासी इस गीत के प्रत्येक आवर्तन से तैयार हुऐ आकृतिबंध देखेंगे।

1) प्रथम पंक्ति – अ ज हूँ न आ ऽ ऽ ऽ ऽ ऽ ये ऽ श्या ऽ म ऽ

2) द्वितीय पंक्ति – मो री आ ली कैऽ सेऽ कुऽ रुऽ मुऽ नुऽ स म ऽ झा ऽ ऊँ

3) तृतीय पंक्ति – ऽ आ व न के ऽ दि न ऽ बी त ग ये ऽऽ है ऽ

4) चौथी पंक्ति – ऽ निसु दि न जी या दुःखऽ ऽऽ पा ऽ

उपरोक्त विश्लेषण से नीचे दिये हुये ताल त्रिताल के चार आकृतिबंध हमारे सामने आते है।

स्थायी	1) प्रथम पंक्ति	–	2+1+1+8+4 = 16
	2) द्वितीय पंक्ति	–	2+2+2+2+2+6 = 16
अंतरा	3) तृतीय पंक्ति	–	4+2+3+2+3+2 = 16
	4) चौथी पंक्ति	–	4+2+3+3 = 12

राग भिमपलासी बंदिश के इस आकृतिबंध से बंदिश का लय सौंदर्य बहुत सुंदर दिखाई पडता है। बंदिश में एक भी जोडाक्षर न होने कारण उच्चारण के लिए शब्द शुद्ध, सरल और सहज–सुलभ है। भारतीय अभिजात संगीत की आगरा घराने की अनमोल बंदिश को ढुंढकर संकलित किया है, और इन रचनाओंको मौलिक दृष्टि से बंदिश का महत्व जानकर स्वरांकन करके लुप्त होने से मेहताजी ने बचाया है।

सौंदर्यात्मक दृष्टिकोन –

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के राग भिमपलासी बंदिश का अब तक काव्य, रचना और लयसौंदर्य इन तीनों स्तर पर चिकित्सक अध्ययन किया है, इसका सारांश निम्नलिखित है।

1) स्वर प्राधान्य की दृष्टी से राग भिमपलासी बंदिश का परंपरा से चलते आये वादी–संवादी को इस बंदिश मे फाटा दिया गया है।

2) भारतीय रागदारी संगीत के ताल त्रिताल पद की दृष्टि से भिमपलासी राग की प्रकृतिऔर बंदिश की गति के अनुरूप शुद्ध व सरल भावपूर्ण बोलों का चयन किया।

3) उठाव की दृष्टी से राग भिमपलासी बंदिश की स्थायी की शुरुआत ताल त्रिताल मध्यलय की 13 वी मात्रा से तथा अंतरे की शुरुवात सम पर विश्रांती लेकर की की गई है। बंदिश का उठाव रोचक और वैशिष्ट्यपूर्ण तथा अलौकिक आनंद देकर जाता है।

4) स्वर की दृष्टि से भिमपलासी राग के ग नि कोमल स्वर और राग का शुद्ध प्रयोग तथा मात्राओं की समुचित भरावट का ध्यान रखकर नई संकल्पना दि है।

5) ताल त्रिताल का भिमपलासी राग की बंदिश में गती के अनुरूप चयन किया गया है, जिस कारण विभिन्न भाव की उत्पत्ति होकर बंदिश का सौंदर्य खुलकर सुंदर प्रतीत होता है।

6) शास्त्रीय संगीत के इस रागदारी बंदिश का ताल त्रिताल मध्यलय में चलना अद्वितीय और सुंदर लगता है।

7) सांगीतिक दृष्टि से देखा जाये, तो राग भिमपलासी बंदिश का काव्य उत्तम दर्जे का है।

8) राग का भाव सौंदर्य स्पष्ट रूप से प्रकट होता है, स्थाई और अंतरा में विरह भावना, सुगम और उच्चारण के लिए सुलभ शब्दयोजना इन सभी गुणों से परिपूर्ण ऐसी यह बंदिश है।

9) राग की स्वर संगति, राग की प्रकृति, आरोही अवरोही वृत्ती यह बातें बंदिश में मौजूद है।

राग भिमपलासी बंदिश के अंतर्गत आनेवाले लयसौंदर्य चार प्रकार के लय सौंदर्य के विभिन्नता से प्रकट होते है। इस वैशिष्ट्यपूर्ण बंदिश की 3 3/4 पंक्तियों से प्रयुक्त होने वाले ताल त्रिताल के सभी आकृतिबंध श्रोताओं को आकर्षित करते है।

तात्पर्य – हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में बंदिशों का बडा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सौंदर्य की दृष्टि से अत्यंत तेजस्वी ऐसा राग भिमपलासी बंदिश का सौंदर्य भाव है। यह एक उच्च कोटि की स्वराभ्यास की साक्ष देनेवाली अनुशासित बंदिश है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1) मेहता रमणलाल (द्वितीय आवृत्ति मार्च 1993), प्रकाशक–महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय, बडौदा.
2) शर्मा डॉ.नीरा (2014), अष्टछाप संगीत एक विश्लेषण, नवजीवन पब्लिकेशन. पृष्ठ क्र. 12
3) रानडे अशोक दा. (2006), हिंदुस्तानी संगीत, प्रकाशक संचालक, नॅशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, वसंत कुंज, नई दिल्ली. पृष्ठ क्र. 12
4) रानडे डॉ. अशोक (2010), मला भावलेले संगीतकार, राजहंस प्रकाशन, पुणे. पृष्ठ क्र. 156
5) रानाडे श्री. अशोक पुणे, नादयात्राः पृष्ठ क्र. 137
6) शर्मा डॉ जया (2012), पंडित भातखंडे के ग्रंथों का संगीत–शिक्षण में योगदान, कनिष्क पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्युटर्स, नई दिल्ली. पृष्ठ क्र. 15
7) रायचौधरी विमलाकांत (2010), भारतीय संगीत कोश, वाणी प्रकाशन, पृष्ठ क्र. 231
8) वीर राम अवतार (2006), भारतीय संगीत का इतिहास, राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली. पृष्ठ क्र. 45
9) व्यास पं.मदनलाल (2005), भारतीय संगीत के प्रमुख स्तंभ, क्लासिकल पब्लिशिंग कंपनी, नई दिल्ली, पृष्ठ क्र. 136
10) शबनम (2002), भारतीय संगीत में अलंकार, संजय प्रकाशन, दिल्ली. पृष्ठ क्र. 21
11) रानी डॉ. भावना (2011), शास्त्रीय संगीत की लोकप्रियता में सांगीतिक संस्थाओं का महत्व, संजय प्रकाशन, दिल्ली. पृष्ठ क्र. 21
12) शर्मा डॉ. टीना (2016), संगीत और ज्योतिषीय ग्रह नक्षत्र, कनिष्क पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली. पृष्ठ क्र.27
13) राजे सौ. सुरुची संजय (2012), संगीतशास्त्र परिचय, विजय प्रकाशन, सीताबर्डी नागपुर. पृष्ठ क्र. 17

'Journal of Research & Development'
A Multidisciplinary International Level Referred and Peer Reviewed Journal,
Impact Factor-7.265, ISSN: 2230-9578, April 2023, Volume-15 Issue-10

આદિવાસી યુવક યુવતીઓમાં કૌશલ્ય વર્ધન કેન્દ્રોને કારણે આવેલા પરિવર્તનનો એક અભ્યાસ (નર્મદા જિલ્લાના ગરુડેશ્વર તાલુકાના સંદર્ભમાં)

Konkani Kamalben M[1] Rajiv Patel[2]
[1]Research Scholar College Name & College City: Gujarat Vidyapith, Randheja
2Associate Professor College Name & College City: Gujarat Vidyapith, Randheja
Corresponding author- Konkani Kamalben M
Email: Konkanikamal143@gmail. Com
DOI- 10.5281/zenodo.7943961

પ્રસ્તાવના-

ભારતીય સંમાંજને ત્રણ ભાગમાં વહેચવામાં આવે છે. જેમાં ૧) શહેરી સમુદાય ૨) ગ્રામીણ સમુદાય ૩) આદિવાસી સમુદાય. જેમાં ત્રણે સમુદાયોમાં તેઓની રહેણી કરણી, રીત રીવાજો, રૂઢિઓ, જીવનશૈલી, ધર્મ વગેરે જેવી બબોતોમાં વિવિધતા જોવા મળે છે. આદિવાસી સમુદાયમાં વર્તમાન સમયમાં ઘણા એવા ક્ષેત્રોમાં પરિવર્તન આવ્યું છે. જેમાં આદિવાસી યુવાનોનો ફાળો વધારે જોવા મળે છે. શિક્ષણમાં જાગૃતતા આવવાને કારણે આદિવાસી યુવાનો શિક્ષણની જુદી -જુદી ફેકલ્ટીમાં શિક્ષણ મેળવતા ગયા છે. શિક્ષણમાં પરિવર્તન આવવાને કારણે આદિવાસી સમુદાયના આંતરિયાળ ગામડા ઓમાં અર્થિક વિકાસ થયેલો જોવા મળે છે.કમ્પ્યુટર જ્ઞાનમાં વધારો થયેલો હોવાના કારણે તેઓ બહારના જગતને જાણતા અને સમજતા થયા છે.લોકોના મુખ્ય વ્યવસાય ખેતી હોવાથી તેઓ હાલમાં આધુનિક ખેતી કરતા થયા છે. જેમાં ટેકનોલોજી ના ઉપયોગથી ખેતીમાં મબલક પાક લેતા થયા છે. અને ખેતીના વ્યવસાયમાંથી આગળ વધ્યા છે. સામાજિક રીતે આપણા સમાજમાં, સામાજિક રાજકીય વયક્તિગત તેમજ બેરોજગારી જેવી અનેક સમસ્યા જોવા મળે છે. આવી વિભિન્ન પ્રકારની સમસ્યાઓ દૂર કરવા સરકાર દ્વારા ચાલતા કૌશલ્ય વર્ધન કેન્દ્રો દ્વારા યુવક – યુવતીઓ સ્વરોજગારી મેળવે છે. તેની જાણકારી મેળવવા માટે આ સંશોધન વિષય પસંદ કરેલ છે.

ડેલ બીચના મત મુજબ " તાલીમ એ વ્યવસ્થાતંત્રીય કાર્યવાહી છે. જેના દ્વારા લોકો જ્ઞાન અને કૌશલ્યની સમજણ મેળવે છે તે તેનો હેતુ છે." શ્રી ઈ.બી ફિલિપોના મત મુજબ " અમુક કાર્ય કરવા માટે કર્મચારીમાં જરૂરી જ્ઞાન અને બુધ્ધ્યાતુર્ય વધારવાની પ્રવૃત્તિ એટલે તાલીમ " આઝાદી પછી આદિવાસીઓના વિકાસ માટે સરકાર દ્વારા જુદા-જુદા પ્રયત્નો કરવામાં આવે છે. જેમાં તેમના વિકાસ અને કલ્યાણ માટે સરકારે વિવિધ યોજનાઓ દાખલ કરી છે. કેટલીક સ્વેચ્છિક સંસ્થાઓ અદિવાસીઓના વિકાસ માટે ખાસ પ્રયત્નો કરી રહી છે. વિવધ યોજનાઓમાં કૌશલ્ય વર્ધન કેન્દ્રોનો સમાવેશ થાય છે. જેમાં આદિવાસી યુવાનોને જરૂરીયાત મુજબની તાલીમ આપીને તેઓના કૌશલ્ય માં વધારો કરી રોજગારી મેળવતા થાય તેવા પ્રયત્નો કરવામાં આવી રહ્યા છે. કૌશલ્ય વર્ધન કેન્દ્રોનો પારંભ રાજકોટમાં ૨૦૧૦-૨૦૧૧ માં મુખ્યમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો. શરૂઆતમાં ૧૫૦ કૌશલ્ય વર્ધન કેન્દ્રો શરૂ કરવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ સમય જતા ૨૦૧૧-૨૦૧૨ માં બીજા ૧૫૦ કૌશલ્ય વર્ધન કેન્દ્રો શરૂ કર્યા. તેમજ ૨૦૧૨-૨૦૧૩ માં બીજા ૩૫ કૌશલ્ય વર્ધન કેન્દ્રો શરૂ કર્યા જેમાં ૩૦ કૌશલ્ય વર્ધન કેન્દ્ર માત્ર અનુસુચિત જનજાતિ માટે ફાળવવામાં આવ્યા હતા. અને બાકીના ૫ કેન્દ્રો દિવ્યાંગો માટે ફાળવવામાં આવ્યા. રાજય સરકાર દ્વારા આ યોજના ચલાવવામાં આવે છે.

કૌશલ્ય વર્ધન કેન્દ્રને શરૂ કરવાનો સરકારનો મુખ્ય હેતુઓ એ હતા કે જેમાં યુવાનોને રોજગારી મળી રહે. સ્થાનિક જરૂરિયાતોને ધ્યાનમાં રાખીને કેન્દ્રોમાં તાલીમ આપી શકાય યુવાનોના રોજગારી માટે પોતાની સ્થાનિક વિસ્તારમાં વ્યવસાય ઉભા કરી શકે તેમજ અન્ય બીજા સ્થાને સ્થળાંતર કરીને પણ રોજગારી

મેળવી શકે. યુવાનોના રસના વિષયની તાલીમ મળી રહે છે અને તેમાં તે કૌશલ્ય નો વિકાસ કરી શકે છે. યુવાનો પોતાના વિસ્તાર માં રહીને રોજગારી મેળવે અને અને પોતાનું જીવન જીવી શકે . આ ધ્યેય સાથે ગુજરાત સરકાર યુવાનો સુધી આપતી કુશળતા વિકાસ તાલીમ ગામ કલસ્ટર તાલીમ કેન્દ્રો મારફતે ગામડાવો માં સરૂ સ્વર્ણિમ ગુજરાત ગામ્ય કૌશલ્ય વર્ધન કેન્દ્ર યોજના હેઠળ છે. તે સામાન્ય વિસ્તાર માં ૧૦,૦૦૦ કરતા વધુ વસ્તી ને આસપાસ ૭ થી ૧૦ ગામડાઓ ના કલસ્ટર માટે આદિવાસી વિસ્તાર માં ૭૦૦૦ વસ્તી ધરાવતા શેહરી ગામો માં કૌશલ્ય વર્ધન કેન્દ્ર સ્થાપિત કરવા માટે નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું .

ચાવીરૂપ શબ્દો – આદિવાસી , યુવકો , કૌશલ્ય વર્ધન કેન્દ્ર , પરિવર્તન

સંશોધન નાં હેતુઓ :

કૌશલ્ય વર્ધન કેન્દ્રોમાં તાલીમ મેળવેલ આદિવાસી તાલીમાંર્થીમાં કૌશલ્યના લીધે વિકસેલા વ્યક્તિગત, આર્થિક, સામાજિક અને વ્યવસાયિક પરિવર્તન જાણવું.

સંશોધન પદ્ધતિ-

૧-સંશોધન ક્ષેત્રની પસંદગી

સંશોધન અભ્યાસ ગુજરાત રાજયના નર્મદા જીલ્લાના ગરુડેશ્વર તાલુકામાં હાથ ધરવામાં આવેલ છે. આ અભ્યાસમાં કૌશલ્ય વર્ધન કેન્દ્ર સાથે જોડાયેલા યુવક-યુવતીઓનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે.

૨- નમુના પસંદગીની પસંદગી

નર્મદા જીલ્લાના ગરુડેશ્વર તાલુકાના ગામડાઓમાં કૌશલ્ય વર્ધન કેન્દ્ર દ્વારા વિવિધ તાલીમો પૈકી મુખ્ય બે તાલીમો સંશોધન અભ્યાસ માટે પસંદગી કરવામાં આવેલ છે.

૧ સીવણ ૨ કમ્પ્યુટર

પ્રસ્તુત સંશોધન અભ્યાસ માટે તાલીમ લીધેલ એવા ૧૦૦ તાલીમાર્થીઓની સ્તરિકૃત નમુના પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને ઉત્તરદાતા તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યા છે.નર્મદા જીલ્લાના ગરુડેશ્વર તાલુકાના ગામડાઓમાંથી ૧૦૦ ઉત્તરદાતાઓ પાસેથી અભ્યાસના હેતુઓને ધ્યાનમાં રાખી ને માહિતી એકઠી કરેલ છે. જેમાં પસંદગી પામેલ ૨ પ્રકારની તાલીમો પેકી દરેક પ્રકારના ૫૦ તાલીમાર્થીઓની સમાવેશ થયેલ છે.

- સંશોધન અભ્યાસના તારણો-

- કુલ ઉત્તરદાતાઓ પૈકી તાલીમ લીધેલ તાલીમાર્થીઓની ટકાવારી જોતા જણાય છે કે સીવણ તાલીમમાં ૧૦૦ % ઉત્તરદાતાઓ સ્ત્રીઓ છે. જયારે કમ્પ્યુટરની તાલીમમાં ૬૪ % પુરોષો છે. અને ૩૬ % સ્ત્રીઓ છે.

  આમ સ્પષ્ટ થાય છે કે કૌશલ્ય વર્ધન કેન્દ્ર માં કમ્પ્યુટર અને સીવણ ની તાલીમ લીધેલ સ્ત્રીઓની બહુમતી ધરાવે છે.
- તાલીમ પામેલા ઉત્તરદાતાઓ ને જોતા ૮૮% ઉત્તરદાતાઓ એસ.ટી જ્ઞાતિના છે. જયારે સોથી ઓછા ૧૨% ઉત્તરદાતાઓ જનરલ જ્ઞાતિના જોવા મળેલ છે.
- તાલીમ લીધેલ ઉત્તરદાતાઓના શૈક્ષણિક દરજ્જાને તપાસતા જણાય છે કે ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શિક્ષણ ધરાવતા ૪૬% ઉત્તરદાતા છે.જયારે માધ્યમિક શિક્ષણ ધરાવતા ૩૪% ઉત્તરદાતાઓ છે. અને સ્નાતક શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરેલ ૨૦% ઉત્તરદાતા છે. આમ સોથી વધુ ૪૬% ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક સુધીનું શિક્ષણ મેળવેલ છે.
- ઉત્તરદાતાને કૌશલ્ય વર્ધન કેન્દ્ર વિશેની માહિતી કોના દ્વારા પ્રાપ્ત થઈ એ તપાસતા જાણવા મળેલ છે કે ૩૮% ઉત્તર્દાતાઓના કેન્દ્ર વિશેની માહિતી મિત્ર દ્વારા મળી છે. જયારે ૨૬% ઉત્તરદાતાઓને જાહેરાતો દ્વારા મળેલ છે. ૨૨%ને ભૂતપૂર્વ તાલીમાર્થીઓ દ્વારા મળેલ છે અને ૧૪% ઉત્તરદાતાઓને માહિતી સંસ્થા દ્વારા જ મળી છે.
- કુલ ૧૦૦ ઉત્તરદાતા પૈકી ૯૨% ઉત્તરદાતા કૌશલ્ય વર્ધન કેન્દ્ર દ્વારા તાલીમ લીધા બાદ તેઓના જ્ઞાન, વલણમાં ખુબજ વધારો થયેલ છે.

જયારે ૮% ઉત્તરદાતાના જ્ઞાન,વલણમાં સામાન્ય વધારો થયેલ જોવા મળેલ છે.

- ૮૨% ઉત્તરદાતા તાલીમમાં ૧૦૦% હાજરી આપેલ છે. ૧૦% ઉત્તરદાતા તાલીમમાં ૯૦% હાજરી આપેલ છે જયારે ૮% ઉત્તરદાતા તાલીમમાં ૮૦% હાજરી આપેલ છે.
- ૯૨% ઉત્તરદાતાઓને તાલીમ લીધા બાદ આર્થિક સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડ્યો નહિ જયારે ૮% ઉત્તરાદાતાઓને તાલીમમાં જોડ્યા બાદ પણ આર્થિક સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડ્યો છે.
- કૌશલ્ય વર્ધન કેન્દ્રમાં તાલીમ લીધા બાદ ૭૮% ઉત્તરાદાતાને તાલીમ મેળવ્યા બાદ બીજા વ્યવસાય સાથે પણ (ધંધા) જોડાયા છે. ૧૮% ઉત્તરદાતા નોકરી કરે છે. જયારે ૨૨% ઉત્તરદાતા છૂટક કામગીરી કરે છે. અને ૨૨% ઉત્તરદાતા સ્વરોજગારી મેળવે છે.
- કુલ ઉત્તરદાતાઓ પૈકી તાલીમ લીધા બાદ તેઓની આવકથી ૭૮% ઉઉત્તરદાતાઓ સંતુષ્ટ છે. જયારે ૨૨% ઉત્તરદાતાઓ પોતાની આવકથી અસંતુષ્ટ છે આમ સ્પષ્ટ થાય છે કે કૌશલ્ય વર્ધન કેન્દ્રોમાંથી તાલીમ મેળવ્યા બાદ પોતાની આવકથી વધુ ઉત્તરદાતા સંતુષ્ટ જણાય છે.
- કૌશલ્ય વર્ધાનમાંથી તાલીમ લીધા બાદ સમાજના લોકોનો ૯૪% ઉત્તરદાતા પ્રત્યેનો દૃષ્ટિકોણ વધુ સારો ધરાવે છે જયારે ૬% ઉત્તરદાતા આ બાબતે અસ્પસ્ટ છે.

> કુલ ૧૦૦ ઉત્તરદાતાઓ પૈકી તમામ ઉત્તરદાતાઓ કૌશલ્ય વર્ધન કેન્દ્રમાં તાલીમ લીધા બાદ તાલીમ અંગે અન્ય લોકોને માહિતીગાર કર્યા છે. જેમાં ૫૪% ઉત્તરદાતાઓ કૌશલ્ય વર્ધન કેન્દ્રની માહિતી કોર્ષ વિષે અન્ય લોકોને જાણકારી આપેલ છે.જયારે ૪૬% ઉત્તરદાતાઓએ તાલીમના ફાયદાઓ વિશે સમજાવીને કૌશલ્ય વર્ધન કેન્દ્રની માહિતી આપેલ છે.

- કુલ ૧૦૦ ઉત્તરદાતા પૈકી ૯૮% ઉત્તરદાતાઓ તાલીમ લીધા બાદ તેઓની આધુનિક સુખ સગવડતાના સાધનોમાં વધારો થયેલ છે. જયારે ૨% ઉત્તરદાતાઓ તાલીમ લીધા બાદ પણ તેઓની આધુનિક સુખ સગવડતાના સાધનોમાં વધારો થયેલ નથી.

આમ સ્પષ્ટ થાય છે કે સોથી વધુ ટકાવારી તાલીમ લીધા બાદ ઉત્તરાદાતાઓની આધુનિક સુખ સગવડતાના સધોનોમાં વધારો થયેલ જોવા મળે છે.

સંદર્ભસુચિ-

1. કપુરીયા દિપ્તી.એસ અને જીગ્નેશ બી તાળા (૨૦૧૧) " સમાજકાર્ય સંશોધન " યુનિવર્સિટી ગ્રંથનિર્માણ બોર્ડ ગુજરાત રાજ્ય, અમદાવાદ.
2. ઠાકુર ટી. કે. અને આ.વી. રાવલ (૨૦૧૪) " માનવ સંશાધન સંચાલન યુનિવર્સિટી ગ્રંથનિર્માણ બોર્ડ, ગુજરાત રાજ્ય, અમદાવાદ.
3. https://darpg.gov.in
4. https://talimojgar.gujarat.gov.in
5. skillindia.inf

Chief Editor
Dr. R. V. Bhole
'Ravichandram' Survey No-101/1, Plot, No-23,
Mundada Nagar, Jalgaon (M.S.) 425102
Email- rbhole1965@gmail.com
Visit-www.jrdrvb.com

Address
'Ravichandram' Survey No-101/1, Plot, No-23,
Mundada Nagar, Jalgaon (M.S.) 425102